

तलाश-ए-हक़



लेखक

मसऊद अहमद वी-एस-सी

अल किताब इंटरनेशनल

मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर
नई दिल्ली-25

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

तलाशे हक

हक को तलाश करने वाले की दासतान जिसे
पढ़ने से हक की राह आसान हो जाती है

प्रकाशक

अल, किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस,

जामिया नगर, नई दिल्ली-25

फ़ोन- 26986973,

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

नाम पुस्तक	:	तलाशे हक
लेखक	:	मौलाना मसरूद अहमद बी. एस. सी.
पृष्ठ संख्या	:	240
प्रकाशन	:	अक्टूबर 2008
संख्या	:	1000
मुल्य	:	90
प्रकाशक	:	अल किताब इन्टर नेशनल

-मिलने का पता-

अल किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस,

जामिया नगर, नई दिल्ली-25

9312508762, 9310108762, 9310008762

विषय सूची

○ भूमिका	7
○ जनाब नवाब मुहियुद्दीन का पत्र	12
○ हन्फी मजहब के सुन्नत के खिलाफ मसाइल	19
○ इमाम अबु हनीफा रह0 और जमा अहादीस	31
○ इमाम अबु हनीफा रह0 और उनसे संबंधित मसाइल	32
○ शराब का मसला	34
○ इमामों की फज़ीलत तकलीद की पाबन्द नहीं	36
○ फकीहों का अनुसरण	37
○ क्या इमाम अबु हनीफा रह0 ही हदीस का सही मतलब समझे ।	38
○ तकलीद और शरीअत साज़ी	39
○ सहीह बुख़ारी की हदीस को मानना इमाम बुख़ारी रह0 का अनुसरण नहीं	41
○ सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की सेहत पर उम्मत की सहमति	42
○ जाहिल का आलिम से सवाल करना तकलीद नहीं	46
○ मात्र वहम व गुमान से हदीस को नहीं छोड़ा जा सकता	42
○ सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की सेहत पर इमामों की सहमति	47

○ कुछ भ्रम	90
○ रफ़ा यदैन फ़र्ज है	97
○ नमाज़ के अरकान में फ़र्ज व सुन्नत का फ़र्क	100
○ अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की हदीस की लिपि असुरक्षित है	//
○ इमाम हक़ पर थे लेकिन मानने वाले हक़ पर नहीं	108
○ मुज्ताहिदीन ख़ता से पाक नहीं हैं	109
○ फ़िक़ह हन्फ़ी के गन्दे मसाइल और इमाम अबु हनीफ़ा रह० की अलहदगी	111
○ बर्जुगों की ग़लतियां	114
○ मौलवी अशरफ़ अली थानवी साहब रह० की किताबों की हैसियत	115
○ इमाम ग़ज़ाली रह० की किताबें	//
○ अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० को शुरू इस्लाम की नमाज़ याद रही	116
○ क्या शाह वलीउल्लाह साहब रह० तक़लीद के समर्थक थे?	129
○ क्या मुक़ल्लिद के पीछे में नमाज़ हो सकती है	130
○ शाह वलीउल्लाह रह० की लेखनी से तक़लीद का तोड़	146
○ बड़ी जमाअत का अनुसरण करो, का सही मतलब	147
○ बड़ी जमाअत का अनुसरण और इल्ज़ामी जवाबात	149
○ अहले हदीस कोई सम्प्रदाय नहीं है	154
○ करामत वलायत का स्तर नहीं	//

○	बहुत से कलिमा पढ़ने वाले भी मुशिरक होते हैं	170
○	मुकल्लिद मुहक्किक नहीं हो सकता	172
○	तक्लीद की परिभाषा	//
○	फिकह की परिभाषा	173
○	बहुत से अहले हदीस उलमा को मुकल्लिदीन ने मुकल्लिद मशहूर कर दिया है	174
○	तक्लीद क्यों नहीं छूटती	177
○	इमाम अबु हनीफा रह0 की जमा करदा अहादीस कहाँ गई?	178
○	राय और फतवे बाजी की निंदा	181
○	हक वाले थोड़े होते हैं	190
○	सुफी वाद और वजीफे	191
○	बैअत की हकीकत	194
○	अहले हदीस ध्यान दें	195
○	सही हदीसों में कोई फर्क नहीं, हर सहीह हदीस काबिले अमल है	207
○	विभिन्न सवालात और उन के जवाबात	//
○	रफअ यदैन न करने की अहादीस और उनके जवाबात	220
○	विभिन्न सवालात के जवाबात	221
○	तक्लीद	227
○	ज़ियारते नब्वी स0	228
○	रफअ यदैन	230
○	फ़ातिहा खल्फुल इमाम	231

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

भूमिका

सय्यद मसऊद अहमद साहब एक प्रमुख इल्मी व्यक्ति हैं, मुद्दतों असलाफ़ परस्ती और तक़लीद के अंधेरे माहौल में रहने के बाद दीन के मामलों में अल्लाह की प्रदान की गयी सलाहियतों से सहीह तहकीक के बाद जो सही रास्ता अपनाया है उस को हज़रत मुहम्मद मुस्तुफ़ा स० ने निर्धारित फरमाया था ।

और यही मज़हब हज़रत इमाम अबु हनीफ़ा रह० का था कि **صحة الحديث فهو مذهبي** अर्थात् सहीह हदीस ही मेरा मज़हब है ।

इस किताब “तलाशे हक़” में वह पत्र—व्यवहार है जो मुद्दतों मौलवी नवाब मुहियुद्दिन साहब (जिन को अपने हन्फी होने पर बड़ा गर्व था) और मोहतरम सय्यद मसऊद अहमद साहब बी. एस. सी. के बीच तक़लीद शख़्सी और अन्य बहुत से विवादित मसाइल पर होता रहा है । जिस में मौलवी नवाब मुहियुद्दिन साहब के सख़्त और उत्तेजित सवालों के जवाब में सय्यद मसऊद अहमद साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वह सख़्त कलामी और तन्ज़ से बिल्कुल पाक है और शैली सादा समझ में आने के साथ साथ अपने अन्दर माकूलियत और स्वर समस्त संजीदगी लिए हुए है और मौलवी नवाब मुहियुद्दिन साहब के सवालों के जवाब अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में पक्की दलीलों की रोशनी में अच्छे अन्दाज़ में दिए गए हैं । अतएव उस से प्रभावित होकर नवाब मुहियुद्दिन साहब ने मुद्दतों

पत्र-व्यवहार के बाद अपने अहले हदीस होने का ऐलान कर दिया।--- असल बात तो यह है कि इस किताब को पढ़ कर हर हक के प्यासे को कहना पड़ता है कि उस में मिल्लत के हर व्यक्ति के लिए दिल को छू लेने वाली बातें पेश की गई हैं।

अब्दुस्सलाम खां बरेलवी

प्रकाशक की ओर से

ما اهل حدیثیم وقرآن است امام ما

باقول نبیؐ چون و چرا رانشناسیم

हम अहले हदीस हैं और कुरआन हमारा इमाम हैं ।

नबी करीम स० की करनी व कथनी के मुकाबले में हम किसी की करनी व कथनी को नहीं जानते ।

आज से लगभग तेरह चौदह बरस पहले "तलाशे हक" पहली बार छापी गई थी । तलाशे हक को अकसर लोगों ने बहुत पसंद किया, नतीजा यह हुआ कि उस का पहला एडिशन जल्द ही खत्म हो गया लेकिन इस की मांग बराबर रही, अतः हम ने इस किताब को छापने का इरादा किया । इस की तैयारी काफी समय से चल रही थी लेकिन कुछ मजबूरियों और संशोधन की वजह से बहुत देरी हो गई ।

अहले हदीस हमारा व्यक्तिगत नाम नहीं है बल्कि सिफाती नाम है, हम ने अकवालुर्रिजाल को छोड़ा, अकवाले फुकहा से मुंह मोड़ा, कयास व राय से दामन बचाया और हदीस नबवी सल्ल० को थाम लिया, हर मसला में हदीस नबवी सल्ल० को वरीयता दी और हदीस ही का प्रचार किया हदीस ही अपना ओढ़ना और बिछौना बनाया, इस लिए हमारी निस्बत हदीस ही की तरफ हो गई, और याद रखिए कि हदीस और सुन्नत एक ही चीज हैं, जब आप शिया के मुकाबले में अहले सुन्नत कहलाना पसंद करते हैं तो अहले हदीस कहलाने

से क्यों नफरत है? हर मुसलमान अहले हदीस होता है और हर अहले हदीस मुसलमान होता है अर्थात मुसलमान और अहले हदीस एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, जो मुसलमान होगा वह जरूर अहले हदीस होगा और जो अहले हदीस होगा निश्चय ही मुसलमान होगा। कोई मुसलमान हदीसे रसूल स० को माने बिना मुसलमान नहीं बन सकता, इस लिए अहले हदीस कहलाना किसी सम्प्रदाय में आने का विकल्प नहीं है बल्कि यह मुसलमानों ही की उस असल जमाअत का ग्रणात्मक नाम है जो दूसरों के कथन कयास और राय पर हदीस नबवी सल्ल० को वरीयता देती है। याद रहे अहले हदीस के तीन ग्रणात्मक नाम और भी हैं जो अहले हदीस के अकीदों और विचारों को फैलाने का कारण हैं, वे यह हैं "اهل الاثر" "السلفی" और "صحاب الحديث" (देखिए फजाइले अहले हदीस पर किताब "शर्फ असहाबुल हदीस" लेखक अल्लामा इमाम खतीब रह० मुहदिस बगदादी)

सैंकड़ों ऐसे लोग हैं जिन के जाती नाम कुछ और हैं मगर वह सिफाती नाम ही से ज्यादा मशहूर हैं या पुकारे जाते हैं और लोग उन का अस्ल जाती नाम लेने की बजाए अबु बकर रजि०, अबु हुदैर रह रजि०, सैफुल्लाह रजि०, अबु उबैदा रजि० कह कर पुकारते हैं। और आप उसे बुरा नहीं समझे मगर अहले हदीस का यह सिफाती नाम आप को बहुत बुरा गुजरता है। आखिर इस की वजह क्या है? कुछ तो स्वयं भी ठंडे दिल से सोचो और कुछ अपनी जगह भी इंसाफ से काम लो कि तुम क्या कहते हो और क्या करते हो?

अतः आओ! अगर सब मुसलमानों को एक प्लेट फार्म पर लाना है तो उन्हें एक ही झंडे तले जमा करने की कोशिश करो और वह झंडा वही है जो अहले हदीस पेश कर रहे हैं और वह झंडा

मुहम्मद रसूल स० का झंडा है। दुआ है कि अल्लाह तआला हमें इस का सौभाग्य प्रदान करे और हम बुराइयां और दुर्भावनाएं छोड़ कर एक दूसरे को करीब होकर देखने की कोशिश करने लगें और आपसी मुहब्बत, मरव्वत और भाइचारे से जिन्दगी बसर करने लगें।

इस हदीस पाक की रोशनी में "وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ" जिन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। अल्लाह तआला उन को भलाई प्रदान करे और हम सब को दीनी और संसारिक सफलता से सुशोभित करे।

प्रकाशक

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मुझे यह मालूम होकर बड़ी खुशी हुई है कि मेरे और जनाब सय्यद मसऊद अहमद साहब बी. एस. सी. के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, जमाअत अहले हदीस उस को छाप रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह पत्र भी उस में छाप दिया जाए।

पाठकों से विनती है कि वे इन पत्रों को खुले जेहन बड़े ध्यान और गौर से पढ़ें। फिर आप को मालूम हो जाएगा कि जनाब सय्यद मसऊद अहमद साहब के तर्क कितना ठोस और वज़नी हैं। और अक्ल की कसौटी पर भी पूरे पूरे उतरते हैं और दिल में उतरते चले जाते हैं। मेरे प्रारंभिक पत्रों से आप को अन्दाज़ा होगा कि मैं अपने अकीदे और मसलके हन्फी पर कितनी सख्ती से पाबंद था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि मुझे यकीन था कि जो कुछ उलमा-ए-अहनाफ़ कहते हैं वही हक़ है, मेरी नज़र में हन्फी मसलक दूसरे सारे मसलकों से उच्च श्रेष्ठ और अच्छा था और इस के बाहर जो कुछ था वह ग़लत था। इसी लिए इब्तिदा ही से हन्फी मसलक की किताबें मेरे मुताला में रहीं। इस दौर में मैं दिन रात हन्फी उलमा की संगत में रहा करता था, मौलवी इलयास साहब की तब्लीगी जमाअत में बड़ी लगन से हिस्सा लिया करता। ताल्लुका सजावल ज़िला ठट्टा के मदरसा दारुल फ़ुयूज़ हाशिमिया में जो उस्ताद उस समय थे, उन से हन्फी मसलक की मालूमात हासिल करता। उलमा-ए-अहनाफ़ की कुतुबे तफ़ासीर, फ़िक्ह और सीरत आदि बड़ी लगन व रुची से पढ़ा करता था कितने पुराने विचार थे मेरे, कि मैं यह ईमान रखता था कि जो कुछ हमारे उलमा अहनाफ़ कहते हैं।

बस वही हक है, यहां मुझे कुरआन शरीफ़ की यह आयत याद आती है जिस में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यहूदी व ईसाइयों ने अपने उलमा को अपना रब बना रखा है।

اتخذوا ائبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله

मैंने भी कुरआन व हदीस का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मुझे उलमा—ए— अहनाफ़ ने डराया था, कि कुरआन व हदीस बहुत मुश्किल किताबें हैं, कांटों से भरी वादी की तरह हैं इस लिए उन को न पढ़ो, वरना भटक जाओगे, इस लिए मेरी हमेशा कोशिश रही कि हर मसला में उलमा—ए— अहनाफ़ के फतवों पर अमल करूं। बस यही इस्लाम है और यही असल दीन है। अतएव मुझे अपने हन्फ़ी होने पर बड़ा गर्व था, मैं एक पीर साहब का मुरीद भी हो गया था और उन से बेअत करने के बाद मैं अपने आप को सूफी तसव्वुर किया करता था, जिक्र व अज़कार, वज़ीफ़ा वज़ाइफ़ और औराद आदि जो हन्फ़ी मज़हब में प्रचलित हैं, उन पर सख़्ती से पाबन्द था ख़ूब सर पटक पटक कर ज़रबें लगाई, मुराक़बे किए और समझता रहा कि तस अब यह हुआ और वह हुआ, मेरे दिन और रात इसी तरह बसर हुआ करते थे कि एक दिन मेरे एक दोस्त जनाब डाक्टर अलीमुद्दीन साहब ने जो हमारे साथ तब्लीगी जमाअत में शरीक रहते थे, मुझ से कहा कि उन का लडका अपना दीन (हन्फ़ी मसलक) छोड़ कर अहले हदीस हो गया है जिस की वजह से सारे ख़ानदान में बेचैनी पैदा हो गई है। ख़ानदान के दूसरे लोग भी इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उन के हमराह कराची चलूं और उन के बहनोई जनाब मसऊद साहब से जो इस तहरीक को हवा दे रहे हैं, वाद विवाद करके उन लोगों को समझाऊं ताकि वह फिर हंफ़ियत में वापस आ जाएं। अतएव मैं इस

काम के लिए तय्यार हो गया। क्योंकि मेरे नज़दीक उस वक़्त हंफियत ही सच्चा दीन था। मैंने इस बात का उल्लेख अपने उस्ताद मौलवी नूर मुहम्मद साहब सदर मदरसा हाशमिया सजावल से किया तो उन्होंने मेरे जाने का विरोध किया और कहा कि तुम जाओगे तो अपना ईमान भी खो दोगे क्योंकि वे लोग जिदी हैं, हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उस्ताद साहब ने यह भी फ़रमाया कि वह स्वयं एक बार उन लोगों के पास गए थे, मगर वह न माने। अतः मुझे मना कर दिया बिल्कुल न जाओ मगर मुझे कुछ ऐसा जोश पैदा हुआ कि बयान नहीं किया जा सकता। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ज़रूर जाकर गमराहों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। अतएव मैं अपने दोस्त अलीमुद्दीन साहब के हमराह कराची चला गया। उन लोगों से मुलाक़ात हुई। बात चीत के लिए असर के बाद का समय तय हुआ। अतएव बाद नमाज़ असर जनाब मसऊद साहब के घर पर महफ़िल जमी सवाल व जवाब शुरू हुए। थोड़ी ही देर बाद मैं ने महसूस कर लिया कि मेरे पास सिवाए तकलीदी इल्म के और कुछ नहीं है। इधर जनाब मसऊद साहब के पास कुरआन व हदीस का एक समन्द्र है जनाब मसऊद साहब कुरआन मजीद की आयत पढ़ते, हदीस रसूल सल्ल० पढ़ कर जवाब तलब करते कि फ़लां मसला में अल्लाह तआला का और उस के रसूल का यह हुक्म और इर्शाद है लेकिन आप का हन्फी मसलक इस के ख़िलाफ़ हुक्म देता है। मैं जवाब में फ़िक्ह की कुतुब का हवाला देता, हिदाया शरीफ़, दुर्रे मुख़्तार, फतावा आलमगीरी, बहिशती जेवर आदि से फतवे पेश करता इधर कुरआन शरीफ़ की आयतें, बुख़ारी मुस्लिम की हदीसों अबु दाऊद, मोत्ता इमाम मालिक रह०, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा रह० जैसी कुतुब से अहकाम रसूल स० पेश किए जाने लगे।

मैं इन किताबों को देख कर घबरा गया। क्योंकि हन्फी उलमा ने मुझ से फ़रमाया था कि कुरआन व हदीस कांटों भरी वादी की मिसाल हैं। उन को बिल्कुल न पढ़ना, इस लिए मैंने कभी उन किताबों को देखने और पढ़ने की तकलीफ़ गवारा नहीं की थी। केवल नाम सुन रखे थे। आप अन्दाज़ा फ़रमाएँ कि उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, मैं हैरान था, बग़लें झांक रहा था, दिल में एक जोश था कि किसी तरह हन्फी मज़हब को उस समय कर दिखाऊँ कि उन की यह सारी दलीलें ग़लत साबित हो जाएं, मुझे हैरत हो रही थी कि हमारे उलमा—ए—अहनाफ़ अपने उपदेशों और तकरीरों में, कुतुब और तफ़सीरों में तो हमेशा यह कहा करते हैं कि कुरआन के बाद इस ज़मीन पर बुख़ारी शरीफ़ सब से ज़्यादा सहीह किताब है।

मगर आज उस बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़ से हन्फी मज़हब चौपट हो रहा है क्या किया जाए? किस तरह हंफियत को साबित किया जाए? मैं दिल में ताव खाने लगा, मगर मेरा तकलीदी इल्म कुरआन व हदीस का मुक़ाबला न कर सका। मैं ख़ामोश हो गया, जैसे मुझ पर सकता हो गया। मेरे मुख़ातब जनाब मसऊद साहब का अन्दाज़े गुफ़्तगू बड़ा मीठा और नर्म था, दौराने मुबाहसा मैंने उन के चेहरे पर सिवाए मुस्कुराहट और नमी के कुछ न देखा। उन की बात चीत भी बड़ी आलिमाना थी, एक एक मसले के लिए वह कई कई आयतें और हदीसें पेश करते जाते थे। और मेरे पास उन के जवाब में एक भी हदीस नहीं थी। लेकिन मैंने शिकस्त तसलीम नहीं की।

मैंने उन से कहा कि आप कुछ अपने सवालात लिख दें। मैं बड़े बड़े उलमा—ए—अहनाफ़ से मालूम करके आप को सुबूत दूंगा क्योंकि मुझे यह यकीन था कि हमारा यह मज़हब हन्फी मसलक कोई खिलौना तो है नहीं, कि उन की बातों से टूट जाएगा। सैंकड़ों साल

से यह मसलक चला आ रहा है, हमारी पुशतहा पुशत हन्फी मसलक की दिलदादह थी। आज जिधर देखिए हन्फी ही हन्फी नज़र आते हैं। हन्फी मज़हब किस क़दर दीने इस्लाम की ख़िदमत कर रहा है, यह उस के अमल से ज़ाहिर है। जिधर देखिए हमारी ही मस्जिदें आबाद हैं, मदारिस इस्लामिया सब हन्फियों के हैं। क्या यह सब बिना दलील ही अपना शीश महल बनाए हुए हैं? जिस को यह हज़रत मसऊद साहब आज गिराने की नाकाम कोशिश में मसरुफ हैं। बस मेरा यह जोश था जिस की वजह से मैंने उन से सवालात तलब किए मसऊद साहब ने बड़ी फराख़ दिली से सवालात लिख दिए।

पाठको! मेरी हैरत की इन्तिहा न रही जब ये सवालात ले कर मैं अपने उलमा-ए-किराम की ख़िदमत में पहुंचा और उन के जवाब तलब किए तो किसी ने भी इन सवालों के जवाब न दिए। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। मैं हैरान था कि ऐ अल्लाह यह क्या तमाशा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अहनाफ़ टाल मटोल कर रहे हैं? कुछ उलमा ने मुझे डांटा, धमकाया, कि मालूम होता है कि तुम ग़ैर मुक़ल्लिद हो गए हो और बेकार हम को परेशान करने आए हो, किसी ने कहा कि नवाब साहब तुम ग़ैर मुक़ल्लिदों के सवालों के जवाब में ख़ामोशी अख़्तियार करो तो वह तुम्हारा पीछा थक हार कर छोड़ देंगे। किसी ने कहा कि ये नजदी लोग हैं। जिन से बात करना सख़्त मना है। और मैं यह सोचता कि जब हमारा मज़हब हंफी सच्चा है तो फिर क्यों हम ख़ामोश रहें? क्यों किसी एतेराज़ करने वाले से भागें? हमारा तो काम यह है कि हम उन को काइल करके गुमराही से बचाएँ।

जब हमारे उलमा-ए-किराम भी अपने उपदेशों में रसूल सल्ल० के अनुसरण पर ज़ोर देते हैं इसी को ज़रिया निजात मानते

हैं फिर क्या वजह है कि उन के और हमारे बीच इतनी बड़ी खाई खड़ी हो गई? क्या आज यह हंफी उलमा उन को छोड़ कर भाग रहे हैं। क्यों दलील की बजाए तावील से काम लेते हैं। एक तरफ सहीह बुखारी को कुरआन के बाद सेहत का दर्जा देते हैं, और अमल के मैदान में उस को छोड़ कर भाग जाते हैं। उपदेशों में हदीसों पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। लेकिन अमली मैदान में उस को छोड़ कर अलग हो जाते हैं। एक तरफ इन्कारे हदीस करने वाले को काफिर का फतवा देते हैं, और दूसरी तरफ खुद अफज़लियत और गैर अफज़लियत का सवाल पैदा करके इन्कारे हदीस करते हुए ज़रा नहीं डरते अगर बुखारी शरीफ़ ग़लत है तो साफ़ साफ़ क्यों नहीं इस का ऐलान कर देते? अतः यही सवाल मेरे दिमाग़ में चक्कर काटते रहते।

एक हंफी आलिम ने मुझ से कहा तो यह कहा कि मियां नवाब साहब तुम ने बाकायदा अरबी उलूम हासिल नहीं किए, पंद्रह साल का पाठय क्रम पूरा करो, तब कहीं तुम तक़लीद शख़्सी को हक़ समझ पाओगे, और हमारी तरह बहस करने लगोगे, यह अरबी उलूम हैं, उन में ज़ेर, ज़बर और पेश का फ़र्क़ है, आदि आदि और मैं सोचता कि तक़लीद शख़्सी को भला ज़ेर, ज़बर, पेश से क्या निस्वत हो सकती है क्यों यह दस्तार बन्द लोग मख़लूक़े खुदा को कुरआन व हदीस से दूर कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मैं क़यामत के दिन एक एक बन्दे से कुरआन का हिसाब लूंगा। और ये लोग कुरआन व हदीस को कांटों से भरी वादी बतला रहे हैं। बस उन की इसी चीज़ ने मुझे तहकीक़ पर आमादा कर दिया।

फिर मैंने हदीस की किताबों का अध्ययन शुरू कर दिया, इस तरह मैंने दो साल तक तहकीक़ की। हंफी उलमा से मिलता और उन से बहस करता तो वे लोग नाराज़ हो जाते कुछ हंफी लोगों ने

अपने शर्गिदों को मना कर दिया कि नवाब गैर मुक़ल्लिद हो गया है, इस से मिलना छोड़ दो। अतएव वह मुझ से नफ़रत करने लगे। इधर जनाब मसऊद साहब से मेरा पत्र व्यवहार जारी था मैं अपने सन्देह लिख लिख कर उन को भेजता और वह बाकायदा तर्कों से जवाब देते बस यही पत्र व्यवहार है जो उस समय आप के हाथों में है। जिस के अध्ययन से आप पर रौशन होगा कि अल्लाह ने जनाब मसऊद साहब के ज़रिए किस तरह मुझ पर हक़ स्पष्ट फ़रमाया और मुझे सीधा रास्ता दिखाया।

मैं जनाब मसऊद साहब का यह एहसान कभी न भूलूंगा कि उन की सहीह तब्लीग़ से मैंने सिराते मुस्तकीम को पा लिया। आख़िर में मैं जमाअत अहले हदीस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पत्र व्यवहार छाप कर बड़ा अच्छा काम अंजाम दिया और मैं अपने उपकारी डाक्टर नईमुदीन साहब को कभी न भूलूंगा कि यही वह डाक्टर साहब हैं जिन की इस्लाह के लिए मुझे मेरे प्यारे दोस्त अलीमुदीन साहब कराची ले गए थे। दर अस्ल यह मेरे लिए रूहानी डाक्टर साबित हुए हैं क्योंकि मैं उनकी इस्लाह के लिए गया था जहां मेरी ही अल्लाह तआला ने इस्लाह फ़रमा दी मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला हर भूले हुए को सीधी राह दिखलाएँ और कुरआन व हदीस के मुताबिक़ अमल करने का सौभाग्य प्रदान कर दें।

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

खाकसार

नवाब मुहियुदीन

हेड मास्टर मिडिल स्कूल, गुलामुल्लाह, ज़िला ठट्टा

नोट: 17- अगस्त 1985 ई0 को नवाब मुहियुदीन साहब का देहान्त हो गया।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अज सजावल सिन्ध

मुकरमी जनाब मसऊद साहब

अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे मुझे सजावल वापस आए हुए लग भग नौ दस दिन का समय होता है। सजावल पहुंच कर मैंने उन तमाम मसलों के बारे में जो आप ने नोट करवाए थे, खूब तहकीक की। इस के अलावा और बहुत सारी बातें मुझे मालूम हुईं। चूंकि आप अधिक विस्तार पसंद नहीं फरमाते। इस लिए सार में लिखता हूं कि मैं हंफी हूं। कुरआन मजीद, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ल० और मसलके सहाबा किराम के बाद इमाम अबु हनीफा रह० का अनुसरण करता हूं और हंफी कहलाता हूं और पूरी

↓ जिन मसलों की तरफ खत में इशारा किया गया है, वह ये हैं।

- 1- क्या रसूलुल्लाह स० नमाज की नीयत ज़बान से करते थे?
- 2- क्या रसूलुल्लाह स० ने हुक्म दिया था कि मर्द नाड़ी के नीचे हाथ बांधें और औरतें सीना पर?
- 3- क्या रसूलुल्लाह स० गर्दन का मसह पुश्त कफ से करते थे।
- 4- क्या रसूलुल्लाह स० ने हुक्म दिया था कि मर्द नमाज में उल्टे पैर पर बैठें और औरतें बतौर तबरुक उल्टे कूल्हे पर।
- 5- क्या रसूलुल्लाह स० ने हुक्म दिया कि इमामत की कुछ शराइत में अगर सब बराबर हों तो इमाम उस को बनाया जाए जिस का सर बड़ा हो शर्म गाह छोटी हो?
- 6- क्या रसूलुल्लाह सल्ल० ने हुक्म दिया कि चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीद लाजिम है।
- 7- क्या रसूलुल्लाह स० ने रफ़अ यदैन निरस्त फरमाया था?
- 8- एक दिरहम से कम निजासते गलीज़ा अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उस को धोए बिना नमाज हो जाएगी?

तरह मुतमइन हूं लेकिन हंफी होना ईमान का हिस्सा नहीं समझता । उन का अनुसरण इस लिए करता हूं कि उन्होंने कुरआन व हदीस को खूब समझा और हम को भी बड़ा आसान तरीका से समझाया है ।

जब ही तो आज कम से कम एक हजार साल से लोग उन का अनुसरण करते चले आते हैं । न सिर्फ कराची या सजावल बल्कि सारी दुनिया में उन का अनुसरण किया जाता है और इंशा अल्लाह तआला कयामत तक करते रहेंगे । आप अंदाज़ा लगाइए कि इन एक हजार से अधिक बर्सों में कैसे कैसे उच्च मुहदिस योग्य उलमा, आबिद, जाहिद, मुजतहिद, इमाम फकीह गुज़रे हैं जो उन के विश्वास पात्र थे और उन का अनुसरण करते थे । इमाम साहब रह0 की गिनती ताबअीन में थी । इमाम साहब की मुबारक आंखों ने सहाबा रज़ि0 को देखा । सोच विचार कीजिए इमाम साहब रह0 का दर्जा कितना बड़ा था । बड़े बड़े इमाम आप के शागिर्द गुज़रे हैं । आज उन के मुकाबले में अगर कोई अपनी अक़ल को वरीयता दे और उन को बुरा भला कह कर जाहिलों में अपना मक़ाम हासिल करना चाहे तो यह उस का स्वार्थ और नादानी बल्कि जिहालत है ।

हदीस को समझना और जांचना एक बड़ी योग्यता का काम है । यह एक खुदा दाद फ़न और अल्लाह का उपहार है । अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से बेकार में ही उन का विरोधी बन जाए तो वह हर बात का उल्टा ही मतलब निकालेगा । लेकिन अगर वह अपनी इस्लाह चाहे और हक़ बात जानना चाहे तो वह बिना किसी मुनाज़रा के भी स्वयं ही तहकीक़ करके अच्छे व बुरे की पहचान कर सकता है लेकिन वह व्यक्ति जो फ़कीह न हो और फ़िक़ह की अ ब ता, सा भी न जानता हो वह इतने बड़े इमाम व मुजतहिद पर कटाक्ष करने का क्या हक़ रखता है । ऐसे जीरियस आदमी को अगर मैं

कुछ मसले फिकह के लिख कर भेजूं और उस से मांग करूं कि उन मसलों को कुरआन और हदीस से साबित कर दो या रद्द कर दो तो आप यकीन रखिए कि वह अपना सा मुंह ले कर रह जाएगा। आप इमाम साहब रह0 की पाक जीवनी पढ़िए पक्षपात को एक तरफ रख कर खूब अच्छी तरह अध्ययन कीजिए।

एक नहीं बल्कि सैंकड़ों किताबें हैं जिन के अध्ययन से सब हकीकत आप पर रोशन हो जाएगी और इंशा अल्लाह तआला आप को आप की हर आपत्त का जवाब आप से आप मिल जाएगा। अगर आप फरमाएँ तो मैं उन किताबों की सूची आप की सेवा में भेजूं वह सारी किताबें इंशा अल्लाह आप को कराची ही में मिल जाएंगी। ठंडे दिल से अध्ययन कीजिए, किसी को जन्नती या जहन्नमी कहना या कुफर व शिर्क के फतवे लगाना सख्त किस्म का पक्षपात है। बड़ी भूल और जिहालत है बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ऐसा कहना परोक्ष ज्ञान जानने का दावा करना है। बाकी खैरियत।

फकत

नवाब मुहियुद्दीन

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब साहब!

आप का पत्र मिला। आप से मैंने जो सवाल किए थे उन की आप ने तहकीक की। अगर इस तहकीक से मुझे सूचित करते तो बड़ी कृपा होती ताकि मुझे मालूम होता कि मैंने अपनी तहकीक मे क्या गलती की है। मैं विस्तार से नहीं घबराता बल्कि चाहता हूं कि आप विस्तृत जवाब दें। आप को अपना हंफ़ी होना मुबारक, आप हंफ़ी कहलाने में गर्व करते हैं, मैं तो मुहम्मद स० का एक अदना उम्मती हूं, और मुहम्मदी कहलाने में गर्व महसूस करता हूं, यह अपनी अपनी पसंद है, मैंने मुहम्मदी होना पसंद किया, आप ने हंफ़ी आप अगर वास्तव में रसूले अकरम सल्ल० का अनुसरण और सहाबा रजि० की पैरवी करते हैं तो फिर तो मुझे आप से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी मसलक यही है लेकिन अन्तर यह है कि मैं अपने मसलक के हर काम की दृष्टि में कुरआन व हदीस और आसारे सहाबा रजि० से दलील पेश कर सकता हूं और आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप निश्चय ही अपने दावे में सच्चे हैं तो अपने मसलक की हिमायत में एक एक सहीह हदीस पेश कर दीजिए, हदीस रसूलुल्लाह तो बहुत बड़ी बात है, आप इमाम अबु हनीफ़ा रह० का कथन ही लिख दें, मगर उस की सनद बयान करें और किताबों का हवाला दें।

1- तक्लीद शख़्सी का वजूब।

- 2- औरत और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क
- 3- उंगली नापाक हो जाए तो तीन बार चाटने से पाक हो जाती है।
- 4- रफ़अ यदैन् निरस्त है।
- 5- गर्दन का मसह पुश्ते कफ़ से।
- 6- नमाज़ की नीयत ज़बान से।

फ़क़त

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मुकर्रमी जनाब मसऊद साहब

अरस्सलाम अलैकुम ।

आप का कार्ड मुझे मिल गया था । लेकिन समय न होने की वजह से जवाब में देरी हुई । आप ने अपने कार्ड में हंफियत पर जो हमले किए वह आप के नजदीक साहस पूर्ण हों तो हों, लेकिन मेरे नजदीक निहायत दुखद बात हैं । आप ने लिखा है, कि हंफ़ी मज़हब एक गढ़ा हुआ मज़हब है । आप के इस वाक्य का मतलब यह निकलता है कि सारे हंफ़ी, सारे शाफ़ी, सारे मालिकी या सारे हंबली बे ईमान हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है इस तरह दूसरी सदी से लेकर आज तक जितने मुसलमान गुज़रे हैं, सारे के सारे बे ईमान हैं । आप अपने फ़तवे पर सोच विचार करके देखें तो आप को मालूम होगा कि कितना ख़तरनाक फ़तवा आप दे रहे हैं । और आपका यह फ़तवा कौन सी आयत और कौन सी हदीस की रू से दिया गया है । ज़ाहिर है कि कोई आयत और कोई हदीस नहीं, केवल आप के दिल का बुख़ार है । आप की पैदाइश चौदहवीं सदी की है और इमाम आजम रह० का ज़माना पहली और दूसरी सदी का है, आप का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है । अनुवाद की हुई किताबों को पढ़ कर अपनी अक़ल के मुताबिक़ ग़लत सलत अनुवाद कर लिया । इमाम आजम रह० जैसे चोटि के मुहदिस और फ़कीह, जिन की आंखों ने हज़रत अनस रज़ि० को देखा था उन के मुक़ाबले में आप का ज्ञान क्या महत्व रखता है? इस की ऐसी ही

मिसाल है, जैसे बूंद दरिया से कहे कि तू दरिया नहीं है, असल में मैं दरिया हूँ। कौन इसे तस्लीम करेगा। आप यदि सोचें तो आप को मालूम होगा कि दूसरी सदी के सब से बड़े मुहदिस, इमाम और फकीह कौन थे, ज़ाहिर है कि इमाम आजम रह0 ही थे और इमाम बुखारी रह0, तिर्मिज़ी रह0 और मुस्लिम रह0 आदि आदि यह सब बाद की पैदावार हैं। उन लोगों ने अहादीस जमा की हैं। वह उन की अपनी अक़ल व समझ थी। जिस ने जिस हदीस को जैसा समझा वैसा ही जमा किया। वैसा ही लिखा। एक साहब ने किसी हदीस को ज़ईफ़ समझा तो दूसरे साहब ने उस को हसन कहा तो तीसरे ने ग़रीब, चौथे ने सहीह या मतलब यह कि ग़र्ज़ जो समझा वह लिखा तो यह भी उन का अनुमान ही हुआ। क्योंकि हदीस के सहीह या मौजू या ज़ईफ़ व ग़रीब होने के बारे में किसी भी मुहदिस के पास कोई वहय नहीं आई न कोई फ़रिश्ता आया बल्कि हर एक ने अपने स्तर के मुताबिक़ क़यास दौड़ाया और जैसा समझा वैसा लिखा। ज़ाहिर है कि बाद में पैदा होने वाले मुहदिसीन उस मुहदिस के मुकाबले में कोई महत्व नहीं रखते जिस मुहदिस ने सहाबी— ए — रसूल को देखा हो या उन से मुलाक़ात की हो। और जिस की पैदाईश पहली सदी की हो, ज़ाहिर है वह हस्ती केवल इमाम आजम रह0 ही की है जिन के सुनहरे दौर के बारे में हदीस मौजूद है कि हुज़ूर स0 ने फ़रमाया है कि सब से अच्छा ज़माना मेरा है और मेरे बाद मेरे सहाबा रज़ि0 का और उन के बाद ताबअीन का। शायद आप ने हदीस में पढ़ा होगा। तो इमाम साहब रह0 का शुमार ताबअीन में है। ऐसी सूरत में आप के बाद पैदा होने वाले और चौदहवीं सदी में पैदा लेने वालों के शोर की क्या हकीक़त आप बच्चों की तरह पांच छः सवाल लिख कर हंफियत पर चोट करना,

हमले करना। उन को कोसना, सारे मुसलमानों को बे ईमान कहना अपने लिए गर्व की बात समझ रहे हैं और अपने को जन्नत का ठेकेदार और सब को जहन्नम का ईंधन समझ रहे हैं। न मालूम कौन सी वहय आप के पास आई है या क्या दलील है, मैं तो देखता हूँ कि आप की मालूमात केवल इमाम साहब रह० के बाद की लिखी हुई कुछ किताबों की हद तक है। आप ने जो कुछ ज्ञान पढ़ा वह इमाम आजम रह० के बाद के मुहदिसीन का इल्म व कयास और राय है। इमाम बुखारी रह० की राय और कयास है कि फ़लां हदीस का मतलब यह है फिर इमाम तिर्मिजी की राय और कयास है कि इस हदीस का यह मतलब है।

मतलब यह कि आप रायों और कयासों की भूल भुल्य्यों में फंस गए। आप यह शिक्षा पेश करते हैं कि हर मसला कुरआन व हदीस से हल करो। आप से किस ने कहा कि हमारा मज़हब या हमारा इमाम ऐसा नहीं करता। ज़ाहिर है कि यह चीज़ आप ने अपने कयास से तय कर ली है। क्योंकि आप ने देखा कि बुखारी साहब रह० के कुछ इर्शादात इमाम साहब रह० के इर्शादात के खिलाफ़ हैं तो आप ने समझ लिया कि यह चीज़ हदीस के खिलाफ़ है। यद्यपि यह आप भूल गए कि इमाम आजम रह०, इमाम बुखारी साहब रह० से बहुत पहले अर्थात् पहली सदी के इमाम और मुहदिस हैं जो इमाम बुखारी साहब रह० आदि से ज़्यादा हदीसों को परख सकते थे। आज अगर किसी मसला का हल कुरआन व हदीस में न मिले तो क्या करें। आप कहेंगे कि अपनी अक़ल से फ़तवा लो। अर्थात् कयास करो तो फिर कयास करना ही ठहरा तो फिर दूसरी सदी के मुहदिस फ़कीह के कयास पर क्यों न अमल किया जाए। आज कल के मुहदिस और कयास वाले इमाम आजम रह० के मुक़ाबला मैं क्या

हैसियत रखते हैं। आज अगर मेरे जैसा कोई जाहिल इन्सान आप के मसलक को अपनाए तो उस का तो बेड़ा ही ग़र्क हो गया। क्योंकि वह जाहिल न हदीस समझ सकता है न कुरआन, हर हर बात में मोहताज, करे तो क्या करे, आप कहेंगे कि हम से पूछ, हम कुरआन व हदीस की बात बतलाते हैं, तो यह भी तक्लीद हुई, हर बात आप से पूछ कर करे तो यह आप की तक्लीद हुई आप फरमाएंगे कि हम हर बात कुरआन व हदीस के अनुसार बतलाएंगे। क्या सनद है कि आप ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जब दूसरी सदी के इमाम मुहदिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर उस के बाद वाले मुहदिस पर किस तरह भरोसा किया जाए। क्या सनद है कि आप की बात बिल्कुल कुरआन और हदीस के अनुसार व अनुकूल है। आप फरमाएंगे बुख़ारी शरीफ़ में देखो, तिर्मिज़ी शरीफ़ में देखो आदि आदि तो इन किताबों में जो हदीसें लिखी हुई हैं वह उन मुहदिसीन अर्थात् इमाम बुख़ारी रह0, इमाम तिर्मिज़ी रह0 और इमाम मुस्लिम रह0 आदि की लिखी हुई हदीसें हैं उन्होंने अपने अपने मेयार के अनुसार हदीसें लिखी हैं और यह सब इमाम साहब रह0 के बाद के मुहदिस हैं। क्या सनद है कि उन हज़रत के क़यासात सहीह ही हों। मुमकिन है कि जिस हदीस को इमाम बुख़ारी रह0 अपने मेयार के मुताबिक सहीह ख़्याल कर रहे हैं वह हदीस इमाम आजम रह0 मेयार पर ग़रीब और ज़ईफ़ हो। बाद वालों के तो जितने दफ़तर हैं सब उन की रायों और क़यासों के दफ़तर हैं। जिस ने जैसा सोचा जैसा समझा वैसा ही लिख दिया। आप के मसलक पर चलने के लिए तो सारे लोगों का मुहदिस, फ़कीह और विद्वान होना शर्त है। जब तक हर व्यक्ति मुहदिस न हो आप के मसलक पर चल ही नहीं सकता। और आज ज़माना में

जाहिलों की अधिकता है। उन का तो बेड़ा ही गर्क है। मजबूरन वह आप के पीछे चलेंगे और यह तकलीद होगी। तकलीद के बिना चारा ही नहीं। अगर मैं हंफियत को छोड़ कर आप के मसलक पर चलने लगू तो मैं आप की रहबरी का कदम कदम पर मोहताज हूंगा कि अब क्या करूं, जाहिर है कि आप से पूछूं। तो जब आप से पूछना ही ठहरा तो चौदहवीं सदी के बच्चे से पूछने से बेहतर है कि दूसरी सदी के मुजतहिद, मुहदिस, इमाम और फकीह से पूछूं चौदहवीं सदी के नन्हें और नादान दोस्तों की रायों पर चलने से तो दीन का शीराजा बिखर जाएगा। दीन छिन्न भिन्न जाएगा। कई सम्प्रदाय बन जाएंगे। कोई मसऊद सम्प्रदाय होगा, कोई सत्तारी, कोई कुछ, कोई कुछ। एक साहब अपनी राय चलाएंगे तो दूसरे साहब उस को काट कर अपना कयास दौड़ाएंगे। झगड़े और फसाद शुरु हो जाएंगे। हर व्यक्ति तकलीद शख्सी और तकलीद महज के चक्कर में फंस जाएगा। जैसा कि आप या आप की जमाअत शब्दों के चक्कर में फंसी हुई है। आप हदीस के शब्दों को देखते हैं लेकिन उस की पृष्ठ भूमि और उतरने के समय को नहीं जानते।

जैसे अगर यह कहा जाए कि यह सड़क रात भर चलती है तो बस आप शब्दों को पकड़ लेंगे कि सड़क ही रात भर चलती है और अगर इमाम आजम रह0 साहब स्पष्टीकरण फरमाएँ कि इस का मतलब यह है कि उस सड़क पर रात भर लोगों का आना जाना रहता है तो आप चीखने लगे कि देखिए साहब हदीस में साफ लिखा है कि सड़क रात भर चलती है। लेकिन इमाम साहब रह0 हदीस के खिलाफ फरमा रहे हैं। बस यह शब्दों का चक्कर है जिस ने आप को परेशान कर रखा है। अगर आप का कमसिन बच्चा आप के मुकाबला में मुहदिस होने का दावा करे तो आप खुद ही सोच विचार

कीजिए कि क्या उस के दावा को आप या कोई भी तस्लीम करेगा। अगर बुखारी शरीफ, तिर्मिजी शरीफ आदि किताबें न लिखी जातीं, तो आप क्या करते? और उन किताबों में जो हदीसों में दर्ज हैं जिन को आप दलील में पेश करते हैं वह सब लिखने वालों के मेयार के मुताबिक लिखी गई हैं। जैसा कि मैं पहले विनती कर चुका हूँ कि यह भी सब उन बुजुर्ग मुहदिसों के क़यासात हैं, जिन को जिस ने जैसा समझा वैसा ही लिखा, उन के सहीह या मौजू या ज़ईफ़ होने के बारे में उन के पास कोई वहय नहीं आई, सब क़यासात हैं। आप हम को क़यासी कहते हैं। लेकिन आप स्वयं क़यासात के चक्कर में चक्कर खा रहे हैं। अपने आप को शब्दों की पन चक्की से निकालिए और खुली वादी में तशरीफ़ लाइए। इंशा अल्लाह उस वादी में आप को ऐसी हवा मिलेगी जिस से आप के सर से क़यासात का चक्कर जाता रहेगा और आप रायों और क़यासात के भंवर से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा नज़र आता है कि आप और आप की जमाअत का हर आदमी लीडर शिप चाहता है, अहलुरीय बनना चाहता है और लोगों को धोखा दे कर, कुरआन और हदीस का बहाना बनाकर लोगों को क़यासात की दुनिया में फंसाना चाहता है, शरीअत तैयार करना आप की जमाअत का लक्ष्य है बाद वालों के क़यासात और रायों पर चल कर आप दीन में नई नई बातें (बिदअतें) निकाल रहे हैं। अगर उन को आप क़यास और राय नहीं कहते तो फिर क्या आप के या आप की जमाअत के लीडरों के पास वहय आई है। सुनिए, अहले हदीस तो हम हैं, हमारा हर फ़ेल, हर अमल खुदा के फ़ज़ल से कुरआन और हदीस के अनुकूल है। अब यह और बात है कि आप के लीडर क़यास और राय दौड़ा कर हमारी हदीसों को झुठलाने की कोशिश करें। हदीस को झुठलाना हदीस से इन्कार करना है, आप

जो हुजूर स० की हदीसों को झुठला रहे हैं वह मात्र कयास की बुनियाद पर, कि फ़लां साहब ने ऐसा लिख दिया है तो वह भी उन साहब का कयास हुआ। आख़िर में मैं आप को मशवरा दूंगा कि कयास और रायों के चक्कर से अपने आप को निकालिए। अहलुर्राय बनने की कोशिश न कीजिए। इस में आप ही का भला है। आप इस पत्र का जवाब अलीमुद्दीन साहब के पते पर दीजिए इंशा अल्लाह मुझे मिल जाएगा।

खादिम

नवाब

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब साहब!

आप का खुतबा पहुंचा, पढ़ कर हैरत हुई कि मेरे सवाल का जवाब कहीं नहीं। यद्यपि पत्र चौदह पन्नों पर फैला हुआ है। आप ने बेकार इतना लम्बा पत्र लिखा। इतना लिख देना काफी था कि इन मसाइल के बारे में मौजूदा हदीस की किताबों में कोई हदीस नहीं है। इमाम अबु हनीफ़ा रह० को वह हदीसें मिली थीं लेकिन या तो उन्होंने उन की इशाअत नहीं की या इशाअत तो की लेकिन बाद वालों ने उन अहादीस को महफूज़ नहीं किया और वह नष्ट हो गयीं। यह सब आप के पत्र का सारांश है!

इमाम अबु हनीफ़ा रह० और जमअ अहादीस

आप ने सोच विचार किया यह जवाब कितना आपत्ति जनक है। अगर इमाम अबु हनीफ़ा रह० को वह अहादीस मिली थीं तो क्या किसी खुफिया ज़रिया से मिली थीं कि उन के समकालीन उलमा बिल्कुल अनभिज्ञ रहे। उन्होंने स्वयं उन अहादीस को महफूज़ क्यों न किया? अगर उन को फ़िकह की तर्तीब ने फुर्सत नहीं दी तो उन के शागिर्दों ने उन को महफूज़ क्यों न की? दूसरे इमामों की बताई हुई हदीसें तो उन्होंने महफूज़ किया लेकिन अपने उस्ताद की बताई हुई अहादीस को गैर महफूज़ छोड़ दिया।

इमाम अबु हनीफ़ा रह० के कथनों के दफ़तर के दफ़तर महफूज़

हैं। लेकिन इन कथनों का स्रोत महफूज़ नहीं। अफसोस हादी-ए-अकरम रसूले मोहतरम स० की अहादीस को नष्ट कर दिया गया और उन के एक उम्मीती के कथनों को महफूज़ किया गया। क्या अक़ल इस को तस्लीम करती है?

इमाम अबु हनीफ़ा रह० और उन की तरफ़ मंसूब किए गए मसाइल

अच्छा माफ़ कीजिए, एक बात पूछता हूँ। दुर्रे मुखतार में है।

ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا.

अर्थात् उल्लिखित शर्तों में अगर सब बराबर हों तो फिर उसे इमाम बनाया जाए जिस का सब से बड़ा सर और लिंग सब से छोटा हो।

क्या यह इमाम अबु हनीफ़ा रह० का कथन है। मेरा तो ईमान है कि यह कथन इमाम साहब का नहीं है बल्कि बाद में गढ़ा गया है। लेकिन अगर आप इसी पर अड़े हैं कि बाद में नहीं गढ़ा गया बल्कि उन्हीं का फ़तवा है तो फिर आप इमाम अबु हनीफ़ा रह० की शान को दो बाला नहीं कर रहे बल्कि उस कथन को उन की तरफ़ मंसूब करके उन की तौहीन कर रहे हैं। बल्कि आपके अनुसार आप के इमाम साहब रह० का हर कथन हदीस के अनुसार है तो फिर यह कथन रसूलुल्लाह स० की तरफ़ मन्सूब हुआ और अब यह एक इमाम ही का अपमान नहीं रहा बल्कि अल्लाह के रसूल सल्ल० का अपमान हुआ। बताइए कोई उम्मीती अपने रसूल स० की तरफ़ ऐसे कथन को मंसूब करना गवारा करेगा?

मैं तो इमाम अबु हनीफ़ा रह० की इज्जत व तक्वा का ख़याल

करते हुए यही बात कहता हूँ कि ऐसे मसाइल बाद में गढ़े गए हैं और उन के गढ़े हुए होने के सुबूत के लिए मात्र उन का मकरूह होना ही काफी है। लेकिन मैं आप की तसल्ली के लिए एक बहुत बड़े हन्फी विद्वान मौलवी अब्दुल हई फ़रंगी महली की तहरीर पेश करता हूँ। वह लिखते हैं:

يهل الامر فى دفع طعن المعاندين على الامام ابى حنيفة
وصاحبيه فانهم طعنوا فى كثير من المسائل المدرجة فى فتاوى
الحنفية الها مخالفة للاحاديث الصحيحة او انها ليست متصلة
على اصل شرعى ونحو ذلك وجعلوا ذلك ذريعة الى طعن
الائمة الثلاثة ظنا منهم انها مسائلهم ومذاهبهم وليس كذا لك
بل هي من تفريعات المشائخ. (النافع الكبير ص ۱۱۳)

“फ़तावा हंफ़िया में जो मसाइल दर्ज हैं, विरोधियों ने उन को इमाम अबु हनीफ़ा रह०, इमाम अबु यूसुफ़ रह०, और इमाम मुहम्मद रह० पर व्यंग करने का एक ज़रिया बना रखा है क्योंकि यह मसाइल अक्सर उसूल शरअी पर आधारित नहीं हैं और अहादीस सहीहा के खिलाफ़ हैं। वह यह ख्याल करते हैं कि यह अइम्मा सलासा के मसाइल और मज़ाहिब हैं। हालांकि हकीकत यह नहीं है बल्कि यह मशाइख़ के तक़रीआत हैं न कि उन तीनों इमामों के। और इस तरह उन तीनों इमामों पर व्यंग करना आसान हो जाता है।” आगे देखिए।

अब्दुल कादिर बदायूनी हंफ़ी अपनी किताब बवारिक़ शैख़ नजदी में लिखते हैं:

“इंदराज ख़वारिज व मुतज़ला दर कुतुबे हंफ़िया

जाइद अज हद अस्त हज़ारां हज़ार ख़वारिज व मतज़ला दर फ़रू फ़ेका हंफी मज़हब बूदन्द । तलामज़ा ख़्वास इमाम आजम रह0 व अबु यूसुफ मतमज़हब बमज़ाहिब बातिला गुज़शता व हज़ारां हज़ार रवायत अज़ां कसां मुताबिक ईशां दर कुतुब फ़तावा दाख़िल अस्त ।”

अर्थात् “हंफी किताबों में ख़ारजियों और मोतज़लियों के इंदराजात हद से ज़्यादा हैं हज़ारों ख़वारिज और मोतज़िला शुरू में हंफी थे । इमाम अबु हनीफ़ा रह0 और काज़ी अबु यूसुफ के ख़ास शागिर्दों में ऐसे लोग शामिल हैं । जो असत्य मज़हब के मतवाले थे और उन से हज़ारों रिवायतें उन के असत्य मज़हब के अनुसार कुतुब में दाख़िल हैं ।”

(अलकलामुल मतीन पृ0 240)

मतलब यह कि नमूने के लिए दो ही हवाले काफी हैं । अब आप समझ गए होंगे कि फ़िक़ह हंफिया में सब कुछ इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का ही नहीं है बल्कि दूसरों का गढ़ा हुआ भी है और उस पर उलमा की व्याख्याएं गवाह हैं ।

शराब की हिल्लत

जमहूर अइम्मा—ए— दीन का सहमति से मसला है कि मुस्कुर की वह मात्रा जो सुकुर न पहुंचे हराम है और यह उस हदीस के भी मुताबिक है जो मौजूदा कुतुब हदीस में पाई जाती है । लेकिन इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का मज़हब यह है कि वह मात्रा जो सुकुर की हद को न पहुंचे हलाल है । अब आप तो यह फ़रमाएंगे कि इमाम अबु

हनीफ़ा रह0 के पास ऐसी हदीस होगी जिस की रू से यह मात्रा हलाल होगी, तो सवाल यह पैदा होगा कि फिर कौन सी हदीस सहीह है आप फ़रमाएंगे हलाल करने वाली। मगर वह तो नष्ट हो गई। और जो हराम करार देने वाली हदीस है वह उस सहीह के ख़िलाफ़ होने की वजह से मुंकिर हो गई बल्कि मौजू। अतः अहादीस का मौजूदा सरमाया उस नष्ट हुए अहादीस के भंडार ख़िलाफ़ होने की वजह से मौजू करार देना पड़ेगा। और यह बात तो शायद मुंकिरे हदीस भी नहीं कहेगा कि मौजूदा सरमाया सब का सब मौजूआत का ढेर है और अगर यह कहा जाए कि ग़ायब और मौजूदा दोनों हदीसों सहीह हैं तो फिर इस्लाम एक अजुबा ही होगा और उस को अजाइब ख़ाना में रखना ज़्यादा मुनासिब होगा।

अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहदिस देहलवी अपने एक फ़तवे में इस मसले पर बहस करते हुए फ़ैसला करते हैं:

هذا هو تحرير مذهب ابي حنيفة والحق عندنا في هذه المسئلة
ماهو عند الجمهور.

यह हज़रत अबु हनीफ़ा रह0 के मज़हब की तहरीर है
और हक़ हमारे नज़दीक वह है जो सब का मज़हब है।

(फ़तावा अज़ीज़ी जिल्द 1 पु0 190)

अब आप समझ लीजिए जब मैं कोई बात कहूँ तो उसे यह कह कर न टाल दीजिए कि यह चौदहवीं सदी के बच्चे की बात है आर पहली सदी (दूसरी सदी) के इमाम के कथन के मुक़ाबले में कम है। मेरी बात के साथ सारे उलमा या दीन के इमामों की एक जमाअत की सहमति होगी। यह उन की बात होगी न कि मेरी। जमहूर से मुराद दीन के सामान्य इमाम हैं जिन में सहाबा किराम रज़ि0, ताबअीन आदि शामिल हैं। उन में से बहुत से इमाम अबु हनीफ़ा

रह0 के बराबर के हैं। और एक बड़ी संख्या उन से भी श्रेष्ठ है। क्या इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के इस कथन को भी माना जाएगा जो दीन के सामान्य इमामों के भी विरुद्ध हो और फिर हदीस के भी?

इमामों की श्रेष्ठता तक्लीद की मोहताज नहीं

मैं उन तमाम फ़ज़ाईल को तस्लीम करता हूँ जो आप ने इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के बारे में बयान किए हैं, मैं किसी भी चीज़ में अपने को उन का जैसा तो अलग, उन कें पांव की खाक के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन तक्लीद नहीं करता जिस तरह आप इमाम औज़ाई रह0, इमाम जुहरी रह0, इमाम हसन बसरी रह0, इमाम मालिक रह0 और इमाम शाफ़ी रह0 की तक्लीद नहीं करते, यद्यपि आप उन की बुजुर्गी के काइल हैं। याद रखिए किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता इस बात की मोहताज नहीं कि उस की तक्लीद की जाए। यद्यपि मात्र श्रेष्ठता ही तक्लीद की दलील है तो फिर इमाम हसन बसरी रह0 इस के ज़्यादा हकदार हैं। इस लिए कि इमाम अबु हनीफ़ा रह0 ने तो केवल एक बार बचपन में हज़रत अनस रज़ि0 को देखा था। लेकिन इमाम हसन बसरी रह0 की तो सारी ज़िन्दगी सहाबा रज़ि0 के दौर में गुज़री। सैंकड़ों सहाबा रज़ि0 को देखा ही नहीं बल्कि उन की संगत और शागिर्दी से लाभान्वित हुए और केवल एक समय में 300 सहाबा किराम रज़ि0 की शक्तिशाली जमाअत उन के साथ थी।

(दलीलुल फ़ालिहीन)

इसी तरह इमाम अता रह. मशहूर ताबअी हैं। जिन के बारे में स्वयं इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का बयान है। कि मैंने उन से बेहतर आदमी नहीं देखा। सैंकड़ों सहाबा रज़ि0 की सोहबत से लाभान्वित

हुए। दो दो सौ सहाबा रज़ि० के साथ मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ा करते थे और उनकी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने की आवाज़ को सुना करते थे। (बैहेकी)

मात्र श्रेष्ठता ही तक़लीद का कारण है तो इमाम अता रह० इस के ज़्यादा हक़दार हैं। इस लिए कि उन की आंखों ने एक नहीं सैंकड़ों सहाबा रज़ि० को देखा था। और ज़रा ऊपर चलिए, अगर श्रेष्ठता ही की वजह से तक़लीद ज़रूरी हो तो फिर किसी सहाबी की तक़लीद क्यों न की जाए कि उस की आंखों ने तो वह जमाले जहां आरा देखा जिस के सामने सारी उम्मत का हुस्न व जमाल कम है। मगर होता क्या है? सहाबा के फ़तवे को छोड़ा जाता है और हंफ़ी मज़हब के फ़तवे को माना जाता है। ऐसी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं, जैसे मसला मुसिर्रह के सिलसिला में हंफ़ी मज़हब का फ़तवा सहाबी—ए— जलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० के फ़तवे के खिलाफ़ है।

(हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रह० का फ़तवा सहीह बुखारी में देखें)

मुत्तहाए फ़ज़ीलत की पैरवी

अच्छा, और ज़रा ऊपर चलिए, आप भी फ़ज़ीलत वाली हस्ती की तलाश में हैं और मैं भी आप इस खुलूस में इमाम अबु हनीफ़ा रह० तक पहुंच कर रुक जाते हैं और मैं इस तलाश में इतना ऊपर चला जाता हूं कि मेरे सामने वह हस्ती आ जाती है जिस पर तमाम फ़ज़ीलतें ख़त्म होती हैं और जिस से ज़्यादा श्रेष्ठ न कभी हुआ है न होगा। वह है, अल्लाह के रसूल सल्ल० की ज़ात। अगर श्रेष्ठता ही तक़लीद का पैमाना है तो उस की तक़लीद क्यों न की जाए जिस से श्रेष्ठ कोई नहीं, अगर इमाम अबु हनीफ़ा रह० की आंख ने एक

सहाबी को देखा तो क्या हुआ, यहां वह आंख है जिस ने आयाते रब्बिहिल कुब्रा को देखा है। यहां वह दिल है जो मुहब्बते इलाही है, यहां वह ज़बान है जो وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ की चरितार्थ है, जिस की जात **المبتهد قد ينطى ويصیب** के सिवा है और शरीअते इलाहिया के बयान में पूरी तरह मासूम है।

क्या इमाम अबु हनीफ़ा रह० ही हदीस का सही मतलब समझें

यहां पहुंच कर कहीं आप फिर वही न कह दें कि रसूले मासूम स० की हदीस आप क्या समझें? वह तो इमाम अबु हनीफ़ा रह० ही समझते थे। सड़क चलने की मिसाल दे कर आप ने इस तरफ़ इशारा भी फ़रमाया है तो जनाब मैं तरस्लीम किए लेता हूं कि मैं तो हदीस को नहीं समझता, लेकिन क्या दीन के सामान्य इमाम भी नहीं समझते थे। क्या इमाम हसन बसरी रह० भी नहीं समझते थे। इस किस्म की बातों से आप दीन के दूसरे इमामों की तौहीन क्यों करते हैं? मैं अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो कुछ कहता हूं इन इमामों की व्याख्या होती है जो हर दृष्टि से इमाम अबु हनीफ़ा रह० से ज़्यादा दर्जा रखते हैं जैसे इमाम हसन रह० रुकू में जाते समय और रुकू से उठ कर रफ़अ यदैन करते थे और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह स० के सहाबा रह० भी रुकू से पहले और रुकू से उठ कर रफ़अ यदैन करते थे।

(كتاب رفع اليدين للامام البخاري)

अब बताइए कि इमाम अबु हनीफ़ा रह० जिन्होंने एक सहाबी रज़ि० को भी रफ़अ यदैन छोड़ते नहीं देखा उन की बात मानी जाए

या इमाम हसन बसरी की मानी जाए। जिन्होंने सैंकड़ों सहाबा किराम रज़ि० को रफ़अ यदैन करते देखा।

हां अगर आप यह कहने की हिम्मत कर बैठें कि इमाम हसन बसरी रह० की इस रिवायत का मतलब भी आप नहीं समझे बल्कि इमाम साहब रह० ने सही समझा है अर्थात् सहाबा किराम रज़ि० भी रफ़अ यदैन नहीं करते थे तो मैं सिवाए इन्ना लिल्लाहि के और क्या कह सकता हूं। **إِنَّمَا أَشْكُوا بَيْنِي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ.**

यह बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह इमाम हसन बसरी रह० के कथन को मैं नहीं समझा, इमाम अबु हनीफ़ा रह० के कथन को आप नहीं समझे किस्सा पाक हुआ सारी किताबें अलग रखदी जाएं या दरिया में डुबो दी जाएं।

हां एक बात और सुन लीजिए। अगर दर्जों की वजह से मैं इमाम हसन बसरी रह० के कथन का मतलब नहीं समझा तो फिर रसूलुल्लाह सल्ल० की अहादीस का मतलब इमाम अबु हनीफ़ा रह० नहीं समझे, इस लिए कि उन दोनों के बीच दर्जों के फ़र्क की कोई हकीकत नहीं। समन्द्र के मुकाबले में एक बूंद की मिसाल भी सादिक नहीं आती। चलिए छुट्टी हुई, इल्मे दीन का ज़ख़ीरा बिल्कुल बेकार और फ़िज़ूल है। **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.**

तक्लीद और शरीअत साज़ी

मैं इमाम अबु हनीफ़ा रह० के मुकाबले में मुहदिस बनने का दावा नहीं करता, लेकिन अगर मेरा छोटा बच्चा मेरे मुकाबले में मुहदिस बनने का दावा करे तो मुझे खंडन करने का क्या हक़ है। मैंने अपने छोटे बच्चे की बात को भी मान लिया है। जब उस ने कहा कि आप का फ़ला काम हदीस के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा लाओ,

हदीस दिखाओ। उस ने किताब खोल कर सामने रखदी। मैंने अपनी ग़लती मान ली, और अपने काम से तौबा कर ली। ऐसी मिसालें मेरी ज़िन्दगी में कई हैं। मैं अपने को “हम चुर्नी दीगरे नीस्त” का चरितार्थ नहीं समझता जो व्यक्ति भी हदीस पेश करे, चाहे वह कितना ही छोटा और तुच्छ व ज़लील क्यों न हो, मैं उस की बात मान लेता हूँ और मान लूंगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं मसला गढ़कर अपना फ़तवा मेरे सामने पेश करे तो मैं नहीं मानूंगा। चाहे वह फ़तवा देना वाला कोई भी हो। सुनिए! यह दीन अल्लाह का दीन है। दूसरी जगह (قرآن مجید) ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا और इस अल्लाह तआला फ़रमाता है (قرآن مجید) والدين الخالص और इस दीन का शरीअत साज़ भी स्वयं अल्लाह है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है (قرآن مجید) और अगर दूसरा शरीअत साज़ी करे तो वह शिर्क करता है: ام لهم شركاء شرعوا لهم من املهم شركاء شرعوا لهم من: क्या उन्होंने को साज़ी बना रखे हैं जो उनके लिए दीनी शरीअत बनाते हैं। जिस अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। (कुरआन मजीद) ولا يشرك في حكمه احدا (قرآن مجید) अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता।

”بلغ ما انزل اليك“ रसूलुल्लाह स० इस दीन के पहुंचाने वाले हैं यह दीन रसूलुल्लाह के पास वहय द्वारा आया और यह वहय कुरआन व हदीस में सुरक्षित है। इसी के अनुसरण का हुक्म हम को दिया गया है। और जो इस के अलावा हो उस के अनुसरण से रोका गया है इर्शाद है: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء: इस चीज़ का अनुसरण करो जो तुम्हारे रब की तरफ़ से उतरा है। इस के सिवा दलीलों का अनुसरण न करो।

(अलकुरआन)

अब बताइए! इन फिकह की किताबों में जो कुछ है, सब अल्लाह की ओर से है? अगर है तो कुबूल है और अगर नहीं और कदापि नहीं तो इस का अनुसरण हराम है और हराम को हलाल बल्कि वाजिब समझना कुफ़र व शिर्क है। अगर आप वही बात दोहराएँ कि यह "अल्लाह की ओर से" इमाम अबु हनीफ़ा रह० के पास था बाद में नष्ट हो गया और अब इमाम क़शीरी रह० के संदूक से बर आमद होगा तो यह उस कथन के जैसा होगा जो शिआ हज़रात कहा करते हैं कि असली कुरआन नष्ट हो गया और अब इमाम गाइब मेहदी लेकर जाहिर होंगे।

सही बुख़ारी की हदीस को मानना इमाम बुख़ारी रह० की तक्लीद नहीं

मैं इमाम बुख़ारी रह० की राय और क़यास को मानता हूँ और न इमाम मुस्लिम रह० की सहीह हदीस को मानता हूँ चाहे इस के पेश करने वाले इमाम बुख़ारी रह० हों या इमाम मुस्लिम रह०, अबु दाऊद हों, या इमाम अबु हनीफ़ा रह०। हां यह ज़रूर है कि इमाम बुख़ारी रह०, इमाम मुस्लिम रह०, इमाम अबु दाऊद रह० ने हदीस की किताबें लिख कर पेश कर दीं और इमाम अबु हनीफ़ा रह० ऐसा नहीं कर सके, तो इस में मेरा या इमाम बुख़ारी रह० आदि का क्या दोष है? **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ..**

अगर इमाम अबु हनीफ़ा रह० की बयान की गयी हदीसों इमाम बुख़ारी रह० के नज़दीक ज़ईफ़ थीं तो क्या इमाम मुहम्मद रह० और काज़ी अबु यूसुफ़ रह० के नज़दीक भी वे ज़ईफ़ थीं? उन्होंने क्यों न जमा कर दिया? अच्छे गुमान से काम लीजिए। मुहदिसीन को इमाम

अबु हनीफ़ा रह० से बैर नहीं था कि जान कर वे ऐसा करते आप ने मुहद्दिसीन की शान में कितना अपमान जनक वाक्य लिखा है कि "इमाम बुख़ारी रह०, इमाम तिर्मिज़ी रह०, मुस्लिम रह० आदि बहुत बाद की पैदावार हैं।"

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम

वे क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता

अच्छा जनाब! क्या इमाम मालिक रह० भी बाद की पैदावार हैं, अल्लामा शिबली नोमानी के कथना नुसार इमाम मालिक रह० इमाम अबु हनीफ़ा रह० के उस्ताद हैं (سيرة النعمان) इमाम मालिक रह० की लिखी हुई किताब भी मेरे अध्ययन में रहती है बल्कि उस से भी पहले लिखी हुई किताब "सहीफ़ा हुमाम" जिस को हज़रत अबु हुसैरह रज़ि० ने मुरत्तब किया था वह भी मेरे अध्ययन में रहती है, इन्हीं किताबों से अपने अपने मसाइल के तर्क उपलब्ध कीजिए या कहिए कि उन को भी न मिले।

सही बुख़ारी व सही मुस्लिम की सेहत पर उम्मत की सहमति

यह भी आप ने खूब लिखा कि सही बुख़ारी में जो अहादीस हैं वह इमाम बुख़ारी रह० का क़यास ही तो हैं। जी नहीं, अहले सुन्नत के हर सम्प्रदाय की उस की सेहत पर सहमति है, उन अहादीस की सेहत मात्र अटकल और वहम व गुमान की मोहताज नहीं हैं बल्कि इस के लिए तर्क हैं, इसके प्रमाण हैं और तर्क भी ठोस। ऐसे तर्क कि उन के ज़रिए से आज भी हर हदीस को कसौटी पर परखा जा सकता है, जो कुछ उन्होंने लिखा सनद के साथ उम्मत के सामने

(نصرة الباری) کی ہر مسند ہدیہ کو سہی تسلیم کیا ہے: ”
بحوالہ شذرات الذهب ملخصاً)

یسی ترہ ہافیز ابو نسر سجزری رہو نے فرمایا ہے کہ
” اجمع اهل العلم والفقهاء وغيرهم الخ “
اور دوسرے لوگوں کی سہی بخاری کی تمام ہدیہوں کی سہت پر
(ملخصاً من نصرة الباری بحوالہ مقدمہ ابن صلاح) ” سہتی ہے |

(اتفق علماء الشرق والغرب) ہن: ہافیز اونی لیکتے ہن:
” انا ليس بعد كتاب الله اصح من صحيح البخارى (عمدة القارى)
مشرك و مغرب کے تمام اولما کی اس پر سہتی ہن کہ
کورآن مجید کے باء سہی بخاری سے جیاد سہی کوئی کتیب
نہی | “

احمد االی سہارنپور لیکتے ہن: ” اتفق العلماء على ان اصح
” انا ليس بعد كتاب الله اصح من صحيح البخارى ومسلم “ (نصرة الباری)
کی سہتی ہے کہ تمام کتیبوں میں سب سے جیاد سہی یہ دو
کتیبے ہن سہی بخاری اور سہی مسلم | “

انور شاہ ساہب دےونڈی لیکتے ہن: ” ہافیز ابنہ سلاہ
رہو ہافیز ابنہ ہجر رہو، امام ابنہ تہمیا رہو، شمسول
اڈمما سرخسی رہو کے نجدیک سہی بخاری کی تمام ہدیہوں
پوری ترہ ٹیک ہن ” اس کے باء لیکتے ہن: ” ان رأيهم هو رائي .
(فيض الباری ملخصاً) ” ہی دہر ہکیکت مہری رای ہے | “

ان ماتفرده به البخارى ومسلم) ہن: ہافیز اوسمانی فرماتے ہن:
مندرج فی قبیل ما یقطع بصحته لتلقى الامة كل واحد من کتابہما بالقبول .
اثرات بخاری و مسلم کی منفرید ریواتیں ہی پوری ترہ ٹیک ہن
(فتح) | اس لیے کہ امت نے ان کی ہر ہدیہ کو تسلیم کیا ہے |
(الملمح شرح صحيح مسلم)

शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रह0 फरमाते है:

اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع منا فيها من
المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران إلى
مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل
المؤمنين وان شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن ابي
شيبه وكتاب الطحاوى ومسند الخرازى تجد بينها وبينهما
بعد المشرقين. (حجة الله البالغة - جلد اول)

“अर्थात् सही बुखारी व मुस्लिम में जितनी मरफूअ मुत्तसिल हदीसों हैं, मुहदिसीन की सहमति है कि वह सब पूरी तरह सही हैं और यह दोनों किताबें अपने लेखकों तक मुतवातिर हैं। जो व्यक्ति इन का अपमान करे वह बिदअती है और मोमिनीन की राह से उस की राह अलग है और अगर आप हक का स्पष्टीकरण चाहें तो लेखक इब्न अबी शैबा, किताबुत तहावी और मुसनद ख्वारिजमी (मुसनद इमाम अबु हनीफ़ा रह0 से सहीहैन का मुकाबला करें तो आप उन में और सहीहैन में बड़ा भरी फर्क पाएंगे।

मतलब यह कि बे शुमार कथन हैं, कहां तक लिखूं किसी ने भी सेहत के लिहाज़ से इन किताबों से मतभेद नहीं किया यहां तक कि उन के सम कालीन और उस्तादों ने उन की सेहत पर सहमति की। अब अगर कोई शक करता है तो सिवाए उस के और क्या लिखूं कि “न रहे बांस न बजे बांसरी, का चरितार्थ है न सही बुखारी होगी न फिकह पर आलोचना का मौका मिलेगा। अगर सही बुखारी को आप तस्लीम नहीं करते तो ऐसी कोई किताब आप पेश फरमाइए, जिस पर उम्मत की सहमति हो जो सही बुखारी से उच्च हो। **فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا.....**

जाहिल का आलिम से सवाल करना तकलीद नहीं

आप फरमाते हैं “जाहिल क्या करे, अगर वह आप से पूछेगा तो आप का मुकल्लिद होगा” मैं कहता हूँ कि जाहिल अगर आप से पूछे तो क्या वह आप का मुकल्लिद हो जाएगा? इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का मुकल्लिद नहीं रहेगा? क्योंकि वह इतने बड़े इमाम की फिकह को क्या समझ सकता है वह तो आप ही के कहने पर अमल करे गा। अगर आप यह जवाब दें कि हम इमाम अबु हनीफ़ा रह0 ही के कौल बताएंगे, अतः हमारे बताने के बाद भी वह इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का मुकल्लिद कहलाएगा न कि हमारा। तो मैं कहूंगा कि मैं भी उस को अहादीस ही बताऊंगा, अतः मेरे बताने के बावजूद वह मेरा मुकल्लिद न होगा बल्कि रसूलुल्लाह स0 का मानने वाला होगा।

सुनिए और बड़े गौर से सुनिए। मैं बहैसियत आलिम के आप के उलमा की खिदमत में हाज़िर नहीं हुआ हूँ। जाहिल या छात्र की हैसियत से ही आप के उलमा से पूछता हूँ कि खुदा के वास्ते यह जो तरीके आप ने अख़्तियार कर रखे हैं। उन के बारे में जो हदीस आप को मालूम है मुझे भी बता दो ताकि मैं भी उन पर अमल कर सकूँ तो जवाब वह मिलता है जो आप को चौदह पन्नों में लिखवाया गया है।

मात्र वहम व गुमान से हदीस को नहीं छोड़ा जा सकता

यह भी आप ने खूब लिखा है कि जो हदीस इमाम बुख़ारी रह0 के नज़दीक सही हो, हो सकता है कि इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के नज़दीक वह जईफ और ग़रीब हो, सुनिए! मात्र वहम व गुमान से

सत्यता को नहीं भुलाया जा सकता अगर वह ज़ईफ़ थी तो बावजूद तमाम दलीलों की मौजूदगी के उलमा-ए-अहनाफ़ ने उसको ज़ईफ़ क्यों न साबित किया और क्यों इस दौर तक सब उसको सही समझते रहे। अगर उस को सही भी तस्लीम कर लिया जाए कि समस्त हदीसों से इमाम अबु हनीफ़ा रह० के नज़दीक ज़ईफ़ हैं तो इमाम साहब रह० के इन कथनों पर कैसे अमल होगा " **ترکوا قولی** " **اذا صح** (रौज़तुल उलमा) **الحديث فهو مذهبی** . सही हदीस मेरा मज़हब है। हर सही हदीस के बारे में यह गुमान होगा कि शायद इमाम साहब रह० के नज़दीक ज़ईफ़ हो। अतः हदीस रद्द करदी जायगी अर्थात् मात्र गुमानों से सही को रद्द किया जाएगा।

सही बुख़ारी व मुस्लिम की सेहत पर इमामों की सहमति

फिर सुन लीजिए, बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों से इस लिए सही नहीं कि इमाम बुख़ारी रह० और इमाम मुस्लिम रह० उन्हें सही समझते हैं बल्कि इस लिए सही हैं कि उन से पहले और उन के बाद के तमाम उलमा ने इन हदीसों को सही तस्लीम किया है, अल्लामा इब्ने खुलदून लिखते हैं।

اعتمد منها ما اجمعوا عليه.

अर्थात् इमाम बुख़ारी रह० ने सही बुख़ारी के लिए इन ही अहादीस को काबिले भरोसा समझा, जिन की सेहत पर सहमति थी। फिर इमाम मुस्लिम रह० के बारे में भी उन्होंने यही बात लिखी।

(मुकद्दमा तारीख़ इब्ने खुलदून)

अर्थात् इमाम बुखारी रह0 व इमाम मुस्लिम रह0 ने उन अहादीस को इन किताबों में जमा किया जिनकी सेहत पर उस वक्त तक के तमाम उलमा की सहमति थी और उन उलमा में इमाम अबु हनीफ़ा भी शामिल हैं (बशर्ति कि आप उन्हें मुहदिस तस्लीम करें)

हंफी फ़िक्ह के बेशुमार मसाइल बे दलील हैं

हम तो नई नई बातें नहीं निकाल रहे। जो बात कहते हैं। दलील से कहते हैं, आप पूछ कर देख लीजिए, इन्शा अल्लाह आयत या हदीस पेश करेंगे, असल जवाब से इन्शा अल्लाह कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, नई नई बातें तो मुक़ल्लिदीन ने निकाली हैं। जैसे तकलीद, यह बिदअत है न दौरे सहाबा रज़ि0 में थी न दौरे ताबअीन में (हुज्जतुल्लाहुल बालिगा) फिर मर्द व औरत की नमाज़ अलग अलग गढ़ी गई, नमाज़ में ज़बानी नीयत का इज़ाफ़ा किया गया, हलाला का मसला जारी किया गया आदि आदि।

यह मैं फिर कहता हूँ कि इमाम अबु हनीफ़ा रह0 उन से पूरी तरह बरी हैं, मैं जो कहता हूँ उन के बारे में नहीं कहता, वह तो अहले हदीस थे और इस से भी ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं जो आप ने तहरीर फ़रमाई है मैं तो मौजूदा मज़हब के बारे में बात करता हूँ।

अहले हदीस शुरू इस्लाम से हैं

यह मैंने कब लिखा कि सिवाए मेरे कोई मुसलमान ही नहीं, अब तक जितने मुसलमान हुए वह सब बहुदव वादी थे, यह आरोप है मगर आप का यह विचार कि पहले दौर में कोई अहले हदीस था ही

नहीं और यह कि मैं अपने विचार का पहला आदमी हूँ, हकीकत पर आधारित नहीं, हकीकत उसके विपरीत है इमाम अबु हनीफ़ा रह० का दृष्टिकोण 120 हि० में काइम हुआ (सीरतुन नोमान) बताइये 120 हि० तक जो मुसलमान थे वह किस इमाम के मुक़ल्लिद थे? उस इमाम की इमामत किस ने निरस्त की? हज़रत इमाम अबु हनीफ़ा रह० मुक़ल्लिद थे या ग़ैर मुक़ल्लिद? अगर मुक़ल्लिद थे तो मुक़ल्लिद की तक़लीद कैसे? और अगर ग़ैर मुक़ल्लिद थे तो फिर वह हमारे अक़ीदा के हुए न कि आप के। इमाम अबु हनीफ़ा रह० फ़रमाते हैं: لا ینبغی لمن لم یصرف دلیلی ان یفتی بکلامی. अर्थात् किसी व्यक्ति के लिए यह मुनासिब नहीं कि वह मेरे कथन पर फ़तवा दे, जब तक उस को मेरी दलील न मालूम हो (عقد الجید) बल्कि यहां तक फ़रमाते हैं: “ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. ” (मिशकाते मुहम्मदी बहवाला मीज़ाने शोरानी) अर्थात् वह अपनी तक़लीद से मना फ़रमाते हैं बल्कि बे दलील बात मानने को हराम कह रहे हैं। लीजिए जो हम कहते हैं वही इमाम अबु हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया है बे शक जिस चीज़ को उन्होंने हराम कहा है हम भी उस को हराम समझते हैं लेकिन मुक़ल्लिदीन उनके हराम किए को जायज़ ही नहीं, वाजिब तक कह देते हैं।

इमाम अबु हनीफ़ा रह० के अलावा भी तमाम अइम्मा—ए—दीन तक़लीद से मना करते रहे। जैसे इमाम अहमद बिन हंबल रह० फ़रमाते हैं:

لا تقلدنی ولا تقلدن مالکاً ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا
الثوری وخذ من حیث اخذوا (عقد الجید)

अर्थात् हरगिज़ मेरी तक़लीद न करना। न इमाम मालिक रह० की, न इमाम शाफ़़ी रह० की, न इमाम

औज़ाजी रह0 की, न इमाम सूरी रह0 की। बल्कि जहां से उन्होंने अहकाम को लिया वहीं से तुम भी लेना।

हां तो 120 हि0 तक पूरी तरह सब गैर मुक़ल्लिद थे बल्कि शाह वलिउल्लाह साहब रह0 के कथनानुसार चौथी सदी के पहले तकलीदे ख़ालिस पर लोग जमा नहीं हुए थे (हुज्जतुल्लाहुल बालिगा) तो मानो तीन सौ साल तक तकलीद शख़्सी का वजूद नहीं था। इल्ला माशा अल्लाह। चौथी सदी से तकलीद ने जोर पकड़ना शुरू किया और लग भग एक हजार साल तक इस का जोर रहा, लेकिन यह ज़माना भी अहले हदीस से ख़ाली न था। हर ज़माना में उलमा की एक बड़ी तादाद अहले हदीस थी। अल्लामा ज़हबी रह0 की “तज़किरतुल हुफ़ाज़ पढ़िए, देखिए हर ज़माने में कितने उलमा—ए— अहले हदीस थे। अल्लामा ज़हबी बीसियों उलमा के नाम गिनांते चले जाते हैं। उन के हालात लिखते हैं और यह वे लोग हैं जो बड़े बड़े हाफ़िज़ थे न मालूम उनके अलावा और कितने होंगे जिनके नाम इमाम ज़हबी को मालूम न हुए हों और फिर कितने लोग होंगे जो उनके हलका—ए—असर में होंगे। गरज़ यह कि अन गिनत लोग हर ज़माना में अहले हदीस थे, कुछ ऐसे उलमा भी थे जो मौका की नज़ाकत महसूस करते हुए तकलीद का संबंध अपनी तरफ़ पसन्द करते थे, यद्यपि वह मुक़ल्लिद नहीं होते थे।

(देखें इमामुल हिन्द अबुल कलाम आज़ाद रह0 का तज़किरा)

कुछ तो इलाके के इलाके ऐसे थे जहां मुहदिसीन की बहुसंख्या थी जैसे अरब पर्यटक बश्शर मुक़दसी रह0 जो 275 हि0 में हिन्दुस्तान आया था। सिन्ध के हालात में लिखता है: “यहां के ज़िम्मी मूर्ति पूजक हैं और उलमा में अधिकांश अहले हदीस हैं।”

(तारीख़ सिन्ध भाग 2)

रूम, शाम, जजीरा और आजर बाइजान आदि की सीमाओं के मुसलमान पांचवीं सदी में सब के सब अहले हदीस थे ।

(उसूलुद्दीन पहला भाग लेखक अबु मंसूर रह0 बगदादी)

तक्लीद का सदियों बाद शुरु होना

छठी सदी में अफ्रीका में अहले हदीस की हुकूमत थी (तारीख इस्लाम ज़हबी रह0) इस हुकूमत में सरकारी कानून था कि कोई किसी इमाम की तक्लीद न करे (तारीख इब्ने खलकान) यहां भागे हुए लोगों ने तक्लीदी मज़हब बड़ी तेज़ी से जारी किया, और यह कानून बनाया कि चारों मजाहिब की तक्लीद वाजिब है और उन से बगावत हराम है । (मुकरेज़ी भाग 2)

सातवीं सदी में शाह ज़ाहिर ने चारों मज़ाहिब के मदरसे और काज़ी अलग अलग कर दिए । (मुकरेज़ी)

सातवीं सदी में शाह नासिर ने चार मुसल्ले काइम कर दिए । (अलबदरुत्ता लेअ भाग 2)

शाह वलीउल्लाह साहब रह0 ने कितने मृद वाक्यों में तक्लीद की प्रगति का नक्शा खींचा है, फ़रमाते हैं:

انهم اطمأنوا بالتقليد ودب التقليد في صدورهم ديب النمل
وهم لا يشعرون فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف
لا يميزون الحق من الباطل ولا اقول ذلك كليا مطردا فان لله
طائفة من عباده لا يضرهم من حذلهم وهم حجة الله في ارضه
وان قلوبوا ولم يأت قرن بعد ذلك الا وهو اكثر فتنه واوفر
تقليداً واشد انتزاعاً للامانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا
بترك الخرض في امر الدين وبأن يقولوا، أنا وجدنا آباءنا على

امة وانا على اثارهم مقتدون. والى الله المستكى وهو المستعان
وبه الثقة وعليه التكلان.

“अर्थात् लोग तक्लीद पर सन्तुष्ट होकर बैठ गए और तक्लीद उन के दिलों में इस तरह दाखिल हुई जैसे चींटी चलती है और उन्हें उन का पता भी नहीं हुआ। फिर उन के बाद ऐसे लोग पैदा हुए जो मात्र तक्लीद के परिसतार थे, असत्य से सत्य को अलग न कर सकते थे और यह बात मैं तमाम लोगों के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि अल्लाह के बन्दों में एक गिरोह अल्लाह वालों का भी होता है जिन को किसी का विरोध हानि नहीं पहुंचाता और वह अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की हुज्जत होते हैं। यद्यपि वह कम ही क्यों न हों, फिर इस के बाद जो ज़माना भी आया फ़ितना ज़्यादा होता गया, तक्लीद की अधिकता होती चली गई और लोगों के क़ुलूब से अमानत सख्ती के साथ निकलती चली गई यहां तक कि लोगों ने दीनी मामलों में विचार करना छोड़ दिया और इस आयत का चरितार्थ बन गए कि हम ने अपने बाप दादा को इस तरीके पर पाया और हम तो उन्हीं के नक़्शे क़दम पर चलते हैं। बस अल्लाह ही से शिकायत है और वही मददगार है, उसी पर विश्वास है और उसी पर भरोसा है।” (अल इसाफ़)

शाह साहब की इस इबारत से जहां तक्लीद की बुराई साबित हुई वहां यह भी साबित हुआ कि हर ज़माना में ऐसे लोग भी थे जो इस तक्लीद से खिन्न थे, अर्थात् यह कि अहले हदीस किसी इमाम

की तक्लीद न करने वाले हमेशा से हैं और यह कोई नई जमाअत नहीं है अलबत्ता तक्लीदी मज़ाहिब से निकले और पहले ज़माने में नहीं थे।

औलिया अल्लाह अहले हदीस ही होते हैं

आखिर में एक बात और सुन लीजिए। मुहद्दीसीन और औलिया अल्लाह सब अहले हदीस थे। कोई मुकल्लिद नहीं था। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दीस देहलवी रह० फरमाते हैं। “उलमा – ए – मुहद्दीसीन बैक मज़हब अज़ मज़ाहिब मुजतहिद नमी बाशन्द। “अर्थात् उलमा मुहद्दीसीन मुजतहिदीन के मज़ाहिब में से किसी एक मज़हब के पाबन्द नहीं होते। (फ़तावा अज़ीज़ी भाग 2)

इमाम शोरानी फ़रमाते हैं:

ومائهم احد حق له قدم الولاية المحدية الا و يصير يأخذ احكام
شرعة من حيث اخذها المجتهدون وينفك عنه التقليد لجميع
العلماء الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ميزان كبرى)

अर्थात् जिस व्यक्ति का क़दम विलायते मुहम्मदिया पर साबित हो गया, वह शरअी अहकाम को वहीं से लेता है जहाँ से मुजतहिद ने लिया था। वह तमाम उलमा की तक्लीद से अलग हो जाता है। और सिवाए रसूल स० के किसी की पैरवी नहीं करता।

यह हैं मेरे पूर्वज! अल्लाह तआला उन पर अपनी रहमत की बारिशें बरसाए।

आज कल समय बहुत कम मिलता है। अगर कभी समय मिल जाता है तो इन्कारे हदीस के फ़ितना-ए-जली के बारे में कुछ

लिख लेता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला कुछ फुरसत प्रदान करे और अपने दीन की सेवा का सौभाग्य प्रदान फरमाए।

यह संक्षिप्त बातें हैं जो आप के सवालों के जवाब में लिख दी हैं वरना मुफ़स्सल जवाब के लिए तो एक किताब चाहिए।

रहे विस्तृत उत्तेजक वाक्य और जाती हमले जो आप ने लिखे हैं अगर वह सही हैं तो अल्लाह तआला मुझे माफ़ फ़रमाए और अगर सही नहीं हैं तो अल्लाह तआला आप को माफ़ फ़रमाए। मेरी आदत चोट करने की नहीं है। फिर भी अगर अनजाने में कोई बात ऐसी लिखने में आ गई हो, जिस से व्यंग महसूस हो तो कृपा करके माफ़ फ़रमाएँ। मेरी नीयत इस में व्यंग की नहीं है बल्कि हकीकत खोलने की नीयत से आप को सचेत करना उद्देश्य है कि आप की फ़लां इबारात स्वयं आप के लिए मुफ़ीद नहीं बल्कि इस से इमाम अबु हनीफ़ा रह० के अपमान का पहलू निकलता है यद्यपि आप की नीयत भी अपमान की नहीं होगी। मगर अनजाने में आप ऐसा कर गए हैं ख़ैर अल्लाह तआला हमारी ग़लतियों को माफ़ फ़रमाए। आमीन फ़क़त الحمد لله رب العلمين.

खादिम मसऊद

अज़ चक लाला

ता० 22— अगस्त 1961 ई०

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिनजानिब नवाब मुहियुद्दीन खां
सहायक टीचर, चांड्यू हाई स्कूल
सजावल सिन्ध ज़िला ठट्टा

मुकर्मी मसऊद साहब!

अस्सलाम आलैकुम! आप का पत्र मिला, मेरे पत्र का जवाब देने के लिए आप को काफी मेहनत करनी पड़ी, अपने आप में आप ने बहुत बड़ा काम किया बल्कि तीर मारा, और शायद यह समझ रहे होंगे कि मैदान जीत लिया और हंफी मज़हब (मसलक) ख़त्म हो गया आप ने जो लिखा है कि चौदह पृष्ठों का पत्र मुझ से लिखवाया गया, यह आप की ग़लत फ़हमी और खुश फ़हमी है। भला उलमा—ए—किराम ऐसा बिना दलील पत्र कैसे लिख सकते हैं। आप ने इस तरह लिख कर उलमा—ए—किराम का अपमान किया है हकीकत यह है कि वह पत्र किसी ने मुझ से नहीं लिखवाया, बल्कि मैंने इस तरह लिख कर उलमा—ए—किराम से ऐसी प्रार्थना की तो बजाए इस के कि जवाब जाहिलानां बाशद ख़मूशी" इन लोगों ने ख़ामोशी अख़्तियार फ़रमायी और चौदह पन्नों का पत्र मेरा अपना लिखा हुआ था, मेरी अपनी भावनाएं थी और सब निष्ठा पर आधारित था किसी बुजुर्ग का अपमान कदापि नहीं था। मैं एक जाहिल इन्सान हूं। आप की तरह अंग्रेज़ी और फिर उलूम अरबी से बिल्कुल अनभिज्ञ। मैंने जान बुझकर किसी बुजुर्ग, किसी मुहद्दिस का अपमान कदापि नहीं किया। ऐसे कोई शब्द आप को समझाने के

सिलसिले में भावनाओं की रौ में मुझ जाहिल के कलम से निकल गए हों तो मैं उन पर शर्मिन्दा हूँ। खुदा दिलों के सब भेद जानते हैं, मैं उन के हुजूर तौबा करता हूँ। अगर आप मेरा वह पत्र प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा मैं खंडन कर दूंगा। मैं किसी की तरह हट धर्मी से काम नहीं लेता। दर असल मुझे याद नहीं रहा था कि जिस को मैं पत्र लिख रहा हूँ, वह शब्दों की गिरफ्त करके उन को उछालने के आदी हैं। चलिए मुझ जाहिल के पत्र का जवाब लिख कर आप ने दुनिया में नाम तो कमाया, ख्याति हासिल की, आप के साथियों में आप के ज्ञान और काबलियत की धाक बैठ गई, और आप ने ख्याति हासिल करने के लिए खूब पत्र की नुमाईश की, यहां तक कि यह पुराना हो गया और आप ने दोबारा नक़ल करवा कर भेजा और कराची में भी नुमाईश के लिए भेज रहे हैं, ख्याति हासिल करने के लिए इन्सान क्या क्या कोशिशें करता है। आप अपने हम नशीनों में मेरा वह पत्र भी दिखला दीजिए, जिस में मैंने अपनी जिहालत को स्वीकार कर लिया है। अब आगे सुनिए और गौर से सुनिए। मैं आप को मुबारकबाद देता हूँ कि आप बिदअतियों से तो बहर हाल अच्छे हैं। हम आप को इस्लाम से खारिज नहीं समझते। अब रहा आप की आपत्ति तक्लीद के बारे में तो गौर से सुनिए। हंफ़ी मज़हब तिकों का बना हुआ नहीं है जो आप के फूंक मारने से उड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और अगर ऐसा है तो फिर उस को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन १

फूकों से यह चराग़ बुझाया न जाएगा

इन्शा अल्लाह आप की फूकों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अब आगे पत्र जो मैं आप को लिखूंगा वह मुझ जाहिल के हाथ का लिखा हुआ न होगा। बल्कि हमारे उलमा—ए—किराम की

तरफ़ से होगा और इस पत्र में पहला सबक आप को दिया जाएगा वह तक़लीद के बारे में दलीलों से दिया जाएगा। आप दूसरे पत्र का इन्तिज़ार कीजिए। अगर पत्र में देरी हो जाए तो यह न समझिए कि हमारे उलमा-ए-किराम लाजवाब हो गए हैं, इस के बारे में पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि १

फूकों से यह चराग़ बुझाया न जाएगा

बल्कि देरी समय की कमी की वजह से होगी, बाकी इन्शा अल्लाह आइन्दा अगर कोई बात बुरी लगी हो मैं उस के लिए माफी चाहता हूँ।

फक़त

ख़ादिम नवाब

नोट: हमारे उलमा-ए-किराम का इर्शाद है कि आप जो केवल स्वयं को अर्थात् अपने मसलक को हक़ पर समझते हैं, मेहरबानी फ़रमाकर ज़रा सा कष्ट करें कि तक़लीद करने वालों के आंकड़े निकाल कर रखें, जब तक हमारी तरफ़ से जवाब नहीं वसूल हो जाता। उस समय तक आप तक़लीद करने वालों की (जिन को आप असत्य समझते हैं) गणना कर लें। आज तक़लीद लग भग एक हज़ार साल से चल रही है, न केवल हंफ़ी ही तक़लीद करते हैं बल्कि शाफ़ी, मालिकी और हंबली भी तक़लीद करते आए हैं और कर रहे हैं, हर एक के आंकड़े निकाल लीजिएगा, और यह भी नोट कीजिए कि आज दीन की ख़िदमत अल्लाह तआला किन से ले रहे हैं। मुक़ल्लिदीन से या ग़ैर मुक़ल्लिदीन से, दीनी मदारिस मुक़ल्लिदीन के ज़्यादा हैं या ग़ैर मुक़ल्लिदीन के। तमाम दीनी कुतुब, तफ़सीरें आदि मुक़ल्लिदीन की ज़्यादा हैं या ग़ैर

मुक़ल्लिदीन की। आप के कथनानुसार अगर सारे मुक़ल्लिदीन असत्य पर हैं और शिर्क करते हैं और जहन्नमी हैं तो फिर अल्लाह तआला दीन की ख़िदमत उन से क्यों ले रहे हैं? और अगर आप उन को बहुदेव वादी, बिदअती और जहन्नमी नहीं समझते बल्कि सत्य पर समझते हैं तो फिर यह शोर व हंगामा क्यों फैला रहे हैं और उम्मत में बिखराव मुक़ल्लिदीन पैदा कर रहे हैं या ग़ैर मुक़ल्लिदीन? यह सब नोट निकाल कर रखिए। इंशा अल्लाह आप के काम आएगा। आप इस पत्र का जवाब सीधे मुझे दे सकते हैं।

नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख़िदमत जनाब मुहीयुद्दिन खां साहब

(चक लाला 20— अक्टूबर 1961 ई0)

अधिसंख्या का दीन की सेवा करना हक़ पर होने की दलील नहीं

आप का पत्र मिला। समय न होने के कारण जवाब में देरी हुई। तक्लीद के दलाईल का भी स्वागत करूंगा। मगर पहले उन सवालात का जवाब है जो मैं पहले किसी पत्र में लिख चुका हूँ। पहले उन का जवाब दें। दूसरे यह कि तक्लीद पर बहस करते समय मुस्तनद कुतुब के हवाले से तक्लीद की परिभाषा भी लिखें और उन बातों का भी जवाब दें जो इस से विस्तार से लिखी गई हैं, तीसरे यह कि अगर तक्लीद उन चार इमामों की ही लाज़मी है तो बस उसी का सुबूत दें, दूसरी बातों में असल मसअला को उलझा कर बात न बढ़ाएं। इस सिलसिले में आप ने मुक़ल्लिदीन के आंकड़े, उन के मदारिस व दीनी ख़िदमात की तरफ़ ध्यान आकृष्ट करने की जो दावत दी है वह मेरी जानकारी में है। मैं अधिसंख्यक से प्रभावित नहीं होता “हक़ बहु संख्या के साथ होता है” यह कोई उसूल नहीं है, अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन्दे थोड़े ही होते हैं। **وقليل**” (القرآن) “من عبادى الشكور” (القرآن) हक़ का मानने वाला अगर एक भी हो तो वही जमाअत है ख़िदमाते दीन में कादियानी भी कुछ पीछे नहीं,

तमाम दुनिया में तथा कथित इस्लाम की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और जगह जगह उन के तबलीगी सेन्टर हैं, रसूलुल्लाह स० पहले ही भविष्य वाणी गए हैं कि इस दीन की मदद गुनाहगार आदमी से भी अल्लाह तआला ले लेता है, (सहीह बुख़ारी) आप के पत्र से ऐसा मालूम होता है कि हक़ की तलाश उद्देश्य नहीं बल्कि किसी समय की दुशमनी है जो इस तरह सामने आ रही है। ख़ैर आप की मर्ज़ी है जो चाहें लिखें। मुझे सब कुछ स्वीकार है। अल्लाह करे आप हिदायत कुबूल कर लें। *والسلام على من اتبع الهدى.*

मसलक़ वही सहीह है जो बुजुर्गों का था। उस में नए नए नज़रयात की मिलावट सख़्त मना है। इस दौर में हर व्यक्ति आज़ादी का परवाना बना हुआ है। अतः मज़हबी पाबन्दियों को भी अपने लिए क़ैद समझता है। अपनी इच्छाओं पर चलने की यह भी एक राह है। मेरे निकट यह सोच इबलीस का रास्ता है। नफ़स की स्वच्छता बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सूफीवाद का गढ़ा हुआ नाम इस का विकल्प समझा जाता है लेकिन मौजूदा तसव्वुफ़ सुन्नत के खिलाफ़ होने की वजह से घृणित है। नफ़स की स्वच्छता का तरीक़ा वही सही है जो सुन्नत के अनुसार हो। बैअत की मौजूदा किस्म का मैं मुन्किर हूँ। ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। बशर्ते कि सुन्नत के मुताबिक़ हो। जैसे मौजूदा ज़माना में जो मजालिसे ज़िक्र आयोजित होती हैं और एक ख़ास तरीक़े से ज़िक्र किया जाता है, यह खिलाफ़े सुन्नत है। मैं तो सुन्नत का पाबन्द हूँ और हर उस चीज़ का विरोधी जो दीन के नाम पर की जाती हो लेकिन सुन्नत के विरुद्ध हो। अपमान और अनादर मेरा तरीक़ा नहीं। कुरआन मजीद तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो इस तरह की हरकत हदीस की किताब के लिए भी पसन्द नहीं

करता ।

फ़क़त
ख़ादिम मसऊद

नोट: कुछ सवालात नवाब साहब ने अलग पर्चा पर लिखे थे जो इस किताब में शामिल हैं, यह सवालात कुरआन मजीद की तरफ पैर या पीठ करना या उस से ऊपर बैठना, जो सूफ़ीवाद आदि के बारे में थे । (ऊपर इन्हीं सवालात के जवाबात हैं)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब मुहियुदीन साहब

इससे पहले एक पत्र भेजा था। नज़र से गुज़रा होगा। लेकिन जवाब से अभी तक महरूम हूँ। मालूम नहीं क्या बात है? कैसे मिज़ाज हैं। आप नाराज़ तो नहीं हैं उम्मीद है कि जल्द खैरियत से सूचित फ़रमाएंगे। मैं अभी इस बीच कोई पत्र नहीं भेज सका। समय भी बहुत कम मिलता है। आज समय मिला है तो यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं आज से 45 दिन की छुट्टी पर हूँ। छुट्टी मात्र आराम करने के लिए ली है और इन दिनों मैं यहां नहीं रहूंगा।

अक़ीदों की पुख़्तगी उच्च गुण है बशर्तेकि हक़ की राह में रोक न हो

मुझे तो आप से कोई व्यक्तिगत मलाल नहीं है। मालूम नहीं आप का क्या हाल है। मैं तो आप की इस्लाह का दिल से इच्छुक हूँ और आपकी पुख़्तगी को भी अच्छा समझता हूँ, यह पुख़्तगी न हो तो आदमी हर किसी के बहकावे में आ सकता है। इस ज़माने में तो हर तरफ़ से ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं। यह पुख़्तगी ही इन फ़ितनों से बचने का सबब बन सकती है। यह गुण तो मतलूब है कि जो कुछ माना जाए, तहकीक़ व उसके के बाद माना जाए। अल्लाह तआला आप को शोध की भावना के बाद इत्मीनान प्रदान फ़रमाए।

आमीन, मगर यह पुख़्तगी तहकीक़ की राह में रोक पैदा करे तो फिर बेशक यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है और मुझे आशा है कि यह बात आप में नहीं है और आप जैसे आदमी में होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई ग़लती हो गई हो तो माफ़ फ़रमाएँ।

फ़क़त

खादिम मसऊद

9- जनवरी 1962 ई०

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

मोहतरम जनाब मसऊद साहब!

अस्सलामु आलैकुम

आज 15 जनवरी 1962 ई0 आप का कार्ड मिला, कुछ कारणों से मैं पहले पत्र का जवाब न दे सका, माफ़ फ़रमाइए, बहुत इरादा किया कि आप को पत्र लिखूं, मगर न लिख सका। मैं अब सजावल में नहीं हूँ। मेरा तबादला सजावल से गुलामुल्लाह हो गया है। इन्शा अल्लाह मैं अपना पता पत्र के आखिर में लिखा करूंगा। आप ने जो कुछ लिखा है, मैंने उस को ध्यान से पढ़ा और आप की हर बात को मैं दिलचस्मी से पढ़ता हूँ। मैंने कुछ समय पहले सजावल से आप को लिखा था कि हमारे उलमा-ए-किराम तक़लीद के बारे में दलीलों भरा जवाब लिखेंगे। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जिन मोहतरम ने वह पत्र लिखवाया था वह अपने वायदे पर पूरे न उतर सके। जब मैंने जवाब का तकाज़ा किया तो वह टाल मटोल करने लगे, उन्होंने मुझे उपदेश और नसीहतों द्वारा समझाने की कोशिश की, लेकिन उन की दलीलें मुझे इत्मीनान न दिला सकीं। फिर उन्होंने मेरे लिए यह फ़तवा दिया कि नवाब साहब! तुम्हारे लिए सिवाए तक़लीद के चारा नहीं है क्योंकि तुम उलूमे अरबिया से अनभिज्ञ हो और बिल्कुल ही कोरे हो, अंग्रेज़ी पढ़ कर तुम्हारा दिमाग़ ख़राब हो गया है। आदि आदि पन्द्रह साल का पाठय आप को यूँ बातों बातों में किस तरह समझाया जा सकता है, और आप की उम्र इस योग्य नहीं है कि आप पन्द्रह साल का पाठय पूरा कर

सकें। अतः तक्लीद के सिवाए चारा नहीं है। खैर तक्लीद के बारे में जहां तक मैंने गौर किया है, तो इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि बुनियादी मसलों की हद तक तो कोई फ़र्क नहीं है। हर एक के पास तर्क हैं, केवल श्रेष्ठता का सवाल आता है। जैसे रफ़अ यदैन करने वाला श्रेष्ठ है। लेकिन न करने वाला गुनहगार नहीं क्योंकि न करना भी एक सहाबी रज़ि० का अमल है जिस को अख़्तियार किया गया है। इमाम के पीछे सूरा—ए—फ़ातिहा न पढ़ने के बारे में भी तर्क हैं। इमाम अहमद रह० भी उन तर्कों के कायल हैं और इस तरह दूसरे मसाइल अपनी अपनी जगह रखते हैं। मैं इस तहकीक में इस बात का कायल हो गया हूं कि तक्लीद लाज़िम, व वाजिब नहीं है। कुरआन और अहादीस से बढ़ कर और क्या नेमत हो सकती है। इसी पर हमारा ईमान है और अल्लाह करे कि उसी पर हमारा ख़ात्मा हो। लेकिन कुछ बातें अभी मेरे दिल में वसवसा के तौर पर आती हैं। वह यह कि वहाबी कौन सा सम्प्रदाय है? उस की असलियत क्या है? ये लोग कौन हैं? इन के अकीदे क्या हैं? नजदी कौन सा सम्प्रदाय है? इस की असलियत क्या है? ये लोग कौन हैं? उन के अकीदे क्या हैं? क्या वही लानती सम्प्रदाय तो नहीं है, जिस का ज़िक्र हदीस शरीफ़ में आया है? क्या हनफ़ियों का तरीका—ए—नमाज़ ग़लत है? लेकिन एक हदीस में मैंने पढ़ा है शायद आप को याद हो कि हुजूर सल्ल० ने एक व्यक्ति को नमाज़ सिखाई तो उस में रफ़अ यदैन का तो कहीं ज़िक्र नहीं, वह तो हंफ़ियों के तरीका पर है। क्या वह हदीस ज़ईफ़ है? क्या हंफ़ियों के पीछे नमाज़ सही नहीं? अगर अहले हदीस पेश इमाम बन कर हंफ़ियों के तरीका पर नमाज़ पढ़ाए तो क्या यह नाजायज़ है? और है तो इन सब के तर्क क्या हैं? क्या मेरे जैसा एक व्यक्ति हदीसों की छः विश्वसनीय किताबें पढ़ कर स्वयं उन पर अमल कर सकता है?

या फिर भी उस को कुछ पूछने या मालूम करने की ज़रूरत बाकी रहती है। कृपया इन बातों पर रोशनी डालिए और अच्छी तरह मुझे समझाइए ताकि मेरी सन्तुष्टि हो जाए। मैं तक़लीद का कायल तो नहीं रहा, लेकिन इन बातों के बारे में सन्तुष्टि का इच्छुक हूँ, क्योंकि उन मौलाना के अनुसार मैं अरबी उलूम से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ अर्थात् जाहिल हूँ। और उन के अनुसार मेरे जैसे जाहिल के लिए तक़लीद के बग़ैर चारा नहीं। क्योंकि मुझ में तर्कों की छान बीन की समझ नहीं है। मसऊद साहब मेरा तो दिमाग़ काम नहीं करता जब सोचता हूँ कि दीन भी कितना मुश्किल हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है हर सम्प्रदाय अलग अलग रास्ते अख़्तियार किए हुए है और हर एक के पास तर्क हैं। हदीसों देखते हैं तो उन में भी सहीह, हसन, ग़रीब, ज़ईफ़ और मौजू आदि आदि हदीसों मिलती हैं। जिन का जांचना उन मौलाना के, मेरे जैसे जाहिल का काम नहीं। और रावियों को देखते हैं तो वहां भी सिका और ग़ैर सिका का सवाल है। मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ कि क्या किया जाए। सही रास्ता क्या हो सकता है? कभी कभी तो मेरी अक्ल काम नहीं करती। और मैं यह समझने लगता हूँ कि यह तो एक बड़ा ज़बरदस्त उलझाव है और इस को सुलझाना मेरे बस का काम नहीं है। यह है सारी हकीकत जो मैंने आप को लिखी है। अब आप मेहरबानी फरमा कर मुझे इत्मीनान बख़्श जवाब दें। जिस से मुझे पक्का विश्वास हो जाए। हंफी उलमा तो मेरी पूछताछ पर बिगड़ जाते हैं और मुझे अंग्रेज़ी दां और जाहिल का लक़ब देते हैं जाहिल तो वाक़ी मैं हूँ ही वरना खोज की ज़रूरत क्यों पड़ती। आप मेरे ख़त को ध्यान से पढ़िएगा और मुझे जल्द जवाब दीजिएगा ताकि मैं इस उधेड़ बुन में निकल सकूँ। बाकी ख़ैरियत है।

नवाब मुहियुद्दीन खां

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत मखदूमी मुकरमी जनाब नवाब मुहियुदीन साहब!

क्या तमाम मुक़ल्लिदीन अरबी ज्ञान से कोरे हैं?

(1) तक़लीद के सिलसिले में आप की और उन मौलवी साहब की बातचीत का हाल मालूम हुआ! उन का यह जवाब कि "नवाब साहब! तुम्हारे लिए सिवाय तक़लीद के चारा नहीं है क्योंकि तुम अरबी ज्ञान से अनभिज्ञ हो और बिल्कुल ही कोरे हो। बहुत ही अजीब है। इस का मतलब या तो यह है कि वे भी अरबी ज्ञान से कोरे हैं, और इसी वजह से तक़लीद करते हैं, या फिर वह उलूमे अरबिया से थोड़ा बहुत परिचित हैं, अतः तक़लीद नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है, जो उन्हें भी तस्लीम होगी कि वह अरबी ज्ञान से परिचित होने के बावजूद तक़लीद करते हैं और उन के ख्याल में इस के बिना चारा नहीं। नतीजा यह निकला कि आप अरबी ज्ञान से कोरे हैं अतः तक़लीद ज़रूरी है और वह अरबी ज्ञान से परिचित लेकिन तक़लीद फिर भी ज़रूरी। तो फिर यह कहना कि आप पन्द्रह साल का पाठय पूरा कर सकें यह मुमकिन नहीं। अतः तक़लीद के सिवा चारा नहीं। अजीब बात है।

**सहाबा किराम रज़ि० हदीस मिलने पर अपने फ़तवे से
रुजू कर लेते थे**

(2) यह सहीह है कि सहाबा किराम रज़ि० में अकीदों का

मतभेद नहीं था। हां ज्ञान की कमी की वजह से कुछ मसाईल में कुछ सहाबियों से चूक हो जाती थी। लेकिन जूं ही उन को हदीस मिल जाती वह अपने फतवे से रुजू कर लिया करते थे और इस किस्म की मिसालें हदीस कि किताबों में पाई जाती हैं। आप जब शोध के मैदान में कदम रखेंगे तो आप को स्वयं पता हो जाएगा। उस समय मिसालें देना ज़रूरी नहीं, यह भी हुआ है कि कुछ सहाबी रज़ि० अपने फतवे पर कायम रहे और उन को अपने फतवे के खिलाफ़ हदीस का पता न हो सका। ऐसा मतभेद तो हो जाया करता है और उस पर कोई पकड़ भी नहीं, हां गिरफ़्त योग्य वह मतभेद है कि हदीस पहुंच जाने के बाद अपने किसी बुजुर्ग के कथन पर अड़ जाए, हमारे पुराने ज़माने के बुजुर्गों में यह बात न थी। वे लोग तकलीदी बन्धनों से आज़ाद थे, अपने उस्तादों तक के फतवों के खिलाफ़ फतवे दे दिया करते थे। **رحمهم الله تعالى**।

रफ़अ यदैन् छोड़ना सुन्नत नहीं है

(3) कर्मों में अफ़ज़लियत का सवाल उस समय पैदा होता है जहां किसी काम के करने के रसूलुल्लाह स० से दो तरीक़े मंकूल हों। अगर दोनों तरीक़े साबित हों और अहादीस से एक को श्रेष्ठता दी जा सकती हो तो फिर बे शक़ एक अमल श्रेष्ठ होगा और दूसरा कम। लेकिन जहां दो तरीक़े ही साबित न हों केवल एक ही तरीक़ा हो तो फिर एक ही तरीक़ा पर अमल करना होगा उस का तर्क अगर जायज़ हो तो बात और है लेकिन किसी हालत में भी तर्क अमल न सुन्नत होगा और न उचित। क्योंकि काम को छोड़ना कोई फेल ही नहीं, अतः फेल जहां सुन्नत होगा, वहां उसका छोड़ना सुन्नत न होगा। शाह इसमाईल शहीद रह० ने अपनी किताब “तनवीरुल

ऐनैन" में रफअ यदैन के सिलसिले में यही बात लिखी है। वे कहते हैं कि तर्क रफअ कोई अमल ही नहीं, अतः सुन्नत भी नहीं। रफअ यदैन का न करना केवल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से किसी हद तक साबित होता है, यद्यपि इमामों ने इस के सुबूत में भी शक व्यक्त किया है। इमाम तिरमिज़ी रह० ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० के कथन से साबित किया है कि यह हदीस साबित नहीं। इमाम अबु दाऊद रह० लिखते: *هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو* अर्थात् यह हदीस इन शब्दों और मायनों पर सही नहीं। इमाम बुख़ारी रह० ने भी इस के मूल को ग़ैर महफूज़ बताया है फिर इस हदीस के संदिग्ध होने की एक और वजह भी है। यह हदीस कूफ़ा ही में प्रकाशित हुई थी। इस के रावी कूफ़ी, लेकिन हैरत का मक़ाम है कि इमाम मुहम्मद रह० को यह हदीस न मिली, और न इस का ज़िक्र उन्होंने अपनी किताबों में किया हालांकि उन्हें इस की सब से ज़्यादा ज़रूरत थी और यह इस सिलसिले में सब से बेहतर हदीस थी। लेकिन उस को छोड़ कर उन्होंने कुछ आसार ज़िक्र कर दिए और अपने उस्ताद इमाम अबु हनीफ़ा रह० के मज़हब की बुनियाद इन्हीं आसार पर रखी। इस समय विस्तार में जाने का समय नहीं इस लिए मैं यह बात कहता हूँ कि मान लें अगर यह हदीस सही भी हो तो इस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की अपनी राय है, सहमत सहाबा रज़ि० की रिवायतें इन के विरुद्ध हैं और भी कई अपनी राय उन की मरवी हैं जिन को उम्मत ने कुबूल नहीं किया। जैसे वह रुकू में घुटनों पर हाथ नहीं रखते थे बल्कि रानों के बीच रखते थे और उसी की शिक्षा देते थे।

(सहीह मुस्लिम)

अतः जिस तरह उन व्यक्तिगत चीज़ों को अहादीस और

सहमत सहाबी रजि० का फ़र्क है जायज़ नाजायज़ का फ़र्क है, हलाल व हराम का फ़र्क है, जैसे यही सूरा—ए—फ़ातिहा का मसला लीजिए जिस का आप ने ज़िक्र फ़रमाया है। इमाम शाफ़ी रह० के नज़दीक मुक्तदी को सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज है। हंफ़ी मज़हब में मना है। इमाम मुहम्मद रह० ने तो यहां तक नक़ल किया है कि अगर मुक्तदी पढ़ेगा तो उस की नमाज़ न होगी, फ़िलहाल एक मिसाल काफ़ी है विस्तार से ज़रूरत के समय फिर कभी पेश करूंगा।

तक्लीद गुमराही की जड़ है

5— तक्लीद न केवल यह कि वाजिब नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है, अल्लाह तआला ने बाप दादा और उलमा दोनों की तक्लीद की निंदा कुरआन मजीद में की है। बाप दाद के बारे में तो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है उलमा की तक्लीद के बारे में एक आयत पेश करता हूँ। *اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم* अर्थात् “किताब वालों ने अपने उलमा और शैखों को अल्लाह के अलावा अपना पालनहार बना रखा है। और मसीह इब्ने मरयम अलैहि० को भी, यद्यपि उन्होंने यह हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह की उपासना करें” (सूरा तौबा) इस आयत की टीका में जो हदीस है, कृपया इस का अध्ययन करें जिस से यह साबित होगा कि वह तक्लीद करते थे इस लिए उलमा उन के पालनहार हुए इस आयत की रू से तक्लीद का दान्डा शिर्क बहुदेव वाद से जा मिलता है।

वहाबी कोई सम्प्रदाय नहीं

6— वहाबी कोई सम्प्रदाय नहीं है। बिदअतियों के निकट हर

वह व्यक्ति वहाबी है जो इन प्रचलित बिदातों के खिलाफ़ ज़बान खोले। ये लोग वहाबियों का पेशवा इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रह० को बताते हैं और उन की तरफ़ तरह तरह के ग़लत और मकरूह मसाईल मंसूब करते हैं इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब रह० मुक़ल्लिद थे उन के मानने वाले हंबली हैं। यह वह सम्प्रदाय नहीं जिस का ज़िक्र अहादीस में है, वह तो ख़ारजी सम्प्रदाय है जिस से हज़रत अली रज़ि० ने जिहाद किया, और उन का क़त्ले आम किया यही हदीसों पढ़ कर उन को क़त्ल कराया और फिर जो निशानी हदीस में बताई गई थी वह उन में पाई गई अर्थात्, उन में एक मर्द था जिस का एक बाजू छाती जैसा था।

यह कोई उसूल नहीं

7- हंफियों का नमाज़ का तरीका बेशक ग़लत है लेकिन वह हदीस जिसका ज़िक्र आप सल्ल० ने किया है सही है इस हदीस में बहुत सी बातों का ज़िक्र नहीं है और इस से उनका न होना लाज़िम नहीं आता। कोई एक हदीस ऐसी नहीं जिस से पूरा नमाज़ का तरीका मालूम हो सके सहाबा रज़ि० अंशों को अलग अलग बयान करते थे। अबु हुमैद साअदी रज़ि० की एक बहुत ही लम्बी हदीस है लेकिन पूरा तरीका उस में भी नहीं। जिस हदीस की तरफ़ आप ने इशारा फ़रमाया है उस में तो शुरु नमाज़ का भी रफअ यदैन नहीं है, इस में बड़े बड़े काम या उन कामों का उल्लेख है जिन में वह व्यक्ति ग़लती कर रहा था।

8- क्योंकि हंफियों का तरीके नमाज़ ग़लत है और इस दर्जा से भी कि तक्लीद में शिर्क का हिस्सा है उन के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। सवाल आप का सख़्त है लेकिन हक़ छुपाना इससे भी सख़्त है।

9- अहले हदीस अगर इमाम बन कर हंफियों की सी नामज़ पढ़ाए तो यह ज़ईफ़ ईमान की दलील है और अगर कोई सांसारिक हित मद्दे नज़र है तो फिर दीन बेच कर दुनिया ख़रीदने की मिसाल है कुरआन मजीद में इस काम की निंदा में अनेक आयतें हैं।

उस्तादी और शार्गिदी तक्लीद नहीं

10- हदीस की किताबों पढ़ कर हर व्यक्ति स्वयं उन पर अमल कर सकता है, मालूम करने की ज़रूरत केवल इस हद तक बाकी रह सकती है जैसे एक शार्गिद को अपने उस्ताद से होती है। जैसे आप ने स्कूल में शिक्षा पाई। उस्तादों ने आप को पढ़ाया। लेकिन उन में से किसी उस्ताद की राय को मानना आप के ज़िमे वाजिब नहीं और न आप करते हैं, तक्लीद के इन्कार से पढ़ने पढ़ाने का इन्कार नहीं होता।

तक्लीद का कारण हीन भावना

11- विनम्रता इस हद तक लाभकारी नहीं कि आप की राह में रुकावट पैदा करे। दूसरे लोग अगर आप की हिम्मत कम करने की कोशिश करें तो आप उस की परवाह न करें। कोशिश और दृढ़ संकल्प से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। दीन की तहकीक़ कोई मुश्किल काम नहीं है एक ज़माना में जो हालत आप की अब है मेरी भी यही हालत थी, लोगों ने हिम्मत कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस ने मदद फ़रमाई। बेशक हदीसों में सही, हसन, ज़ईफ़ मौजू सब कुछ हैं, रावियों की गवाही और गैर गवाही का सवाल है। लेकिन यह भी एक कला है और इस फ़न में आप शोध के लिए कदम रखें तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। इस

कला में हर चीज़ तर्कपूर्ण है, सन्तोषजनक है, बे दलील चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ी बहुत अरबी भी आप को आ गई तो आप का काम निकल जाएगा, आप हिम्मत हार कर न बैठ जाएँ कि अरबी में महारत कैसे होगी, उलमा-ए-हिन्द में अधिकांश ऐसे होते हैं जिन को पूर्ण महारत नहीं होती लेकिन बावजूद इस के वह सब कुछ करते हैं। जाहिल से ही आलिम बना करते हैं। आलिम पैदा नहीं हुआ करते अगर मान लें आप जाहिल हैं तो क्या, अब आप इतने ना उम्मीद हो चुके हैं कि आलिम बन ही नहीं सकते। हिम्मत से काम लीजिए, कोशिश कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, कामयाबी फिर आप के कदम चूमेगी। इन्शा अल्लाह तआला। अल्लाह तआला का वादा है। **والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا**। जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उनको अपने रास्ते बता दिया करते हैं। **وجاهدوا في الله**। अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है।

फकत
खादिम मसरूद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत शरीफ़ मुहतरम जनाब मसऊद साहब

अस्सलामु आलैकुम

तक्लीद के बारे में आप ने जो कुछ लिखा है वह बेशक सही और ठीक है आप की मुलाकात से मुझे हक़कीत में बड़ा फ़ायदा पहुंचा। आप से पहली मुलाकात के समय तो मेरी यह हालत थी कि मैं तक्लीद आदि के झगड़ों से परिचित न था और न ही ज़िन्दगी में इन चारों मज़हबों के बारे में कुछ सोचा था। जब आप के पास से सजावल लौटा तो मैंने किताबों का अध्ययन शुरू किया और फिर विद्वानों से मिल कर मालूमात हासिल करना शुरू की। और आप से पत्र-व्यवहार का सिलसिला भी जारी था। फिर हंफ़ियों के बड़े बड़े आलिमों से मिला, मगर किसी ने भी कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया, और अभी तक तहकीक़ का सिलसिला जारी है लेकिन उन उलमा से बहस व मुबाहिसा के बाद इस नतीजा पर पहुंचा कि चूंकि ये लोग बचपन से अर्थात् जैसे ही मदरसों में दाख़िल होते हैं फ़िक़ह हंफ़ी पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन के, उस्ताद इनके दिमाग़ों में हंफ़ी फ़िक़ह ठूस देते हैं और यह उसी फ़िक़ह में उलझ कर रह जाते हैं। बस यह चक्कर एक ज़माना से चला आ रहा है, ये मेरी अपनी राय है शायद और कोई दूसरी वजह हो जिस के लिए यह लोग हंफ़ियत पर अड़े हुए हैं। मतलब यह कि अल्लाह तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उन्होंने आप के ज़रिए से मेरी

रहबरी फ़रमाई और दीन की समझ प्रदान फ़रमाई। आगे भी वही राह खोलने वाले और रास्ते दिखाने वाले हैं। जो बातें मैंने आप से मालूम की थीं आप ने इन का बेहतरीन (सतर्क) जवाब प्रदान फ़रमाया। लेकिन अभी दो चीज़ें और उलझन की हैं। वह यह कि अब तक मैंने जितनी नमाज़ें पढ़ीं क्या वे सब बेकार हो गयीं और मैं अपने मुरशिद (शैख़) का बतलाया हुआ ज़िक्र करता हूँ, क्या वह भी ग़लत है अगर ग़लत है तो फिर किस तरह ज़िक्र किया जाए और अब नमाज़ के बारे में क्या किया जाए। मस्जिद मेरे घर के सामने है। समझिए मस्जिद के सेहन में मेरा घर है तो क्या मैं अब नमाज़ घर पर शुरू कर दूँ। जुमा आदि सब घर पर पढ़ूँ, तरावीह भी घर पर पढ़ूँ। ऐसी सूरत में तो जुमा और नमाज़ बा जमाअत के सवाब से तो मैं महरूम हो जाता हूँ। इस पर मेहरबानी फ़रमाकर रोशनी ड़ालिए।

2- एक चीज़ और दिल में खटकती है वह यह कि बड़े बड़े चोटी के मशहूर उलमा हंफ़ी आख़िर क्यों हंफ़ियत पर अड़े रहे, क्या उन को अज़ाबे जहन्नम का ख़ौफ़ नहीं है। यह अज़ाब व सवाब को जानते हुए क्यों हंफ़ी बने बैठे हैं, यह क्या भेद है? (इन्शा अल्लाह आइन्दा विस्तार से पत्र लिखूंगा)

फ़क़त
ख़ादिम नावाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब मुहियुद्दीन खान

बखिदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसऊद साहब

अस्सलाम आलैकुम

कल मैंने एक पत्र आप की सेवा में भेजा शायद मिल गया होगा। कल जिस समय आप का पत्र मिला, मैंने उसी रात जवाब लिख कर सुबूह को डाक के हवाले कर दिया। जिस समय आप का पत्र मिला वह समय कुछ अजीब था। अर्थात् मैं जेहनी परेशानी का शिकार था, जैसे ही आप का पत्र पढ़ा, ऐसा मालूम हुआ मानो मेरे सर से यकायक बोझ हल्का हो गया। यही वजह थी की मैंने तुरन्त जवाब लिखना शुरू किया लेकिन दिल सन्तुष्ट नहीं हुआ, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था। लेकिन न लिख सका आप के और मेरे बीच तकलीद के बारे में पत्र-व्यवहार जारी है और बहुत सारी बातें मेरी समझ में आती जा रही हैं। मैं आप की मुलाकात को भी अल्लाह तआला की एक नेमत समझता हूँ। यह आप ही हैं जिन की वजह से तहकीक का सिलसिला शुरू हुआ, यूँ समझए कि मुझ पर हकीकत प्रकट हुई और जैसे जैसे हकीकत मुझ पर प्रकट होती गयी मुझे बड़ा आनन्द आता गया। और वह सारी किताबें जो हंफी उलमा की लिखी हुई मैंने जमा की थीं मेरी नज़र में महत्वहीन होकर रह गईं और मुझ में कुरआन और अहादीस के अध्ययन का शौक पैदा होता गया। मैंने हंफी उलमा से बहस व मुबाहेसा किए लेकिन हर एक का जवाब या बहस का नतीजा यही निकला कि इमाम अबु हनीफ़ा रह0 की बात समझने के लिए अरबी ज्ञान से

अवगत होना ज़रूरी है और इस के लिए 15 साल का पाठ्य सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे जाहिल के लिए वाव का ज़ेर व ज़बर का फर्क समझना हदीस की पहचान आदि सख्त मुश्किल काम है और इमाम साहब रह0 इमाम बुखारी आदि से ज़्यादा अहादीस को पहचानते थे। जब मैंने उन से सवाल किया कि फिर वह अहादीस कहां हैं जिन को इमाम साहब रह0 ने पहचाना? वह कौन सी किताब है और वह किताब आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते तो इस का उन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मुझ पर जिहालत और अनादर करने का फतवा लगाया जाने लगा। वह मौलवी साहब जिन का मैंने पहले पत्रों में जिक्र किया था। उन के जोश व खरोश से मुझे कुछ उम्मीद हो गई थी कि यह मौलवी साहब ज़ोरदार हैं इसी लिए तो ऐसे शब्द लिखवा रहे हैं कि हंफ़ी मज़हब तिकों का बना हुआ नहीं है कि उड़ जाए। हमारे पास तर्क हैं, हम ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि दांत खट्टे हो जाएंगे आदि लेकिन जब मैंने उन मौलवी साहब से जवाब लिखने को कहा तो मेरे तकाज़े पर चराग़ पा हो गए और फिर वह कुछ फ़रमाया जो मैं पहले आप को लिख चुका हूँ, उन्होंने रफ़अ यदैन के बारे में अर्थात् उस के विरुद्ध एक हदीस यह बयान फ़रमाई कि एक बार कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो हुजूर स0 ने देख कर फ़रमाया कि तुम लोगों को क्या हो गया है जो घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिला रहे हो? और दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 की हदीस बयान की थी कि यह हुजूर स0 का आखिरी अमल था तो कहा चूंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 के ठीक पीछे पहली पंक्ति में खड़े होते थे और हुजूर स0 की हरंकात व सकनात को ध्यान से देखते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 चूंकि कम उमर थे और उन को दूसरी तीसरी पंक्ति में जगह मिलती थी, इस लिए हज़रत

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से हज़रत अब्दुल्लाह निब मसऊद रज़ि० का दर्जा ज़्यादा है मैंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की यह हदीस तो ज़ईफ़ है। इस पर वह बिगड़ गए और मुझे पर जिहालत का फ़तवा लगा दिया। फिर सजावल में कुछ ऐसी हालत हो गई, कि उन मौलवी साहब ने अपने शार्गिदों और दूसरे लोगों को भी मिलने से मना कर दिया अर्थात् मेरा बायकाट कर दिया। मैंने अलीमुद्दीन साहब की दुकान में रफ़अ यदैन से नामज़ पढ़ना शुरू की। जिस पर एक हंगामा हो गया और सजावल जो इन मौलवी के ज़ेरे असर है मेरे खिलाफ़ हो गया। फिर मैंने फ़ितना और शर को दबाने के लिए यह किया कि मौलवी नूर मुहम्मद साहब से कहा कि मैं अभी तहकीक में लगा हुआ हूँ और तहकीक कर रहा हूँ। अतएव मैंने मस्जिद में फिर नामज़ शुरू कर दी और तहकीक में लगा रहा लेकिन अब तकलीद का शीशा टूट कर चकना चूर हो चुका था। उन मौलवियों से मेरा दिल टूट चुका था। मैंने सोचा कि अब ख़ामोशी से मैं तहकीक में लगा रहूँ और हक़ का पता मुझे लग जाए तो यह अल्लाह तआला की ज़बरदस्त मेहरबानी व करम है। उन्हीं से दुआएँ कीं और उन्हीं से मदद मांगी।

फिर कुछ कामों की वजह से ऐसा बेबस हो गया कि तहकीक व अध्ययन आदि सब बन्द हो गया था लेकिन आप का वह पोस्ट कार्ड जो सजावल से होता हुआ मुझे गुलामुल्लाह में मिला ऐसा काम कर गया कि मैं मानो नीन्द से जाग पड़ा मालूम हुआ जैसे मुझे किसी ने झिंझोड़ कर नींद से जगा दिया। आप का कार्ड पढ़ने के बाद मैंने स्वयं से कहा कि यह क्या, तू एक ज़रूरी काम को छोड़ कर बैठ गया। अतएव मैंने फिर से कोशिश शुरू की और अपने संदेह आप को लिखे। आप ने जवाबात दिए वह मुझे बे हद पसन्द आए अर्थात् मैं अल्लाह की कृपा से कायल हो गया।

मैं अल्लाह की कृपा से मैं रफ़अ यदैन से नमाज़ पढ़ता हूँ और मेरी पत्नी भी रफ़अ यदैन से नामज़ पढ़ती है, कुरआन और हदीस से बढ़ कर और क्या हक़ हो सकता है कुरआन व हदीस छोड़ कर और रास्ता ढूँढना सरासर जिहालत है। अल्लाह तआला आप को अजरे अज़ीम प्रदान फ़रमाए। आप के दर्जे बुलन्द फ़रमाए। आमीन।

और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए और मेरी सन्तान के लिए दुआए ख़ैर फ़रमाएं।

खादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब मुहियुद्दीन साहब

अरस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु । अम्मा बाद!

चक लाला 5—फरवरी 62 ई०

तौबा के बाद पिछले गुनाह भी नेकियों में बदल दिए जाते हैं

आप के दो पत्र एक साथ पहुंचे । आप के सवालों का जवाब क्रमवार दे रहा हूँ ।

(1) अब तक आप ने जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, वह इंशा अल्लाह बेकार नहीं जाएंगी । इस वजह से कि अब आप तौबा कर चुके हैं, नमाज़ तो नेकी है अगर कोई गुनाह भी होता तो वह भी नेकी में तब्दील होकर सवाब का कारण बन जाता । अल्लाह तआला फरमाता है: **الامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم** जो व्यक्ति तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराईयों को अल्लाह तआला नेकियों में तब्दील कर देता है और अल्लाह गफूर और रहीम है ।

(सूरा फुरकान 70)

अतः आप ना उम्मीद न हों बल्कि कुरआन मजीद की यह शुभ सूचना सुन कर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि वह अपने

बन्दों पर कितना मेहरबान है। अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखें एक हदीस कुदसी में है कि "मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूँ"

(सहीह बुखारी)

गैर मसनून वज़ीफ़े कोई नेकी नहीं

(2) मुरशिद का बताया हुआ ज़िक्र आप कर सकते हैं बशर्ते कि सुन्नत से उस का सुबूत मिलता हो। वरना उस को तर्क करके वे अज़कार व औराद अख़्तियार फ़रमाएँ जो सुन्नत से साबित हैं। इस सिलसिले में कई किताबें छप चुकी हैं जैसे "हिस्ने हसीन" "अलहिज़्बुल मक़बूल" आदि यह तमाम अवराद मिशकात शरीफ़ में भी मौजूद हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है: **قل ان كنتم تحبون الله** "कह दीजिए! अगर तुम्हें अल्लाह से मुहब्बत करने का दावा है तो मेरा अनुसरण करो (आले इमरान) ऐसी कोई नेकी नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्ल० ने न सिखाई हो और जो नहीं सिखाई वह नेकी नहीं है।

(3)..... आप सब नमाज़ें घर में अदा करें। आप शरअी उज़र की बिना पर जमाअत छोड़ेंगे, अतः आप को जमाअत का ही सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जहां आप हैं वहां जमाअत है ही नहीं। अतः महरूमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि जमाअत तो आप हैं। यत्रपि आप अकेले ही क्यों न हों देखिए अल्लाह तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाता है: **ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ط** "बेशक इबराहीम अलैहिस्सलाम उम्मत थे, अल्लाह के आज्ञा पालक थे और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ पलटने वाले थे (कुरआन करीम)

इस हदीस में भी आप के लिए खुशख़बरी है: **اذا مرض العبد**

“अर्थात् (सही बुखारी) **اوسافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً** जब बन्दा बीमार या मुसाफिर होता है तो उस को उतना ही सवाब मिलता है जितना इकामत और सेहत की हालत में”) बस इसी तरह की मजबूरी आप के सामने है।

उलमा हक का मेयार नहीं

(4) आप का चौथा सवाल एक वसवसा है, आप उस वसवसे से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए बड़े बड़े उलमा अहनाफ़ या हंफियत पर क्यों अड़े रहे? यह अज़ाब व सवाब को जानते हुए क्यों हंफ़ी बने बैठे हैं? क्या उन को अज़ाबे जहन्नम का ख़ौफ़ नहीं है? हमें इन सवालात और उन के जवाबों से क्या लेना देना, न उन की पैरवी हम पर लाज़िम है, न उन के विरोध से हमारा कुछ नुक़सान है, हमें अपने अक़ीदे और आमाल का हिसाब करना है, अगर वह सही हैं तो फिर यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन उस के विरोधी है और कौन उस के अनुकूल, कौन जन्नती हैं और कौन जहन्नमी? यह फैसला अल्लाह को करना है। हम से हमारे कर्म की पूछ होगी। **لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لنا** (अल कुरआन) अर्थात् उन के कर्म उन के लिए और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए। हमारे आमाल हमारे लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए (सूरा बकरा 132-239) अतः मेरी आप से मुख़लिसाना विनती है कि बजाए इस के कि आप विभिन्न लोगों पर नज़र डालें। आप उन से हट करके बस एक रसूलुल्लाह सल्ल० पर अपनी नज़र रखिए। और यही अल्लाह तआला का हुक्म है। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो हक़ को पहचान कर हक़ का इंकार करें। ईसाई इस लिए ईसाई हैं कि वह ईसाई मज़हब ही को

अल्लाह की इच्छा व मर्जी का सबब समझता है और इस्लाम से दूरी ही को अल्लाह का हुक्म समझता है। यही हाल तमाम धर्मों वालों का है निष्ठा हर जगह पाई जाती है लेकिन इस निष्ठा पर मुक्ति नहीं है, वे निष्ठा की वजह से इस्लाम नहीं लाते तो वह बच नहीं सकते। वह बावजूद इस निष्ठा के भी काफिर रहेंगे अब और ज़रा करीब आ जाइए। ख़ारजी, मुसलमानों का ही एक सम्प्रदाय है। अत्यन्त परहेज़गार, कुरआन के बहुत बड़े आलिम। लेकिन इसी के साथ रसूलुल्लाह सल्ल० की भविष्य वाणी के अनुसार इस्लाम से बाहर हैं। अब क्या कहें? ख़लीफ़ा-ए-राशिद के मुक़ाबला पर आ गए? क्या उन्हें जहन्नम का डर नहीं था? फिर क्या इस लिए कि वह बहुत बड़े आलिम थे, मुत्तकी थे, यहां तक कि कबीरा गुनाह करने वाले को काफिर समझते थे। हम उन्हें अच्छा समझने लगें और उनके जहन्नमी होने में शक व संदेह में पड़ जाएं।

अब ज़रा करीब तर आइए! बरेलवी उलमा तो हमारे भाई बन्द हैं, अहले सुन्नत कहलाते हैं लेकिन आप उन्हें बहुदेववादी समझते हैं। अब क्या यह सवाल नहीं हो सकता कि क्या उन्हें अपने जहन्नमी होने का भय नहीं? क्यों जान बूझकर हक़ का इन्कार करते हैं? निश्चय ही इस संदेह की बिना पर हम उन्हें अच्छा नहीं कह सकते। न उन की तरफ झुक सकते हैं, जो हक़ है वह हक़ है।

فماذا بعد الحق الا الضلل और हक़ के बाद कुछ नहीं सिवाए गुमराही के (कुरआन मजीद) जो हक़ का निष्ठा से इन्कार करे वह गुमराह है और जो बुरी नीयत से इन्कार करे वह भी गुमराह है।

इजतेहादी मतभेद और तक्लीद का फ़र्क

इजतेहादी मतभेद आमाल में तो हो सकता है और उस को

सहन किया जा सकता है लेकिन जब यह मतभेद अकाईद की हद तक पहुंच जाए, शिर्क को तौहीद समझ लिया जाए तो फिर यह सहन नहीं हो सकता। इमामों का मतभेद इजतेहादी था और केवल कर्मों में था। मुक़ल्लिदीन का मतभेद तकलीदी है और उस तकलीदी मतभेद को शरीअत का दर्जा दे दिया गया है बस यही एक ऐसी एतेकादी ख़राबी है जो शिर्क की सीमा में दाख़िल हो जाती है।

अब बताइए इन के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए। अगर हमारे अक़ीदे में यह बात न हो कि तकलीद से गुमराही पैदा होती है तो हमारा ईमान कैसे कामिल होगा। इस अक़ीदा को भी ईमान का हिस्सा बनाना चाहिए ८

अब आप के दूसरे पत्र का जवाब शुरू होता है।

30 शाअबान

एक हदीस से रफ़अ यदैन के ख़िलाफ़ ग़लत विवेचन

रफ़अ यदैन के सिलसिले में आप ने एक हदीस तहरीर फ़रमाई है वह यह कि

“एक बार कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हुजूर अकरम स० ने देख कर फ़रमाया तुम लोगों को क्या हो गया है जो घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिला रहे हो।”

अब इस का जवाब सुनिए!

पहला- रसूलुल्लाह सल्ल० का रफ़अ यदैन करना शव्वाल 10 हि० तक साबित है। अब अगर निरस्त हुआ तो इन चार महीनों में से

किसी महीने में हुआ होगा। ज़ी काअदा, ज़िल हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र।" और अगर यह मान लिया जाए कि हज़रत वाइल जो रफ़अ यदैन के रावी हैं हुज्जतुल विदा में आप स० के साथ गए होंगे तो फिर केवल दो महीना पाक जीवन के बाकी रह जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो काम इतना मकरूह हो उस को रसूले मुक़द्दस सल्ल० नौ दस साल तक करते रहे, क्या ऐसे मकरूह काम को रसूलुल्लाह स० की तरफ़ मंसूब करना किसी मोमिन का काम हो सकता है?

दूसरा—क्या किसी हुक़म को निरस्त करने का यही तरीका है? जो आप सल्ल० किया करते थे, वही वह लोग कर रहे थे तो फिर यह कहना चाहिए था कि ऐ मोमिनो! अब यह तरीका बदल गया अब ऐसा न किया करो

तीसरा—यह हदीस सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन सुमरह रज़ि० से मरवी है। हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत करने वाले दो असहाब हैं। एक तमीम बिन तरफ़ा रह०, दूसरे उबैदुल्लाह रह० तमीम रह० ने इसे सार में बयान किया है और उबैदुल्लाह रह० ने विस्तार से। पहले तमीम की रिवायत सुनिए!

خرج علينا رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنان

خيل شمس اسكنوا في الصلوة.

हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए फिर फ़रमाया। क्या

बात है कि मैं तुम को नमाज़ में इस तरह हाथ उठाते

देखता हूँ मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं।

नमाज़ में सुकून पैदा करो।

(सहीह मुस्लिम)

كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقلنا السلام

عليكم ورحمة الله و اشار بيده. الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه علام تؤمون بايديكم كانها اذنان خل شمس انما يكفى احدكم ان يضع يده على فخذه ثم ليسلم على اخيه من يمينه وشماله.

अर्थात जब हम रसूलुल्लाह स० के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे तो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दोनों तरफ हाथ से इशारा करते थे। तो रसूलुल्लाह स० ने फ़रमाया कि तुम अपने हाथों से इस तरह इशारे करते हो मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं। तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी है कि अपना हाथ रान पर रख लो, फिर सीधी तरफ और उल्टी तरफ अपने भाई को सलाम कर लो। (सहीह मुस्लिम)

इन दोनों रिवायतों के मिलाने से मालूम हुआ कि जिस रफ़अ यदैन से रोका गया है वह रफ़अ यदैन इन्दस्सलाम है न कि रफ़अ यदैन इंदरुकू लेकिन उलमा अहनाफ कहते हैं, पहली रिवायत में रफ़अ यदैन इंदरुकू की मनाही है और दूसरी में रफ़अ यदैन इन्दस्सलाम की, दोनों अलग अलग हैं। दूसरी रिवायत पहली की व्याख्या नहीं करती बल्कि अलग एक घटना है। दो घटना होने के दो कारण भी बयान करते हैं, जो निम्न हैं।

पहली वजह:

पहली रिवायत में है कि "आप बाहर तशरीफ़ लाए, दूसरी में है कि "हम जब आप के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे।"

दूसरी वजह:

पहली में "اسكنوا فى الصلوة" है अर्थात नमाज़ में ख़ामोश रहो। दूसरी में यह शब्द नहीं है।

पहली वजह का जवाब

दोनों रिवायतों को मिलाकर इबारत इस तरह बनती है कि जब हम रसूलुल्लाह स० के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे तो हाथ उठाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप स० बाहर तशरीफ़ लाए और आप स० ने हमें इस तरह करते हुए देख लिया तो फ़रमाया। क्या बात है कि तुम सलाम करते समय हाथ उठाते हो मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं, (जो बार बार उठती हैं न कि वक्फ़ा से) नमाज़ में ख़ामोशी रखो आदि आदि।

दूसरी वजह का जवाब:

दूसरी रिवायत में भी "ख़ामोश रहो" (الايسكن احدكم في) (الصلوة) के शब्द मौजूद हैं। और यह रिवायत सहीह अबु अवाना में मौजूद है और मुसनदे इमाम अहमद रह० में भी है।

चार:

इन दोनों रिवायतों के एक घटना के बारे में होने के तर्क यह हैं।

पहली:

रिवायत का मज़मून लगभग एक है अर्थात् "ख़ामोश रहो" और "मानो कि सरकश घोड़ों की दुमें"

यह शब्द समान हैं।

दूसरी:

रावी एक हैं जाबिर बिन सुमरा रज़ि०।

तीसरी:

तमाम मुहद्दिसीन ने इन दोनों रिवायतों को सलाम के अध्याय में रिवायत किया है। जैसे इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम रह०, इमाम अबु दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्न हब्बान, इमाम तहावी रह० आदि।

इमाम बुखारी रह0 लिखते हैं।

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه.

अर्थात् रसूलुल्लाह स0 ने तशहहुद में सलाम करते समय हाथ उठाने से मना फ़रमाया था। और जिस व्यक्ति में ज़रा सी भी समझ है वह इस से रफ़अ यदैन् इन्दर्रुकू न करने के लिए दलील नहीं लेता। यह मारुफ़ व मशहूर है। इस में मुहद्दिसीन का मतभेद ही नहीं है।

(كتاب رفع اليدين للامام البخارى صفحه ١٥)

यह रफ़अुल यदैन् इन्दर्रसलाम शीओं में अब तक प्रचलित है और जब वह ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है, जैसा कि सरकश घोड़ों की दुमें उठ रही हैं। शायद आप ने भी शीओं को ऐसा करते हुए देखा होगा।

पांचवी:

अगर इस हदीस से रफ़अ यदैन् मना है तो फिर तमाम रफ़अ यदैन् मना हो जाएंगे, यहां तक कि शुरु नामज़ का रफ़अ यदैन्। नमाज़ ईदैन् में रफ़अ यदैन्। नमाज़ वितर में रफ़अ यदैन् कोई जाईज़ नहीं रहेगा, क्यों कि इस हदीस में किसी रफ़अ यदैन् की विशेषता नहीं है।

इमाम बुखारी रह0 लिखते हैं।

ولو كان كما ذهبوا إليه لكان رفع الأيدي في اول التكبيره وايضاً تكبيرات صلوة العيد منها عند لانه لم يستثن رفعاً دون رفع، (كتاب رفع اليدين للامام البخارى ص ١٥)

नवाब साहब! सोचिए क्या यह इन्तिहाई मकरूह कार्य अब भी नमाज़ों में मौजूद है या नहीं? अगर है तो क्यों?

अल्लाह इन मुक़ल्लिदों को हिदायत दे ।

(6) क्योंकि अदमे रफ़अ यदैन के सिलसिले में यही एक हदीस है जो मुहदिसीन के नज़दीक सही है, अतः एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है कि इस हदीस को हुज्जत बना कर रफ़अ यदैन को निरस्त माना जाए । मैं कहता हूँ, अच्छा निरस्त सही लेकिन निरस्त क्यों है? इस लिए कि यह बहुत ही मकरूह काम से मिलता जुलता है । अर्थात् सर कश घोड़ों की दुमों से । और जब यह इतना मकरूह काम है तो बड़े शद्दो मद्द के साथ हुजूर स० ने इस की मनाही की होगी, लेकिन कहीं कोई रिवायत नहीं मिलती, हालांकि हर हदीस की कई कई सनदें होती हैं, कई कई सहाबी रज़ि० रिवायत करते हैं । फिर हैरत है कि इतना मकरूह काम नबी करीम स० की मनाही फिर भी इमाम हसन बसरी रह० आदि के अनुसार तमाम सहाबा रज़ि० रफ़अ यदैन करते थे ।

अब इस पत्र को भेज रहा हूँ । बाकी बातों का जवाब दूसरे पत्र में दूंगा सूचनार्थ है ।

अपनी खैरियत से सूचित फ़रमाएँ । अपने घर वालों को मेरा सलाम कह दें ।

फ़क़त

खादिम मसरूद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

बख़िदमत जनाब नवाब मुहियुद्दीन खां साहब

अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

2 माह ईद मुताबिक 2- 8-62

(अम्मां बाद) आज एक पत्र आप की सेवा में रवाना किया है।
अब आप की बाकी बातों का जवाब लिख रहा हूँ।

कुछ भ्रम

1- आप की इबारत। "और दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की हदीस बयान की थी कि यह हुज़ूर स० का आखिरी अमल था।"

जवाब:

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की ऐसी कोई हदीस नहीं जिस का यह मतलब हो कि "यह नबी स० का आखिरी अमल था।" न सहीह न जर्इफ़।

2- आप के पत्र की इबारत "हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० हुज़ूर के ठीक पीछे पहली पंक्ति में खड़े होते थे।"

जवाब:

किसी हदीस में यह मतलब या यह मज़मून नहीं है, न सहीह में न जर्इफ़ में।

3- आप के पत्र की इबारत। "हुजूर स0 की हरकात व सकनात को ध्यान से देखते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 चूंकि कम उम्र थे और उन को दूसरी तीसरी पंक्ति में जगह मिलती थी, इस लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 का दर्जा ज़्यादा है।"

जवाब:

इस इबारत में कई भ्रम हैं, यह बिल्कुल बे सुबूत है कि वह नबी स0 की हरकात व सकनात को ध्यान से देखते थे। अगर यह सही है तो फिर यह बताया जाए कि आखिर उन से गलतियां क्यों हुईं?

1- वह रूकू में ततबीक करते थे (सहीह मुस्लिम) बल्कि दूसरों को भी इस का हुक्म दिया करते थे यहां तक कि अपने शार्गिदों के हाथों को मार कर उन में ततबीक करके दोनों रानों के बीच में रख देते थे। अरबी शब्दें यह हैं:

فَضْرَبَ اَيْدِيَنَا وَطَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخْذَيْهِ.

(सहीह मुस्लिम, अबु दाऊद आदि)

2- तीन आदमियों की जमाअत में एक को इमाम के दायीं तरफ और दूसरे को इमाम के बायीं तरफ कर लिया करते थे। (सहीह मुस्लिम) बल्कि इस का हुक्म दिया करते थे। उन का फरमान यह है।

”اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وَاِذَا كُنْتُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

فَلْيُؤَمِّكُمْ اِحَدُكُمْ.“

अर्थात जब तीन हों तो एक पंक्ति में नामज़ पढ़ो और जब तीन से ज़्यादा हों तो एक आगे खड़ा हो।

(सहीह मुस्लिम, अबु दाऊद आदि)

3- हुक्म देते थे कि रूकू में कलाईयों को रानों पर बिछा दिया

करो। शब्द यह हैं:

اذا ركع احدكم فليفوش ذراعيه على فخذيته. (صحيح مسلم)

4- बिना अज्ञान व इकामत के जमाअत कर लिया करते थे (सहीह मुस्लिम) आदि आदि।

दूसरा भ्रम

यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० नबी स० की हरकात व सकनात को ध्यान से नहीं देखते थे। यह आरोप है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से ज़्यादा तो रसूलुल्लाह स० की हरकात व सकनात को कोई देखता ही नहीं था। वह तो यहां तक देखते थे कि रसूलुल्लाह स० सफ़र में कहां उतरते थे, कहां नमाज़ पढ़ते थे, कहां पेशाब करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० इन सुन्नतों पर भी अमल करते थे। यहां तक कि अगर उन को पेशाब न आता था तो ख़ाली ही बैठ जाया करते थे।

(सहीह बुख़ारी आदि में उन का यह अमल जगह जगह नज़र आता है।

तीसरा भ्रम

यह है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० के अलावा कोई भी नबी स० की हरकात व सकनात को ध्यान से नहीं देखता था। यमन के शहज़ादे हज़रत वाइल बिन हज़र रज़ि० ने तो दो बार मदीना का सफ़र ही इस उद्देश्य से किया था कि रसूलुल्लाह सल्ल० की नामज़ को ध्यान से देखें। (अफ़सोस है उस व्यक्ति पर जिस ने रफ़अ यदैन के विरोध में हज़रत वाइल रज़ि० को देहाती का ख़िताब दिया) दूसरी बार वह शव्वाल 10 हि० में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे।

(अलबिदाया वन्हिाया)

दूसरी बार के आने पर भी उन का बयान है कि रसूलुल्लाह

सल्ल० और सहाबा रज़ि० रफ़अ यदैन करते थे। (सहीह मुस्लिम)
शब्द देखिए जिन से उन के आने का उद्देश्य स्पष्ट होता है।

قلت لا نظرن الى صلوة رسول الله صلى عليه وسلم كيف
يصلى قال فنظرت.

अर्थात् मैंने कहा कि मैं ज़रूर देखूंगा कि रसूलुल्लाह सल्ल०
किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं अतः मैंने देखा।

(किताब रफ़उल यदैन लिल इमामुल बुख़ारी पृ० 13)

चौथा भ्रम

यह है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कम उमर थे यह भी ग़लत है
हां जवान थे, बूढ़े नहीं थे। इमाम बुख़ारी रह० ने इस का भी खंडन
किया है।

والعجب ان يقول احدهم كان ابن عمر صغيراً في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لابن
عمر بالصلاح..... قال ابن عمر اني لا ذكر عمر حين اسلم
فقالوا صبأ عمر صبأ عمر فجاء العاص بن وائل فقال صبأ عمر
صبأ.....

अर्थात् हैरत है कि किसी ने यह कहा इब्ने उमर रज़ि० छोटे
थे। यद्यपि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन के सुधार की शहादत दी
थी..... वह कहते थे कि मुझे याद है जब उमर रज़ि० इस्लाम
लाए तो लोगों ने कहा उमर साबी हो गया उमर साबी हो गया। फिर
आस बिन वाइल आया। उस ने भी यही कहा..... فتركوه..... फिर
वे लोग हज़रत उमर रज़ि० को छोड़ कर चले गए।

(किताब रफ़उल यदैन लिल इमाम बुख़ारी पृ० 170)

पांचवां भ्रम

यह है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कम इल्म थे। यह भी

ग़लत है। रसूलुल्लाह स० ने एक बार सहाबा रज़ि० से पूछा बताओ वह कौन सा पेड़ है जो मुसलमान की तरह है। तमाम सहाबा रज़ि० बेबस हो गए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने चाहा कि मैं कह दूँ कि वह खुजूर का पेड़ है, लेकिन अदब की वजह से ख़ामोश रहे। फिर रसूलुल्लाह स० ने स्वयं बताया। इब्ने उमर रज़ि० ने जब यह बात हज़रत उमर रज़ि० से बयान की तो हज़रत उमर रज़ि० ने कहा “अगर तुम बता देते तो मेरे लिए यह इतने इतने माल से भी ज़्यादा महबूब था।” (सहीह बुख़ारी किताबुल इल्म)

शायद इस मज्लिस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० भी होंगे। इस लिए कि वह तो कभी साथ छोड़ते ही न थे।

छटा भ्रम

यह है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के सिवा इस हदीस का कोई और रावी ही नहीं यह भी ग़लत है, रफ़अ यदैन की रिवायत हज़रत अबु बकर रज़ि० हज़रत उमर रज़ि० और हज़रत अली रज़ि० से भी है और ये लोग निश्चय ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से उमर में भी ज़्यादा थे और ज्ञान व नेकी और रसूल की संगत में भी। उन लोगों को छोड़ कर अब्दुल्लाह बिन उमर से मुकाबला करना धोखा देना है। (केवल अली रज़ि० से शायद वह उमर में ज़्यादा होंगे)

सातवां भ्रम

यह है कि रफ़अ यदैन एक बहुत ही गहरा इल्मी और फ़िक़ही मसला है और इस को फुक़हा ही समझ सकते हैं, छोटा बच्चा क्या समझे। यद्यपि रफ़अ यदैन का संबंध केवल आंख से है और यह चीज़ ब मुकाबले बूढ़े के बच्चा ही ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकता है और ज़्यादा अच्छी तरह याद रख सकता है।

आठवां भ्रम यह है कि इब्ने मसऊद और इब्ने उमर रज़ि० की हदीसों सेहत की दृष्टि से बराबर हैं, यद्यपि यह पूरी तरह ग़लत है। इब्ने उमर रज़ि० की हदीस सहीहैन की बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है। इस के रावी सब के सब इमाम हैं। यह सिलसिला तुज ज़हब की हदीस है। सनदें असहहुल असानीद हैं। इब्ने उमर रज़ि० से यह हदीस मुतवातिर है, बर ख़िलाफ़ इस के इब्ने मसऊद की हदीस अक्सर मुहदिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। और उस का मतन ग़ैर महफूज़ है। इब्ने मसऊद से यह रिवायत मुतवातिर नहीं है। आसिम बिन कुलैब रावी का इस में इन्फ़िराद है। जब सेहत और महफूज़ होने के लिहाज़ से बराबर नहीं तो मुकाबला क्या मायना? मुकाबला तो बराबर की चीज़ों में हुआ करता है। फिर इसके अलावा इब्ने उमर रज़ि० की तरह रिवायत करने वाले सहाबा रज़ि० की तादाद पचास के लग भग पहुंच जाती है। फिर इमाम हसन बसरी रह० आदि की रिवायत के मुताबिक़ किसी सहाबी रज़ि० से इस का छोड़ना साबित नहीं। अतः इब्ने मसऊद की हदीस किसी लिहाज़ से भी काबिले हुज्जत नहीं, अगर सहीह भी हो तो उस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद की भूल है। जैसे उन से और भूल हुई यह भी हुई। जैसे उस भूल पर कोई अमल नहीं करता इस पर भी नहीं करना चाहिए।

फ़क़त

खाकसार

मसऊद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

मोहतरम जनाब मसऊद साहब

अस्सलामु आलैकुम

पत्र लिखने में देरी हुई जिस के लिए शर्मिन्दा हूं और माफी चाहता हूं। नमाज़ में रफ़अ यदैन न करे तो क्या, नमाज़ नहीं होती और क्या रफ़अ यदैन फ़र्ज है? रफ़अ यदैन न करने वाली हदीस जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से रिवायत की गई है तिर्मिज़ी शरीफ़ उर्दू पहला भाग में इस को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है और हसन हदीस का दर्जा सहीह हदीस के बाद है।

हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पहला भाग में तक़लीद के बयान में और भाग-2 में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रह० लिखते हैं कि चारों इमामों के तरीक़े सुन्नत हैं और हर एक के पास तर्क मौजूद हैं। इस दृष्टि से तो हंफ़ी तरीका भी सुन्नत हुआ और इस तरीका पर अमल करना भी जायज़ हुआ।

अशरफ़ अली थानवी रह० की लिखी हुई बड़ी बड़ी मोटी किताबें क्या सब बेकार हैं? क्योंकि वह तक़लीद के हामी थे और क्या इमाम ग़ज़ाली रह० की लिखी हुई किताबें भी अध्ययन योग्य हैं या नहीं। यह मैं इस लिए मालूम करता हूं कि मेरे पास यह सब भंडार मौजूद है। बाकी ख़ैरियत है, मेरी तरफ़ से सब की ख़िदमत में सलाम अलैक अर्ज़ है।

फ़कत

खादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत मखदूमी व मुकरमी जनाब नवाब साहब

अस्सलामु आलैकुम

(चक लाला 3— अप्रैल 1962 ई0)

(अम्मा बाद) बड़े इन्तिज़ार के बाद आप का पत्र ता0 29— मार्च
वसूल हुआ आप के सवालों के जवाब यह हैं।

रफ़अ यदैन फ़र्ज है

सवाल: नमाज़ में रफ़अ यदैन न करे तो नमाज़ नहीं होती?
क्या रफ़अ यदैन फ़र्ज है।?

जवाब: नमाज़ फ़र्ज है। इस पर सब की सहमति है। अतः इस
के अदा करने का तरीका भी फ़र्ज है वरना लाज़िम आएगा कि हर
मुसलमान मुख़तार है कि जिस तरीका से चाहे नमाज़ पढ़े। तरीका
और सुन्नत दोनों हम माना शब्द हैं, अतः सुन्नत से जो तरीका
अदाइगी नमाज़ हम तक पहुंचा है वह फ़र्ज है। ख़ैर यह तो एक
माकूल बात थी, जो मैं ने अर्ज कर दी। वरना नमाज़ के तरीका का
फ़र्ज होना कुरआन से साबित है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين فان
خفتهم فرجالا او ركبانا فاذا امتم فاذا كروا لله كما علمكم ما لم
تكونوا تعلمون.

अर्थात् नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो, खासकर बीच

वाली नमाज़ की और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहा करो, फिर अगर तुम्हें काफ़िरों का डर हो तो पैदल चलते फिरते या सवारी पर ही नमाज़ अदा करलो। फिर जब शान्ति नसीब हो तो उसी तरीका से अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरीका से उस ने तुम्हें सिखाया है और जिस को तुम नहीं जानते थे।

(सुरह बकरा 238-239)

ये शब्द अल्लाह का हुक्म प्रकट करते हैं। और अल्लाह का हुक्म फ़र्ज़ होता है अतः नमाज़ का यह तरीका जो रसूलुल्लाह सल्ल० द्वारा उस ने हमें सिखाया फ़र्ज़ है। मुझे तो वास्तव में उन लोगों पर हैरत होती है जो कह दिया करते हैं। कि **سمع الله لمن حمده** न कहे तो नमाज़ हो जायगी, रुकूअ व सज्दा में तस्बीह न पढ़े तो नमाज़ हो जायगी। दलील यह देते हैं कि उन का अदा करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर उन के बिना नमाज़ नहीं होती तो हदीस में होता कि उन के छोड़ने से नमाज़ नहीं होती। अगर उन की इस दलील को मान लिया जाए तो फिर नमाज़ की शकल यह होगी कि खड़े हो कर सूरा फ़ातिहा पढ़ो। फिर रुकूअ करो और उस में कुछ न पढ़ो। फिर रुकूअ से सीधे सज्दा में चले जाओ, फिर बैठ जाओ, नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। यह नमाज़ क्या हुई, मज़ाक़ हुआ। अब रही यह बात कि फिर सिर्फ़ सूरा फ़ातिहा के बारे में ऐसे शब्द क्यों फ़रमाए, तो इस की पृष्ठ भूमि है। वह यह कि आप स० ने इमाम के पीछे पढ़ने से मना किया तो उसी समय यह भी फ़रमाया कि सूरा फ़ातिहा भी पढ़ना क्योंकि वह अगर इमाम के पीछे भी छोड़? दोगे तो नमाज़ न होगी।

(अबु दाऊद, तिर्मिजी)

मतलब यह कि उल्लिखित उसूल की रू से नामज़ का पूरा तरीका फ़र्ज़ है, सिवाए इस चीज़ के जिस को स्वयं रसूलुल्लाह स० ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो और कोई ऐसी चीज़ मेरे ज़ेहन में तो है नहीं, सिवाए इस के कि यह कहा जाए कि रफ़अ यदैन आप ने कभी किया और कभी छोड़ दिया लेकिन छोड़ने से रिवायत साबित नहीं होती अतः रफ़अ यदैन फ़र्ज़ हुआ ।

2- रफ़अ यदैन की फ़र्ज़ियत की दूसरी दलील यह है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ि० और उन के साथियों से आप स० ने फ़रमाया था कि *صلوا كما رايتموني اولى* (नमाज़ ऐसे ही पढ़ा करना जिस तरह तुम ने मुझे पढ़ते देखा है) और मालिक बिन हुवैरिस रज़ि० का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्ल० रफ़अ यदैन करते थे ।

(सहीह बुख़ारी) क्योंकि हुक्म फ़र्ज़ होता है, अतः रफ़अ यदैन फ़र्ज़ है ।

3- तीसरी दलील । हज़रत उमर रज़ि० एक बार मस्जिद में आ निकले, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे । हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया:

”اقبلوا على بوجوهكم اولى بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه
وسلم التى كان يصلى ويأمر بها فقام مستقبل القبلة ورفع يديه
حتى حاذى بهما منكبيه ثم كبر ثم ركع وكذلك حين رفع.”

अर्थात् मेरी तरफ़ मुतवज्जा हो जाओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्ल० की नमाज़ बताऊं जिस तरीका से आप सल्ल० स्वयं नमाज़ पढ़ते थे और जिस तरीका से लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया करते थे, अतः वह (हज़रत उमर रज़ि०) खड़े हो गए, किब्ला की तरफ़ मुंह किया और कंधों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहा और रुकूअ किया और उसी तरह उस समय भी किया जब रुकूअ से सर उठाया ।

(अख़िलाफ़ियात बैहेकी, नस्बुरीया पहलाभाग पृ० 416 व सनदहु सहीह

नमाज़ के अरकान में फ़र्ज़ व सुन्नत की तफ़रीक़

फ़र्ज़ व सुन्नत की तफ़रीक़ बहुत बाद की चीज़ है। सहाबा किराम रज़ि० इस चीज़ के आदी नहीं थे, वे तो बस यह देखते थे कि रसूलुल्लाह स० ने क्या किया? क्या फ़रमाया? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० को देखिए कि रफ़अ यदैन न करने वाले को कंकरियां मारा करते थे जब तक कि वह रफ़अ यदैन न करे। (किताब रफ़अ यदैन इमाम बुख़ारी रह०, मुसनद अहमद रह०) आप भी फ़र्ज़ व सुन्नत की बहस में न पड़िए। बस जिस काम को रसूलुल्लाह स० ने हमेशा किया और छोड़ना साबित नहीं, उसे करना ही चाहिए और अगर करना, न करना दोनों साबित हैं, तब भी करना सुन्नत होगा और छोड़ना जाइज़ नहीं ऐसी हालत में भी सुन्नत ही पर अमल मुनासिब है न कि जवाज़ पर।

सवाल:

रफ़अ यदैन न करने की हदीस जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से मरवी है। तिर्मिज़ी शरीफ़ उर्दू पहले भाग में उस को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है और हसन का दर्जा सहीह हदीस के बाद है?

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की हदीस का

मतन ग़ैर महफूज़ है

जवाब: यह सही है कि इमाम तिर्मिज़ी रह० ने इस हदीस को हसन कहा है और यह भी सही है कि हसन का दर्जा सहीह हदीस के

बाद है। इस हदीस की सनद बेशक हसन बल्कि सही है सनद में कोई खास खदशा नहीं है, न सनद पर किसी ने कोई खास जिरह ही की है, इस हदीस पर जो कुछ जिरह हुई है वह मतन के लिहाज से हुई है, अक्सर मुहद्दिसीन ने इस के मतन को गैर महफूज़ बताया है।

1- इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं:

قال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع و ذكر
 حديث الزهري عن سالم عن ابيه ولم يثبت حديث ابن مسعود ان
 النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا في اول مرة.

अर्थात् इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० ने फ़रमाया है कि रफ़अ यदैन की हदीस साबित है और जिक्र किया उन्होंने इस हदीस को जो इमाम जुहरी रह० ने हज़रत सालिम रज़ि० से और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत की है और इब्ने मसऊद रज़ि० की हदीस कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने रफ़अ यदैन नहीं किया सिवाए पहली बार के साबित नहीं।

इमाम तिर्मिज़ी रह० ने इस इबारत के बाद इब्ने मसऊद रज़ि० की हदीस बयान की है और फिर उस को हसन लिखा है। अहनाफ़ का यह कहना है कि इब्ने मुबारक रह० ने किसी दूसरी हदीस को गैर साबित किया है न कि उस को लेकिन दूसरी हदीस में इब्ने मुबारक रह० नहीं हैं और इस हदीस की सनद में वह मौजूद हैं और यह सनद नसाई में मौजूद है। अतः उन्होंने इसी को गैर साबित कहा है। उन के शब्दों को "रफ़अ की हदीस साबित है।" इसी बात की दलालत करते हैं कि अदमे रफ़अ की हदीस साबित नहीं चाहे वह कोई सी हो।

2- इस के मतन को मुलाहिज़ा फ़रमाइए, नसाई में है:

فقام فرغ يديه في اول مرة ثم لم يعد

इब्ने मसऊद रज़ि० खड़े हुए फिर पहली बार दोनों हाथ उठाए फिर नहीं उठाए। इब्नुल कत्तान कहते हैं। **ثم لا يعود منكرو** है यह वकी अपनी तरफ़ से कहा करते थे। (किताबुल वहम) इमाम दारे कुतनी ने भी **ثم لم يعد** को ग़ैर महफूज़ बताया है। (किताबुल अलल) नसाई में दूसरी रिवायत इस तरह है। **فصلي فلم يرفع يديه الا مرة واحدة**। अर्थात् इब्ने मसऊद रज़ि० ने नमाज़ पढ़ी तो हाथ नहीं उठाए मगर एक बार मुसनद इमाम अहमद और लेखक इब्ने अबी शौबा में **واحدة** नहीं है। अबु दाऊद की एक रिवायत में इस तरह है। **فرغ** अर्थात् **فرغ يديه في اول مرة**। दूसरी में इस तरह है। **فصلي فلم يرفع يديه الا مرة واحدة**। इब्ने मसऊद रज़ि० ने दोनों हाथ उठाए पहली बार। सारांश यह कि किसी में दोबारा उठाने की नफ़ी है और किसी में कोई ज़िक्र नहीं है। बस पहली बार उठाने का ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने तो नमाज़ पढ़ कर बताई थी। उस को अलक़मा रज़ि० ने अपने शब्दों में बयान किया है और यह अलक़मा रज़ि० के शब्द हैं, जो किसी रिवायत में कुछ और किसी में कुछ हैं। इब्ने मसऊद रज़ि० से रिवायत करने वाले केवल अलक़मा रह० हैं और अलक़मा रह० से रिवायत करने वाले केवल अब्दुर्रहमान हैं और उन से रिवायत करने वाले केवल आसिम बिन कुलैब हैं और उन से रिवायत करने वाले सुफ़ियान सूरी रह० हैं। इस के बाद रावी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऊपर की सनद में केवल एक एक रावी की वजह से इस में ग़राबत पैदा हो जाती है। फिर अलक़मा रह० के शब्द शायद आसिम बिन कुलैब ने कभी कुछ और कभी कुछ बयान किए हैं। क्योंकि इमाम हाकिम फ़रमाते हैं कि आसिम ने इस हदीस को सेहत के साथ रिवायत नहीं किया और आसिम सार कर लिया

من بين اهل زمانهم فلم يثبت عند احد منهم علم فى ترك رفع
الايدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن احد من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع يديه.

अर्थात् हिजाज़ और इराक़ के विद्वान जिन को हम ने पाया, जिन में से यह लोग भी हैं। इब्ने जुबैर रह०, अली बिन अब्दुल्लाह रह०, याहया बिन मुईन रह०, इमाम अहमद बिन हंबल रह०, इसहाक़ बिन राहूयह, यह अपने ज़माना के ज़बरदस्त आलिम थे। इन उलमा में से किसी के नज़दीक कोई हदीस साबित नहीं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने रफ़अ यदैन न किया हो या किसी सहाबी रज़ि० ने रफ़अ यदैन न किया हो।

(किताब रफ़उल यदैन लिल इमामुल बुख़ारी पृ० 16)

मतलब यह हदीस इमाम बुख़ारी रह० के समय तक स्वयं उलमा—ए—इराक़ के नज़दीक साबित नहीं थी। इमाम अबु दाऊद रह० के मुताबिक़ इस का मफ़हूम कुछ और था, अब जो मफ़हूम किया जाता है वह सहीह नहीं है। इमाम अबु दाऊद रह० के इस कथन की पृष्टि इस बात से भी होती है कि इमाम मुहम्मद रह० ने अपनी मोत्ता में इस हदीस को मुतलक़न बयान नहीं किया। यद्यपि उन को इस की बड़ी ज़रूरत थी। वह लिखते हैं: **وفى ذلك اثار** और अदमे रफ़अ के बारे में बहुत आसार हैं।

मतलब जाहिर है कि हदीस कोई नहीं। अगर यह हदीस इन मायनों पर आधारित होती तो वह ज़रूर इस का ज़िक़र करते, इस के तमाम रावी कूफ़ी हैं। फिर इमाम मुहम्मद रह० और काज़ी अबु यूसुफ़ रह० का इस से बेख़बर होना और अपने दलाइल में ज़िक़र न करना हैरत अंगेज़ है।

इस के बाद इमाम मुहम्मद रह० ने अली रज़ि० इब्ने अबी

तालिब का एक असर नक़ल किया है जिस में एक रावी मुहम्मद बिन अबान झूठा है (तजकिरतुल मौजूआत) फिर इबराहीम नखई रह0 ताबअी का कथन पेश किया है। उस में भी वही झूठा रावी है। फिर इब्ने मसऊद रज़ि0 के असहाब का अमल पेश किया है। इस की सनद में हसीन है। जिस का हाफिज़ा आखिर में ख़राब हो गया था, फिर इब्ने उमर रज़ि0 का अमल पेश किया है। इस की सनद में वही मुहम्मद बिन अबान कज्ज़ाब है। फिर हज़रत अली रज़ि0 का असर दूसरी सनद से पेश किया है। यह भी कूफ़ी सनद हैं फिर भी सुफियान सूरी रह0 (जो स्वयं भी अदमे रफ़अ के कायल हैं) इस असर का इन्कार करते हैं।

(किताब रफ़उल यदैन इमाम बुख़ारी रह0 पृ0 8)

इसके अलावा इस में आसिम रावी हैं, जो नक़ल बिल मायना के आदी हैं। इमाम उसमान बिन सईद दारमी फ़रमाते हैं। **”فقد روى من”** तहकीक यह वाहियात सनद से मरवी है। (बैहेकी जिल्द 2 पृ0 80) इमाम शाफ़अी रह0 फ़रमाते हैं। **”ولا يثبت عن علي”** अर्थात हज़रत अली रज़ि0 और इब्ने मसऊद रज़ि0 के अदमे रफ़अ की हदीस साबित नहीं। (बैहेकी भाग 2 पृ0 81) इमाम बुख़ारी रह0 ने भी इस पर जिरह की है। फिर इमाम मुहम्मद रह0 ने इब्ने मसऊद रज़ि0 का असर पेश किया है, जिस के शब्द यह हैं। **انه كان يرفع يديه اذا** अर्थात जब वह नमाज़ शुरू करते तो रफ़अ यदैन करते थे।” इस में रुकूअ का ज़िक्र ही नहीं और अदमे ज़िक्र से अदमे शय लाज़िम नहीं आती। फिर इस की सनद मुन्क़तअ है। इबराहीम रह0 ने इब्ने मसऊद रज़ि0 को नहीं देखा। मतलब यह कि कुल तीन सहाबियों और कुछ ताबइयों का कथन पेश करके इमाम मुहम्मद रह0 ने अपने मसला को साबित किया और वह इस सिलसिला में

कोई हदीस पेश न कर सके बल्कि सहाबियों का अमल भी सहीह सनद से पेश न कर सके। अगर अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की यह उच्च कोटि की हदीस कूफ़ा में रह कर उन को न मालूम हो तो फिर इस पर सन्देह करना बिल्कुल बजा है। इमाम नववी रह० ने खुलासा में लिखा है कि मुहद्दीसीन की इस के जुअफ़ पर सहमति है। नक़ल बिल मायना की आदत की वजह से इमाम अली बिन मदीनी रह० तो यहां तक कह गए। "لايحتج بما انفرد به." आसिम अकेले रिवायत करें तो रिवायत हुज्जत नहीं होती।" (मीज़ानुल एतेदाल) और इस रिवायत को सिवाए आसिम के और कोई बयान नहीं करता। फिर अब्दुर्रहमान के अलक़मा से सुनने पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, यद्यपि सुनने की संभावना तो है लेकिन सुनना साबित नहीं। इमाम इब्ने हिब्बान तो यहां तक लिख गए।

هذا احسن خبر روى اهل الكوفة فى نفي رفع اليدين فى
الصلوة عند الركوع وعند الرفع منه وهو فى الحقيقة اضعف
شئ يعول عليه لان له عللا تبطله.

कूफ़ा वालों की यह सब से बेहतर दलील है और हकीकत में यह भी बहुत ज़ईफ़ है कि इस पर एतेमाद किया जा सके। इस में बड़ी इल्लतें हैं। जो इसे बातिल बना देती हैं।

(नैलुल अवतार जुज़ 2 पृ० 151)

अब बताइए इमाम तिर्मिज़ी रह० का हसन कहना कहां तक सही है, इसी लिए इमाम शौकानी रह० लिखते हैं: **این يقع هذا** अर्थात् इमाम तिर्मिज़ी रह० की सराहना और इमाम इब्ने हज़म रह० की इसलाह की उन अकाबिर अईम्मा की जिरह के मुक़ाबले में क्या महत्व रह जाता है। यह मान लें रूदाद है। वरना विस्तार तो बहुत कुछ है। मान लें यदि इब्ने मसऊद रज़ि० की हदीस हसन या सहीह भी हो

तो भी एक सहाबी रज़ि० की रिवायत तमाम सहाबी रज़ि० के मुक़ाबले में कमतर है। फिर इब्ने मसऊद रज़ि० से और भी बहुत सी भूल हो गई हैं जिन में से कुछ मैं पहले लिख चुका हूँ इसी लिए इमाम अबु बकर बिन इसहाक ने फ़रमाया है कि यह हदीस रफ़अ यदैन की हदीस के समान नहीं हो सकती। क्योंकि रफ़अ यदैन रसूलुल्लाह सल्ल० से फिर खुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ि०, सहाबा रज़ि० और ताबअीन रह० से सहीह तौर पर साबित हुआ है और इब्ने मसऊद रज़ि० का इस को भूल जाना कुछ हैरत नहीं, क्योंकि वह सूरह फलक व सूरह नास का कुरआनी सूरतें होना भूल गए। ततबीक का मंसूख़ होना भूल गए। आदि आदि। इस तरह उन्हांने दस बातें गिनाई हैं। (यह ग्यारहवीं भूल है) (बैहेकी भाग 2)

मतलब यह कि अनगिनत सहीह अहसदीस के मुक़ाबले में उस को हुज्जत बनाना हैरत अंगेज़ है बाकी बातों के जवाब दूसरे लिफ़ाफ़ा में रवाना करूंगा। इन्शा अल्लाह तआला। आप की तबलीग़ और उस के बारे में कशमकश मालूम हुई। अल्लाह तआला आप को कामयाब फ़रमाए और इस संघर्ष को कुबूल फ़रमाए। आमीन। तबलीग़ हकीकत में यही है।

वह तबलीग़ ही क्या जिस में विरोध न हो। हक़ के प्रचारक के लिए फूलों की सेज नहीं होती बल्कि उस को काटों पर चलना होता है। वह तबलीग़ जिस से सब खुश रहें, हकीकत में तबलीग़ ही नहीं, वह तो एक किस्म की सियासत है। अल्लाह ने यह नेमत आप को नसीब फ़रमाई है। यह उस का एहसान है, आप घबराएं नहीं।

ان الله مع الصابرين

फ़क़त

ख़ाक़सार मसऊद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब साहब मख़दूमी व मुकर्रमी

अस्सलाम आलैकुम

(चक लाला 13 अप्रैल 1962)

अम्मा बाद! 10- अप्रैल को एक पत्र लिखा है, आज आप के बाकी सवालों के जवाब लिख रहा हूँ।

सवाल 3- हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रह0 तहरीर फ़रमाते हैं। कि चारों इमामों के तरीक़े सुन्नत हैं और हर एक के पास तर्क मौजूद हैं। इस लिहाज़ से तो हंफ़ी तरीक़ा भी सुन्नत हुआ और उस पर अमल करना भी जायज़ हुआ।

इमाम हक़ पर थे लेकिन मुक़ल्लिद हक़ पर नहीं

जवाब- इस में शक़ नहीं है कि चारों इमामों ने जिस उसूल पर मसाइल की बुनियाद रखी वह उसूल सुन्नत है। क्योंकि उन लोगों ने मसाइल को कुरआन व हदीस की रोशनी में हल किया और कुरआन व हदीस को छोड़ कर किसी और व्यक्ति के कथन को दलील नहीं बनाया, न उस को हुज्जत समझा। अतः उन का यह तरीक़ा बे शक़ सुन्नत था और वे चारों हक़ पर थे। रहिमा हुमुल्लाह।

लेकिन इस के मायना यह नहीं कि उन से ग़लती नहीं हुई।
बेशक हुई और इस ग़लती के सुबूत में तर्क निम्न भी हैं।

मुजतहिद ग़लती से पाक नहीं हैं

फ़िक़ह का जाना माना उसूल

المجتهد قد يخطئ ويصيب

अर्थात मुजतहिद से ग़लती भी होती है और वह सही बात भी कहता है। अतः इस उसूल की बिना पर उन मुजतहिदीन से ग़लती का होना संभव है।

2- अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई मासूम नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोगों की पुश्त पर अल्लाह की वहय की रहनुमाई नहीं होती, अतः ख़ता का होना निश्चित है।

3- चारों इमामों के कथनों में हराम व हलाल का फ़र्क पाया जाता है। जैसे:

अ: दारुल हर्ब में काफ़िर से सूद का लेन देन करना हंफ़ी मज़हब में हलाल और दूसरे मज़ाहिब में हराम।

ब: हैवान की बैअ सलम हंफ़ी मज़हब में हराम, दूसरे में हलाल।

ज: ज़बरदस्ती की तलाक़ हंफ़ी मज़हब में हो जाती है। दूसरे मज़ाहिब में हराम है, नहीं होती।

द: बिज्जू, गोह, घोड़ा, मेंढक, मुर्दा मछली जो पानी पर तैरें, हंफ़ी मज़हब में हराम और दूसरे मज़ाहिब में हलाल।

ह: हिबा की हुई चीज़ हंफ़ी मज़हब में संतान से वापस ली जा सकती है। दूसरे मज़ाहिब में नहीं ली जा सकती।

व: कुरआन की शिक्षा की मज़दूरी हंफ़ी मज़हब में हराम और दूसरों

में हलाल ।

ज: रान खोलना हंफ़ी मज़हब में हराम, हंबली मज़हब में हलाल ।

ह: लिंग छू जाने से वुजू हंफ़ी मज़हब में नहीं टूटता, शाफ़्ती में टूट जाता है ।

त: तवाफ़ के लिए हंफ़ी मज़हब में पाकी शर्त नहीं, शाफ़्ती और हंबली में शर्त है ।

य: सदक़तुल फ़ितर हंफ़ी मज़हब में काफ़िर गुलाम पर फ़र्ज़ है, शाफ़्ती में फ़र्ज़ नहीं ।

क: बिना वली के निकाह हंफ़ी मज़हब में जायज़ है । शाफ़्ती में बातिल ।

मतलब यह कि हलाल व हराम का फ़र्क कभी सुन्नत नहीं हो सकता ।

सुन्नत तो यह है कि जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्ल० ने हलाल की क़यामत तक वह चीज़ हर मुसलमान के लिए हलाल है और जिस चीज़ को हराम किया वह हर मुसलमान के लिए हराम है । अब ज़ाहिर है कि एक ही चीज़ एक साथ हलाल और हराम नहीं हो सकती । अतः किसी न किसी इमाम से ग़लती का सुदूर लाज़मी है और जब मामला यहां आ पहुंचा कि एक न एक इमाम से ग़लती ज़रूर हुई है तो अब हर मुसलमान का यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वह यह मालूम करे कि किस से ग़लती हुई अर्थात् अल्लाह के हुक्म से वह कुरआन व हदीस की तरफ़ रुजू करे और जो ग़लती मालूम करके उस को तर्क करदे या कुरआन व सुन्नत का अनुसरण करे यह है इमामों का तरीका और इस तरीका के सुन्नत होने में कुछ सन्देह नहीं और जो व्यक्ति इस के खिलाफ़ चलता है वह हराम काम काता है । इमामे बर हक़ हज़रत इमाम इबु हनीफ़ा रह० तो

यहां तक फरमाते हैं: لا يحل لاحد ان يأخذ بقولي ما لم يعلم من أين قلته: अर्थात् किसी व्यक्ति के लिए यह हलाल नहीं (अर्थात् हराम है) कि मेरे कथन को अख्तियार करे, जब तक उसे यह न मालूम हो कि मैं ने कहां से कहा है।

(मुकदमा उम्दतुरिआया फी हल्ले शरहिल विकाया पृ0 9)

इस कथन के आगे रईसुल अहनाफ़ मुहम्मद बिन अब्दुस्सत्तार कादरी लिखते हैं:

“इमाम अबु हनीफ़ा रह0 ने तक़लीद की तरफ़ जाने से मना किया और दलील की मारफ़त की तरफ़ दावत दी।”

(मुकदमा उम्दतुर रिआया पृ0 9)

मानो इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के कथन से ही तक़लीदन किसी चीज़ को मानना हराम हो गया अतः मुक़ल्लिदीन का तरीका हराम हुआ और इस लिहाज़ से वह सुन्नत नहीं हो सकता। अतः खुलासा यह हुआ कि इमामों का तरीका सुन्नत है और मुक़ल्लिदीन का तरीका बिदअत और स्वयं इमामों का मना किया हुआ है।

फ़िका हंफ़ी के गन्दे मसायल और इमाम अबु हनीफ़ा रज़ि0 की अलहदगी

शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रह0 के बयान का जो नतीजा आप ने निकाला है कि हंफ़ी तरीका भी सुन्नत हुआ” यह सहीह नहीं। इस लिए कि मौजूदा हंफ़ी मज़हब स्वयं इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के उसूल के ख़िलाफ़ है। और इस में ऐसी ऐसी गन्दगियां हैं कि अगर इमाम साहब रह0 ज़िन्दा होते तो इन मसायल बल्कि पूरे मज़हब से अपनी बेज़ारी का ऐलान फ़रमाते कुछ मकरूह

मसाइल देखिए (आप ने सतर्क जवाब के लिए इरशाद फ़रमाया है।
इस लिए दिल पर ज़ब्र करके यह मसाइल लिख रहा हूँ)

ولو وطى ميتة أو بهيمة أو فى غير فرج وهو التفخيد أو قبل أو
لمس إن أنزل قضى وإلا فلا ولو أكل لحمًا بين أسنانه مثل
حمصة قضى فقط وفى أقل منها لا .

अर्थात् अगर मुर्दा औरत या जानवर से संभोग करे या
..... के इलावा अर्थात् रान में करे या बोसा ले या छूए
अगर इंज़ाल हो तो रोज़ा क़ज़ा करे, वर्ना नहीं, और
अगर दांतों के बीच लगा हुआ गोश्त चने के बराबर भी
खाले तो केवल क़ज़ा करे और अगर चने से छोटा हो
तो क़ज़ा भी नहीं।

(शरह विकाया पहला भाग पृ0 312)

وقدر الدرهم من نجس غليظ كبول و دم و خمر و خمر و خمر و خمر و خمر
..... وما دون ربع ثوب مما خف كبول فرس عفو

अर्थात् नमाज़ी के कपड़े में अगर दिरहम के बराबर
निजासते ग़लीज़ा जैसे पेशाब, खून, शराब और मूर्गी
की बीट लग जाए और निजासत ख़फीफ़ा जैसे घोड़े
का पेशाब चौथाई कपड़े तक माफ़ है।

(शरह विकाया पहला भाग पृ0 139)

फिर आगे जाकर दिरहम का तख़मीना हथेली की चौड़ाई
बताया है।

(३) لا وطى بهيمة بلا انزال .

जानवर से वती करे तो बिला इंज़ाल गुस्ल फ़र्ज़ नहीं।

(शरह विकाया पृ0 83)

आदि आदि कहां तक लिखूं।

क्या यह मसाइल सुन्नत हैं? क्या यह मसाइल इमाम अबु हनीफ़ा रह० के हैं? कदापि नहीं इन जैसे मसाइल को इस्लाम समझना या सुन्नत समझना, इमाम साहब रह० का और इस्लाम का अपमान करना है। शाह साहब रह० का मतलब केवल इतना है कि इमामों का तरीका सुन्नत था न यह कि मुक़ल्लिदीन का गढ़ा हुआ मज़हब सुन्नत है। सुनिए शाह साहब रह० तक़लीद के बारे में क्या फ़रमाते हैं।

1- व खूद रा मुक़ल्लिद महज़ बूदन हर्गिज़ रास्त नमी आयद व कारे नमी कुशायद। अर्थात मुक़ल्लिद मात्र होना कदापि रास्त नहीं आता और न उस से कार बर आरी होती है।

(मुतरकुल हदीद पृ० 44, इज़ालतुल ख़िफ़ा पृ० 257)

2- अगर यहूद का नमूना देखना चाहते हो तो उलमा-ए-सू (बिगड़े हुए उलमा) को देखो जो दुनिया के तालिब हैं और सल्फ़ की तक़लीद के आदी हो गए हैं और किताब व सुन्नत से मुंह मोड़ते हैं तमाशा कर्द गोया यह वही हैं।

(अलफ़ौजुल कबीर)

3- ولم يأت قرن بعد ذلك الا وهو أكثر فتنه وأوفر تقليداً. इस के बाद में जो ज़माना आता गया, फ़ितना ज़्यादा होता गया और तक़लीद में ज़्यादाती होती गई।

(इंसाफ़, मुतरकुल हदीद पृ० 20)

4- फ़रोओ मसाइल में मुहदिसीन, जो हदीस व फ़िक्ह में ज़ामे हैं, की पैरवी करो और हमेशा फ़िक्ही तफ़रीआत को किताब व सुन्नत पर पेश करो। जो मुवाफ़िक़ हो उसे कुबूल करलो, वना कहने वाले पर लौटा दो। उम्मत को कभी भी इस बात से इस्तिग़ना हासिल नहीं कि वह मुजतहिदात को किताब व सुन्नत पर पेश करें

और उन खुशक फुकहा की बात को जिन्होंने एक आलिम की तकलीद को दस्तावेज़ बना रखा है और को छोड़ रखा है, न सुनो, न उन की तरफ़ ध्यान करो, बल्कि उन की दूरी से अल्लाह की समीपता तलाश करो।

(“वसीयत नामा” शाह वलीउल्लाह साहब रह0 पृ0 2-3)

बुजुर्गों की ग़लती

यहां तक मैंने यह बताने की कोशिश की है कि शाह साहब रह0 का इमामों के बारे में क्या ख़्याल है और मुक़ल्लिद के बारे में क्या, इमामों को वह हक़ पर समझते हैं। लेकिन मुक़ल्लिदीन को नहीं। इस जवाब के बाद मैं एक और जवाब इसी शीर्षक के तहत भी देना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए हक़ हक़ है और जब आप सूझ बूझ की वजह से हक़ को पहचान लें, हक़ आप को मिल जाए और आप उस पर जम जाएं तो फिर उस हक़ के खिलाफ़ कोई कुछ न कहें। आप कदापि उस तरफ़ ध्यान न दें। ऐसा कौन सा बुजुर्ग है जिस से ग़लती या कमी नहीं हुई। अगर किसी बुजुर्ग की ग़लती से हम भी ग़लती का शिकार हो जाएं तो यह शैतानी वसवसा होगा। यह भी तकलीद ही होगी। अतः अगर शाह वलीउल्लाह साहब रह0 ने मान लें ऐसी बात कही है तो बस आप का फ़र्ज इतना है कि आप यह कहें अल्लाह उन्हें माफ़ फ़रमाए, हम उन की यह बात तस्लीम नहीं करते, क्योंकि यह हक़ से टकराती है और हम हक़ को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते।

फिर शाह वलीउल्लाह साहब रह0 के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि हंफ़ी घराने में पैदा हुए, धीरे धीरे तकलीद से विमुख हुए। शायद शुरू दौर में तकलीद के खिलाफ़ सख़्ती अख़्तियार नहीं

की होगी। बाद में जैसा कि "वसीयत नामा" के वाक्य से मालूम होता है, बहुत सख्ती अख्तियार कर ली।

सवाल 4- क्योंकि वह तक्लीद के समर्थक थे?

मौलवी अशरफ़ अली थानवी साहब रह0 की किताबों की हैसियत

जवाब: यूं तो हर किताब में कोई न कोई अच्छी बात मिल ही जाती है। थानवी साहब रह0 की किताब में कोई ठोस बात मुश्किल ही से मिलती है। जर्इफ़ और मौजूअ हदीसों भी नक़ल कर जाते हैं, फ़िक़ह के ग़लत और शर्म के मसाइल बड़ी बे बाकी से नक़ल करते हैं और वह भी जवान लड़कियों के अध्ययन के लिए। हंफ़ी मज़हब के खंडन के लिए उन की किताबें मुफ़ीद होंगी। इस लिए कि ग़लत और निर्लज्ज मसाइल को उर्दू में ढालने में उन का बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे तो हिदाया, शरह विकाया, दुर्रे मुख़तार के अनुवाद हो चुके हैं लेकिन वह एक लम्बे समय से बहुत कम हैं और फिर उन की कीमतें भी अधिक हैं।

सवाल: क्या इमाम ग़ज़ाली रह0 की लिखी हुई कुतुब भी अध्ययन योग्य हैं?

ग़ज़ाली की किताबें

जवाब: इमाम ग़ज़ाली रह0 की किताबें बहुत अच्छी हैं, बड़ी दिलकश हैं। दिल को ताज़ा करने वाली हैं। हां उन की कुछ किताबों में जैसे अहयाउल उलूम में कई कमियां भी हैं कि जर्इफ़ बल्कि मौजूअ हदीसों भी नक़ल कर जाते हैं। उलमा-ए-वक्त ने उन

की जिन्दगी ही में उन पर बड़ी सख्त चोट की और उन को सही बुखारी पढ़ने का मशवरा दिया। फिर बाद में वह सहीह बुखारी की तरफ़ मुतवज्जह हुए, यहां तक कि मौत के समय सही बुखारी उन के सीने पर थी। "अहयाउल उलूम" को उस की तख़रीज के साथ पढ़ा जाए तो यह दोष दूर हो सकता है, क्योंकि तख़रीज में हर हदीस पर बहस की गई है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० को शुरू इस्लाम की नमाज़ याद रही

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० को अदमे रफ़अ यदैन की हदीस के बारे एक बात याद आई। वह यह कि उन की नमाज़ में मंसूख़ शुदा या शुरू इस्लाम की कुछ बातें भी शामिल हो गई हैं। मालूम नहीं उन्हें भूलने का पता हुआ या नहीं और अगर हुआ तो बुढापे में या उस से पहले ही कुछ बातों को भूल गए।

इमाम बैहेकी लिखते हैं:

ففي حديث ابن ادریس دلالة على ان ذلك كان في صدر
الاسلام كما كان التطبيق في صدر الاسلام ثم سنت بعده
السنن و شرعت بعده الشرائع حفظها من حفظها وادائها فوجب
المصير اليها. (بيهقي)

इब्ने इदरीस की हदीस में इस बात की दलालत है कि अदमे रफ़अ शुरू में सुन्नत था जिस तरह शुरू इस्लाम में ततबीक़ थी। फिर सुन्नतें और शरअ बाद में बनते चले गए तो जिस ने उन को याद रखा उस ने हकीकत में नमाज़ को याद रखा और उस को फैलाया। बस इसी तरफ़ रुजूअ करना चाहिए।

एक और जगह तहरीर फ़रमाते हैं:

قد يكون ذلك في الابتداء قبل ان يشرع رفع اليدين في
الركوع ثم صار التطبيق منسوخاً وصار الامر في السنة الى رفع
اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. (معرفت السنن)

अर्थात् ततबीक शुरु इस्लाम में शर्त केवल थी और
उस समय तक रफ़उल यदैन मशरूअ नहीं हुआ था।
फिर ततबीक निरस्त हो गई और रुकूअ से पहले और
रुकूअ के बाद रफ़अ यदैन का हुक्म दिया गया।

(मारिफतुस्सुनन)

सब छोटे बड़े को सलाम कह दीजिएगा।

फ़िक़ह

खादिम मसऊद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

मोहतरम जनाब मसरूद साहब

अस्सलाम आलैकुम

आप का पत्र मिला। पढ़ कर बड़ी खुशी हुई। मेरा इरादा था कि आप के दूसरे पत्र के वसूल होने के बाद फिर आप को पत्र लिखूंगा लेकिन रात एक अप्रिय घटना घटी। एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ इशा की नमाज़ के बाद मेरे पास मस्जिद में आया और बात शुरू हुई। उस ने निहायत बड़ अखलाकी से गुफ्तगू शुरू की। जिस का मुझे अब तक दुख है। उस ने कहा कि हमारी हंफ़ी फ़िकह का हर हर मसला कुरआन व हदीस के अनुसार है। तू एतेराज़ कर, मैं तेरे हर मसला का जवाब कुरआन व हदीस से दूंगा। मैंने कहा तू तो ग़ैर मुक़ल्लिद है तुझ को कुरआन व हदीस से क्या वास्ता और तुझ को कैसे मालूम हुआ कि हंफ़ी फ़िकह का हर मसला कुरआन व हदीस के अनुसार है। क्या तूने तहकीक़ किया है। क्योंकि मुक़ल्लिद का काम तो अंधे की तरह अपने इमाम के पीछे चलना है। अगर तूने तहकीक़ कर ली है कि सारे मसअले कुरआन व हदीस के अनुसार हैं तो फिर तू मुहक़िक़ हुआ। उस ने कहा कि मैंने छः साल हदीस पढ़ी है। उस्तादों से हदीस सीखी है। मैंने कहा कि यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है अगर तू हक़ पर है तो फिर देर किस बात की है। झट से कोई आयत या हदीस दलील में पढ़ दे जिस से लोगों को पता चल जाए कि हकीक़त क्या है।

उस ने कहा कि हमारा मज़हब तो पूरा दलील से भरा हुआ है, मगर कुरआन व हदीस तू क्या समझेगा मैं तो अरबी इबारत पढ़ूंगा और तू उर्दू जानता है तो किस तरह यह बात तेरी समझ में आ सकती है। मैंने कहा कि मैं इंशा अल्लाह अरबी समझ लूंगा, लेकिन जल्दी से वह दलील पढ़ दे जिस में चारों इमामों की तकलीद फ़र्ज की गई है या वाजिब। हक़ किसी बात से नहीं डरता। अगर तू हक़ पर है तो दलील देदे। मुझे इधर उधर ले जाने की कोशिश न कर। कहने लगा कि जाहिल मैं तो तेरी इस्लाह करने के लिए आया हूँ कि तुझे राहे रास्त दिखलाऊँ और मैं आलिम हूँ। तुझ को मेरी बात मानना पड़ेगी। क्योंकि यह कायदा है कि अपने से अधिक इल्म वाले की बात मानी जाए और आलिमों से पूछने के लिए हुक्म भी कुरआन में मौजूद है।

कहने लगा। देख जब 1 हज़रत मुआज़ रज़ि० मुहिम पर जा रहे थे तो हुजूर सल्ल० ने फ़रमाया कि ऐ मुआज़ रज़ि० तू वहां किस तरह करेगा, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैं कुरआन में देखूंगा। फ़रमाया, अगर वहां न मिले तो, अर्ज किया फिर मैं आप की हदीस देखूंगा। फ़रमाया वहां भी हुक्म न मिले तो, अर्ज किया कि फिर मैं सहाबा रज़ि० या नेक लोगों से मशवरा करूंगा। फ़रमाया वहां भी हुक्म न मिले तो अर्ज किया कि फिर मैं अपने कयास से काम लूंगा। हुजूर सल्ल० ने फ़रमाया। मरहबा मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं आदि। तो इस से साबित हुआ कि मुजतहिद की राय पर अमल करना ज़रूरी है जिस से तकलीद साबित है। मैं ने कहा कि हज़रत आप को क़सम है ज़रा सच बताना क्या इस हदीस में हुजूर स० ने चार इमामों के नाम लिए हैं। क्या इस हदीस में किसी भी इमाम या फ़िक़ह का नाम है। फिर किस तरह

1 यह हदीस मौजूअ यानी घड़ी हुई है।

यह जाहिल तकलीद का सुबूत इस हदीस से दे रहा है कहने लगा कि तू क्या मुहदिस है जो हदीस का मतलब निकाल रहा है और पन्द्रह दिन हदीस पढ़ कर इमाम आजम रह0 की बराबरी का दावा कर रहा है। मैंने कहा यह तो मुझ पर बुहतान है।

मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं इमाम साहब रह0 की बराबरी का दावा कर रहा हूँ मैं तो उन को अपना इमाम समझता हूँ और बाकी तीनों, इमाम शफ़ा़ी रह0, इमाम मालिक रह0, और इमाम अहमद रह0, उन को भी इमाम समझता हूँ और उन जैसा जो कोई बन्दा है, मुत्तकी परहेज़गार है वह भी मेरे नज़दीक नेक है। हर नेक आदमी की इज्जत करता हूँ और सम्मान करता हूँ लेकिन तेरी तरह सब नेक आदमियों का इन्कार करके एक के पीछे नहीं पड़ जाता हूँ। मैं इमाम साहब रह0 का मुक़ल्लिद हूँ, उन के कथन पर अमल करता हूँ। उन्होंने फ़रमाया मेरा जो काम कुरआन व हदीस के खिलाफ़ हो उस का रद्द कर देना। सहीह हदीस ही मेरा मज़हब है। बस जो बात सहीह हदीस में मुझे मिल जाती है, मैं इमाम साहब के कथन को इस के मुख़ालिफ़ देख कर छोड़ देता हूँ फिर इस में झगड़े की क्या बात है? तुझ को किस ने दावत दी थी। क्या तुझ को मैंने मुनाज़िरा की दावत दी थी। फिर तू क्यों यहां मुनाज़िरा की गरज़ से आया। अब आ गया है तो सुन ले।

जो चीज़ कुरआन व हदीस के खिलाफ़ होगी। वह मसअला जो फ़िक़ह में कुरआन व हदीस के खिलाफ़ है, वह कदापि मुझे मंजूर नहीं है। ऐसी मन गढ़त बातों से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। कहने लगा, सारा फ़िक़ह कुरआन व हदीस के अनुसार है, कोई मसअला कुरआन व हदीस के खिलाफ़ हमारे फ़िक़ह में नहीं है और फ़िक़ह से इन्कार करना कुप़र है, तू कोई मसअला बता मैं उस की दलील कुरआन व हदीस से दूंगा। मैंने कहा कि एक दलील तो तू

अब तक नहीं दे सका और दलील क्या देगा? कहने लगा कि हुजूर सल्ल० ने स्वयं इमाम आजम रह० की तारीफ़ की है। हुजूर सल्ल० ने पेश गोई फ़रमाई है कि इमाम अबु हनीफ़ा रह० मेरी उम्मत का चराग़ हैं, इस से बढ़ कर क्या सुबूत होगा। मैंने कहा कि यह हदीस जो तू बयान कर रहा है, एक तो यह देखना पड़ेगा कि यह हदीस भी है या नहीं और इस पर उलमा किराम ने क्या लिखा है। लेकिन ख़ैर यह हदीस जो तूने बयान की है। इस में यह कहाँ है कि क़यामत तक के लिए इमाम अबु हनीफ़ा रह० की तक्लीद फ़र्ज़ या वाजिब है? उस में लिखा है कि कुरआन व हदीस को छोड़ दो और सिर्फ़ फ़िक़ह हंफ़ी की फ़रमांबरदारी करो। ऐ लोगो, ज़रा सच सच बताना, क्या इस में तक्लीद का शब्द या ज़िक्र है? हुजूर सल्ल० का तरीका है। क्या इमाम अबु हनीफ़ा रह० सहाबी रज़ि० थे जो तू इन की तक्लीद को फ़र्ज़ और वाजिब कह रहा है। कहने लगा कि उम्मत का इजमा इन चारों मज़हबों पर हो गया है। उन की तक्लीद के सिवा कोई चारा नहीं।

मैंने कहा कि किस ने इज्तिहाद का दरवाज़ा बन्द किया और इजमा—ए—उम्मत किस को कहते हैं। इजमा—ए—उम्मत किन लोगों को माना जाए। क्या मुक़ल्लिदीन का इजमा उम्मत के लिए हुज्जत है। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि चारों इमामों की तक्लीद फ़र्ज़ व वाजिब है तो फिर तूने तीन इमामों की तक्लीद को क्यों छोड़ दिया है, उन को बर हक़ कहता है, उन को सहीह रास्ता पर मानता है तो फिर उन के रास्ते पर क्यों नहीं चलता। क्यों उन के रास्ते से कतराता है। अगर मैं फ़र्ज़ की नमाज़ शाफ़़ी मसलक और ज़ोहर की नमाज़ मालिकी मसलक और असर की हंफ़ी मसलक की तरह अदा करूँ तो यह जाइज़ है या ना जाइज़? कहने लगा बिल्कुल ना जाइज़ है। तुझ को तरस्लीम सब को करना है लेकिन अमल केवल

हंफ़ी मसलक पर जाइज़ है यह मसअला उसूल फ़िल एतेकाद और उसूल फ़िल अमल से संबंधित है, तू जाहिल क्या समझेगा? इस की मिसाल ऐसी है कि एक व्यक्ति नमाज़ से इन्कार करता है कि नमाज़ जायज़ नहीं है, या नमाज़ से इन्कार नहीं करता लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ता। अर्थात् नमाज़ को तस्लीम करता है लेकिन अमल नहीं करता तो वह हक़ पर है और मुसलमान है।

इसी तरह शाफ़़ी आदि नुबूवत और रिसालत में हक़ पर हैं लेकिन अमल में भिन्न हैं और शाफ़़ी की नमाज़ में और हमारी नमाज़ में क्या फ़र्क़ है? मैंने कहा कि तुझ को अभी यह भी पता नहीं कि उन की नमाज़ का तरीका क्या है तो फिर तू किस तरह मेरे पास मुनाज़िरा करने आ गया। देख मैं तुझ को बतलाता हूँ कि वह नमाज़ में रफ़अ यदैन करते थे कहने लगा रफ़उल यदैन निरस्त हो गया है। यह अमल वह है जिस को हुजूर ने कभी किया और कभी नहीं किया। मैंने कहा कि यह फ़ेल किस ने निरस्त किया। वह कौन सी रिवायत है और हदीस है जिस में यह लिखा है कि निरस्त हो गया है और निरस्त शुदा काम को शाफ़़ी रह0 ने कैसे कुबूल कर लिया। और तेरे नज़दीक जब यह काम निरस्त है तो फिर तू इस के करने वालों को हक़ पर क्यों कहता है, यह क्या अंधेर है? कहने लगा। उन का यह काम मकरूह है। हम उसूल फ़िल अमल से बहस नहीं करते क्योंकि हम अमल को ईमान का अंश नहीं समझते। मैंने कहा तू आमाल को ईमान का अंश नहीं समझता, लेकिन तक्लीद को जिस की कोई दलील तेरे पास नहीं है ईमान का अंश समझ कर फ़र्ज़ और वाजिब करार देता है और तेरे पास रफ़अ यदैन निरस्त होने की क्या दलील है? ज़रा जल्दी से वह आयत या हदीस पढ़ दे, मगर पहली ही दलील तू अभी तक नहीं पढ़ सका तो दूसरी दलील क्या

1- सहाबी रज़ि0 की तक्लीद भी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं।

पढ़ेगा। अगर तेरे सारे बड़े जमा हो जाएं तो भी कोई दलील नहीं ला सकते। कहने लगा, हदीस में पचासों दलीलें निरस्त के बारे में मौजूद हैं लेकिन इस समय मुझे कोई हदीस याद नहीं है। मैंने कहा। जब तुझ को स्वयं ही कोई चीज़ याद नहीं तो दूसरों की इस्लाह कैसे करेगा? कहने लगा कि दो दिन की छूट दे कि मैं तिर्मिजी शरीफ़ आदि देख कर तुझ को हदीस बतलाऊंगा। मैंने कहा, दो दिन नहीं तुझ को दो महीने की छूट है खूब दिल खोल कर तलाश कर लेकिन सहीह हदीस जिस पर कोई जिरह न की गई हो वह मुझ को दिखलाना। कहने लगा तू तो मादर जाद नंगा है, तुझ को हदीस बता कर क्या फ़ायदा तेरी समझ में कैसे आएगा। इस के बाद वह मुझे गालियां देने लगा।

मैंने कहा कि खैर तू जितनी चाहे बद अख़लाकी कर लेकिन मैं कभी तेरी तरह बद अख़लाक नहीं बनूंगा। कहने लगा तू शाफ़ी शाफ़ी करता है। तुझ को मालूम है वह कौन थे। वह हमारे इमाम आजम रह० के शागिर्द और इमाम मुहम्मद रह० के शागिर्द थे। मैंने कहा कि इस के बावजूद उन्होंने फ़िक़ह हंफ़ी कुबूल नहीं की बल्कि अपनी अलग फ़िक़ह और अलग मज़हब बना लिया। तू इन बातों को छोड़ और सीधी तरह से दलील दिखला दे। अगर हक़ तेरे पास है तो इंशा अल्लाह मैं कुबूल कर लूंगा। नहीं तो तू तस्लीम कर ले। कहने लगा कि तेरा क्या भरोसा, कल तक हम तुझ को एकेश्वर वादी समझ रहे थे। अपनी जमाअत का आदमी समझ रहे थे लेकिन तू तो ग़ैर मुक़ल्लिद निकला, कल तू मुन्किरे हदीस बन जाए तो क्या भरोसा। हमारे बाप दाद इस फ़िक़ह पर अमल करते आए हैं, इस फ़िक़ह से इन्कार करके कुफ़र पर कैसे ज़िद की जाएगी। मैंने कहा— क्या तू ग़ैर मुक़ल्लिद को मुसलमान नहीं समझता, कहने लगा मुसलमान समझता हूँ।

मैंने कहा कि क्या सहाबा किराम रजि० आदि इमामों से पहले के लोग तक्लीद करते थे? कहने लगा। वे तो सहाबी रजि० थे, उन के अनुसरण का हमें तो हुक्म दिया गया है तू तो उस की ना फरमानी कर के क्यों हम को मजबूर करता है कि हम इमाम अबु हनीफ़ा रह० की तक्लीद करें क्या इमाम अबु हनीफ़ा रह० सहाबी रजि० थे? कहने लगा वह अरबी दां थे, अहले ज़बान थे, कुरआन व हदीस को वही समझ सकते थे, क्योंकि यह किताबुल हिकमत है, इस में ज़ेर जबर आदि का फ़र्क है, इस लिए हम पर उन की तक्लीद फ़र्ज है। मैंने कहा कि क्या उम्मत मुहम्मदी में सिवाए अबु हनीफ़ा रह० के और किसी ने कुरआन नहीं समझा? तू किस दलील की बिना पर कहता है कि वे अहले ज़बान थे, तुझ को अभी तक यह पता नहीं कि वह कहां के रहने वाले थे और अहले ज़बान किस को कहते हैं? तू जाकर पहले अपनी फ़िक़ह को एक तरफ़ रख दे। फिर दीने इस्लाम का अज़ सरे नौ मुताला कर। कुरआन व हदीस का इल्म सीख कर मेरे पास आना। कहने लगा कि तू अपने सारे आलिमों को मेरे पास ले आ, मैं उन सब जाहिलों को काफ़ी हूँ। मैं फ़िक़ह के हर हर मसअले और हर एक कथन के लिए कुरआन की आयत और हदीस पढ़ूंगा।

मैंने कहा कि तू मुझे अब तक एक दलील न दे सका, तो अब तक यह भी न समझा सका कि चार इमाम बर हक़ हैं तो फिर एक के गले का बार हो जाना किस के हुक्म से? किस दलील की बिना पर फ़र्ज और वाजिब हुआ। तो भला तू मेरे उलमा से क्या बहस कर सकता है? कहने लगा कि इस की दलील यह है कि जिस तरह चार किताबें बर हक़ हैं लेकिन अमल केवल कुरआन पर है, उसी तरह चार इमाम बर हक़ हैं लेकिन अमल केवल अबु हनीफ़ा रह० पर है। उस के साथियो ने इस दलील पर वाह वाह की। मैंने कहा कि

कुरआन आने के बाद पहली किताबें अर्थात् उन की शरीअत निरस्त हो चुकी। हुजूर स० ने फ़रमाया कि अगर हज़रत मूसा अलैहि० भी मेरे ज़माने में होते तो मेरा अनुसरण किए बिना उन को चारा न था लेकिन वह शरीअतें हुक्मे ईलाही से मंसूख हुई हैं और कुरआन और शरीअत मुहम्मदी अल्लाह के हुक्म से शुरू हुई अब तू यह बतला कि तीन इमाम की तकलीद किस के हुक्म से निरस्त हुई?

और इमाम अबु हनीफ़ा रह० की तकलीद किस के हुक्म से शुरू हुई और क्या उन चारों इमामों की तकलीद के लिए कोई वहय आई थी? अगर आई थी तो कौन से इलाह ने किस नबी पर नाज़िल फ़रमाई और कौन वहय ले कर आया और तू तो कहता है कि चारों बर हक हैं अमल एक पर है और मिसाल किताबों की देता है। कुरआन किताबे मुक़द्दस पहली किताबों के बाद नाज़िल हुई। अगर ख़्वाह मख़्वाह इमामों को भी इसी तरह मान लिया जाए तो इमाम अहमद रह० आख़िरी इमाम हैं तो अब इमाम अहमद रह० की तकलीद होनी चाहिए न कि इमाम अबु हनीफ़ा रह० की। कहने गला कि कौन कहता है कि पहले की शरीअतें ख़त्म हो गई हैं। वे ख़त्म नहीं हुई हैं बल्कि वह सब कुरआन में आ गई हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर इमाम अहमद रह० की फ़िक़ह में सब की फ़िक़ह आ जानी चाहिए। फिर वह बिगड़ गया और गालियां देने लगा। फिर एक दूसरे आदमी से मुख़ातिब हुआ। कहने लगा कि अंधे के आगे किताब पेश करना बेकार है।

फिर एक मिसाल थानवी की बयान की हुई सुनाने लगा कि एक बार कुछ अंधे हाथी देखने गए, किसी ने दुम पर हाथ फ़ेरा समझा यही हाथी है। किसी ने कान पर हाथ फ़ेरा समझा कि यही हाथी है। किसी ने सूंड पर हाथ फ़ेरा समझा यही हाथी है। चूंकि अंधे थे इस लिए देख नहीं सकते थे, अगर आंखें होतीं तो मालूम हो जाता कि

सब के जोड़ को हाथी कहते हैं और सब अंगों के मिलाने से हाथी बनता है। मैंने कहा कि बस तू अपने इस कथन पर कायम रह चारों इमामों की पैरवी कर पूरा इस्लाम हासिल होगा मगर तू तो अंधा है, आंखें होतीं तो देख सकता। फिर कहने लगा कि मैं आलिम हूँ तुझ को चाहिए कि मुझ से पूछ के अपना दीन सही कर ले। मैंने कहा कि तू तो अजीब बे वकूफ़ है, मेरी किसी बात का जवाब तो देता नहीं और अपने को आलिम कह रहा है तो इसी बहस में रात के लगभग 2 बज गए। मस्जिद में एक शोर हंगामा मचा दिया। फिर मैं घर आ गया और वह भी रात ही को अपने गांव वापस चला गया।

मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि मेरा वह नया साथी शायद अब नहीं आएगा। मगर अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस का ईमान और मज़बूत फ़रमाया और वह दूसरे दिन आया और कहने लगा कि रात की बहस से मुझे यकीन हो गया कि इस के पास सिवाए बकवास के कुछ नहीं है। यह सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है। यह सब कुछ उस की ही कृपा है। आज एक तीसरा आदमी भी हमारी जमाअत में दाख़िल हुआ है। अल्लाह तआला सब मोमिनीन को सीधे रास्ते पर चलाएं। आमीन। अब आख़िर में दो बातों का जवाब चाहता हूँ। शाह वलीउल्लाह साहब रह० ने अपनी किताब “हुज्जुल्लाहुल बालिगा” भाग दो (नमाज़ के बयान) में लिखा है कि नमाज़ के चारों तरीका सुन्नत हैं। इस के मायना यह हुए कि हंफियों की नमाज़ सुन्नत के अनुसार है। उन्होंने यह भी लिखा है कि हर एक के पास मज़बूत दलील हैं।

2-उन्होंने दूसरे भाग में तक़लीद के बयान में यह लिखा है कि उन चारों इमामों की तक़लीद और उन मज़ाहिब पर उम्मत की सहमति हो चुकी है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस बात पर

उम्मत की सहमति हो चुकी है वह बात हम को ज़रूर माननी है, क्योंकि उम्मत की सहमति जिस बात पर हो जाए उस को मानने पर हदीस में ताकीद है कृपा इन सवालात का जवाब ज़रूर दें कि मेरे दिल से यह खटका भी दूर हो जाए।

रात मैंने एक किताब पढ़ी। जिस का नाम “खुतबातुत तौहीद” है। हमीदुल्लाह मेरठी की लिखी हुई है। इस के आखिर में दीन व दुनिया की नसीहतों के बारे में अदि खुतबा में पृ० 131—132 पर लिखा है कि हंफ़ी, मालिकी, शाफ़़ी, अहले हदीस आदि सब एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस की दलील में उन्होंने एक हदीस भी नक़ल की है और हवाला बुख़ारी प्रकाशित निज़ामी पृ० 96 का दिया है और अबु दाऊद पृ० 166 पहला भाग का भी हवाला दिया है जिन की रू से हर एक के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ बतलाया है। कृपया इस पर भी रोशनी डालिए। यह बहुत ज़रूरी है। बाकी ख़ैरियत। पुरसाने हाल की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ है।

फ़क़त

खादिम नवाब मुहियुद्दीन

24 अप्रैल 1962 ई०

नोट: 1- मैं पत्र लिख कर मुकम्मल कर चुका था। और अब खाक के हवाले करने ही वाला था।

कि आप का करम नामा मिला पढ़ कर बहुत खुशी हुई। मेरे दो सवालों में से एक का जवाब (तरीका-ए-सुन्नत) के बारे में मिल गया और माशा अल्लाह तसल्ली व इत्मीनान हो गया। अब उम्मत की सहमति वाले सवाल का जवाब भी दीजिए ताकि इत्मीनान हासिल हो।

2- मिशकात बाबुत्तहारत में हदीसों हैं कि चमड़े की दबागत के बाद वह पाक हो जाता है और इस का इस्तेमाल जाइज़ हो जाता है। फिर कुत्ते की खाल भी दबागत के बाद पाक हो जानी चाहिए, इस पर भी रोशनी डालिए।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 5 मई 1962 ई०

बखिदमत जनाब नवाब साहब

अस्सलाम आलैकुम

अम्मा बाद! आप का पत्र मिला। पढ़ कर बहुत खुशी हुई मुनाजिरा की कहानी मालूम हुई। यह अल्लाह का शुक्र है कि उस ने आप को कामयाब किया और अपने दीन की खिदमत का सौभाग्य प्रदान किया। आमीन

1- “अबु हनीफ़ा मेरी उम्मत का चराग़ है।” यह हदीस ज़ईफ़ नहीं बल्कि मौजूअ है। इस हदीस का दूसरा टुकड़ा यह है। “मेरी उम्मत में एक व्यक्ति होगा जिस का नाम मुहम्मद बिन इदरीस होगा, वह शयातीन से ज़्यादा हानिकारक होगा।” (तज़किरतुल मौजूआत इब्ने ताहिर हंफ़ी फ़तनी और मौजूआते कबीर मुल्ला अली क़ारी)

मुहम्मद बिन इदरीस, इमाम शाफ़ी रह० का नाम है।

2- “मेरे सहाबा रज़ि० तारों की तरह हैं जिनका अनुसरण करो गे, हिदायत पाओगे।” यह हदीस भी मौजूअ है।

(फ़तहुल बारी वगैरह)

3- कुरआन मजीद की अनेक आयात में मुबाहसा के समय अंदाज़े गुफ़्तगू की तालीम दी गई है, इन आयाते मुबारकात की रोशनी में अर्ज़ है कि आप मुख़ालिफ़ की कड़वी बातों का जवाब कड़वाहट से न दीजिएगा बल्कि खुश अख़लाकी से ही जवाब

दीजिएगा।

अब आप के सवालात का जवाब लिखता हूं।

क्या शाह वलीउल्लाह साहब रह0 तक़लीद के समर्थक थे?

सवाल

शाह साहब रह0 ने भाग दो में तक़लीद के बयान में यह लिखा है कि इन चारों इमामों की तक़लीद और इन मज़ाहिब पर सहमति हो चुकी है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस बात पर उम्मत की सहमति हो चुकी है वह बात हम को ज़रूर माननी चाहिए?

जवाब

मेरे पास "हुज्जतुल्लाहुल बालिगा" नहीं है। मैंने एक साहब से लेकर दूसरा भाग का अध्ययन किया है। मुझे यह इबारत उस में नहीं मिली, कृपया इन की असल इबारत संदर्भ सहित नक़ल फ़रमा दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि वे क्या लिख रहे हैं।

1- इस का एक जवाब तो मैं "बुजुर्गों की गुलतियां के शीर्षक से दे चुका हूं अगर उन्होंने यही लिखा है तो फिर यह जवाब काफी है। मगर मैं समझता हूं कि ऐसा वह कैसे लिख सकते हैं जबकि:

अ: वह स्वयं लिखते हैं कि चौथी सदी से पहले लोग तक़लीद पर इकट्ठा नहीं हुए थे। (शायद पहले भाग में होगा) अतः तीन सौ साल तक तो लोग तक़लीद करते ही न थे, फिर सहमति कैसे हुई?

ब: उन की पूरी किताब "हुज्जतुल्लाहुल बालिगा" मुजतहिदाना शाहकार है, कहीं भी वह मुक़ल्लिदाना तौर पर कोई बात नहीं

लिखते। बल्कि यूँ समझिए कि लगभग पूरी किताब में हंफ़ी मसलक के खिलाफ़ लिखते चले जाते हैं। अगर सहमति उन्हें तस्लीम है तो स्वयं सहमति के खिलाफ़ क्यों चलते हैं? तकलीद क्यों नहीं करते?

ज: उन की अक्सर इबारतें जो भिन्न भिन्न किताबों में पाई जाती हैं तकलीद की निंदा से भरी हैं।

ह: “वसीयत नामा में तकलीद के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं।

2- दूसरा जवाब इस का यह है कि उम्मत की सहमति से मुराद यह है कि सहाबा रज़ि० से लेकर क़यामत तक सब मुसलमान इस पर सहमति कर लें तो यह घटित नहीं हुआ, अतः उन का यह लिखना कि इस पर सहमति है, कैसे सही हो सकता है?

3- अगर चौथी सदी से इस पर सहमति हुई तो यह भी सही नहीं। इस लिए कि आमिल बिल हदीस हमेशा रहे। अल्लामा ज़हबी रह० ने तज़किरतुल हुफ़ज़ में हर दौर के अनेक उलमा के नाम बताए हैं जो तकलीद नहीं करते थे। इन का संक्षिप्त हाल आप को “अल इर्शाद इला सबीलुर्रशाद” में भी मिल जाएगा।

क्या मुक़ल्लिद की इमामत में नमाज़ हो सकती है?

सवाल

मौलवी हमीदुल्लाह साहब ने “खुतबातुत्तौहीद” में लिखा है कि हंफ़ी, शाफ़ी, मालिकी और अहले हदीस आदि सब एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब

हदीस में है:

فمن احدث فيمها حدثا او اوى محمدا فعليه لعنة الله والملئكة

والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفاً ولا عدلاً.

अर्थात् जो व्यक्ति मदीना में बिदअत निकाले या बिदअती को जगह दे, उस पर अल्लाह की, फ़रिशतों की और तमाम लोगों की लानत, अल्लाह क़यामत के दिन उस के फ़र्ज कुबूल करेगा न नफ़िल।
(बुख़ारी व मुस्लिम)

तक़लीद निश्चय ही बिदअत है क्योंकि पुराने ज़माने में इस का वजूद नहीं था अतः मुक़ल्लिद की नमाज़ ही कुबूल नहीं होती। इस के पीछे नमाज़ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सहीह बुख़ारी के हवाले से जो कुछ लिखा है, वह हज़रत उसमान रज़ि० का कथन है, हदीस नहीं है। हज़रत उसमान रज़ि० ने इमाम फ़तना के पीछे नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी थी। यहां एक बात यह देखनी है कि इमाम फ़तना का मतभेद क्या था? कोई मज़हबी मतभेद नहीं था। उस को हज़रत उसमान रज़ि० के सियासी अहकाम से मतभेद था। एक व्यक्ति ने जोहर की अज़ान में *الصلوة خير من النوم* कहा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने कहा यह बिदअत है और मय अपने साथी के चले गए। वहां नमाज़ नहीं पढ़ी। (अबु दाऊद)

अबु दाऊद के हवाले से जो हदीस नक़ल की गई है वह ज़ईफ़ है इमाम अहमद रह० ने इस का इन्कार किया। इमाम उक़ैली रह०, इमाम दारे कुतनी रह०, इमाम बैहेकी, हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० सब ने इस को ज़ईफ़ कहा है। वह कहते हैं यह मूल साबित नहीं इमाम अहमद, अल हाकिम ने इस को मुंकर कहा है

(नैलुल औतार जुज़ 3 पृ० 138)

फ़क़त

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मोहतरम जनाब मास्टर मुहम्मद नवाब साहब सल्लमहु रब्बिही
अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बर कातुहु

मिजाज़ शरीफ़! मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, इलाज
का सिलसिला जारी है, और थोड़ा फ़ायदा है। दुआ फ़रमाएँ।

मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि आप ने तक़लीद
इमाम अबु हनीफ़ा रज़ि० को छोड़ कर अदमे तक़लीद की राह
अपनायी है और इस के सरगर्म प्रचारक हैं, अगर यह वास्तव में
हकीकत है तो मुझे बड़े दुख के साथ साथ हैरत भी है कि कुरआन
शरीफ़ और हदीस शरीफ़ से एक अपरिचित आदमी किस तरह इस
कांटों भरी वादी में कदम रखने की हिम्मत करता है। अल्लाह
तआला सही समझ प्रदान करें। क्या आप के पीर व मुर्शिद हज़रत
मौलाना अहमद अली लाहौरी रह० ग़ैर मुक़ल्लिद थे। खुदा के लिए
कुछ सोचिए।

वस्सलाम

नूर मुहम्मद

नोट: यह पत्र मौलवी नूर मुहम्मद साहब शेखुल हदीस मदरसा हाशमिया सजावल का
नवाब मुहियुद्दीन के नाम है। इस का जिक्र नवाब साहब के अगले पत्र में है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब साहब

बखिदमत शरीफ़ जनाब मोहतरम मसऊद साहब

अस्सलामु आलैकुम!

आप का भेजा हुआ पत्र मिला, शुक्रिया। मैं दो तीन दिन के लिए कराची गया था। मेरे साथ तय्यब साहब थे। वह मौलवी जो मुझ से मुनाज़िरा (मुजादला) करके दो दिन का समय ले कर गया था कि रफ़उल यदैन के निरस्त होने की हदीस लाकर दिखाऊंगा, आज तक नहीं आया। अपने शागिर्दों से कहता है कि हदीसों तो बहुत हैं लेकिन नवाब नहीं मानेगा। उस ने एक पत्र सजावल के मौलवी नूर मुहम्मद को लिखा था और फ़रियाद की थी कि नवाब गुलामुल्लाह में फ़ितना फैला रहा है ग़ैर मुक़ल्लिद हो गया है। बड़ा सरगर्म प्रचारक है आदि आदि। मौलवी नूर मुहम्मद ने मुझे पत्र लिखा, जो मैं इस पत्र के साथ नत्थी करके आप के पास भेज रहा हूँ। मैंने उन को लिखा है कि मौलवी अशरफ़ साहब ने आप को ग़लत लिखा कि मैं यहां फ़ितने नहीं फैला रहा हूँ।

आप मेरे उस्ताद भी हैं और विद्वान भी। आप ही न्याय से कहिए कि क्या कुरआन व हदीस की तबलीग़ फ़ितना है? मेरा तो ख़्याल है कि कुरआन व हदीस की तबलीग़ हक़ है और इस से फ़ितने दूर हो जाते हैं और हक़ ज़ाहिर हो जाता है और लोगों को अपना भूला हुआ दीन असली जो हुजूर सल्ल० ने सिखाया था और जिस पर सहाबा किराम रज़ि० का, ताबअीन रह० का बल्कि तबअ ताबअीन का अमल था, याद आ जाता है। फिर मैंने अशरफ़ के मुनाज़िरा का

हाल लिखा और मौलवी नूर मुहम्मद साहब को सवालात के जवाबात दिए। मैंने लिखा कि आप कुरआन व हदीस को कांटों से भरी वादी फ़रमा रहे हैं, यह क्या ग़ज़ब है। अल्लाह तआला स्वयं अपने कलाम के बारे में फ़रमाता है कि यह बहुत आसान और गुमराहों को राह दिखलाने वाला और जाहिलों को विद्वान बनाने वाला है और रसूल मासूम ने फ़रमाया कि मैं बड़ी आसान तरीन शरीअत ले कर आया हूँ लेकिन आप हैं कि कलाम पाक को कांटों भरी फ़रमा रहे हैं।

अगर मैं ग़लत रास्ते पर हूँ और राह से भटक गया हूँ तो आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे हक़ की राह दिखलाइए आप को इस काम के लिए सवाब मिलेगा। जब हंफ़ियत हक़ पर है तो फिर दलाइल क्यों ख़त्म हो गए हैं? लोग हंफ़ियत से निकल रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में इन दलीलों को मैदान में आना चाहिए, मैं कुरआन व हदीस पर अमल करता हूँ और वही मेरा ईमान है और हर समय अल्लाह तआला जल्ला शानुहु से दुआ करता हूँ कि मेरा ख़ात्मा कुरआन व हदीस पर हो। अगर आप इस बात को बेकार समझते हैं तो फिर इस बात को बेकार साबित कीजिए। क्या आप को मेरे इस्लाम कुबूल कर लेने से दुख हुआ है? उस्तादे मोहतरम! आप को तो खुश होना चाहिए, ईद मनानी चाहिए कि एक व्यक्ति (नवाब) दीने इस्लाम में दाख़िल हो गया है और हक़ को कुबूल कर लिया है, आप तो बजाए खुशी के अफ़सोस कर रहे हैं, क्या आप को यह अफ़सोस है कि नवाब आप की जमाअत से निकल कर सीधे रास्ते की तरफ़ चला गया और इस्लाम कुबूल कर लिया।

आप ने जो यह लिखा है कि क्या तुम्हारे पीर व मुर्शिद ग़ैर मुक़ल्लिद थे तो यह आप ने एक अजीब बात लिखी। क्योंकि मुर्शिद

साहब का गैर मुकल्लिद न होना मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं और यह बैअत जिहालत के दिनों की बैअत थी जो हक़ ज़ाहिर होते ही ख़त्म हो गई। दूसरे यह कि मुर्शिद साहब वफ़ात से पहले अपने रिसाला "खुद्दामुदीन" में इस बात का ऐलान फ़रमा चुके हैं कि तक़लीद न ईमान का अंश है, न फ़र्ज़ न वाजिब, और हिंसा करने वाले विद्वानों को ख़ूब डांटा भी है। इस के कुछ दिनों बाद मेरा दामाद स्वयं मेरे पास मिलने आया। उस ने कहा कि मौलवी नूर मुहम्मद साहब ने पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद फ़रमाया कि नवाब हमारी जमाअत से निकल गया। अफ़सोस! पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। फ़रमाया कि अब जवाब देना बेकार है। उस पत्र को मदरसा के सब शागिर्दों ने पढ़ा। फिर मेरा दामाद जब जाने लगा तो मैंने एक और पत्र मौलवी नूर मुहम्मद साहब को लिखा कि आप मेरे उस्ताद हैं। मुझे बताइए कि हक़ किधर है, मैं क़सम खाता हूँ कि अगर हक़ आप के पास होगा तो मैं तुरन्त कुबूल कर लूंगा।

मैंने अपने दामाद से कहा कि मैं तेरे सामने क़सम खाता हूँ कि अगर मौलवी नूर मुहम्मद साहब के पास हक़ है तो मैं तुरन्त कुबूल कर लूंगा और बजाए हक़ के उन के पास बिदअत है तो मैं कभी कुबूल नहीं करूंगा। तुम उस्ताद से कहो कि मुझे हक़ बात समझाएँ और दलाइल लिख कर भेजें, क्योंकि बिना दलाइल के तो नबियों को और पैग़म्बरों को भी कौमों ने नहीं माना। अर्थात् उन से भी दलाइल तलब किए और दलाइल मिल जाने के बाद जिन्होंने इंकार किया वह कफ़िर हो गए और बर्बाद हो गए। मेरे दामाद ने कहा कि ठीक हैं। अतएव वह मेरा पत्र ले कर गया और मौलवी नूर मुहम्मद साहब को दिया और जवाब लिखने को कहा तो मौलवी साहब ने फ़रमाया कि अब जवाब लिखना बेकार है, इस से पत्र व्यवहार का

सिलसिला बढ़ जाएगा और मैं अपनी तकलीद पर बेहद सन्तुष्ट हूँ आदि। मैंने अपने दामाद से पूछा कि अब बताओ हक किधर है और यह तकलीद शख्सी बिदअत है या नहीं? उस ने कहा कि बेशक तकलीद बिदअत है।

तय्यब साहब और दूसरे साथी गुलाम हुसैन साहब आप का सलाम अर्ज करते हैं और आप से मुलाकात के इच्छुक हैं। अब मैं कुछ सवालात लिखता हूँ उन के जवाब दलाइल की रोशनी में दीजिए।

हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रह० "हुज्जतुल्लाहुल बालिगा" पहला भाग अध्याय-4 पृ० 360 पर लिखते हैं कि "इस मक़ाम के मुनासिब यह है कि इन मसाइल पर लोगों को सचेत कर दिया जाए कि जिन के कदम बहक गए, वे लगज़िश खा गए और कलमों ने कज रवी की, उन में से एक मसला यह है कि चारां मज़ाहिब जो संकलित हो चुके हैं और लिखे जा चुके हैं, तमाम उम्मत या वे लोग जो इस उम्मत में भरोसे मन्द हैं, सब ज़माना में उन की तकलीद के जाइज़ और ठीक होने पर सहमत हैं और इस तकलीद में बहुत सी मसलहतें हैं जो पोशीदा नहीं। ख़ास कर इस ज़माने में लोग निहायत ही कम हिम्मत हो गए हैं और इन के दिल नफ़सानी इच्छा से भर गए और हर व्यक्ति अपनी ही राय पर गर्व करने लगा।"

शाह वलीउल्लाह साहब रह० के "वसीयत नामा" का आप ने पिछले पत्र में जिक्र किया था। वह "वसीयत नामा" किस किताब में मिलेगा, इस किताब का नाम और पता ज़रूर लीखिए।

खादिम नवाब

24 मई 1962 ई०

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

31 मई 1962 ई०

बखिदमत नवाब साहब

अस्सलाम आलैकुम!

(अम्मा बाद) आप का पत्र ता० 24 मई मिला, आपकी तबलीगी कामयाबी से बहुत खुशी हुई। اللهم زده فزده। शाह वलीउल्लाह साहब रह० की किताब "हुज्जतुल्लाहुल बालिगा" पहले भाग पृ० 360 की जो इबारत आप ने नकल की है, उस का मफहूम जो मैं समझा हूँ, उस का विलोम है जो आप समझे हैं, इस से तो तकलीद की बुराई साबित हो रही है। कृपया इस के आगे की इबारत और नकल करके भेजें ताकि मैं अपने मफहूम पर मुतमइन हो कर विस्तार से आप को लिख सकूँ और इसी लिए इस समय यह संक्षिप्त पत्र लिख रहा हूँ, आप स्वयं भी इस के मफहूम पर सोच विचार कीजिए।

शाह वलीउल्लाह साहब रह० का वसीयत नामा अलग छपा हुआ मेरे पास है। और शायद यह किसी बड़ी किताब का अंश नहीं है। मुरदार की खाल दबागत से पाक हो जाती है लेकिन कुत्ते की नहीं। इस लिए कि कुत्ता दरिन्दा है और दरिन्दों की खाल इस्तेमाल करने की मनाही है, उस को बिछाना मना है। (तिर्मिजी) दरिन्दों की खाल पर बैठना मना है। (अबु दाऊद) पहनना मना है। (अबु दाऊद)

इन हदीसों की रोशनी में दरिन्दों की खाल को अपवाद करना लाज़िमी है।

फ़क़त

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत जनाब मोहतरम मसऊद साहब!

अरस्सलाम आलैकुम!

सख्त इंतिजार के बाद कल आप का कार्ड ता0 13 मई 1962 ई0 मिला। हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पहले भाग की जो इबारत मैंने नकल की थी, उस के बाद की तहरीर में तो बे शक तकलीद की बुराई का पहलू निकलता है। मगर मैं केवल इस हिस्सा तहरीर के बारे में जानना चाहता था कि जिस में यह लिखा है कि यह चारों मजाहिब जो संकलित हो चुके हैं या तहरीर में आ चुके हैं तमाम उम्मत या वे लोग जो इस उम्मत में भरोसे योग्य हैं, सब इस ज़माना में उन की तकलीद के जाइज़ और सही होने पर सहमत हैं और इस तकलीद में बहुत सी मसलेहतें हैं जो पोशीदा नहीं हैं। तो यह जो लिखा है कि तमाम उम्मत ने सहमति कर ली है इस से क्या मतलब है? क्या यह उम्मत की सहमति नहीं हुई। बस इस के बार में जानना चाहता हूं। इसी पर रोशनी डालिए कि यह उम्मत की सहमति है या नहीं? क्योंकि शाह साहब रह0 के शब्दों से मालूम होता है कि उम्मत ने तकलीद जाइज़ होने पर सहमति कर ली है तो फिर यह उम्मत की सहमति हो गयी या नहीं। शायद तिर्मिज़ी की हदीस है। एक मौलवी ने मुझे एक हदीस दिखलाई जो मिश्कात में मौजूद है।

इब्ने माजा की हदीस है। "जमाअत का अनुसरण करो" तो जो व्यक्ति जमाअत से अलग हुआ उस को अकेले आग में डाला

जाएगा” उस ने कहा कि आप जमाअत छोड़ कर अलग हो गए, इस समय जमाअते तकलीद करने वालों की ही जमाअत है अगर आप इस को जमाअत नहीं मानते तो फिर बतलाइए कि वह कौन सी जमाअत है जिस के बारे में यह हदीस है। हदीस सब मुसलमानों के लिए है या नहीं? जो लोग क़यामत तक पैदा होंगे, वे भी उन हदीसों पर अमल कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो फिर यह हदीस बेकार है और अगर कर सकते हैं तो फिर हमारी जमाअत ही जमाअते हैं। मैंने देखा कि मिश्कात शरीफ़ पहला भाग में यह हदीस मौजूद है। मैंने उस मौलवी से कहा कि यह हदीस इब्ने माजा की है।

इब्ने माजा में असल हदीस देखनी चाहिए कि आया मुहद्दिसीन ने उस पर जिरह तो नहीं की है और उस का रावी कौन है? यह सब देखने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। उस ने कहा ठीक है। आप इब्ने माजा में हदीस देख कर अपना इत्मीनान करके जमाअत में लौट आइए। उस ने कहा कि अगर आप यह कहें कि इस हदीस के मुख़ातिब सहाबा किराम रज़ि० थे तो अब तो सहाबा किराम रज़ि० नहीं हैं और मुसलमानों को हुक्म हुआ है कि जमाअत का अनुसरण करो। तो अब हमारी जमाअत ही जमाअते कसीर है। ख़ूब ग़ौर कर लीजिएगा मसऊद साहब इस हदीस के बारे में ज़रूर लिखिए। यह हदीस सहीह है या मौजूअ है और इस का क्या मतलब है। मुझे आप के जवाब का सख़्त इन्तिज़ार रहेगा। उस मौलवी ने सिलसिल-ए-कलाम जारी रखते हुए कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं? हम कलिमा पढ़ते हैं, किब्ला की तरफ़ मुंह करते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। यही ठीक ठीक ईमान है। फ़राइज़ और सुन्नत आदि में हम से किसी को मतभेद नहीं है।

फ़ज्र की दो सुन्नत, दो फ़र्ज हम भी पढ़ते हैं और आप भी जोहर, असर के चार फ़र्ज आप भी पढ़ते हैं और हम भी। मगरिब के तीन फ़र्ज आप भी पढ़ते हैं और हम भी और इशा के चार फ़र्ज आप भी पढ़ते हैं और हम भी, तौहीद में भी कोई मतभेद नहीं है। क्या फिर भी आप हम को इस्लाम से बाहर समझते हैं? हुजूर सल्ल० की नुबूवत और रिसालत पर भी हमारा ईमान है। फिर किस जुर्म में आप हम को इस्लाम से बाहर समझते हैं। यद्यपि तकलीद करते हुए भी हम इन सारी बातों के काइल हैं। और ईमाने कामिल रखते हैं और हम तकलीद इसी लिए करते हैं कि ईमान सलामत रहे, कोई व्यक्ति हमारे ईमान पर डाका न डाल सके। जिस तरह आप को जमाअत से तोड़ लिया गया, कल को शीआ हज़रात की दलीलें सुन कर आप शीआ हो जाएंगे। परसों कादियानियों की दलीलें सुन कर आप कादियानी हो जाएंगे ऐसी हालत के बारे में हुजूर सल्ल० ने भविष्य वाणी की है कि क़यामत से पहले क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी रात को मुसलमान होगा फिर सुबह को काफ़िर हो जाएगा और सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफ़िर।

तुम्हारा सम्प्रदाय सूफ़ीवाद के खिलाफ़ है। यद्यपि सूफ़ीवाद नाम है नफ़स की सफ़ाई का और नफ़स की सफ़ाई वही कर सकता है जो पाबन्द शरीअत हो और पाबन्द शरीअत बड़े बड़े बुजुर्ग गुज़र चुके हैं और मौजूद हैं और होंगे। देखिए अहमद अली साहब लाहौरी, मदनी साहब, बादशाह पीर, मुईनुद्दीन साहब चिश्ती आदि और ये सब लोग मुक़ल्लिद थे। जिन की करामतों से तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं। चांद से ज़्यादा रौशन करामतें प्रकट हुई हैं और होंगी, लेकिन आप आज सब को झुठला कर जन्नत के

ठीकेदार बन गए हैं। न बुजुर्गों, औलिया अल्लाह का लिहाज न ख्याल। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो मेरे वली को कष्ट देगा मैं उस से जंग करूंगा और आप हैं कि करामतों को झुठला कर सब को इस्लाम से निकाल रहे हैं। फिर कहने लगा कि जनाब यह क़यामत की निशानी है आखिरी दौर है, लोग जमाअत से निकल रहे हैं। अपना अपना दीन बना रहे हैं।

उस ने एक घटना सुनायी कि ठट्टा के एक बुजुर्ग जो मर चुके हैं जिन का नाम मुहम्मद हाशिम था। वह जब रोज़ा-ए-मुबारक पर गए तो वहां पहुंच कर अर्ज किया। अस्सलामु आलैकुम या रसूलुल्लाह। रोज़ा-ए-मुबारक से जवाब आया। व अलैकुमुस्सलाम मुहम्मद हाशिम। उस समय रोज़ा-ए-मुबारक पर बहुत लोग थे और मुहम्मद हाशिम नाम के भी बहुत लोग थे और लगभग सब ही ने सलाम अर्ज किया था इस लिए आपस में मतभेद हुआ। हर मुहम्मद हाशिम कहने लगा कि मुझे जवाब आया है। फिर दोबारा सलाम अर्ज किया गया तो जवाब आया कि वअलैकुमुस्सलाम मुहम्मद हाशिम ठट्टवी। वह कहने लगा कि बुजुर्ग मुहम्मद हाशिम हंफी और पक्के हंफी थे, अभी तक उन के शागिर्द और खलीफ़ा ठट्टा में मौजूद हैं। अगर हंफी इस्लाम से ख़ारिज होते तो हुजूर सल्ल० क्योँ नाम ले कर सलाम का जवाब देते। इसी किस्म की एक और घटना मुझ से सजावल में नूर मुहम्मद साहब ने सुनायी थी कि हुसैन अहमद मदनी साहब रह० को भी रोज़ा-ए-मुबारक से सलाम का जवाब आया था। मदनी साहब रह० पक्के हंफी थे। मगर जिन्नात भी आकर उन से दर्स लेते थे। फिर उस मौलवी ने कहा कि हुजूर सल्ल० बुजुर्ग मुहम्मद हाशिम साहब रह० की ज़िन्दगी में अपने चारों यारों को लेकर ठट्टा आया करते थे।

हंफियों की तो यह शान है। मास्टर साहब आप अपनी खैर मनाइए, बतलाइए कि क्या ऐसा कोई वली बा कारामत आप की जमाअत में भी गुज़रा है। एक खुबसूरत सा नाम अपने लिए पसन्द कर लिया, मगर हासिल क्या हुआ? जमाअत से टूट गए। जमाअत की नमाज़ के सवाब से महरूम हो गए। जुमा की नमाज़ और सवाब से महरूम हो गए। ज़िक्र भी छूट गया, बल्कि अब तो अल्लाह के ज़िक्र का विरोध करने लगे और इस ग़लत फ़हमी में पड़ गए कि सब मुशिरक और काफ़िर हैं। आप अंग्रेज़ी दानों की इस जमाअत में दाख़िल हो गए हैं जिन्होंने चार पांच परस्परविरोधी फ़रोअी मसाइल को अपना ट्रेड मार्क बना लिया है। हुज़ूर सल्ल० ने यह भविष्य वाणी और ताकीद फ़रमा दी कि जमाअत का अनुसरण करो।

हमारी जमाअत आज जितनी इस्लाम की ख़िदमत कर रही है वह रोज़े रौशन की तरह साफ़ है। आप स्वयं ही सोचिए आप को रंज और ग़म है कि कोई आप की बात सुनता नहीं। आप दुनियाए, इस्लाम से कट कर अलग हो गए। बल्कि घर में बन्द हो गए। उस मौलवी की गुफ़तगू बड़ी लम्बी चौड़ी थी, मगर मैंने सार कर दिया। जब उस ने बहस ख़त्म की तो मैंने उस से कहा कि आप ने अपनी तरफ़ में ख़ूब तक़रीर की। आप अपनी कसरत का रोब जमाना चाहते हैं। हुज़ूर सल्ल० तो फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 सम्प्रदायों में बंट जाएगी। केवल एक सम्प्रदाय जन्नत में जाएगा और 72 सम्प्रदाय जहन्नम में जाएंगे। अर्थात् 73 आदमी हों तो केवल एक आदमी जन्नत में जाएगा और 72 आदमी जहन्नम में जाएंगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जन्नत में जाने वाले कम संख्या में होंगे और जहन्नम में जाने वाले अकसरियत में होंगे, अब आप अपनी अकसरियत पर गर्व कीजिए, और मैंने कहा कि सहाबा रज़ि० के

मालूम करने पर हुजूर सल्ल० ने फ़रमाया, जन्नती सम्प्रदाय वह होगा जो मेरे और मेरे असहाब रज़ि० के तरीके पर होगा।

अब रही वह हदीस कि जमाअत कसीर का अनुसरण करो तो जमाअते कसीर से मुराद सहाबा रज़ि० की जमाअत है बस हुक्म हो रहा है कि सहाबा रज़ि० के तरीका अर्थात् तरीका—ए—नुहम्मदी का अनुसरण करो और यह बात, यह नेमत आप को नसीब नहीं, क्योंकि आप ने दीने इस्लाम के चार टुकड़े कर डाले और हर एक ने अलग अलग शरीअत ठहराई और आप की अक्सरियत वाली जमाअत ने तो शरीअत बना कर दीने इस्लाम को नोच डाला है और फिर भी बड़ी दिलैरी से अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत कहलवाते हैं और करामतों का दावा करते हैं। मैंने देखा कि वह मौलवी मेरी बात सुन कर कुछ घबरा गया और इधर उधर की बातें करने लगा। कहने लगा कि मैं फिर किसी समय आकर आप से मुनाज़िरा करूंगा, तब तक आप भी हदीस आदि देख कर तय्यार रहिए। मसऊद साहब वह तो चला गया, लेकिन मैं तो मुनाज़िरा से घबराता हूँ और स्वयं को इस काबिल नहीं पाता कि हर सवाल का जवाब दे सकूँ।

मसऊद साहब मैंने इस की गुफ्तगू जो निहायत नर्म माहौल में हुई, वह लगभग सब लिखने की कोशिश की है। आप मुझे कोई ऐसी दलील ज़बरदस्त लिखिए कि फिर बात बनाए न बने, मुझे आप के ख़त का सख़्त इंतज़ार रहेगा। मेरा ख़्याल है कि उस मौलवी को मेरे पास भेजने में किसी का हाथ था। तय्यब साहब और गुलाम हुसैन साहब आप को सलाम कहते हैं। तय्यब साहब से कई लोग और ख़ास तौर से उन के ख़ानदान वाले उन के सख़्त विरोधी हो

1- यह जवाब सही नहीं, इसी किताब में देखिए।

गए। उन के वालिद ने सरे बाजार उन से झगडा किया लेकिन अल्लाह तआला कुदरत वाला है, तय्यब साहब अपने मसलक पर मजबूती से जमे हुए हैं। यह सब कुछ अल्लाह तआला का फजल व करम है, आज कल हमारी मस्जिद पर बिदअतियों का कब्जा हो चला है। एक बिदअती सख्त किस्म का हेड क्लर्क हो कर आया है और दूसरा प्राइमरी का मास्टर भी आया है। दोनों ने अपनी पार्टी बना ली है और मस्जिद पर कब्जा कर लिया है। हम लोग घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं। दुआ कीजिए कि ये दोनों बिदअती यहां से दफ़अ हो जाएं या सीधी राह पर आ जाएं। यह हलका बांध कर ज़िक्र करते हैं और या दस्तगीर के नारे लगाते हैं या गौसुल मदद पुकारते हैं।

मेरी तरफ़ से सब की ख़िदमत में सलाम अर्ज करें बच्चे सब सलाम अर्ज करते हैं।

फ़कत

खादिम नवाब

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 14 जून 1962 ई०

बखिदमत मोहतरमी मुकर्रमी मोहियुद्दीन खां साहब

अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

(अम्मा बाद) कल आप का पत्र मिला, जवाब कल ही लिखने बैठ गया था लेकिन एक साहब तशरीफ ले आए, अतः लिख न सका। मौलवी नूर मुहम्मद साहब का पत्र भेज दिया है। अब आप अपने सवालों के जवाब सुनिए।

शाह वलीउल्लाह रह० की तहरीर से तकलीद का रद्द

1- शाह वलीउल्लाह साहब रह० ने लिखा है कि तकलीद भी उन मसाइल में से है जिन में बड़े बड़े लोग ठोकर खा गए और ग़लत फ़हमी से कुछ का कुछ समझ गए और कुछ का कुछ लिख गए। ग़लत फ़हमी यह हुई कि उन लोगों ने यह समझ लिया कि तकलीद जाइज़ है। इस पर सहमति है आदि आदि, यद्यपि हकीकत में न यह जाइज़ है, न इस पर सहमति है। उन बड़े बड़े उलमा को धोखा हुआ जो वह ऐसा समझे। यह है शाह साहब रह० का असल मंशा अगर उन का मंशा यह न होता तो फिर बाद की तहरीर से तकलीद की बुराई का पहलू कैसे निकल सकता है? और किस तरह उन की पूरी किताब मुजतहिदाना तहरीर से भरी होती।

2- तिर्मिजी में बेशक यह हदीस है कि “मेरी उम्मत गुमराही पर जमा न होगी” और अल्लाह तआला का शुक्र है कि तकलीद पर उम्मत जमा नहीं हुई।

3- इब्ने माजा में हदीस है: اذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الاعظم. “जब मतभेद देखो तो सवादे आजम को लाजिम पकड़ो।” इमाम अबुल हसन सिन्धी लिखते हैं:

”وفي الزوائد في اسناده ابو خلف الاعمي واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر.

जवाइद में है कि इस हदीस की असनाद में अबुल खलफुल आमा जिस का नाम हाजिम है, जईफ़ है, यह हदीस और भी तरह से मरवी है लेकिन सब में जईफ़ है।”

(हाशिया इब्ने माजा अबुल अबवाबुल फितन भाग-2 पृ0 464)

इस हदीस का जवाब यह है:

“बड़ी जमाअत की पैरवी करो” का सही मतलब

1- यह हदीस जईफ़ है, अतः हुज्जत नहीं।

2- हकीकत में इस का संबंध सियासी मामलों से है जैसा कि इन अहदादीस का मजमून इस पर दलील है। रसूलुल्लाह सल्ल0 फरमाते हैं:

من رأى من اميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت الآمات ميتة جاهلية.

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

“जो व्यक्ति अपने अमीर की कोई बात ऐसी देखे जो

उसे ना पसन्द हो तो वह सब करे क्योंकि जो व्यक्ति जमाअत से बालिश्त भर भी अलग हो उसकी मौत अज्ञानता की मौत होगी।”

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं:

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية.

“जो व्यक्ति अमीर के आज्ञा पालन से विद्रोह करे और जमाअत से अलग हो जाए, उस की मौत अज्ञानता की मौत है।” (सहीह मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं:

”من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه.“ (صحيح مسلم)

“जो व्यक्ति तुम्हारे पास इस हाल में आए कि तुम सब एक व्यक्ति की इमारत पर जमा हो और वह तुम्हारी कुव्वत को तोड़ना चाहे या तुम्हारी जमाअत में फूट पैदा करे तो उस को क़त्ल कर दो।”

एक रिवायत में यह शब्द हैं “कائنا من كان” चाहे वह कोई भी हो। (सहीह मुस्लिम)

मतलब यह है कि जहां मामलात शूरा से तै होते हों, वहां सवादे आज़म की बात तस्लीम होगी। अक़लियत या फ़र्द की बात मानने से फूट पैदा होगी। जैसे अगर सवादे आज़म ने किसी को अमीर बना कर लिया, तो सवादे आज़म का साथ देना होगा।

3- इस हदीस का संबंध किसी तरह दीनी उमूर से नहीं है। अगर दीनी मामलों से हो तो फिर हर वह मसअला जिस पर सवादे आज़म हां करे दीनी मसअला बन जाएगा और यह **اليوم اكملت لكم** के पूरी तरह ख़िलाफ़ है।

“बड़ी जमाअत की पैरवी करो” के आरोपित

जवाब

4- इस ज़माना में बरेलवियों की अधि संख्या है तो फिर देवबन्दियों को चाहिए कि बरेलवियों में शामिल हो जाएँ।

5- लगभग हर ज़माना में हंफी अधि संख्या में रहे और अब भी हैं तो फिर ये लोग मालिकियों, शाफियों, हंबलियों को दावत क्यों नहीं देते कि इस हदीस की रोशनी में हंफी हो जाओ क्योंकि वे तीनों सम्प्रदाय इस हदीस पर अमल करने के लिए न कभी तैयार थे और न अब हैं तो फिर वे गुमराह क्यों नहीं, वे जहन्नम में क्यों न डाले जाएँ और वे भी अकेले अकेले जैसा कि हदीस के दूसरे टुकड़े में है, उन गुमराह और जहन्नमियों को आज तक हक़ पर क्यों तस्लीम किया जाता है?

6- मौजूदा ज़माना के हालात व आसार से यह अंदेशा होता है कि निकट भविष्य में कादियानियों की अधि संख्या हो जाएगी। क्या उस ज़माना में भी इस हदीस पर अमल होगा या नहीं?

7- इन के झूठ पर इन के हदीस के मतलब के झुठलाने पर सब से ज्यादा अहम दलील यह है:

“यह तो ज़ाहिर है कि मुक़ल्लिदीन अहदे रिसालत सल्ल० में नहीं थे, सहाबा के दौर रजि०, ताबअीन रह० के दौर में भी नहीं थे। हर सम्प्रदाय की जब इब्तिदा होती है तो इब्तिदा में वह सम्प्रदाय अल्पसंख्यक ही में होता है पहले सम्प्रदाय का संस्थापक अकेला होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन और इसी तरह सम्प्रदाय प्रगति करता चला जाता है। मुक़ल्लिदीन के सम्प्रदाय की भी आख़िर कोई

शुरूआत है। जो शाह वलीउल्लाह साहब रह0 के कथना नुसार चौथी सदी है। तो फिर इस शुरू के दौर में निश्चय ही वह कम संख्या में होंगे और गैर मुक़ल्लिदीन अधि संख्या में मुक़ल्लिदीन की कम संख्या उस समय इस हदीस की मुख़ातब होगी। यह हदीस पुकार पुकार कर कह रही होगी कि ऐ मुक़ल्लिदीन की कम संख्या अधि संख्या में गुम हो जाओ। अगर वह गुम हो जाते तो आज उन का वजूद न होता। लेकिन उन्होंने जहन्नम में जाना पसन्द किया और अक्सरियत में गुम नहीं हुए। इस हदीस के इस मायना की रोशनी में वे लोग गुमराह, बातिल परस्त और जहन्नमी हुए। यह हैं मौजूदा दौर के मुक़ल्लिदीन के पेशरू। उन्होंने बातिल पर रह कर अपने सम्प्रदाय को बाकी रखा, यही अधि संख्यक सम्प्रदाय जो उस समय बातिल पर था, बढ़ते बढ़ते अधि संख्यक में तब्दील हो गया। तो क्या अब यह हक़ पर हो गया। इस हदीस से तो मुक़ल्लिदीन की बुनियाद ही बातिल पर है और फिर भी उन्हें अपनी मौजूदा अधिक संख्या पर गर्व है।

8- हक़ के मामले में अधि संख्या अल्प संख्या, कोई मेयार नहीं बल्कि दलीलों की रू से अल्प संख्या का हक़ पर होना ज़्यादा जाहिर है और वह दलीलें यह हैं:

1- قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث

فاتقوا الله يا اولى الالباب لعلكم تفلحون. (سورة مائده)

“कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, यद्यपि नापाक की अधिकता तुम को अच्छी ही क्यों न मालूम हो या हैरत ही में क्यों न डाले। ऐ अक़लमन्दो! अल्लाह से डरो ताकि तुम फ़लाह पाओ।”

2- وقليل من عبادى الشكور (سورة سبا 13)

“मेरे बन्दों में शुक्र गुज़ार थोड़े ही होते हैं।”

۳- ان كثيرا من الخلطاء ليغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا و عملوا الصلحت و قليل ما هم (سورة ص ۲۴)

“अधिकांश शरीक एक दूसरे पर ज़्यादा ही करते हैं। सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और सद कर्म करते हैं और ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं (अर्थात् मोमिनीन, सालिहीन की तादाद कम होती है।)”

4- सूरह-ए-हूद के आखिरी रुकूअ और सيقول के आखिरी रुकूअ में भी इस तरह की आयात हैं, देख लीजिएगा।

۵- ان كثيرا من الناس لفاسقون.

“बेशक अधिक लोग अवज्ञाकारी होते हैं।” (माइदा 49)

6- रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया:

انما الناس كالابل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة. (صحيح بخارى و صحيح مسلم)

“आदमियों की मिसाल ऐसी है जैसे सौ ऊंट। करीब है कि तुमको एक भी ऊंट सवारी के काबिल न मिले, अर्थात् नाकिस लोगों की अधिसंख्या होगी।”

4- आगे जब कभी उन मौलवी साहब से बात हो तो उन से पूछिए कि आप ने जिन अक़ीदों और कर्मों का जिक्र किया है, यह अक़ीदे और कर्म कादियानियों के भी हैं तो क्या वे भी मुसलमान हैं। फिर यह कि तौहीद का आप केवल ज़बान से इकरार करते हैं। वैसे आप के अक़ीदों और कर्म तौहीद के मुनाफ़ी हैं।

ولا يشرك في حكمه احدا. (كهف ۲۶) ام لهم شركوا شرعوا

لهم من الدين مالم يأذن به الله (شورى)

اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله. (توبه ۳۱)

आदि आयात की रोशनी में शरीअत साज़ी अल्लाह अकेले का हक़ है। उलमा का शरीअत साज़ी करना शिर्क़ है और क्यों कि तक़लीद को जो कि ख़ैरुल कुरुन में नहीं थी, राइज करके दीन में दाख़िल कर लिया गया है। अतः ये लोग शिर्क़ करने वाले हुए।

फिर तक़लीद के साथ शरीअत साज़ी मुस्तक़िल सूरत में मुक़ल्लिदीन में दाख़िल होती चली गई।

1- जैसे शरीअत में इमाम बनाने के लिए केवल चार चीज़ों का ज़िक़्र था, अर्थात सब से बड़ा क़ारी, अगर (इस में) सब बराबर हों तो सुन्नत का सब से बड़ा आलिम। अगर उस में भी सब बराबर हों तो हिजरत में सब से ज़्यादा मुक़द्दम। अगर अब भी बराबरी हों तो उम्र में सब से बड़ा। (सहीह मुस्लिम) लेकिन उन्होंने इस में अनेक चीज़ों की वृद्धि की जैसे अगर अब भी बराबर हों तो वह वर्ना वह जो सब से ज़्यादा सुन्दर हो जिस की बीवी सब से ज़्यादा ख़ूबसूरत हो। *ثم الاكبر رأسا والاصغر عضواً* (दुर्रे मुख़तार)

2- किसी सहीह हदीस से मर्द व औरत की नमाज़ में फ़र्क़ साबित नहीं होता। लेकिन उन्होंने दोनों की नमाज़ के अलग अलग तरीके मुक़र्रर किए।

3- सर के मसह का तरीका अर्थात तीन उंगलियां मिलाकर सर के बीच से पीछे ले जाएं और हथेलियों को सर आस पास से वापस आगे लाए। अंगूठे और शहादत की उंगली उठी रहें, गर्दन का मसह पुश्ते कफ़ से किया जाए, यह तमाम तरीका मनगढ़ा है।

4- गांव वाले ईद की नमाज़ से पहले क़ुरबानी कर सकते हैं। शहर वाले भी शहर से बाहर जानवर ले जाकर नमाज़े ईद से पहले क़ुरबानी कर सकते हैं। (हिदाया) यह तमाम की तमाम शरीअत साज़ी है बल्कि हराम को हलाल करने का हीला है।

5- कुत्ते को उठा कर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ हो जाएगी ।

(दुर्रे मुखतार)

6- “*اوجامع فى دون الفرج ولم ينزل*” तो रोज़ा नहीं टूटता (दुर्रे मुखतार) या संभोग करे फुरुज़ के अलावा में तो इंज़ाल नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटता ।

7- नशा की हालत में बेटी का बोसा लिया तो उसकी पत्नी उस पर हराम हो गई ।
(दुर्रे मुखतार)

मतलब यह कि इस तरह के हज़ारहा मसाइल हैं जिन से फ़िक़ह की किताबें भरी पड़ी हैं । यह सब गढ़े गए हैं । गढ़ना भी शिर्क है और उस का मानना भी शिर्क है । मैं फिर कहता हूँ कि इमाम हक़ पर थे लेकिन मौजूदा मज़ाहिब और तक़लीद बातिल और शिर्क हैं । इमाम उन सब से पूरी तरह बरी हैं न उन के यह मसाइल, न उन का यह मसलक, हां यह बात अपनी जगह पर अटल है कि उन इमामों में से भी अगर किसी का कथन हदीस के ख़िलाफ़ हो तो इस कथन को मानना शिर्क है ।

5- हदीस तो सहीह है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम तक काफ़िर हो जाएगा और शाम को मोमिन होगा, और सुबह तक काफ़िर हो जाएगा । लेकिन बे मौक़ा व बेमहल इस्तेमाल किया गया है इन शब्दों के आगे यह शब्द भी हैं । *بيع دينه بعوض من الدنيا* . अर्थात् दीन को दुनिया के माल के बदले बेच देगा ।
(सहीह मुस्लिम)

और चूँकि आप का अहले हदीस हो जाना अल्लाह के लिए है न कि दुनिया के लिए, अतः यह हदीस आप पर फिट नहीं हो सकती ।

अहले हदीस कोई सम्प्रदाय नहीं है

1- अहले हदीस कोई सम्प्रदाय नहीं है, न इस सम्प्रदाय का कोई संस्थापक है, न इमाम ने इस सम्प्रदाय की कोई खास किताबें लिखी हैं। उन की किताबें वही हैं जो दीन की असल हैं अर्थात् कुरआन व हदीस। इमाम वही है जिस को अल्लाह ने इमाम बनाया, अर्थात् हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० को, अल्लाह के बनाए हुए इमाम की मौजूदगी में दूसरे को इमाम बनाना और उन की तकलीद करना यह भी शिर्क है, लोगों के लिए इमाम बनाना अल्लाह का काम है न कि बन्दों का।

(यहां इमाम से मुराद दीनी रहनुमा है न कि खलीफ़ा या विद्वान) कुरआन व हदीस का अनुसरण करने वाले हमेशा से हैं। शुरू ज़माना में अहले हदीस की अधिकता थी और रिसालत काल में भी केवल यही थे।

7- कोई अहले हदीस नफ़स की सफ़ाई का इंकार नहीं करता, वह लोगों के मन गढ़त सूफ़ीवाद व तरीक़त का इंकार करता है।

करामत वलायत का पैमाना नहीं

8- तकलीद एक तो ज्ञान का नाम नहीं, अज्ञानता का नाम है। उसूल फ़िक़ह जैसे स्पष्टीकरण आदि की इबारतें इस पर गवाह हैं, अतः अल्लाह का वली कभी जाहिल नहीं हो सकता। दूसरे—तकलीद बिदअत है, शिर्क है, अतः कोई वलीअल्लाह मुक़ल्लिद भी नहीं हो सकता। अब अगर किसी मुक़ल्लिद से करामात का प्रकटन भी हो तो वह ऐसा ही है जैसा कि हिन्दू साधुओं से होता है। अतः यदि कोई मुक़ल्लिद वली मशहूर हो तो हम उस को वली तस्लीम

नहीं करेंगे और अगर वास्तव में वली हो तो उस को मुक़ल्लिद तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि इस प्रकार की हठ बातिल है। करामत वलायत का पैमाना नहीं, बल्कि रसूल सल्ल० का अनुसरण वलायत का पैमाना है।

मीज़ाने कुबरा इमाम शोअरानी में है। “वलायत पर जिस का कदम पहुंच गया, वह उलमा की तक़लीद नहीं करता।”

(अल इर्शाद पृ० 238, लेखक अबु याहया मुहम्मद)

अल्लामा शैख़ कुरदी अपने रिसाला में लिखते हैं। “मशाइख़ का तरीका सुन्नत का अनुसरण और अदमे तक़लीद है।”

(अल इर्शाद पृ० 238)

इस तरह की और भी इबारतें हैं। अल इर्शाद देखें।

9- सहाबा किराम रज़ि०, ताबअीन रह०, अइम्मा-ए-दीन, सब के सब ग़ैर मुक़ल्लिद थे और सब के सब वली। मशहूर इमामुल हदीस हज़रत इमाम हसन बसरी रह० क्या मुक़ल्लिद थे? हज़रत निज़ामुद्दीन रह० औलिया का कथन मशहूर है: अबु हनीफ़ा के¹ के बारे में इससे बेहतर और सच्ची बात दूसरा नहीं कह सकता।

मतलब यह कि हर भरोसे मन्द वली ग़ैर मुक़ल्लिद था। कहां तक लिखूं? रहा यह कि वे मुक़ल्लिद कहलाते हैं, तो यह तो मुक़ल्लिदीन

1- इमाम अबु हनीफ़ा रह० कौन होते हैं कि उन के कथन को रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबले में पेश करूं।” अहले हदीस ही में औलिया अल्लाह हुए और इतने हुए हैं कि उन की गिनती ना मुमकिन है। हज़रत शैख़ सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी रह० अहले हदीस थे। और अहले हदीस को नाजी सम्प्रदाय शुमार करते थे। (गुनियतुत्तालिबीन) बल्कि उन्होंने हंफियों को गुमराह सम्प्रदाय में शुमार किया है। हज़रत ख्वाजा सय्यद मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रह० भी अहले हदीस थे, वह रात को दुआ मांगा करते थे।

اجعلنى فى زمرة اهل الحديث يوم اليمه.

“ऐ अल्लाह! मुझे कयामत के दिन अहले हदीस की जमाअत से कीजियो।”

(तज़किरतुरसालिहीन।” लेखक मौलाना शमसुद्दीन अकबर आबादी भाग-3 पृ० 249)

का हमेशा तरीका रहा है कि वह हर एक को बदनाम कर देते हैं, यहां तक कि इमाम इब्ने तैमिया रह0 और इमाम इब्ने कय्यम रह0 तक को उन्होंने हंबली मशहूर कर दिया। शाह वलीउल्लाह साहब रह0 और उन के खानदान के चश्म व चराग सब मुकल्लिद मशहूर हैं।

10- मुहम्मद हाशिम ठट्टवी को सलाम का जवाब आना वगैरह यह सब अंधविश्वास हैं, हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं। हुज्जत केवल कुरआन व हदीस है।

11-यह आरोप है कि इस जमाअत को अंग्रेजों ने इस्लाम में फूट डालने के लिए बनाया था, यह जमाअत मौलाना सय्यद अहमद शहीद और मौलाना सय्यद इसमाईल शहीद के जमाने से 1947 ई0 तक अंग्रेजों से लड़ती रही। उन के आखिरी अमीर मौलाना फज़ल इलाही वजीर आबादी रह0 पाकिस्तान बनने के बाद चंबड़ से पाकिस्तान चले आए। जमाअते मुजाहिदीन को तोड़ दिया, चंबड़ सरहदी इलाका में एक मक़ाम है पूरे डेढ़ सौ साल तक यह जमाअत अंग्रेजों से लड़ती रही, फांसियां भी हुई, गिरफ़्तारियां भी हुई, काले पानी भी भेजे गए। हां अहया-ए-इस्लाम का उस जमाने में केवल एक मदरसा था और वह दिल्ली में था। इस के मुक़ाबिल एक मदरसा देवबन्द में काइम किया गया, उस से ही फूट की बुनियाद पड़ी और डूबती हुई हंफ़ियत को सहारा मिल गया। उस मदरसे ने दीन की ख़िदमत तो खाक की उल्टा कुरआन व हदीस को रद्द करने का मसाला तय्यार किया।

12-आप उस मौलवी से यही मुतालबा कीजिए कि उन चार इमामों कि तकलीद लाज़िम होने पर कुरआन व हदीस पेश करें। फिर ज़बान से नीयत करने की हदीस पेश करें। गर्दन का मसह

पुश्ते कफ़ से करने की हदीस पेश करें, आदि आदि । अगर न कर सकें तो कहिए कि यह तुम्हारा मज़हब इस्लाम नहीं, तुम्हारा गढ़ा हुआ मज़हब है । लोगों की रायों का पुलिन्दा और लज्जा जनक मसाइल का केन्द्र है ।

अल्लाह तआला आप की मदद फ़रआए । आमीन

तय्यब साहब और गुलाम हुसैन साहब और बच्चों को सलाम कहिएगा ।

फ़क़त

मसरूद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसऊद साहब

अस्सलाम आलैकुम!

आप का पत्र मिला। बड़ी खुशी हुई, आप ने जो कुछ समझाया वह मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, बेहतरीन दलाइल से आप ने हर एक चीज़ व्याख्या के साथ बयान फ़रमा दी है। आप के सारे पत्र ही बेहतरीन दलाइल से भरे हुए हैं। लेकिन आप के इस पत्र में जो मज़ा आया वह बयान नहीं कर सकता। पत्र पढ़ने के बाद मुझ पर एक बे खुदी की सी कैफ़ियत तारी रही।

मेरी ज़बरदस्त इच्छा है कि आप की और मेरी पत्र व्यवहार जल्द ही प्रकाशित हो जाए। आप के सारे पत्र अब मैं नईम साहब को करांची रवाना कर रहा हूँ। ताकि जल्द किताब प्रकाशित हो जाए। लेकिन एक बात इस पत्र में अधूरी रह गई है। वह यह कि उस मौलवी ने जो यह कहा था कि हम किब्ला की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह की वहदानियत तौहीद पर ईमान रखते हैं, हुजूर सल्ल० की रिसालत व नुबुवत पर ईमान रखते हैं, कलिमा गो हैं, ईमान की जो शाखें हदीसों में आई हैं उन सब पर हमारा ईमान है। तो क्या फिर भी हम मुसलमान नहीं हैं? और इस का जवाब उस ने मांगा था, जहां मैं ख़ामोश हो गया था, उस पर भी रोशनी डालिए।

मौलवी अशरफ़ जिस से मेरा मुनाज़िरा हुआ था, कुछ रोज़ हुए

मालूम हुआ है कि उस ने रफ़उल यदैन शुरु कर दी है। वह अपने को अब मुहकिकक कहलाता है मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई। संयोग से दूसरे दिन मौलवी अशरफ़ गुलामुल्लाह आया था। मुझ से मस्जिद में मुलाकात हुई। उस ने कहा कि मैं अब मुहकिकक हंफी हूँ, अंधा मुक़ल्लिद नहीं हूँ। अंधी तक़लीद के खिलाफ़ हूँ, जिस तरह अब्दुल हई लखनवी और सनाउल्लाह साहब आदि मुहकिकक हंफी थे, ये लोग बड़े पाए के मुहदिस थे लेकिन हंफी थे। जैसे मुल्ला अली कारी, शाह वलीउल्लाह साहब रह० हंफी आदि कहा कि इतने बड़े बड़े मुहकिकक बुजुर्ग जिन्होंने दीन की तहकीक़ की, वह सब इमाम अबु हनीफ़ा रह० के ही मुक़ल्लिद थे। कहा कि आज कल के नए शिक्षित लोग दो चार किताबें पढ़ कर इजतिहाद का दावा करने लगते हैं और मुहदिस बन जाते हैं, दुनिया के सारे ग़ैर मुक़ल्लिदों को मेरा चैलेंज है। जो मेरे मुकाबले पर आएगा मैं उस को मुंह तोड़ जवाब दूंगा ग़ैर मुक़ल्लिद जितने हैं सब वहाबी हैं।

वहाबी हैं मैंने कहा कि जनाब हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी तो अहले हदीस थे, आप हंफी का लक़ब उन के नाम के साथ क्यों चिपका रहे हैं? कहने लगा कि वह मुहकिकक थे। मैंने उस से बुख़ारी शरीफ़ के बारे में सवाल किया तो कहने लगा कि सनाउल्लाह अमृतसरी के कथनानुसार बुख़ारी की सारी हदीसों पर तो एक आदमी अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उस में बहुत सी हदीसों जईफ़ हैं, कहने लगा कि बुख़ारी के दो तीन उस्ताद शीआ थे। इस लिए उस पर शीओं का रंग ग़ालिब है। उस ने बहुत सी हदीसों शीओं को खुश करने को लिख दी हैं। हम मुहकिकक लोग तहकीक़ करने के बाद ही हदीस पर अमल करते हैं। कहा कि इमाम इब्ने कय्यम रह० और इमाम इब्ने तैमिया रह०, उन लोगों में और

हम में कोई फ़र्क नहीं है, एक बात का फ़र्क है। हम लोग वसीला के काइल हैं और वे लोग काइल न थे। कहा कि हज़रत खलीलुर्रहमान साहब ने एक किताब लिखी है और उस को रद्द करने के लिए दस हज़ार रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा है, मगर आज तक किसी ग़ैर मुक़ल्लिद से उस का जवाब बन नहीं पड़ा। यह ग़ैर मुक़ल्लिद तो हमारे मुकाबले पर आते हुए डरते हैं, यह तो केवल जाहिलों को फांसते हैं। लोग अकाइद में पक़े वहाबी हैं।

मैंने कहा कि जब आप ने तहकीक़ कर लिया है तो फिर तहकीक़ के बाद हंफ़ी क्या मायना। यह क्या तुक है, कहीं मजिस्ट्रेट भी कैदी बन सकता है। आप जब मुहक़िक़ बन गए तो आप ने क्या तहकीक़ की। मौलवी अब्दुल हई साहब ने तो यह तहकीक़ फ़रमायी कि फ़िक़ह की किताबें झूठी हदीसों में भरी पड़ी हैं, और बहुत से मसअले कुरआन व हदीस के ख़िलाफ़ हैं। कहने लगा कि इस के बावजूद वह हंफ़ी थे। उन्होंने इमाम अबु हनीफ़ा रह० का दामन नहीं छोड़ा यह है ईमान की पुख़्तगी। इस की बेजा मंतिक का क्या जवाब हो सकता है? मैं तो हैरान रह गया, मेरी समझ में नहीं आया कि हंफ़ियत में ऐसी क्या बात है कि तहकीक़ के बावजूद भी आदमी इस से चिपका रहता है। क्या हंफ़ियों या मुक़ल्लिदों के पास ऐसी कोई खुफ़िया चीज़ मौजूद है कि जिस की वजह से ये लोग तहकीक़ करने के बाद भी तक़लीद नहीं छोड़ते बल्कि अहले हदीस होने को बुरा समझते हैं।

आप इस पर कुछ रोशनी डालिए ताकि यह गुत्थी सुलझ जाए। इस का यह मतलब नहीं है कि मुझे कोई शक़ अपने मसलक पर हुआ है। हमारा मसलक तो माशाअल्लाह पाक व साफ़ है। और इस से बेहतर कोई मसलक ही नहीं और जब तक इंसान इस मसलक

पर नहीं आएगा तब तक इस का मामला संदिग्ध है और यह बिल्कुल बजा और सही बल्कि हकीकत ही है मगर मैं इन हंफियों की हठ धर्मी की वजह जानना चाहता हूँ कि तहकीक के बाद यह हंफी क्यों कहलाते हैं। मेरे साथी तय्यब साहब के दिल में भी वसवसा आता है। उन्होंने इस का इज़हार मुझसे कई बार किया। उन्हीं तय्यब साहब का लड़का इसी मौलवी अशरफ़ का शागिर्द है। इस मौलवी के गांव में रहता है। मौलवी अशरफ़ ने उस को खूब भर दिया है, इस लिए उस लड़के ने बाप को छोड़ दिया है। मौलवी के गोठ में रहता है। वहां तय्यब का सारा खानदान बाप आदि सब तय्यब के खिलाफ़ हो गए हैं। गांव वाले और उन के खानदान वाले सब उन को बे दीन और वहाबी कहते हैं, नमाज़े जुमा का छोड़ने वाला कहते हैं। कहते हैं तू वलायती मास्टर नवाब के पीछे चल रहा है और उस ने तुझ को बे दीन कर दिया है। यहां तय्यब साहब तो माशा अल्लाह अपने मसलक पर काइम हैं लेकिन इस वसवसा का इज़हार उन्होंने किया था जिस का मैंने ऊपर जिक्र किया है। मैं आप का हर पत्र मियां तय्यब को सुनाता हूँ। वह बड़े शौक से सुनते हैं। इस लिए आप वज़ाहत से इस चीज़ पर रोशनी डालिए।

दौराने क़याम सजावल में मौलवी नूर मुहम्मद साहब ने मुझ से कहा था कि इमाम अबु हनीफ़ा रह० के ज़माना तक हदीसों की रिवायत करने वाले कम थे, इस के बाद रावी बढ़ गए और रावियों के बढ़ जाने की वजह से हदीस के शब्द काइम और महफूज़ नहीं रह सकते। ज़रूर कमी बेशी हो जाती है। इस लिए हम हिफ़ाज़त दीन की खातिर इमाम साहब रह० के कौल पर अमल करते हैं और इमाम साहब के कथनों को उन के शागिर्दों ने महफूज़ कर लिया था। यही वजह है कि हम तक्लीद को वाजिब करार देते हैं। कोई

व्यक्ति हमारे इमाम की शान में बे अदबी करेगा तो हम उस के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। यही बात मौलवी अशरफ़ ने भी दोहराई तो क्या उन की हठ धर्मी का यही राज़ है और क्या यह सच हो सकता है। सजावल में तबलीगी इजतिमाओं में तकरीर किया करता था, लेकिन मौलवी नूर मुहम्मद ने मुझे को मना कर दिया कि उपदेश और तकरीर करना हमारा अर्थात् आलिमों का काम है, आप उपदेश व तकरीर नहीं कर सकते। आप के उपदेश और तकरीरें ईमान के लिए ख़तरा हैं। आइंदा से आप उपदेश और तकरीर न किया कीजिए बल्कि केवल नमाज़ रोज़े की ताकीद की कीजिए। मुझे उन की यह बात अभी तक याद है। मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ था। मैंने उन से कहा था कि मैं भी तो कुरआन और हदीस ही के आदेश बतलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप स्वयं वाकिफ़ नहीं तो दूसरों को क्या बतलाएंगे। क्या यह सहीह है कि हम को कुरआन व हदीस के आदेश बतलाने का हक़ नहीं है?

कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा आप एक मसअला मुझे बतला दीजिए, मैं अहले हदीस बनने के लिए तैयार हूँ वह यह कि एक आदमी है, वह जुंबी है, उस का जानवर मर रहा है, नमाज़ का समय ख़त्म हो रहा है अब वह क्या करे जानवर को ज़बह करता है तो नमाज़ जाती है, अगर गुस्ल करता है पाक होने के लिए तो जानवर मर जाता है। इस बारे में हदीस दिखाइए, हदीस न मिले तो फिर फ़िक़ह की तरफ़ आना पड़ेगा। जिस से आप को फ़िक़ह के महत्व का अंदाज़ा हो जाएगा। इस के साथ और भी लोग थे। मालूम होता है कि शरारतन किसी ने उस को भेजा था। मैंने कहा कि मैं हदीस देख कर बतलाऊंगा और अगर हदीस में न मिलेगा तो फिर अहले ज़िक़्र से पूछ कर बतलाऊंगा। क्योंकि अल्लाह तआला का

यही हुक्म है। अल्लाह तआला का हुक्म यह नहीं है कि हंफ़ी फ़िक़ह में ही देखो, या हंफ़ी ही से पूछूं, या शाफ़ी ही से पूछो जो भी अहले ज़िक्र होगा उस से पूछो कर बतलाऊंगा। फिर मैंने कहा कि आप के चेहरा पर दाढ़ी नहीं है, आप दाढ़ी मुंडे हैं, आप दाढ़ी मूंडने का हुक्म फ़िक़ह में बतला दें, मैं अभी हंफ़ी बन जाने को तैयार हूं। आप नमाज़ नहीं पढ़ते। फ़िक़ह में नमाज़ न पढ़ने की इजाज़त दिखा दें। मैं अभी हंफ़ी हाने को तैयार हूं। जब आप नमाज़ ही नहीं पढ़ते तो फिर जानवर के मरने का आप को क्या अफ़सोस है, और हंफ़ी फ़िक़ह जिस का आप बार बार गर्व के साथ ज़िक्र करते हैं, क्या चीज़ है? क्या वह कोई आसमानी किताब है जिस के पढ़ने और उस पर अमल करने का हम को अल्लाह और रसूल सल्ल० ने हुक्म दिया है। हम तो शरीअत के आदेशों को शरीअत के ख़ज़ाना ही में ढूँढ़ेंगे, और वह ख़ज़ाना कुरआन व हदीस है, या सहाबा किराम रज़ि० का अमल देखेंगे या अहले ज़िक्र से पूछेंगे। फिर वे लोग यह कह कर चले गए कि अच्छा आप हदीस देख कर दलील के साथ जवाब देना।

मैं ख़याल करता हूं कि यह सब उन लोगों की शरारत है, उन से बात करना या बहस करना बेकार है, क्योंकि उन को अपनी इस्लाह तो मंजूर है ही नहीं। तहकीक़ करना ही नहीं चाहते। बेकार में फ़साद की नीयत से आते और परेशान करते हैं। इस लिए मैंने अब यह सोचा कि ख़ामोश रहना चाहिए और किसी से कोई बहस नहीं करना चाहिए। अतएव कल रात ही का किस्सा है कि एक व्यक्ति मेरे पास एक हदीस लेकर आए कि देखिए जनाब! यह हदीस है लिखा है कि इमाम की किरअत मुक़तदी की किरअत है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा मुबारक हो।

कहने लगे, फिर आप मत पढ़िए, मैंने कहा मैं जरूर पढ़ूंगा आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? फिर वह खामोश हो गए। मैंने कहा कि देखिए, हज़रत इमाम शाफ़ी रह0 बर हक़ हैं वह पढ़ते हैं, इस लिए मैं भी पढ़ता हूँ। आप शाफ़ी हज़रात को रोकिए। मालिकी, हंबली, अहले हदीस सब पढ़ते हैं, जाकर उन सब को रोकिए और मेरा मज़हब तो कुरआन और हदीस है। इसलिए मैं तो हदीस पर अमल करूंगा, आप की निराली मंतिक पर नहीं चलूंगा। फिर वह चला गया, चूंकि इस का इरादा मात्र शरारत था, इसलिए मैंने इस से ऐसी बात की। इस से फ़ायदा यह है कि लोग शरारत नहीं करेंगे। बेकार में परेशान नहीं करेंगे।

आप मेरे नाम के साथ अहले हदीस लिखा कीजिए, यह भी एक किस्म की तबलीग़ है या अगर आप की नज़र में लिखना मुनासिब न हो तो न लिखिए। मैं इंशा अल्लाह कल कराची आऊंगा। बाकी ख़ैरियत है। तय्यब भी साथ होंगे, बच्चे आदि सब कराची चले गए हैं। तय्यब साहब और गुलाम हुसैन साहब सलाम कहते हैं।

फ़क़त

नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत शरीफ़ जनाब मोहतरम मसऊद साहब मद्दा जिल्लहु
अस्सलाम आलैकुम!

कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था, शायद मिला होगा। मैं तय्यब साहब के साथ कराची गया था। कराची में एक साहब ने मुझे एक किताब दी जिस का नाम "فیوض الحرمین" (अनुवादित) है यह किताब हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रह० की लिखी हुई है। قرآن محل (मुहम्मद सईद एण्ड सन्ज़) ने प्रकाशित की है। इस किताब के अध्ययन से तो मामला ही उल्टा हो जाता है। कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। एक अहले हदीस को मैंने यह किताब दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आप यह किताब फ़ौरन वापस कर दीजिए। बेकार किताब है, बेकार है, कदापि न पढ़िए। आदि।

मैंने कहा जनाब मैं इस का काइल नहीं हूँ, मैं तो इस की तहकीक करूंगा कि क्या यह हवाले जो इस किताब में दिए गए हैं सही हैं या नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे दिल में एक बसवसा रहेगा, मगर बावजूद कोशिश के वे किताबें मुझे न मिल सकीं जिन का हवाला इस किताब में दिया हुआ है। मैं कुछ बातें आप को नक़ल कर रहा हूँ। कृपया इस पर रोशनी डालिए कि क्या यह हवाले सही हैं, क्योंकि अगर उन को सही मान लिया जाए तो शाह साहब रह० की दूसरी किताबें ग़लत हो जाती हैं, और अगर सही नहीं हैं तो इस का मुंह तोड़ जवाब जल्द प्रकाशित होना

चाहिए।

उसका मैटर यह है।

“फ़ूयूजुल हरमैन” अनुवाद उर्दू, लेखक हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहदिस देहलवी रह०

अनुवादक: मौलवी आबिदुर्रहमान सिद्दीकी कांधलवी

प्रकाशक: मो० सईद एण्ड सन्ज कुरआन महल कराची, मुकाबिल मौलवी मुसाफ़िर ख़ाना कराची।

हकीमुल उम्मत शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रह० इमाम अबु हनीफ़ा रह० के मुक़ल्लिद थे, और मसाइल फ़रोआ में बिल्कुल हंफ़ी थे, स्वयं ही मुक़ल्लिद न थे बल्कि उन का कहना है कि मुक़ल्लिद ही रहने पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने तीन वसीयतों में से एक वसीयत चारों मज़ाहिब के साथ मुक़ल्लिद रहने की फ़रमाई है और इस बात की कि उन से बाहर न रहूं और उन में थोड़ी ताक़त हम आहंगी पैदा करूं। (फ़ूयूजुल हरमैन)

इन चारों मज़ाहिबे में से ख़ास कर मज़हब हंफ़ी को अपनाने और हंफ़ी बनने की हज़रत शाह वलीउल्लाह रह० को जनाब रसूलुल्लाह सल्ल० ने हिदायत फ़रमाई है।

ایک ان تخالف القوم فی الفروع فانه تناقض لمراد الحق.

(فیوض الحرمین)

“ख़बर दार फ़रोआत में कौम की विरोध से बचना, क्योंकि यह हक़ के खिलाफ़ है।”

यह हज़रत शाह साहब रह० की अपनी शहादत है कि मैं हंफ़ी हूं और इस से बढ़ कर और क्या शहादत हो सकती है। मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ां रह० फ़रमाते हैं कि उन का सारा तरीका हंफ़ी था और शरीअत फ़िक़ह है। इसी पर सल्फ़

और खल्फ़ रहे हैं। *في ذكر الصحاح الستة*। नवाब साहब ने केवल यह नहीं बताया कि शाह वलीउल्लाह रह0 हंफी थे बल्कि पूरे खानदाने शाह वलीउल्लाह रह0, शाह अब्दुल अजीज़ रह0, शाह अब्दुल हक रह0 और शाह इसमाईल शहीद रह0 के बारे में फ़रमा दिया कि लोग इन हस्तियों को वहाबी कहते हैं, हालांकि यह घराना सारे का सारा खालिस हंफी है। *”هم بيت علم الحنفية”*

शाह मुहम्मद इसमाईल रह0 शहीद और शाह अब्दुल हई रह0 इस खानदान के चश्म व चराग़ और मौलवी सय्यद अहमद बरेलवी के निष्ठावान मुरिदों में से हैं, सय्यद साहब और उन के साथियों के बारे में अंग्रेज़ की नापाक सियासत ने दूसरे आरोपों के अलावा यह भी आरोप लगाए हैं कि वह हंफी नहीं हैं। इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के मुक़ल्लिद नहीं हैं। सय्यद साहब ने इस आरोप का खंडन करते हुए एक बयान में अपना और अपने साथियों का मसलक ज़ाहिर किया है कि बाप दाद से हंफीउल मसलक हैं। कारी अब्दुर्रहमान पानी पती *”कश्फुल हिजाब”* में तहरीर फ़रमाते हैं कि शाह अब्दुल अजीज़ और शाह मुहम्मद इसहाक हंफी थे और सख्त भी थे सुन्नी हंफी थे मतलब कि शाह साहब रह0 के खानदान का एक एक व्यक्ति हंफी था, मुक़ल्लिद था और मुक़ल्लिद भी। इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के थे। ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रह0 ने अपनी किताब *”तहकीकुल कलाम”* में हज़रत शाह को हंफी तस्लीम किया है।

इन तथ्यों की रोशनी में शाह साहब को ग़ैर मुक़ल्लिद बतलाना ज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी ग़ैर ज़िम्मेदाराना बे बाकी है। हिन्दुस्तान में इमाम अबु हनीफ़ा रह0 की तक़लीद वाजिब है। शाह साहब ने केवल इसी चीज़ पर बस नहीं किया कि तक़लीद शख़्सी

वाजिब है बल्कि यह भी स्पष्ट फ़रमाया कि मज़ाहिब तो चार हैं और चारों हक़ हैं, मगर हिन्दूस्तान में केवल इमाम अबु हनीफ़ा रह० की तक़लीद वाजिब है। अतएव फ़रमाते हैं कि जब इन्सान बे इल्म हिन्दुस्तानी शहरों और मावराउन्नहर का रहने वाला हो, वहां कोई विद्वान शाफ़ी, मालिकी और हंबली न हो तो उस पर इमाम तक़लीद वाजिब है। और इमाम अबु हनीफ़ा रह० के मज़ाहिब से निकलना हराम है। क्योंकि उस समय वह अपनी गर्दन से शरीअत का पट्टा निकाल देता है और वह बेकार रह जाएगा। हज़रत शाह साहब रह० फ़रमाते हैं कि फ़िकह हंफ़ी में केवल शख़सी राय नहीं है, बल्कि यहां इमाम अबु हनीफ़ा रह० के साथ इमाम अबु यूसुफ़ रह० और इमाम मुहम्मद रह० भी हैं और यह दोनों इमाम साहब के शागिर्द हैं। इन तीनों में से जिस का कथन इर्शादे नुबुवत के ज़्यादा करीब हो इसी पर फ़तवा है और बस। अगर किसी मक़ाम पर ये तीनों ख़ामोश हों तो अहनाफ़ में से किसी के कथन को अपना लिया जाए, इसी का नाम हंफ़ियत है और शाह साहब रह० फ़रमाते हैं कि यह बात मेरी स्वयं की गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्ल० ने बतलाया है कि मज़हब हंफ़ी में बेहतरीन तरीका है।

(फ़यूज़ुल हरमैन)

और शाह साहब ही फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी रह० और दूसरे मुहद्दीसीन की जमा करदा अहादीस के हंफ़ियत ही ज़्यादा करीब है। *هي اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونفعت في زمان البخاري واصحابه. (فيوض الحرمين)*

शाह साहब रह० ने इसी किताब के समापन पर मज़ाहिब की हकीकत से बहस की है, पहले मज़हब की हकीकत का मतलब बतलाया है कि: *معنى حقيقة المذهب ان تكون احكامه مطابقة لما ماله رسول*

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما کان علیہ القرون المشہود لها. (فیوض الحرمین)

इस के बाद आगे लिखते हैं कि जब यह प्रस्तावना हो चुकी तो अब पते की बात भी सुनो, वह यह कि मुझे नज़र आया कि हंफ़ी मज़हब में एक बड़ा गहरा भेद है, मैं इस पर गौर करता रहा यहां तक मुझे पता चल गया और अपनी आंखों से देख लिया कि मज़हब हंफ़ी का दूसरे मज़ाहिब के बारे में पलडा भारी है।

(फ़ुयूज़ुल हरमैन)

हवाले ख़त्म हुए।

मैं चाहता हूं कि इस का जवाब ज़रूर लिखा जाए, वरना नए लोग इस को पढ़ कर गुमराह हो जाएंगे, इस का जवाब आप ज़रूर लिखें। इस तहरीर के पढ़ने के बाद तो मुझे तकलीद से और भी नफ़रत हो गई है। मैं गुनहगार इन्सान हूं, अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। अल्लाह तआला ही मुश्किल आसान फ़रमा सकते हैं, उन के पास कोई कमी नहीं, आप से दुआ का तालिब हूं, मेरी तरफ़ से अहले हदीस हज़रात की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ है।

खादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 15 जून 1962 ई0

बखिदमत जनाब मखदूमी व मुकरमी नवाब साहब

अस्सलाम आलैकुम!

(अम्मा बाद) आप का पत्र मिला। आप ने लिखा था कि मैं कराची जा रहा हूँ इस लिए मैंने जान बूझकर जवाब में देरी की, अब आप का दूसरा पत्र मिला, इस से आप का वापस आना मालूम हुआ। आप तो शायद मौसम गरमा की छुट्टियों में गए होंगे फिर इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए।

अब आप के सवालों का जवाब लिखता हूँ।

1- "मौलवी साहब ने कहा था कि हम किब्ला की तरफ मुंह करके नामज पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर हमारा ईमान है, हुजूर सल्ल० की रिसालत पर ईमान है आदि आदि तो क्या फिर भी हम मुसलमान नहीं हैं?

बहुत से कलिमा पढ़ने वाले भी मुशिरक होते हैं

इस सवाल का जवाब मैंने उस पत्र में दिया था। गलती हुई कि मैंने ऊपर सवाल नकल नहीं किया था, खैर अब फिर लिखता हूँ।

जवाब

इन सब बातों के बावजूद भी आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि आप शिर्क कर रहे हैं, कुरआन की आयत है: وما يؤمن أكثرهم بالله. अर्थात् बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने के

बावजूद भी मुशिरक होते हैं।” (सूरा-ए-यूसुफ आयत न० 106)

दूसरी आयत में इर्शाद बारी है:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ. (الانعام 83)

“जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान का जुल्म के साथ लिप्त नहीं किया। उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत पर हैं।” (सूरह अनआम-83)

जब यह आयत उतरी तो सहाबा किराम रज़ि० बहुत घबराए कि हम में ऐसा कौन है जो जुल्म से बिल्कुल महफूज़ हो।

अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई:

ان الشرك لظلم عظيم.

“बेशक शिर्क जुल्म अजीम है।”

अर्थात् इस आयत में जुल्म से तात्पर्य शिर्क है। (सहीह बुख़ारी)

मतलब यह हुआ कि अमन व हिदायत उन के हिस्से में है जो ईमान लाने के बाद शिर्क न करें और क्योंकि आप कलिमा गो होने के बावजूद शिर्क करते हैं, अतः नतीजा साफ़ है।

तकलीद बिदअत है, यह दीन में इज़ाफ़ा है, दीन में कमी बेशी अल्लाह का काम है क्योंकि आप ने तकलीद को दाख़िल फ़िद्दीन किया, उस को वाजिब करार दिया, अतः आप शिर्क कर रहे हैं।

आप के यहां शरीअत साज़ी हुई, मसाइल गढ़े गए, जैसे

1- चुहा कुंए में गिर जाए तो इतने डोल पानी निकालो।
2- एक दिरहम से कम निजासत ग़लीज़ा माफ़ है, नमाज़ हो जाएगी।

3- शहर वाले नमाज़े ईद से पहले इस तरह कुरबानी कर सकते हैं कि जानवर को शहर के बाहर ले जाकर ज़बह कर दें।

आदि आदि ।

क्योंकि आप इन मसाइल को वाजिबुत्तामील मानते हैं । अतः ام لهم شرکوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. (शुरी) के तिहत शिर्क के अपराधी हुए ।

आप लोग अहादीस सहीहा के ख़िलाफ़ अपने मज़हब को मानते हैं, जैसे हदीस है कि जो व्यक्ति सुबह की नमाज़ की एक रकअत आफ़ताब उदय होने से पहले पाले उसे नमाज़ मिल गई । (सहीह बुख़ारी) लेकिन आप के मज़हब में है कि वह नमाज़ नहीं हुई, इस से बड़ा शिर्क और कुफ़र क्या होगा? इस तरह के बे शुमार मसाइल हैं ।

ब: इस सवाल में जो बातें पैदा हुई हैं । उन सब बातों पर बरेलवियों, मिरज़ाइयों, राफ़ज़ियों, मुंकिरीने हदीस और सारे असत्य सम्प्रदायों की सहमति है तो क्या वे सब मुसलमान हैं?

मुक़ल्लिद मुहक्क़ नहीं हो सकता

2- मौलवी अशरफ़ अली साहब ने कहा कि मैं मुहक्क़ हंफ़ी हूँ, अंधा तक़लीदी नहीं हूँ जिस तरह अब्दुल हई रह0, सनाउल्लाह अमृतसरी रह0, मुल्ला अली का़री और शाह वलीउल्लाह साहब रह0 मुहक्क़ हंफ़ी थे..... ग़ैर मुक़ल्लिद जितने हैं सब वहाबी हैं दुनिया के सारे ग़ैर मुक़ल्लिदों को मेरा चैलेंज है ।”

जवाब: इस वाक्य से साफ़ हुआ कि वे मुहक्क़ भी हैं और ग़ैर मुक़ल्लिद भी अर्थात सभी कुछ हैं ।

तक़लीद की परिभाषा

1- التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقد الحقيقة

فيه من غير نظر وتأمل في الدليل كان هذا المتبع جعل قول الغير أو
فعلة قلادة في عنقه من غير مطالبة الدليل. (حاشيه حسامى)

तक्लीद दूसरे इंसान की करनी व कथनी के अनुसरण का नाम है, इस एतेकाद के साथ कि वही हकीकत है। बिना इस के कि वह स्वयं दलील को देखे और उस में गौर करे कि क्या यह मुकल्लिद ऐसा है कि उस ने गैर के कथन या अमल को अपनी गर्दन का कलादह (पट्टा) बना लिया है, बिना इस बात के कि वह दलील का मुतालबा करे।

2- التقلید العمل بقول الغير من غير حجة -
की बात पर बिना दलील जाने अमल करने का नाम है।

(मुसल्लमतुरस्सबूत)

फ़िक्ह की परिभाषा

العلم الاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية.

अर्थात् शरअी अहकाम को तफ़सीली दलाइल के साथ जानना।

(मुसल्लमतुरस्सुबूत)

क़रीब क़रीब यही शब्द स्पष्टी करण में भी हैं।

معرفة النفس مالها وما عليها. में: फ़िक्ह की परिभाषा दूसरे शब्दों में: इंसानी कर्तब्यों की पहचान है।

(तौज़ीह)

فالمعرفة ادراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد.

और पहचान के मायना यह हैं कि मसाइल को दलील से समझा जाए। अतः तक्लीद इस इल्म (फ़िक्ह) से ख़ारिज है। (तौज़ीह) अर्थात् मुकल्लिद को दलाइल की पहचान नहीं होती। अतः वह फ़कीह अर्थात् धर्म शास्त्र नहीं हो सकता।

لا يقال على المقلد لتقصيره عن الطافة.

अर्थात् फकीह का लकब मुकल्लिद के लिए नहीं बोला जा सकता। इस वजह से कि वह दलाइल की पहचान की ताकत नहीं रखता। (तौजीह)

तकलीद और फिका की परिभाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुकल्लिद इल्म से कोरा होता है। उस को फकीह नहीं कह सकते, लेकिन मुहक्किक् के लिए दलाइल की पहचान का होना ज़रूरी है वरना वह मुहक्किक् किस बात का, अतः ज्यों ही दलाइल की पहचान उसे हासिल हुई, वह मुकल्लिद नहीं रहा। अतः एक ही व्यक्ति मुकल्लिद भी हुआ और मुहक्किक् भी यह कभी नहीं हो सकता क्योंकि यह चीज़ बातिल है।

(स्पष्टीकरण मुसल्लमातुस्सुबूत। हिसामी। हंफी उसूले फिकह की किताबें हैं। फिकह की किताबें दूसरी हैं)

बहुत से उलमा-ए-अहले हदीस को मुकल्लिदीन ने मुकल्लिद मशहूर कर दिया

और लोग तो खैर हंफी मशहूर हैं लेकिन अल्लामा अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी रह० को हंफी कहना इन्साफ का खून करना है, सारी जिन्दगी तकलीद के खंडन में गुज़री फिर भी वह मुकल्लिद मशहूर हैं।

बहर हाल इस बात से इतना तो साबित हुआ कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अहले हदीस क्यों न हो यह उसे मुकल्लिद बनाए बगैर नहीं छोड़ते हज़ारहा उलमा-ए-दीन ऐसे हैं जो अहले हदीस थे लेकिन सब मुकल्लिद मशहूर हैं। शाह वलीउल्लाह साहब रह० और अब्दुल हई रह० साहब का अहले हदीस होना स्वयं उन वाक्यों से ज़ाहिर है। अब भी अगर कोई उन के मुकल्लिद होने पर आग्रह

करता है तो ख़ैर हम उस आग्रह से इसको तस्लीम भी कर लें तो हम पर इसका क्या असर होगा। मुक़ल्लिदीन की सूची में एक की और वृद्धि हो जाएगी लेकिन हमारा उसूल जहां है वहीं रहेगा, अनुसरण केवल कुरआन व हदीस ही है, कोई माने या न माने।

3- अल्लामा अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी रह0 ने लिखा है कि बुख़ारी शरीफ़ की सारी हदीसों पर तो एक आदमी अमल नहीं कर सकता, क्योंकि इस में ज़ईफ़ हदीसों भी हैं।

जवाब: क्या सबूत है कि यह कथन अल्लामा सनाउल्लाह साहब रह0 का है, उन की सैंकड़ों किताबें हैं, लेकिन कहीं उन्होंने यह नहीं कहा कि सहीह बुख़ारी में ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, यह हो सकता है कि उन्होंने निरस्त कहा हो और यह ज़ईफ़ समझे हों, इस लिए कि निरस्त का जिक्र तो आ सकता है, लेकिन अमल निरस्त करने वाले पर किया जाता है, अमल निरस्त पर नहीं होता। और यह कोई आपत्ति की बात नहीं। जैसे सहाबा रज़ि0 के शराब पीने की घटना और फिर शराब के हराम का हुक्म नाज़िल होना। तो बेशक यहां केवल हुरमत पर अगल होगा न कि शराब पीने लग जाएं। कोई जाहिल ही यह बात कह सकता है कि निरस्त पर अमल करना चाहिए।

सहीह बुख़ारी में तो केवल सात हज़ार अहादीस ही हैं। मुसनद इमाम अहमद रह0 में तो पच्चास हज़ार अहादीस हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रह0 फ़रमाते हैं कि मैंने कोई हदीस नहीं लिखी जब तक उस पर अमल नहीं किया। यहां तक कि पुछने भी लगवाए और फिर पुछने लगाने की हदीस बयान की। अब अगर पचास हज़ार अहादीस पर एक आदमी अमल कर सकता है तो सात हज़ार पर अमल करना क्या मुश्किल है? फिर यह लाज़िम ही कब है कि हर

हदीस पर अमल किया जाए तो नजात होगी।

जैसे रसूलुल्लाह सल्ल० कर्ज लिया करते थे। अब अगर कोई व्यक्ति सारी उम्र कर्ज न ले तो क्या वह गुनहगार है? या पुछने न लगवाए तो वह मुजिरम है? या लौकी खाने का उसे इत्तिफ़ाक़ न हो तो उस का इस्लाम नाकिस है?

4- “इमाम बुख़ारी रह०” के दो तीन उस्ताद शीआ थे, इस लिए उन पर शीअत का रंग छाया हुआ है। उन्होंने बहुत सी हदीसों शीओं को खुश करने के लिए लिख दी हैं।”

जवाब: यह बड़ा भारी आरोप है। क्या सहीह बुख़ारी में पाक पत्नियों रज़ि० सिदीक़ अकबर रज़ि०, उमर फ़ारूक़ रज़ि० आदि रज़ि० के फ़ज़ाइल नहीं हैं? क्या सहीह बुख़ारी में शीओं के मसाइल का खंडन नहीं है। जैसे वजू में पैर धोने को बड़े जोर शोर से साबित किया है हज़रत अली रज़ि० के फ़ज़ाइल का ज़िक्र अगर शीअत है तो सुबहानल्लाह हम सब को मुबारक हो, और इमाम नसाई रह० को तो फ़ज़ाइले अली रज़ि० बयान करने पर ही तो मारा गया। मतलब यह कि अगर कोई उस्ताद अली रज़ि० की मुहब्बत में हद से बढ़ता है या उन को श्रेष्ठतम उम्मत समझता है लेकिन और कोई बेहूदगी नहीं करता, किसी की शान में गुस्ताख़ी को कुफ़र समझता है। सच बोलता है और सच की हिमायत करता है तो ऐसा व्यक्ति अगर शीआ मशहूर हो जाए तो क्या उस की बात न मानी जाएगी। ख़ास तौर पर इस सूरत में कि उस की बात की हिमायत दूसरी अहादीस से भी होती हो। अगर इमाम बुख़ारी रह० का कोई इस किस्म का उस्ताद हो तो कोई बात नहीं। आख़िर इमाम अबु हनीफ़ा रह० भी तो मरजिया मशहूर हैं और उन्हीं की ख़ातिर अहनाफ़ को मरजियों की दो किस्में करनी पड़ी हैं।

मरजिया अहले सुन्नत, मरजिया अहले बिदअत । अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हो कि अहले सुन्नत होते हुए अली रज़ि० का भी काइल हो तो क्या शीओं की दो किस्में नहीं हो जाएंगी, शीआ अहले सुन्नत, शीआ अहले बिदअत । यह है विस्तार इस बात का कि बुखारी रह० के दो तीन उस्ताद शीआ थे, हकीकत में वे शीआ थे नहीं । हां मशहूर कर दिए गए या किसी ने मात्र पक्षपात या तहकीक न होने से शीआ कह दिया । यह बात बिल्कुल ग़लत है कि इमाम बुखारी रह० गुमराह सम्प्रदायों से संबंध रखने वाले लोगों से अहादीस लिया करते थे और उन्हें हुज्जत समझते थे ।

5- “अल्लामा इब्ने तैमिया रह० और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यम रह० और हम में कोई फ़र्क नहीं ।”

जवाब: यह बिल्कुल झूठ है, वह सख़्त किस्म के ग़ैर मुक़ल्लिद थे । वह इल्म दीन के बहुत बुलन्द मीनार थे, कहां वे और कहां यह । हाफ़िज़ इब्ने क़य्यम रह० की किताब “आलामुल मोकि़ीन” तक्लीद के खंडन से भरी पड़ी है और शार्गिद हैं अल्लामा इब्ने तैमिया रह० के ।

6- “क्या हंफ़ियों या मुक़ल्लिदों के पास ऐसी कोई खुफ़िया चीज़ है कि जिस की वजह से ये लोग तहकीक करने के बाद भी तक्लीद नहीं छोड़ते ।”

तक्लीद क्यों नहीं छुटती

जवाब: हकीकत यह है कि वे तक्लीद छोड़ देते हैं । लेकिन इसे व्यक्त आप के सामने नहीं करते अर्थात वह आप से बैर रखने की वजह से अपनी कमज़ोरी को आप के सामने पेश करके आप को खुश करना नहीं चाहते । इस को वह अपनी हार के जैसा समझते

हैं। उन का दिल जो कुछ जानता और मानता है, वह ज़बान पर नहीं आता। वह जान बूझ कर हक़ का विरोध करते हैं जिस तरह यहूदी रसूलुल्लाह सल्ल० को खूब पहचानने के बाद भी उन का विरोध करते थे। वह इस हकीकत का स्वीकरण अवाम के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अवाम से ख़ौफ़ होता है। उन से उन के सांसारिक फ़ायदे जुड़े होते हैं जो स्वीकरण के बाद ख़त्म हो जाते हैं। मानो इस तरह आयाते करीमा के अनुसार आख़िरत के बदले दुनिया को ख़रीद रहे हैं जिस तरह बादशाह हरकिल तृतीय ने रसूलुल्लाह सल्ल० को पहचान लिया। आप सल्ल० के पास पहुंचने और आप सल्ल० के पैर धोने की तमन्ना की। लेकिन हुकूमत जाने के डर से ईमान कुबूल नहीं किया और इस्लामी फ़ौजों के ख़िलाफ़ जंग करता रहा। शाह वलीउल्लाह साहब रह० ने इस का जवाब बहुत अच्छा दिया है। वे लिखते हैं:

अनुवाद: जब यह मालूम हो जाए कि हदीस निरस्त नहीं है और उलमा की बड़ी संख्या उस पर अमल करती है और उस का विरोध केवल कयास या इज्तिहाद से कोई बात कहता है तो ऐसी हालत में हदीस का विरोध करने का कोई सबब नहीं।

“الانفاق خفى او حمس جلى.”

सिवाए खुफ़िया कपट के या खुली मूर्खता के।

(उक़दुल जय्यद)

इमाम अबु हनीफ़ा रह० की जमा की हुई अहादीस कहां गई?

7- इमाम अबु हनीफ़ा रह० के ज़माना तक हदीस के रिवायत करने वाले कम थे। बाद में रावी बढ़ गए। अतः शब्द काइम और

महफूज न रह सके ज़रूर कमी बेशी हुई, इसी लिए हम इमाम साहब के कथनों पर अमल करते हैं और इमाम साहब के कथन को उन के शार्गिदों ने महफूज कर लिया था। यही वजह है कि हम तकलीद को वाजिब करार देते हैं।”

जवाब: रावियों के बढ़ जाने से हदीस ग़ैर महफूज नहीं होती। जैसे अगर किसी हदीस को हम अपनी सनद से रसूलुल्लाह सल्ल० तक पहुंचाएँ तो यह ज़रूर है कि हमारे और रसूलुल्लाह सल्ल० के बीच लगभग बीस पच्चीस रावी होंगे लेकिन वह रिवायत ग़ैर महफूज कैसे हो जाएगी जब कि वह इमाम मालिक रह०, इमाम बुख़ारी रह० और इमाम मुस्लिम रह० की किताबों में महफूज कैसे हो सकती हैं, और अगर महफूज नहीं थीं और इमाम साहब और उन के शार्गिदों ने महफूज नहीं कीं और बाद में रावियों की कसरत के कारण वह बर्बाद हो गई तो क्या यही वह इस्लाम है जिस पर हमें और उन को गर्व है। अफ़सोस कि इमाम साहब के शार्गिदों ने इमाम साहब के कथनों को तो महफूज किया और अहादीस रसूल सल्ल० को नष्ट होने दिया। अगर हम इस को मान भी लें तो इस के यह मायना होंगे कि सही बुख़ारी की अहादीस ग़ैर महफूज हैं हालांकि उलमा अहनाफ़ ने एक मत होकर उसे सही तस्लीम किया है। यहां तक कि अनवर शाह साहब ने तो इस के पूरी तरह ठीक होने का स्वीकरण किया है जो उन की किताब शरह सही बुख़ारी में मौजूद है।

8- क्या हम को कुरआन व हदीस के अहकाम बतलाने का हक़ नहीं है। नूर मुहम्मद साहब ने फ़रमाया कि सिवाए आलिमों के कोई तक़रीर नहीं कर सकता?

जवाब: क्यों नहीं है? हां तक़रीर करने का हक़ केवल दो

आदमियों को हासिल है। अमीर को या अनुयायी को, लेकिन न यहां कोई अमीर है न अनुयायी है। अतः हर व्यक्ति को **بلغوا عني** पर अमल करने का हक हासिल है। जब ख़िलाफ़ते राशिदा काइम हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि मौलवी नूर मुहम्मद साहब न अमीर हैं न अनुयायी। अतः उन्हें भी तक़रीर का हक़ नहीं पहुंचता, मतलब वह भी हदीस के विरुद्ध तक़रीर करते हैं।

9- एक आदमी जुन्बी है। उस का जानवर मर रहा है। नमाज़ का समय ख़त्म हो रहा है। अब वह क्या करे?

जवाब: हमारे बुजुर्ग रह0 तो यह पूछते थे कि क्या ऐसा हुआ है? अगर वह कहते कि नहीं तो जवाब देते कि जाओ जब ऐसा हो तो सवाल करना। मैं कहता हूं यह मसअला फ़र्जी है। न ऐसा हुआ है, न इंशाअल्लाह आइन्दा होगा। जब अल्लाह तआला ने इस मसअला के हल करने के लिए कोई क़ानून हमें नहीं दिया तो हमें क्या हक़ है कि पहले मसअला गढ़ें और फिर उस का जवाब गढ़ें अर्थात् हम क़ानून साज़ हैं कि कोई क़ानून बना दें और जब किसी व्यक्ति को ऐसा मसअला पेश आए तो वह हमारे बनाए हुए क़ानून पर अमल करे। यह शरीअत साज़ी उन्हीं को मुबारक हो। हमारा तो केवल इतना काम है कि क़ुरआन या हदीस में इस मसअला का हल हो तो जवाब दे दें, वरना ख़ामोश रहें, हम क्यों अपने आप को क़ानून साज़ बनाकर गुनाहगार हों जिसको ऐसा मामला पेश आएगा वह जाने और उस का ईमान और इज्तिहाद जाने। जो उस की समझ में आए वह निष्ठा के साथ करे। वह इंशा अल्लाह मुजिरम नहीं होगा लेकिन अगर वह हमारे गढ़े हुए क़ानून पर अमल करता है तो मुशिरक होगा। अतः हम तो ऐसे बेकार मसाइल से बचते रहते हैं।

राय और फ़तवा बाज़ी की निंदा

आप उन की शरारतों से न घबराइए। दृढ़ता से जमे रहिए। आप अगर ख़ामोश हो गए तो तबलीग़ रुक जाएगी। आप अल्लाह के भरोसा पर काम जारी रखिए, अल्लाह आप की मदद फ़रमाएगा।
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم (सुरा: मुहम्मद) उन की शरारत बे शक आप को नागवार गुज़रती है। लेकिन इसी में बेहतरी है।
"عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم" हो सकता कि तुम किसी चीज़ को ना पसन्द करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो।"

(बकरा 212)

आप अगर किसी समय बहस में ख़ामोश भी हो जाएँ तो इस से दुखी न हों। इस लिए कि आप ने कब कहा कि मैं विद्वान हूँ, सर्वज्ञाता हूँ। यहां दारमी शरीफ़ के हवाले से सहाबा रज़ि० और अइम्मा ताबअीन रह० के कुछ कथन नक़ल कर रहा हूँ इन बे हूदा सवालों के लिए आप के काम आएँगे। इन से अंदाज़ा होगा कि हमारे अइम्मा किराम कितने सादा लोग थे। फ़िक़ही उठा पठक वहां नहीं थीं।

1- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० फ़रमाते हैं। "जब तुम हम से कोई बात कुरआन या हदीस की पूछोगे तो हम बताएँगे और नई बातें जो तुम ने निकाल ली हैं वह हमारी कुदरत से बाहर हैं।"

2- क़तादा रह० मशहूर ताबअी इमाम फ़रमाते हैं। "मैंने तीस बरस से कोई बात अपनी राय से नहीं कही।"

3- इमाम अबु हलाल ताबई रह० फ़रमाते हैं: "मैंने चालीस बरस से कोई बात अपनी राय से नहीं कही।"

4- हज़रत इमाम अता रह० फ़रमाते हैं: "मुझे अल्लाह से शर्म

आती है कि दुनिया में मेरी राय का आज्ञापालन किया जाए।" इन्हीं इमाम अता रह0 के बारे में इमाम अबु हनीफ़ा रह0 ने फ़रमाया था कि मैंने उन से बेहतर आदमी नहीं देखा।

5- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़तवा देने से ज़्यादा यह कहते थे कि "मैं नहीं जानता।"

6- अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं: "फ़तवा केवल कुरआन व हदीस से दो इन के अलावा कोई बात करोगे तो स्वयं भी हलाक होंगे और दूसरों को भी हलाक करोगे।"

7- अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं: "जो व्यक्ति तमाम मसअलों में फ़तवा दे वह दीवाना है।"

8- इमाम शोअबी रह0 फ़रमाते हैं। "मैं नहीं जानता।" कहना आधा इल्म है। अगर कयास करोगे तो हलाल को हराम और हराम को हलाल करोगे।

9- हज़रत अली रज़ि0 फ़रमाते हैं "जब मुझ से कोई बात पूछी जाए जो मैं नहीं जानता तो इस बात में कलेजा के लिए सब से ज़्यादा ठंडी बात यह है कि मैं कहूं। "वल्लाह आलम"

10- इमाम शोअबी रह0 फ़रमाते हैं। "अगर लोग हदीसे रसूल सुनाएँ तो इस को अख़्तियार करो और जो बात अपनी राय से बताएँ तो उसको पाख़ाने में डाल दो।"

11- इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रह0 फ़रमाते हैं। "मैं तुझ से हदीसे रसूले स0 बयान करता हूँ और तू यह कहता है कि फ़लां फ़लां यह कहते हैं, अब तुझ से बात न करूंगा।

21- हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि0 फ़रमाते हैं "मैं हदीस बयान करता हूँ और तू उस में कुरआन के साथ इशारे करता है। रसूलुल्लाह सल्ल0 तुझ से ज़्यादा कुरआन जानते थे।" आख़िर

रसूलुल्लाह सल्ल० के इर्शाद गिरामी पर इसे खत्म करता हूँ, आप फ़रमाते हैं। जिस को फ़तवा देने पर ज़्यादा जुरअत है उस को जहन्नम पर ज़्यादा जुरअत है।” (दारमी)

अब आप के दूसरे पत्र का जवाब लिखता हूँ। आप ने जो वाक्य नक़ल किए हैं वह “फ़ुयूज़ल हरमैन” के होते तो मज़मून इस तरह होता कि “मुक़ल्लिद हों।” यद्यपि वाक्य में इस तरह है कि “शाह साहब मुक़ल्लिद थे।” अब यह बताइए कि अनुवादक ने अपनी ओर से लिखा है या शाह साहब रह० की किसी किताब का हवाला दिया है? नवाब सिद्दीक़ हसन रह० का हवाला अगर सही है तो नवाब साहब रह० को ग़लत फ़हमी हुई है। मैं शाह वलीउल्लाह रह०, शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह इसमाइल रह० तीनों को उन की इबादत से ग़ैर मुक़ल्लिदीन साबित कर सकता हूँ। फिर नवाब साहब रह० की किताब का हवाला नहीं दिया। अब अगर कारी अब्दुर्रहमान साहब रह० या कोई और उन को हंफ़ी कहते हैं तो कहने वाले तो उन को बरेलवी भी कहते हैं। अहले हदीस, देवबन्दी बरेलवी, हर एक उन को अपना बताता है। देखना यह है कि उन की किताब “हुज्जतुल्लाहुल बालिगा” या “उक़दुल जय्यद” क्या कहती है? तफ़सीर अज़ीज़ी और “तनवीरुल अनीन” क्या कहती हैं? क्योंकि हंफ़ी उन को हंफ़ी कहते हैं अतः अहले हदीस इस से फ़ायदा उठा कर यह कहा करते हैं कि देखिए फ़लां हंफ़ी विद्वान यह कहता है, वह हक़ की तरफ़दारी करता है और तुम इंकार करते हो यद्यपि उन को हकीक़त में हंफ़ी मानता नहीं है क्योंकि शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रह० हिन्दुस्तान में तहरीक़ अहले हदीस के पहले संस्थापक हैं। शाह साहब रह० की इबारत: “हंफ़ी मज़हब में एक बड़ा गहरा भेद है” पलड़ा भारी है।” समझ में नहीं आई, आगे

पीछे से पूरी इबारात हो तो कुछ मतलब समझ में आए। मैं इंशा अल्लाह इस का जवाब लिखने के लिए तैयार हूं। फ़िल हाल "दो इस्लाम" का जवाब तैयार कर रहा हूं। फ़क़त

खादिम मसरूद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

हेड मास्टर मिडिल स्कूल गुलामुल्लाह
जिला ठट्टा

बख़िदमत शरीफ़ जनाब मोहतरम मसऊद साहब मद्दा जिल्लहु
अस्सलामु आलैकुम!

अभी आप का पत्र ठीक इन्तिज़ार की हालत में मिला। बड़ी खुशी हुई। आप का पत्र आने में देरी हो जाने के कारण मैं यह समझा था कि शायद आप निरंतर पत्राचार से नाराज़ हो गए हैं। आप ने जो कुछ लिखा है मैंने खूब पढ़ा और खूब समझा। आप से पत्र—व्यवहार में मेरी खूब इस्लाह हुई और हो रही है। तय्यब साहब, और मेरे घर वाले कराची में थे उन को लाने के लिए मैं कराची गया था इसलिए जल्द वापस हो गया क्योंकि जूलाई 1962 ई० को स्कूल खोलना था। कराची में मोहतरम अब्दुल गफ़ार साहब से मुलाकात की, नसीम साहब से मुलाकात की और बहुत से अहले हदीसों की मसाजिद में नमाज़ें पढ़ीं। आप के भाई जनाब महमूद से भी मुलाकात और बहस हुई। आख़िर में उन्होंने फ़रमाया कि वह आइन्दा हदीसों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। खुदावन्द तआला उन को शक्ति प्रदान फ़रमाए। (आमीन) अब्दुस्सलाम साहब से मुलाकात हुई थी। तय्यब साहब बेचारे एक ग़रीब आदमी हैं एक ज़मींदार के बारी हैं लेकिन अल्लाह तआला ने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि कुरआन व हदीस पर जान देते हैं। हमारी ग़ैर मौजूदगी में यहां के हालात बड़े ख़राब हो गए, मौलवी सलीम के साथ सब

लोग हो गए। मौलवी सलीम ने कहा, जो कोई भी तुम लोगों से दीन की बात करे उस को मारो, सब को मार पीट की खुली छूट दे दी। मौलवी सलीम ने ऐलान किया कि मैं शीघ्र ही नवाब को यहां से निकाल दूंगा। संयोग से इस दिन में ठट्टा गया हुआ था जब वापस आया तो सारा हाल मालूम हुआ। तय्यब साहब के बाप ने तय्यब से साहब से अलहदगी अख्तियार कर ली। तय्यब साहब का लड़का भी उन से अलग हो गया क्योंकि वह मौलवी अशरफ़ के पास फ़िक़ह हंफ़ी पढ़ता है। अब मैं और तय्यब साहब यहां लगभग नज़र बन्द हो कर रह गए हैं, परेशानियां हद को पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ़ दिल को सुकून हासिल है। अल्लाह तआला पर ईमान कामिल है कि वह मुझे उन बिदअतियों के हाथों रुसवा न फ़रमाएगा।

इंशाअल्लाह तआला कराची में मेरी सुसराल में मेरे साले जिन पर परवेज़ियत का रंग चढ़ा हुआ था और मुझ से नाराज़ थे, उन से मुलाकात हुई। उन से रात दो बजे तक बहस होती रही। आख़िर में वह काइल हुए न केवल हदीस के महत्व से वाकिफ़ हुए बल्कि साम्प्रदायिकता से भी अलग हो गए। मेरी लड़की भी आई हुई थी, वह जब वापस वापस हुई तो उस ने सजावल में अपने पति के पास हंफ़ी नमाज़ पढ़ने से इन्कार किया और रफ़उल यदैन से नमाज़ बे शक पढ़े मगर सख़्ती और शिद्दत छोड़ दे। मेरे दामाद ने माशा अल्लाह तस्लीम किया कि तकलीद शख़्सी बिदअत है। मगर यह लिखा कि मैं चूंकि उन लोगों में शिक्षा पा रहा हूं और मैं अपने बड़ों के जिम्मे हूं इस लिए शिद्दत से डरता हूं आदि।

बाकी सब ख़ैरियत है। मेरी तरफ़ से सब की ख़िदमत में सलाम अर्ज है बच्चे भी सलाम अर्ज करते हैं। फ़क़त।

खादिम नवाब 22-7-62

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत शरीफ आली जनाब मोहतरम मसऊद साहब

अरसलाम आलैकुम!

आप का कार्ड वसूल हुआ, अपनी परेशानियों की वजह से मैं समय रहते जवाब न दे सका माफ़ फ़माइए, यहां मेरा विरोध हद दर्जा बढ़ गया है। जिस को मैंने अपने पहले ख़त में भी लिखा था। एक हाजी साहब मेरे पास आए थे, दो घन्टा तक मुझ से बहस करते रहे। बिल आख़िर दीने हक़ कुबूल कर गए और बिदअत से तौबा की तक्लीद शख़्सी से तौबा की। फिर दो चार रोज़ बाद एक और हंफ़ी मौलवी मुझ से मिलने आया और स्कूल पहुंचा। मैं उस को देख कर डर गया कि शायद फिर कोई फ़ितना आया उस मौलवी ने कोई तीन घन्टे मुझ से हर पहलू पर बहस की। उस ने यूँ बहस शुरू की कि हमारी फ़िक़ह की किताबों पर आप आरोप लगाते हैं कि कुत्ता नापाक नहीं है, गधा पाक है। आदि आदि। मैंने कहा कि जनाब कुत्ता और गधा आप को मुबारक हो, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते। आप की फ़िक़ह की किताबें मेरी लिखी हुई नहीं हैं जिन्होंने लिखा है उन से जा कर पूछिए। इसपर रोशनी डालिए, वही पुराना जवाब कि वह बुजुर्ग थे आदि आदि। इस पर बहस होती रही, फिर नमाज़ का मसअला आया। मैंने कहा कि जनाब आप का फ़िक़ह कहता है कि इमाम के पीछे सूरा फ़ातिहा पढ़ोगे तो नमाज़ नहीं होगी जहन्नम में जलाए जाओगे, जहन्नम की आग मुंह में डाली जाएगी

और शाफ़ी रह0 कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज है, न पढ़ोगे तो नमाज़ न होगी अब कौन सी चीज़ सही है, न पढ़ना भी सही और पढ़ना भी सही। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? अब इस झगड़े का फैसला किस से कराएँ? क्या आप के मुक़ल्लिद विद्वानों से पूछें वे तो वही बताएँगे जो ऊपर ज़िक्र किया गया। इधर उधर की हांकने लगा। आख़िर में वह मौलवी ताइब हो गया और हाथ उठा कर हंफ़ियत से तौबा की और कुछ किताबें मुझ से लेकर गया। यह सब कुछ अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम है, वह जिस को तौफीक देना चाहते हैं देते हैं, वह गुफ़ूरहीम हैं।

मतलब यही मुनाज़िराना रंग रोज़ रहता है, मगर जिन को अल्लाह तआला तौफीक देते हैं वे मान लेते हैं और अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दामाद राहे रास्त पर आ गया है और तक़लीद शख़्सी को छोड़ कर कुरआन व हदीस के आगे सर झुका दिया है। अब मैं कुछ बातें आप से मालूम करता हूँ केवल अपनी मालूमात के लिए। वह यह कि

शाह वलीउल्लाह साहब रह0 और शाह इसमाइल रह0 ने अपनी किताबों "सिराते मुस्तकीम" और शिफ़ाउल अलील" आदि में सूफ़ीवाद के बारे में और ज़िक्र करने का तरीका जैसे एक ज़रबी ज़िक्र, दो ज़रबी ज़िक्र आदि के बारे में जो लिखा है तो क्या यह भी पीरी मुरीदी करते थे। कराची में अब्दुस्सत्तार साहब इमाम गुरबा अहले हदीस, इमाम की बैअत को लाज़िम बतलाते हैं, पत्र लम्बा हो गया है इस लिए ख़त्म करता हूँ, बच्चे सलाम कहते हैं, तय्यब साहब भी सलाम कहते हैं। सब अहले हदीस हज़रात को सलाम अर्ज़ करते हैं।

फ़क़त

खादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 18 अगस्त 1962 ई0

बखिदमत जनाब नवाब साहब

अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

अम्मा बाद! आप का पत्र ता0 9 अगस्त को मिला। खैरियत व हालात से आगाही हुई, अल्लाह तआला आप की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, गुलामुल्लाह किस तरफ वाके है? कराची से आते समय दरिया-ए-सिन्ध पार करना पढ़ता है या नही, ठड्डा से कितनी दूर है? सजावल से आप कितनी दूर हैं? क्या कभी सजावल जाना होता है या नहीं? वहां के आलिम और अलीमुद्दीन साहब से मिलना होता है या नहीं? ये लोग अब किस तरह मिलते हैं। सुबह व शाम यह दुआ पढ़ा कीजिए।

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ! وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ
وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ.“

यह दुआ रसूलुल्लाह सल्ल0 ने एक सहाबी को बताई थी। उन्होंने उस को पढ़ा। कुछ ही दिनों में उन की परेशानियां दूर हो गईं। (अबु दाऊद) आप की मुनाज़िराना सरगर्मियां मालूम करके खूशी हुई। ”اللَّهُمَّ زِدْهُ فِرْدَهُ“ इंशा अल्लाह आप की तबलीग से बहुत से लोग मुसलमान होंगे।

हक़ वाले कम होते हैं

अधिकता व कमी पर बहस करते हुए आप ने जो फ़रमाया कि 72 आदमी जहन्नम में जाएंगे, तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। यह बात सही नहीं, इस लिए कि इस का मुख़ालिफ़ इस तरह दे सकते हैं कि यह कैसे मालूम हुआ कि हर फ़िक़ह का एक एक आदमी होगा? हो सकता है कि नाज़ी में एक हज़ार आदमी हों और इन 73 सम्प्रदायों के कुल आदमी मिला कर भी 200 या 300 से अधिक न हों। हां वह हदीस आप पेश कर सकते हैं जिस में है कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि आदमियों में से 999 को जहन्नम के लिए निकालो इस सिलसिला में निम्न आयतें इच्छानुसार लिख रहा हूँ।

۱- قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ.

(सुरह मائدة रकूँ ३ पा० ८)

“कह दीजिए नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते अगर्चे नापाक की अधिकता हैरत में क्यों न डाले।”

۲- وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ.

(सुरह सबा रकूँ २ पा० २२)

“मेरे शुक्र गुज़ार बन्दे थोड़े होते हैं।”

۳- وان كثيرا من الخلقاء ليغى بعضهم على بعض الا الذين

امنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم.

(सुरह सूर रकूँ २ पा० २३)

“बहुत से शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं। सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने सदकर्म किए और ऐसे लोग थोड़े होते हैं।”

۴- الا قليلا ممن انجينا منهم.

(سوره هود، رکوع ۱۰ پارہ ۲۳)

۵- تولوا الا قليلا منهم.

(سوره بقرہ، رکوع ۳۲- پارہ ۲)

अर्थात् अन्मा النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً. हदीसः लोگوں की मिसाल ऐसी है जैसे सौ ऊंट, करीब है कि तुझ को एक भी सवारी के लाइक न मिल सके। (बुखारी व मुस्लिम) तिर्मिजी में इतना और है कि “اولا نجد فيها الراحلة.” या तुझ को सौ में से केवल एक ही सवारी के काबिल मिल सके।

सूफीवाद और विद

शाह वलीउल्लाह साहब रह० की किताब “شفاء العليل” में ने पढ़ी है। मालूम नहीं किस ज़माने की लिखी हुई है। “अल इन्तिबाह फी सलासिल औलिया अल्लाह” पृ० 2 में शाह साहब फरमाते हैं: “हज़रत जुनैद बग़दादी रह० के ज़माने में ख़िरका पोशी की रस्म निकली और रस्मे बैअत उस के बाद प्रचलित हुई।”

“इज़ालतुल ख़िफ़ा” में लिखते हैं: तबअ ताबअीन तक मशाइख़ का संबंध शार्गिदों के साथ बैअत और ख़िरका पोशी के ज़रिए से न था, केवल संगत के ज़रिए से था। और बहुत से सिलसिलों के साथ संबंध पैदा करता था।”

शाह साहब रह० फरमाते हैं:

ومنہا ان لا يتكلم في ترجيح طرق الصرّفة بعضها على بعض
ولا ينكر على المغلوبين منهم ولا على الممولين في السماع
وغیره ولا يتبع هو نفسه الا ما هو ثابت في السنة.

“सूफियों के तरीके से बात न करे कि कुछ को कुछ

पर वरीयता दे। मगलूबुल हाल पर इन्कार न करे न उन पर समाअ आदि के बारे में तावील करते हैं लेकिन वह स्वयं किसी चीज़ का अनुसरण न करे, सिवाए उस के जो साबित हो सुन्नत से।

(القول الجميل فى بيان سواء السبيل، فصل تاسع)

शाह साहब रह0 फरमाते हैं:

وكذلك الاشغال باوراد المشائخ الصونية ومقالاتهم ليس
ينفع ذلك امملا ويلزم الطاعات المتقولة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم دون ما يؤثر عن غيره.

मशाइख व सूफ़िया के अवरद व मक़ालात में उत्तेजित होना यह अमल लाभकारी नहीं है बल्कि उपासना को लाज़िम समझना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्ल0 से मंकूल हैं, उन को छोड़ दे जो दूसरों से मंसूब हैं।”

(तफ़हीमात, पहला भाग पृ0 18)

ये वाक्य तो बहुत अच्छे हैं। मालूम नहीं शिफ़ाउल अलील मैं मसाहमत क्यों हो गई। शायद शुरू की तस्नीफ़ होगी। क्योंकि वह पहले हंफ़ी ही थे। अब वसीयत नामे के इक़तिबासात सुनिए:

“दूसरी वसियत यह है कि उस ज़माने के मशाइख़ जो विभिन्न प्रकार की बिदआत का शिकार हैं, उन के हाथ में हाथ न दे, और न उन की बैअत करे।”

फिर करामात, तिलिस्मात और नजात से होशियार करते हुए व जंग व जिदाल का ज़िक्र करते हैं। कहते हैं कि कुछ सादा स्वभाव लोग साधारण घटना को भी करामात समझते हैं। यद्यपि यह ईश्वरीय शक्ति के कारण घटित होती है।

ऐसी हालत में हदीस व फ़िक़ह हंफ़िया व शाफ़िया की

किताबों का अध्ययन करे और अमल जाहिर सुन्नत पर करे।”

फिर लिखते हैं कि अगर सच्चा शौक हो तो किताब “अवारिफ़” से आदाब नमाज़ रोज़ा व अज़कारे मामूलात औकात हासिल करें। तरीका जानने के लिए रसाइल नक्शबन्दिया को याद रखिए फिर लिखते हैं। “इन दोनों किताबों में यह मज़मून इतने रोशन हैं कि किसी मुरशिद को तलकीन की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुरशिद मिल जाए तो इस की संगत अख़्तियार करें।” फिर लिखते हैं। अगर वह हर मामला में कमाल न रखता हो तो उस की अच्छी बातें हासिल करें और ख़राब बातों को छोड़ दें। सूफ़िया के बारे में ग़नीमत कुबरा है और उन के रसूम को कदापि अख़्तियार न करें। यह बात बहुत सों पर भारी गुज़रेगी” शाह साहब रह० की यह इबारत कुछ ग़ैर वाजेह सी है “हम में और अहले ज़मान में मतभेद सुन्नत है। सूफ़ी यह कहते हैं मुतकल्लिमीन यह कहते हैं..... और हम यह कहते हैं कि मानवता का मतलूब सिवाए शरअ के और कुछ नहीं वसीयत नामा में यह भी लिखा है कि हर दिन कुरआन व हदीस पढ़े। अगर पढ़ न सकता हो तो सुने। अब देखना यह है कि “अवारिफ़” और रसाइल नक्शबन्दिया कैसी किताबें हैं। क्योंकि उन की तरफ़ शाह साहब रह० ने इशारा फ़रमाया है। यह तो मुझे मालूम है कि नक्शबन्दी तरीके की बुनियाद सुन्नत की पाबन्दी पर रखी गई थी। बाद में क्या क्या हुआ। अल्लाह ही ख़ूब जानता है।

“सिराते मुस्तकीम” शायद पूरी शाह इसमाईल शहीद रह० की लिखी हुई नहीं है कुछ हिस्सा इसमें मौलवी अब्दुल हई का है। शाह इसमाईल रह० लिखते हैं.....“इरादत (मुरीद होना) व तकलीदे शख़्सी दीन के अरकान में से नहीं है।” (ईज़ाहुल हक़) फिर लिखते

हैं। “अपना शीर्षक व मुहम्मदी तरीका और सुन्नत कदीम को बनाए, न कि किसी मजहबे खास या तरीकत के मशहूर मसलक को अख्तियार करे और उन को शिआर बनाए। बल्कि उन को अत्तार की दुकान समझे और स्वयं को मुहम्मदी सल्ल० लशकर का सदस्य समझे। (ईजाहुल हक) “सिराते मुस्तकीम” में लिखते हैं। “सूफियत व प्रचलित सुलूक के तरीके अहादीस से साबित नहीं बल्कि नबी करीम सल्ल० से तो केवल किताब व सुन्नत मंकूल है और आप की दावत व इशाअत हुज्जत व बुरहान। तीर व तलवार के साथ इन्हीं दो चीजों के लिए थी।” (मुतरकुल हदीद पृ० 56)

मौलाना इस्माईल शहीद रह० एक और जगह लिखते हैं: “अवराद व अज़कार का निर्धारण, साधनाएं, एकान्तवास चिल्ले, मनगढ़त नवाफिल, जहरी व धीमे अज़कार के तरीके, ज़रबें लगाना, गिनती मुकर्रर करना, बरजखी मुराक़बे और सख्त इबादतों का आयोजन, ये सब हकीकी बिदाआत की किस्मों से हैं।

(ईजाहुल हक पृ० 73)

इन दोनों बुज़र्गों के ये कथन अब आप के सामने हैं। और वे किताबें भी आप के सामने हैं। अर्थात् “شفاء العليل” और “صراط” “مستقیم” ये दोनों किताबें मेरे पास नहीं। वरना मैं हल करने की कोशिश करता। मेरा गुमान यही है कि शायद यह शुरू उम्र की लिखी हुई हैं या “सिराते मुस्तकीम” का आपत्ति जनक हिस्सा उन का नहीं है बल्कि मौलवी अब्दुल हई साहब का है।

बैअत की हकीकत

बैअत की कई किस्में हैं। (1) इस्लाम कुबूल करते समय बैअत करना, यह सुन्नत से साबित है। (2) किसी भी मुसलमान से उस का

बुजुर्ग किसी समय भी उस से बैअत या वचन ले सकता है, कि भविष्य में फ़लां फ़लां काम करना या न करना। यह भी सुन्नत से साबित है। (3) ख़िलाफ़त, इमारत, जिहाद पर बैअत यह भी सुन्नत से साबित है। (4) किसी मुसलमान का बुजुर्ग के पास आकर प्रतीज़ा करना या बैअत करना कि फ़लां फ़लां काम करूंगा या फ़ुलां काम नहीं करूंगा और फिर उन बैअत लेने वालों का विभिन्न टोलियों में बंट जाना, विभिन्न तरीक़े गढ़ लेना, आदि आदि, यह सुन्नत से साबित नहीं।

अब्दुस्सत्तार साहब, के उन की बैअत उसूली तौर पर तीसरी किस्म में आती है।

अहले हदीस ध्यान दें

अब मैं दो एक बातें आप को लिख रहा हूँ जैसे याद तो आप को भी होंगी और अमल भी आप का उन पर होगा। लेकिन मैं याद दिहानी के तौर पर आप को लिख रहा हूँ। इसलिए कि दूसरे के लिखने से कुछ ध्यान ज़्यादा दिया जाता है और क्योंकि मैं इस का तजुर्बा कर चुका हूँ कि दूसरे का ध्यान आकृष्ट कराने से वह बात ज़ेहन में मज़बूत हो जाती है। अमल में चुस्ती पैदा हो जाती है। इस लिए कह रहा हूँ। अब आप माशाअल्लाह मोमिन हैं मुसलमान हैं मुबल्लिग़ हैं, अतः बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप की बातिनी और ज़ाहिरी दोनों हालतें साफ़ सुथरी हों। नफ़स की सफ़ाई अर्थात् बातिनी सफ़ाई फ़राइज़े नुबुव्वत में से है। हर नबी लोगों के बातिन की सफ़ाई करने पर नियुक्त होता है। अल्लाह का डर, तक्वा दिल में पैदा होना चाहिए। घमंड, हसद, बैर आदि तमाम बुरी बातों से दिल पाक होना चाहिए। यह बातें मैंने याद के लिए लिख दी हैं।

क्योंकि इस का असल ज़रिया अपने तौर पर सुन्नत का अनुसरण है। अतः यह बातें तो उम्मीद है कि आप में मौजूद होंगी। कुरआन व हदीस का अध्ययन और नेक संगत इस के लिए सोने पे सुहागा का काम करती है। मुझे जो बात कहनी है वह जाहिरी पाकीजगी के बारे में है और इस पर जोर देना चाहता हूँ, प्रचारक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। गैर मुस्लिम जो चीज़ देखता है वह आप का जाहिर है और उस जाहिर में दो चीज़ें हैं जिन पर उस की ख़ास नज़र होती है आचरण और नमाज़। प्रचारक के लिए आचरण बहुत ज़रूरी है। बस अब आप मुहम्मदी तरीके का नमूना बन जाएँ। संहनशीलता, बरदाश्त, विनम्रता, विनय पैदा कीजिए। कोई बुरा भला कहे जवाब न दीजिए, ज़्यादाती करे मुहब्बत से पेश आइए। उस के किसी बुजुर्ग के लिए अपमान जनक कलिमा मुंह से न निकालिए। न अपने बजुर्गों की ग़लती पर तान कीजिए। ऐसे लोगों से बचिए, ये बदनाम करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी बुजुर्ग की ग़लती पर कुछ कहना हो तो यह कह सकते हैं कि हम उनके अनुसरण पर बाध्य नहीं। अल्लाह उन्हें माफ़ फ़रमाए। हम तो रसूल सल्ल० के अनुसरण पर बाध्य हैं। दूसरी चीज़ नमाज़ है जिस को देख कर कशिश होती है या नफ़रत। गैर मुस्लिम या विरोधी नमाज़ को ख़ास तौर पर देखता है। नमाज़ को शोभा की चीज़ों के साथ अदा कीजिए। जैसे सर नंगा न हो, कंधा खोलने की मनाही है।

(सही बुखारी)

अल्लाह तआला फ़रमाता है: "خذوا زينتكم عند كل مسجد." हर नमाज़ के समय शोभा की चीज़ें पहन लिया करो।"

रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद गिरामी है। "اللّٰه احق ان يزین له." "अल्लाह ज़्यादा हक़ दार है कि उस के लिए श्रंगार किया जाए।"

(बैहेकी) यह भी इर्शाद है कि जिस के पास दो कपड़े हों वह दोनों कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़े। (बैहेकी) अर्थात् कमीस और पाजामा। बनियान पहन कर नमाज़ पढ़ना बद् तहज़ीबी है, फिर कंधे भी नहीं ढकते, कुछ लोग कोहनी या बाजू पकड़ कर खड़े होते हैं, यह ख़िलाफ़े सुन्नत है। कलाई पकड़ना सुन्नत है। (अबु दाऊद) कुछ लोग हाथों को इतना ऊपर और बे हंगम तरीके से बांधते हैं कि अजीब शकल बन जाती है। फिर कंधों को ऊपर करके कानों से मिला लेते हैं। यह बड़ा मकरूह मंज़र होता है, हाथों को सीने पर अर्थात् दिल के करीब रखना चाहिए, कंधे नीचे होने चाहिए। नमाज़ में सुकून होना चाहिए। (सहीह मुस्लिम) हाथ सुकून व वकार से उठें और कानों के करीब पहुंच कर साकिन हो जाने चाहिए। न यह कि नाफ़ तक उठें या जैसे कोई मक्खी मार रहा है, या जैसे सरकश घोड़ों की दुमें उठती हैं, या जैसे कोई हाथ फेंक रहा है, टांगों के बीच उचित फ़ासला हो टांगें न चीरें, जमाअत में पैर को केवल उस आदमी से मिलाएँ जो इमाम के ज़्यादा करीब हो। दोनों तरफ़ मिलाने की कोशिश न करें, वरना दूरी ज़्यादा हो जाएगी। कंधे नहीं मिलेंगे, आप के दूसरे पैर से आप के पास वाला आदमी मिलाएगा। सज्दा में जाते समय एक दम धड़ से न जा पड़ें, वकार के साथ घुटनों पर हाथ रखकर पहले घुटने टिकाएँ और उठते समय उस का अक्स अत्तहियात में कुछ लोग शहादत की उंगली को बड़े ज़ोर से घुमाते हैं। यह बे सुबूत है। (दुआ के समय) धीरे धीरे हिलाएँ, लेकिन सलाम तक उठाएं रहें, यह सुन्नत है। और यह सब काम अल्लाह के खुश करने के लिए किए जाएँ। आप का पत्र ता0 12 अगस्त को पहुंचा। बच्चे, औरतें जिन मटकों से पानी लेते हैं, वह इस्तेमाल शुदा कैसे बन सकते हैं। बच्चों के हाथ पाक हैं तो पानी

पाक है। औरत के गुस्ल या वुजू से बचा हुआ पानी इस्तेमाल न करना चाहिए और वह भी शायद ना महरम औरत का बचा हुआ पानी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ल० बीवियों का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर लिया करते थे। पानी का मसअला अहनाफ़ के यहां है अर्थात वुजू या गुस्ल करते समय जो पानी बदन से लग कर बहता है वह नापाक है इसी बिना पर वह इन बूंदों को भी नापाक कहते हैं जो वुजू या गुस्ल करते समय हाथ या सर से गिरती हैं, यद्यपि रसूलुल्लाह सल्ल० बरतन में हाथ डाल कर ही चुल्लू लिया करते थे, अतः बूंदें बरतन में जरूर पड़ती होंगी। तय्यब साहब, गुलाम हुसैन साहब, घर वाले व जुमला हज़रात को सलाम कहिए, कराची आने की कोई संभावना नहीं, दुआ कीजिए। यह पत्र कई दिन हुए लिखना शुरू किया था। और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा लिख कर पूरा कर सका हूं। समय ही नहीं मिलता था, आज 25 अगस्त को ख़त्म कर रहा हूं। इस बात का मलाल है कि पत्र देर में लिख रहा हूं। मैंने शायद आप को लिखा था कि सय्यद बदीउद्दीन शाह राशिद पीर आफ़ झन्डा यहां तशरीफ़ लाए थे, मुलाकात हुई थी। वह खुद गरीब ख़ाना पर तशरीफ़ लाए थे। मौलाना हाफ़िज़ मुहम्मद इसमाईल ज़बीह ख़तीब जामा मस्जिद अहले हदीस रावलपिन्डी भी साथ थे। पीर साहब जय्यद आलिमे दीन हैं। क्या मौलाना हाफ़िज़ मुहम्मद इसमाईल ज़बीह की तक़रीर भी आप ने हैदराबाद में सुनी? क्योंकि दोनों हज़रात ही हैदराबाद के जलसा में वक्ता थे। सुना है कि उस जलसे के नतीजे में कई आदमी अहले हदीस हो गए।

फ़क़त

खादिम: मसऊद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसरूद साहब मद्दा जिल्लहु
अस्सलामु आलैकुम ।

आप का पत्र मिला । हालात मालूम हुए । जवाब देने में बड़ी देरी हुई । जिस की वजह मेरी परेशानियां हैं । गुलामुल्लाह ठट्टा से 12 मील पर है । कराची या सजावल दोनों तरफ़ से ठट्टा आना पड़ता है । फिर ठट्टा से अलग बस जाती है, मैं लगभग एक साल से सजावल नहीं गया और न जाने का इरादा है । वहां के उलमा आदि से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही । वहां के उलमा और जुहला मेरे सख्त विरोधी हो गए हैं और यहां तो विरोध है ही । मेरे कराची के रिश्तेदार सब मुझ से अलग हो गए हैं और यहां गुलामुल्लाह में इन जिद्दी मुल्लाओं से सख्त जंग हो रही है । एक मौलवी साहब ने तय्यब के लड़के के ज़रिए एक "मनअ फ़ातिहा ख़लफ़ुल इमाम" नामी किताब भेजी है तय्यब के लड़के ने वह किताब लाकर चुपके से तय्यब के बक्स में रख दी । तय्यब ने उस किताब को पढ़ा फिर मेरे पास ले आया । वह किताब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ी, किताब बड़ी ज़हरीली है । दो तीन दिन तक तय्यब भी उस किताब से काफ़ी प्रभावित नज़र आए । फिर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सही हो गए । मुझे तो इस किताब का और कोई जवाब बन नहीं पड़ा । मैंने जवाब में लिखा कि फ़ातिहा ख़लफ़ुल इमाम मना है तो फिर शाफ़़ी क्यों पढ़ते और फ़र्ज़ समझते हैं और तुम उन को

अपना हकीकी भाई क्यों तस्लीम करते हो। वे पढ़ें तो जाइज़ और हम पढ़ें तो नाजाइज़। यह कैसी मंतिक है। पहले अपने भाई को उस नाजाइज़ काम से रोको, फिर हम से उलझना। अब उस किताब की कुछ चीज़ें प्रस्तुत करता हूँ, किताब यूँ शुरू होती है।

“सय्यदना इमाम आजम रह0 के सदक़े में किताब शुरू करता हूँ। बाइस अहादीस मुसतनद और सैंकड़ों सहाबा के कथन रज़ि0 व अमले सहाबा रज़ि0 लिखे जाते हैं। फ़ातिहा के सबूत की सात हदीसों हैं, जो एक दूसरी से भिन्न भिन्न हैं। तुम बुख़ारी शरीफ़ के बारे में दावा तो बड़ा लम्बा चौड़ा करते हो, मगर परीक्षा के समय मैदान छोड़ कर भाग जाते हो। बुख़ारी को छोड़ कर बैहेकी का सहारा लेते हो। आप की मिसाल इस आयत में मौजूद है। **افئؤمنون**। (पहला पारा) **ببعض الكتب وتكفرون ببعض**। एक जगह लिखता है कि तुम आपत्ति करते हो कि मुअम्मर ने जो हदीस बुख़ारी में रिवायत की है। वह वहमी थे। भला इमाम बुख़ारी ने वहमी की रिवायत क्यों नक़ल की, क्या उन को इस का हाल मालूम न था। हदीस न0 3 अम्र बिन शुएब में केवल फ़ातिहा और अलावा की मनाही है। हदीस न0 4 में फ़ातिहा और इस से ज़्यादा का हुक्म है। इन चारों हदीसों में अहकाम भिन्न भिन्न और अलग अलग हैं। इस के अलावा न0 5 में हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 की दिल में पढ़ने की है। हदीस न0 6 में जो इमाम बुख़ारी की सकता में पढ़ने की है। सातवीं में जो हज़रत अली रज़ि0 की है उस में इमाम के पीछे नमाज़े सिर्री (धीमे) में दो सूरतें पढ़ने का ज़िक्र है, अब यह सात हदीसों हैं जो अलग अलग हुक्म देती हैं। आप का अमल किस हदीस पर है, अमल तो एक ही पर होगा तो तुम छः के तारिक (छोड़ने वाले) हुए। तो फिर किस कायदे से आमिल बिल हदीस बन गए। हदीसों की रोशनी में

तुम्हारा दावा बातिल साबित हो रहा है। हदीस उबादा रज़ि० में मुक्तदा का ज़िक्र नहीं है। तुम तथा कथित बातिल दावा करने वाले लिखते हो कि यह ग़लत है, जब दलील आम होती है तो उस के तमाम लोग उस में दाख़िल होते हैं। अतएव इस हदीस में इमाम मुक्तदा, मुन्फ़रिद सब दाख़िल हैं हदीसे उबादा रज़ि० में तो तुम ने तीनों को दाख़िल कर लिया। क्योंकि तुम को वहां इस की ज़रूरत थी और हदीसे अम्र बिन शुएब में मुक्तदा को अलग कर दिया, क्योंकि यहां तुम को इस की ज़रूरत न थी। इस लिए दलील ख़ास हो गई यह तुम्हारे गढ़े हुए गुण हैं जिस को चाहा आम कर दिया, जिस को चाहा ख़ास कर दिया। हालांकि अम्र बिन शुएब की हदीस में इमाम मुक्तदा, मुन्फ़रिद का ज़िक्र नहीं है। यह तुम्हारा अपना इज्तेहाद है। तुम्हारी अपनी इच्छा की पैरवी है। हदीस न० 4 को कहते हो कि ज़ईफ़ है यद्यपि तुम्हारी अक़ल, तुम्हारा ईमान ज़ईफ़ है। यद्यपि यह बुख़ारी की हदीस है, जिस के तुम मानने वाले हो। अगर जुज़उल किरात बुख़ारी की हदीसों को ग़लत बताओगे तो इमाम बुख़ारी की किताब का नाम शब्द सही बदल देना होगा। फिर उस के बाद कौन सी किताब सही होगी जिस को तुम सहीह बताओगे। हदीस न० 5 में कहते हो कि हज़रत अबु हुरैरह रज़ि० को मदीना की गलियों में मुनादी का हुक्म नहीं था।

(ज़रा देखो जुज़उल किरात बुख़ारी पृ० 19)

قال ابو عثمان الهدي فاسمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اخرج مناد في المدينة ان لا صلوة الا بقرآن ولو
بفاتحة الكتاب فما زاد.

देखो मदीना में मुनादी का हुक्म था या कानपूर में। रिवायत न० 6 के बारे में कहते हो कि इमाम बुख़ारी रह० के ज़माने में तू चल

में आया वाली नमाज़ नहीं हुई थी। बल्कि तक्बीर तहरीमा और किरअत के बीच सक्ता होता था यद्यपि यह दुआए सना इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए है। हमारा इमाम तुम्हारी तरह मुक्तदी के अधीन नहीं होता, बल्कि मुक्तदी इमाम के अधीन होता है। नामज़ में रुकूअ और सजदा में तीन बार तस्बीह वाजिब है। देखो हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पृ0 317 में। मगर आप की शरीअत अलग है। हुजूर सल्ल0 ने फ़रमाया कि एक क़ौम होगी जो बहुत इबादत करेगी। अर्थात् लम्बे रुकूअ और सुजूद करेगी। तुम अपनी नमाज़ों और रोज़ों को उन की नमाज़ रोज़ों से तुच्छ समझोगे लेकिन वह दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। इसी लिए हम अहले सुन्नत व जमाअत सुन्नत के मुताबिक़ रुकूअ सजदा करते हैं। क्योंकि जमाअत में ज़ईफ़ कमज़ोर सब होते हैं। इसीलिए हमारे आकाए नामदार सल्ल0 ने हलकी नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया था। मसबूक के बारे में यह कहते हो कि जब इमाम रुकूअ में जाए यद्यपि हमारे आकाए नामदार सल्ल0 का हुक्म है कि इमाम की इक्तदा करो। इमाम इसी लिए है कि उस की इक्तदा की जाए। जब वह रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वह किरअत करे तो ख़ामोश रहो। मगर तुम गन्दुम नुमा जौ फ़रोश अपना इज्तिहाद चलाते हो। सहाबा किराम रज़ि0 सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे लेकिन यह आयत नाज़िल हुई कि जब कुरआन पढ़ा जाए तो ख़ामोश रहो, तब छोड़ दिया। पहले नमाज़ में सहाबा—ए—किराम रज़ि0 आसमान की तरफ़ देखा करते थे। जुमा के खुतबे में अनाज ख़रीदने बाज़ार जाया करते थे तो आयत पारा 28 रुकूअ 12 में नाज़िल हुई और मना किया गया। देखो पहला पारा रुकूअ 18 जिस में दोनों कामों

से रोका गया है फ़ातिहा की सूरत में स्पष्ट दलील इमाम अहमद रह0 के कथन में देखो। हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 फ़ातिहा को दिल में पढ़ने का हुक्म देते। क्योंकि आयत सूरा आराफ़ का एहतेराम था। अल्लामा ऐनी शरह बुख़ारी पृ0 63 भाग तीन में लिखते हैं। अर्थात् शैख़ अब्दुल्लाह बिन याकूब ने किताब “कशफ़ुल अबरार” में ज़िक्र किया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत है कि उन के बाप ज़ैद बिन असलम ने कहा कि असहाबे हुज़ूर सल्ल0 से दस सहाबी रज़ि0 किरअत फ़ातिहा ख़लफ़ुल इमाम से सख़्त मना करते थे। 1 सिद्दीक़ अकबर रज़ि0 2 हज़रत उमर रज़ि0 3 हज़रत उसमान रज़ि0 4 हज़रत अली रज़ि0 5 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 6 हज़रत सईद बिन वकास रज़ि0 7 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 8 हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि0 9 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 10 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि0। मगर तुम लोगों की मिसाल इस आयत के चरिर्थात है: **وان يروا كل اية لا يؤمنوا بها وان يروا** तुम इल्म का तंबूरा हो केवल दलीलों को ज़ईफ़ कहना जानते हो। एक तरफ़ ऐनी के कथन को ज़ईफ़ कहते हो, दूसरी तरफ़ इसी के कथन को दलील के तौर पर पेश करते हो। वाक्य ख़त्म हुए।

इन ख़्यालों में उलझा हुआ था कि मेरे दामाद का पत्र मिला। जिस के पढ़ने से बड़ी परेशानी हुई। उस ने इस तरह लिखा कि मानो उस को मुझ से कोई लगाव ही नहीं है। उस पत्र के लिफ़ाफ़े पर मदरसा हाशिमिया की मुहर लगी हुई है। उस ने ख़त यूं शुरू किया:

“जनाब आली! आप हम अहनाफ़ को रफ़अ यदैन न करने पर मलामत करते हैं यद्यपि बीसियों हदीसों में तर्क रफ़अ यदैन साबित

है। मैं कुछ हदीसों आप को भेज रहा हूँ। अगर चाहो तो और भी भेज सकता हूँ। आप इन हदीसों के खिलाफ़ अमल करते हैं। छोड़ी हुई चीज़ पर आग्रह करके उम्मत में फूट फैला रहे हैं। आप भी इन हदीसों पर अमल करके रफ़अ यद्देन तर्क कर दीजिए तो उम्मत मुहम्मदिया फूट से बच जाएगी औ हम को खुशी होगी आदि। पत्र का मज़मून ख़त्म हुआ। आप उन को देखिए और फिर मुझे लिखिए कि क्या ये अहादीस सहीह हैं। मैंने उस को कोई जवाब नहीं दिया। उस से मैंने पत्र व्यवहार बन्द कर दिया है। यह भी मुझे लिखिए कि जिस तरह हंफ़ी चारों इमामों के मज़हबों को हक़ पर समझते हैं। क्या शाफ़ी रह0 आदि भी उन को हक़ पर समझते हैं.....

फिर दूसरे दिन मुझे गूजरांवाला से फ़ैज़ अली शाह हंफ़ी आलिम का पत्र मिला। यह आलिम पहले सजावल में था। जिस ने मुझ से आप को पत्र लिखवाया था कि हंफ़ी मज़हब तिकों का बना हुआ नहीं है और मुदल्लिल जवाब देने का वायदा किया था। लेकिन फिर जवाब ने दे सका। फिर वह सजावल से चला गया था। अब पूरे एक साल के बाद गूजरांवाला से पत्र लिखा है कि "गैर मुक़ल्लिद का जवाब तक़लीद" तो इस विषय पर मालूमात करने से बहुत मसाला मिला। मगर मुझे फुरसत नहीं है कि जवाब दे सकूँ। इधर मौलवी अशरफ़ ने "हकीकतुल फ़िक्ह" किताब के जवाब में ऐलान किया कि इस किताब में हवाले हमारी फ़िक्ह की किताबों के दिए गए हैं, वे सारे हवाले ग़लत हैं। हमारी फ़िक्ह की किताबों में ऐसा कोई मसअला नहीं है। यह मात्र हम अहले सुन्नत वल जमाअत पर आरोप है, आदि। कृपया रोशनी डालिए कि क्या ये हवाले ग़लत हैं?।

मतलब यह कि आज कल यही तूफ़ाने बद तमीज़ी मेरे चारों

तरफ उमडी हुई है और मुझ पर चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। हंफ़ी विद्वान मेरे पास हर हफ़ता कोई न कोई चला आता है और बहस व मुबाहसा करता है। लोगों के दिलों में मेरे बारे में नफ़रत पैदा की जाती है। कोई मुझ से सीधे मुंह बात नहीं करता। कभी कभी ऐसा घबरा जाता हूं कि चाहता हूं कि भाग जाऊं अजीब कशमकश में फंसा हूं। परेशानियों से दिमाग़ इस क़ाबिल नहीं रहा किसी से बहस व मुबाहसा कर सकूं। आप हमारे लिए दुआ-ए-ख़ैर फ़रमाएं। अब मैं कुछ सवाला आप से करता हूं। कृपया तफ़्सीली जवाब दीजिए।

- 1- यह जो कहा जाता है कि उलमा वारिसे अंबिया है तो इस से क्या मुराद है?
- 2- तहावी शरीफ़, दारे कुतनी, नैलुल अवतार, क्या ये किताबें मुसतनद हैं? क्या इन की हदीसों सहीह हैं? देलमी, तरगीब व तरहीब।
- 3- दलाइलुल ख़ैरात का पढ़ना जाइज़ है या नहीं?
- 4- कुरआन की टीका से क्या मुराद है? तर्जमा पर भरोसा किया जाए या टीका पर, टीका में जो कुछ होता है क्या उस को सही मान लिया जाए?
- 5- हदीस के माध्यम से क्या मुराद है, हदीस के अनुवाद में मायना पर अमल करें या व्याख्या देखनी ज़रूरी है। अगर बिना व्याख्या देखे अमल नहीं किया जा सकता तो फिर किस की व्याख्या मुसतनद है।
- 6- अबु दाऊद में रफ़अ यदैन के बारे में अल्लामा वहीदुज्जमां दकनी साहब ने लिखा है कि रफ़अ यदैन मुस्तहब है, फ़र्ज व वाजिब नहीं है। इस का क्या यह मतज़ब नहीं हुआ कि अगर न

करें तो नमाज़ हो गई ।

अबु दाऊद में जो अभी नई सर्ईद एण्ड सन्ज वालों ने प्रकाशित की है, जगह जगह अल्लामा वहीदुज्जमां दकनी साहब की व्याख्या के नीचे नोट लिखा है कि यह आप का कथन है जो ग़ैर मुसतनद है । इस तरह एक जगह आफ़ताब उदय होने से पहले एक रकअत मिलने से फ़ज़्र की नमाज़ हो जाने के बारे में अल्लामा ने लिखा कि हंफियों का इज्तिहाद इस के विरुद्ध है जो ग़लत है । उन को हदीस की रोशनी में अपने इमाम का कथन छोड़ देना चाहिए । जो हंफी दलील पेश करते हैं वह इस हदीस के मुक़ाबले में कोई अहमियत नहीं रखती । इस पर सर्ईद साहब ने नीचे नोट लिखा है कि वह दलील भी लिख देते ताकि फ़ैसला हो जाता कि आप सच कहते हैं या हंफी । इस का क्या मतलब है और वह कौन सी दलील है जो हंफी पेश करते हैं और इस तरह नोट लिखने से क्या हदीसों के बारे में शक व शुबह नहीं पैदा हो जाता सारी सुनन अबु दाऊद शरीफ़ में इस तरह नोट डाल कर अल्लामा की व्याख्या को रद्द करने की कोशिश की है ।

फ़क़त

नवाब

17-9-62 ई०

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत मख़दूमी मुकर्रमी जनाब नवाब साहब

चक लाला 30 सितम्बर 1962 ई0 इतवार

अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

अम्मा बाद! आप का पत्र 17 सितम्बर वसूल होकर हालात

मालूम हुए।

अहादीसे सहीहा में कोई विभेद नहीं, हर सहीह हदीस काबिले अमल है

و بالله التوفيق. अब आप के सवालों के जवाब लिखता हूँ।

सवाल 1- सुबूत फ़ातिहा की सात हदीसों हैं जो एक दूसरे से अलग हैं?

जवाब- बिल्कुल ग़लत है, कोई विभेद नहीं है।

सवाल 2 - तुम एक हदीस पर अमल करते हो और छः को छोड़ते हो?

जवाब- सातों में कोई विभेद नहीं, अतः हमारा अमल सब पर है। हमारे हां यह उसूल है ही नहीं कि आयात व अहादीस को टकरा कर इन आयात व अहादीस को ख़त्म कर दें, कोई भी अमल के काबिल न रहे। “**إذا تعارضتا ساقطا**” यह हंफ़ियों का उसूल है।

सवाल 3 - बुख़ारी को छोड़ कर बैहेकी का सहारा लेते हो?

जवाब- बुख़ारी को छोड़ने का इल्ज़ाम ग़लत है, हां हमें किसी इमाम से नफ़रत नहीं। अगर इमाम बैहेकी भी कोई सहीह हदीस रिवायत करते हैं तो हम उसे कुबूल करते हैं। हम यह नहीं कहते कि यह हमारे ख़सम की हदीस है। हम उस को रद्द करने की कोशिश नहीं करते। अगर ज़ाहिर में विभेद भी होता है तो ततबीक़ दे कर दोनों सहीह अहादीस पर अमल करते हैं। ख़त्म किसी को नहीं करते।

सवाल 4 - तुम आपत्ति करते हो कि मुअम्मर ने जो हदीस बुख़ारी में रिवायत की है वह वहमी थे। भला इमाम बुख़ारी ने वहमी की रिवायत क्यों नक़ल की। क्या उन को इसका हाल मालूम न था?

जवाब- मुअम्मर के वहम की तरफ़ इमाम बुख़ारी रह० ही ने इशारा फ़रमाया है। वह लिखते हैं: *وعامة الثقات لم يتابع معمر افي قوله* अर्थात् अर्थात् *فصاعداً مع انه قد اثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعداً غير معروف*। आम सिकाते अहले हदीस मुअम्मर के कथन “*فصاعداً*” की समानता नहीं। यद्यपि सूरह फ़ातिहा का होना तो साबित है लेकिन “*فصاعداً*” ग़ैर मारूफ़ है। (किताबुल क़िरात पृ० 3) इमाम बुख़ारी के इस कथन से साबित हुआ कि मुअम्मर का इन्फ़िराद है। तमाम मुहद्दीसीन ने यह वाक्य कि “सूरह फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ना फ़र्ज़ है।” रिवायत नहीं किया। अतः इस वाक्य में असमंजस पैदा हुआ दूसरी बात यह भी साबित हुई कि मुअम्मर के बारे में हम अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते। बल्कि इतना ही जितना इमाम बुख़ारी रह० ने लिखा है। फिर इमाम बुख़ारी रह० ने इस जुमला “*فصاعداً*” को सही तस्लीम करते हुए दोनों हदीसों में ततबीक़ दे दी है और दोनों को अमल करने योग्य बना कर पेश कर दिया है। किसी को रद्द नहीं

किया है। वह लिखते हैं। **الا ان يكون كقوله لا يقطع اليد الا في ربع دينار**। यह इस हदीस के जैसा हो सकता है जिस में रसूलुल्लाह सल्ल० फरमाते हैं कि हाथ न काटा जाए मगर चौथाई दीनार या उस से ज़्यादा की चोरी में और बेशक हाथ दीनार में भी काटा जाता है और दीनार से ज़्यादा में भी। (किताबुल किरअत पृ० 3) जिस तरह चौथाई दीनार कम से कम चोरी की मात्रा है। जिस से नामज़ होती है। उस से कम हो तो नमाज़ न होगी। या फिर उस से ज़्यादा तो हो जाएगी। जिस तरह चौथाई दीनार से ज़्यादा चोरी पर भी हाथ काटा जाता है। इमाम बुखारी रह० के नज़दीक **“فصاعداً”** का यह मतलब है, कितनी अच्छी ततबीक है।

सवाल 5- अम्र बिन शुऐब की हदीस में केवल फ़ातिहा का हुक्म और अलावा की मनाही है?

जवाब 5- अम्र बिन शुऐब की हदीस यह है **“كل صلوة لا يقرأ”** अर्थात् हर वह नमाज़ जिस में फ़ातिहा न पढ़ी जाए वह नाकारा है। (किताबुल किरअत पृ० 4) इस में तो अलावा की मनाही कहीं नहीं है। हां हुक्म केवल फ़ातिहा का है। इस लिए कि वह नमाज़ का अनिवार्य भाग है। उस को छोड़ा नहीं जा सकता।

सवाल 6- हदीस न० 4 में फ़ातिहा और इस से ज़्यादा का हुक्म है?

जवाब- हमें ज़्यादा का हुक्म भी तस्लीम है, फ़र्क केवल इतना है कि फ़ातिहा हर हाल में हर एक के लिए ज़रूरी है। इस के बिना नमाज़ नहीं होती। ज़्यादा पढ़ना हर हाल में हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। मुक्तदी के लिए केवल सूरा फ़ातिहा लाज़मी है ज़्यादा

पढ़ना लाज़मी नहीं। बल्कि इमाम की ऊंची आवाज़ की किरात के दौरान पढ़ने की मनाही है।

सवाल 7 - इस के अलावा हदीस न0 5 में हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 की दिल में पढ़ने का हुक्म है।

जवाब - हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 की हदीस में मुक्तदी का ज़िक्र विस्तार से मौजूद है। अतः मुक्तदी को दिल ही में पढ़ना चाहिए। बुलन्द आवाज़ से पढ़ने के लिए कौन कहता है और किस हदीस में बुलन्द आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है। जिस से यह हदीस टकराती हो, बल्कि अहादीस में मुक्तदी को बुलन्द आवाज़ से पढ़ने की मनाही है। अतः सब अहादीस एक दूसरे की समानता करती हैं। टकराव तो तक्लीद की करिशमा साज़ी है।

सवाल 8 - हदीस न0 6 में सकता में पढ़ने का हुक्म है।

जवाब - बिल्कुल ठीक है। मुक्तदी को इमाम के सकतों में पढ़ना चाहिए और जब इमाम पढ़े तो उस को सुनना चाहिए। हमारा इसी पर अमल है।

सवाल 9 - हज़रत अली रज़ि0 की हदीस 7 में इमाम के पीछे ख़ामोश नमाज़ में दो सूरतें पढ़ने का ज़िक्र है।

जवाब - बिल्कुल ठीक है। मुक्तदी ख़ामोश रकअत में फ़ातिहा के अलावा कोई और सूरह भी पढ़ सकता है। हज़रत अली रज़ि0 के शब्द यह है *إذا لم يجهر الإمام في الصلوة فاقراً بام الكتاب وسورة* अर्थात् जब इमाम बुलन्द आवाज़ से किरात न करे तो पहली दो रकअतों में फ़ातिहा भी पढ़ो और सूरह भी और आखिरी रकअतों में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़ो

सवाल 10 - अब यह सात हदीसों हैं जो अलग अलग हुक्म देती हैं आप का अमल किस हदीस पर है?

जवाब - हमारा अमल सातों पर है। हर एक हदीस का अलग मौका है। सूरह फ़ातिहा हर व्यक्ति के लिए लाज़िमी है (हदीस उबादा रज़ि० बिन सामित रज़ि० आदि) इमाम व मुन्फ़रिद को सूरह फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ना चाहिए। (हदीस अबु सईद रज़ि० व अबु हुरैरह रज़ि० आदि) मुक्त्तदी को बुलन्द आवाज़ की रकअत में सूरह फ़ातिहा से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। (हदीस उबादा रज़ि० आदि) मुक्त्तदी को बुलन्द आवाज़ से नहीं पढ़ना चाहिए। बल्कि दिल में पढ़ना चाहिए। (हदीस अबु हुरैरह रज़ि० आदि) मुक्त्तदी को ख़ामोश वाली रकअत में फ़ातिहा पढ़नी चाहिए और दूसरी सूरह भी। (हदीस अली रज़ि०) मुक्त्तदी को बुलन्द आवाज़ वाली रकअत में भी सूरह फ़ातिहा पढ़नी चाहिए। (हदीस उबादा रज़ि० आदि) लेकिन इमाम के साथ साथ नहीं बल्कि इमाम के सकता में (हदीस सकता) तमाम अहादीस अपने अपने अवसर पर हैं। किसी में कोई टकराव नहीं। सब पर अमल करना शाने ईमान है।

सवाल 11 - हदीस उबादा रज़ि० में मुक्त्तदी का ज़िक्र नहीं।

जवाब - हदीस उबादा रज़ि० में ख़िताब ही आप सल्ल० ने मुक्त्तदियों से फ़रमाया था रसूलुल्लाह सल्ल० के शब्द यह हैं:
 لا تقرأوا بشئ من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها.
 अर्थात् जब बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करो तो क़ुरआन में से कुछ न पढ़ो सिवाए सूरह फ़ातिहा के इसलिए कि उस के बिना नमाज़ नहीं होती।
 (अबु दाऊद)

सवाल 12 - हदीस उबादा रज़ि० में तो तुम ने तीनों को दाख़िल कर दिया क्योंकि तुम को वहां इस की ज़रूरत थी। और हदीस अम्र बिन शुऐब में मुक्त्तदी को अलग कर दिया। क्योंकि यहां तुम को इस की ज़रूरत न थी।

जवाब - हदीस उबादा रज़ि० में हुक्मे आम है और खिताब खास है। अतः स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने ही मुक्तदी और ग़ैर मुक्तदी को उस में शामिल कर दिया। हमारा क्या दोष है? हदीस अम्र बिन शुऐब में यद्यपि हुक्मे आम है लेकिन उबादा रज़ि० की हदीस ने जो न० 11 में ऊपर दर्ज की गई है मुक्तदी को इस से अलग कर दिया। अतः यहां भी रसूलुल्लाह सल्ल० की हदीस ही से हम ने खास किया। हम स्वयं कुछ नहीं करते जो आप सल्ल० कह देते हैं। हम तस्लीम कर लेते हैं। हम अंदाजे से काम नहीं करते। हदीस से हदीस को खास करते हैं। अपनी राय से नहीं। फिर अम्र बिन शुऐब की हदीस में दूसरी सूरह का ज़िक्र ही कहां है? यह हदीस 5 में ऊपर दर्ज है। इस में केवल सूरह फ़ातिहा का ज़िक्र है। अर्थात् इस में और हदीस उबादा रज़ि० में कोई फ़र्क ही नहीं। एक ही विषय है। अतः आपत्ति ही बेकार है। शायद उन का इशारा हदीस अबु सईद रज़ि० की तरफ़ है जो 6 में मौजूद है। जवाब इस का वही है जो ऊपर नक़ल हुआ है। अर्थात् मुक्तदी को इस से स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने ही खास कर दिया है। और वह यह कि मुक्तदी कुछ हालात में तो सूरह पढ़ सकता है और कुछ हालात में नहीं। (हदीस उबादा रज़ि० 11 व हदीस अली रज़ि० 9)

सवाल 13 - हदीस न० 4 को कहते हो कि ज़ईफ़ हैं यद्यपि यह बुख़ारी की हदीस है जिस के तुम मानने वाले हो?

जवाब - हम ज़ईफ़ नहीं कहते बल्कि हदीस उबादा रज़ि० से इस को खास करते हैं। मुसन्निफ़ का बुख़ारी की हदीस से क्या मतलब है। अगर इस से सही बुख़ारी मुराद है, तो बिल्कुल ग़लत है। यह हदीस सही बुख़ारी में नहीं, बल्कि जुज़ुल किरअत में है। यह इमाम बुख़ारी की दूसरी किताब है। इमाम बुख़ारी ने कई

फ़रमाते हैं। मैं नमाज़ को लम्बी करना चाहता हूँ लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ कान में आती है तो नमाज़ में कमी (हल्की) कर देता हूँ। कहीं उसकी मां की परेशानी का कारण हो। (बुख़ारी) लीजिए इमामुल अइम्मा इमामे आजम सल्ल० तो अधीन होने से शर्म महसूस न करें लेकिन हंफ़ी इमाम को शर्म महसूस होती है। आप सल्ल० की जोहर की पहली रकअत इतनी लम्बी होती थी कि इक़ामत के बाद जाने वाला पेशाब पाख़ाना के लिए जाता और वापस आकर वुजू करके पहली रकअत में शामिल हो जाता। (बुख़ारी) यह किस की अधीनता थी। फिर इशा की नमाज़ में आप सल्ल० लोगों का इन्तिज़ार करते थे। अगर लोग ज़्यादा होते तो जल्दी पढ़ लेते। अगर कम होते तो देरी करके पढ़ते। फिर सकतों में सूरा फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने दिया। अतः इमाम पर लाज़िम है कि वह सकता करे। उसे अब आप मुक्त्तदी की अधीनता कहें या रसूलुल्लाह सल्ल० का अनुसरण कहें। हम ऐसे तानों से नहीं डरते। रसूलुल्लाह सल्ल० भी स्वयं सकता करते थे, वक्फ़े करते थे। और उन्हीं सकतों और वक्फ़ों में सहाबा सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे। (हदीस अम्र बिन शुऐब, किताबुल किरात, इमाम बैहेकी व हदीस सकतात अन समुरा बिन जुन्दुब रज़ि० अबु दाऊद आदि) अतः उन सकतों की रिआयत बराय मुक्त्तदियान अल्लाह के रसूल सल्ल० की सुन्नत है और हम उस पर अमल करते हुए गर्व करते हैं और जो मुक्त्तदियों की रिआयत न करे, अर्थात् मुक्त्तदियों की रिआयत न करे, अर्थात् मुक्त्तदियों की किरात के लिए सकता न करे उसे बिदअती समझते हैं, सुनिए अब्दुल्लाह बिन उसमान फ़रमाते हैं।

قلت لسعيد بن جبیر اقرأ خلف الإمام قال نعم وان سمعت

قرأته انهم قد احدثوا ما لم يكونوا يصنعونه ان السلف كان إذا
 ام احدهم الناس كبر ثم انصت حتى يظن ان من خلفه قد قرأ
 فاتحة الكتاب ثم قرأ فانصتوا.

अर्थात् मैंने (मशहूर ताबअी इमाम) सईद बिन जुबैर से पूछा— क्या मैं इमाम के पीछे भी किरअत करूं? फ़रमाया हां किरअत करो। यद्यपि तुम उस की किरअत भी सुन रहे हो। उन लोगों ने तो यह बिदअत निकाली है जो पहले लोग नहीं करते थे बेशक हमारे सल्फ़ (सहाबा रज़ि०) में से जब कोई इमाम बनता था तो तकबीर तहरीमा कह कर ख़ामोश रहता था। यहां तक कि वह यह गुमान कर लेता था कि अब सब मुक्त्तदियों ने सूरह फ़ातिहा पढ़ ली होगी तो फिर वह किरअत शुरु करता था और मुक्त्तदी ख़ामोश रहते थे।

(जुज़उल किरात इमाम बुख़ारी रह० पृ० 62)

अर्थात् तमाम सहाबा किराम रज़ि० मुक्त्तदियों के अधीन थे, उन की किरअत के लिए लम्बे सकते करते थे। अर्थात् मुक्त्तदियों की किरअत के लिए सकते करना रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म, आप की सुन्नत, आप सल्ल० के सहाबा रज़ि० की सुन्नत। अब जो उस पर अमल करता है वह खुश किरस्मत है और जो अमल नहीं करता वह हज़रत सईद रह० के अनुसार बिदअती है और जो व्यंग भी करे तो फिर वह ज़रा दिल को टटोल कर देखे कि क्या किसी गोशा में ईमान की कोई रमक भी बाकी है या नहीं?

सवाल 17 - हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि एक क़ौम होगी, लम्बे रूकूअ, सुजूद करेगी

जवाब - आप सल्ल० का यह फ़रमान ख़ारजियों के बारे में है

हजरत अली रज़ि० ने उन लोगों को पहचाना और उन को हलाक किया।

सवाल 18 - तुम यह कहते हो कि जब इमाम रुकूअ में जाए तो मसबूक न जाए बल्कि जल्दी से फ़ातिहा पढ़ के रुकूअ करे।

जवाब - ग़लत हैं। इमाम रुकूअ में जाए तो फ़ौरन रुकूअ में जाए। हां तुम यह कहते हो कि इमाम नामज़ पढ़ता है तो पढ़ने दो। तुम शामिल न हो बल्कि अपनी नमाज़ शुरू कर दो। अर्थात् सुन्नत फ़ज्र। अच्छा यह बताओ कि इमाम सलाम फेर दे तो मसबूक इमाम की पैरवी करे या नहीं? अगर नहीं करे तो तुम्हारा आम कायदा कहां गया?

सवाल 19 - सहाबा किराम रज़ि० सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे। लेकिन जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि जब कुरआन पढ़ा जाए तो ख़ामोश रहो, तब छोड़ दिया।

जवाब - झूठ बे सनद व बे सुबूत हैं। सहाबा रज़ि० तो सईद बिन जुबैर रह० के ज़माने में भी सूरह फ़ातिहा पढ़ते थे। उन के इमाम मुक्तदियों की किरअत के लिए तवील सकते करते थे। जैसा कि ऊपर 16 में गुज़रां

सवाल 20 - कशफ़ुल अबरार में है कि दस सहाबी रज़ि० मसलन ख़ुलफ़ा-ए-अरबअ आदि फ़ातिहा ख़लफ़ुल इमाम से मना करते थे।

जवाब - झूठ है। किसी हदीस की किताब में यह रिवायत नहीं है। कशफ़ुल अबरार वालों ने मन गढ़त बात लिख कर धोखा दिया है। या उन्होंने ग़लत हवाला देकर आम मुसलमानों को धोखा दिया है।

इस किताब के बारे में सवालात ख़त्म हो गए। एक दो बार शुरू में मुझे भी ऐसी किताबों से धोखा हुआ था। लेकिन अब तो हर

चीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से रोज़े रौशन की तरह साफ़ है। अब मैं आसानी से समझ जाता हूँ कि कहां कहां फ़रेब से काम लिया गया है, मगर बेचारे जाहिलों का क्या हशर होगा! उन्हें क्या ख़बर कि मामला क्या है? वे तो कश्फ़ुल अबरार जैसी किताबों का नाम सुन कर ही प्रभावित हो जाते होंगे। ऐसे जाहिलों को सचेत करना आप का और हमारा फ़र्ज़ है। आगे अल्लाह मालिक है।

रफ़अ यदैन के सिलसिले में जो अहादीस आप के दामाद ने लिखी हैं उन का जवाब सुनिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस को छः जगह लिखा है और धोखा यह दिया है मानो यह छः हदीसों हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस का जवाब पहले किसी पत्र में दे चुका हूँ। शायद आप के पास होगा। इमाम इब्ने हिब्बान ने लिखा है कि कूफ़ा वालों की यह सब से अच्छी दलील है हालांकि यह भी बहुत जर्इफ़ है। इस में कई इल्लतें हैं जो उसे बातिल बना रही हैं। (नैलुल अवतार) इमाम नववी ने लिखा है कि उस के ज़ोअफ़ पर मुहदिसीन का इत्तिफ़ाक़ है। (ख़ुलासा) इमाम शाफ़अी रह०, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० आदि दीन के इमामों ने कहा है कि यह हदीस साबित नहीं है। इमाम बुख़ारी रह० ने उसे ग़ैर महफूज़ बताया है। इमाम अबु दाऊद ने फ़रमाया है। यह हदीस इन मायनों और इन शब्दों के साथ सही नहीं है। इमाम मुहम्मद रह० ने अपनी मोत्ता में इस को नक़ल किया। यद्यपि यह उनकी सब से बड़ी दलील थी और कूफ़ा ही में परवरिश पा रही थी। फिर यह अगर सही भी हो तो इस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद का इंफ़िराद है और यह उन की भूल है। इसी तरह कुछ और भूलें उन से हुई हैं जैसे रुकूअ में ततबीक़ करना, सज्दा में हाथ बिछाना, जमाअत में दो मुक्त्तदियों को इमाम के बराबर खड़ा करना आदि, स्वयं हंफ़ी भी यह बातें तस्लीम नहीं करते। बस इसी तरह हम अदमे रफ़अ तस्लीम नहीं

करते, इस लिए कि उन का बयान सारे सहाबा के बयान के खिलाफ है। इबराहीम नख़्शी का यह कहना कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० को पच्चास बार रफ़अ यदैन न करते हुए देखा, बे सुबूत है और उन का यह कहना कि हज़रत वाइल रज़ि० ने सिर्फ़ एक बार रफ़अ यदैन करते देखा यह भी अहादीस के खिलाफ़ है। इमाम बुख़ारी रह० ने अपनी किताब में इबराहीम नख़्शी के इन दोनों कथनों का सख्त खंडन किया है हम ऐसे बे सुबूत कथनों से प्रभावित नहीं होते चाहे कहने वाला कोई हो।

दूसरी हदीस उन्होंने बरा बिन आजिब रज़ि० की नक़ल की है। अर्थात् रसूलुल्लाह सल्ल० शुरू नमाज़ में रफ़अ यदैन करते थे। **ثم**“ फिर नहीं करते थे। इमाम अबु दाऊद ने लिखा है कि यह हदीस सही नहीं है। इमाम अहमद रह० ने कहा है कि यह हदीस वाहियात है यज़ीद अबी ज़ियाद ने उस में **ثم لا يعود**“ बढ़ा दिया है। एक ज़माना तक वह इस वाक्य को बयान नहीं करते थे। फिर करने लगे। इमाम सुफ़ियान कहते हैं कि मैंने पहले यह हदीस यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से सुनी थी। उस में **ثم لا يعود**“ नहीं था बल्कि यह था कि आप सल्ल० रुकूअ से पहले और रुकूअ के बाद रफ़अ यदैन करते थे। जब यज़ीद बूढे हो गए तो कूफ़ा वालों ने उन को यह शब्द तलकीन किए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। इमाम बुख़ारी रह० ने लिखा है कि तमाम हदीस के हाफ़िज़ जिन्होंने यह हदीस यज़ीद से उन की जवानी में सुनी थी, यह शब्द बयान नहीं करते। फिर उन में से कुछ हाफ़िज़ों के नाम लिखे हैं। इमाम अबु दाऊद ने भी यही लिखा है और उन्होंने भी कुछ और हाफ़िज़ों का नाम लिखा है। फिर एक बार यज़ीद ने अली बिन आसिम के सवाल पर स्वयं इन शब्दों का इन्कार किया है और साफ़ कहा है कि **لا احفظ** यह मुझे याद नहीं है, सार यह कि कूफ़ा वालों की साज़िश से वह ग़लती का

शिकार हो गए और इन शब्दों को हदीस के मतन में शामिल कर दिया। और असली शब्द निकाल दिए। **انا لله وانا اليه راجعون**। अफसोस कि इस हदीस को दलील में पेश किया जाता है।

तीसरी दलील हज़रत उमर रज़ि० का अमल है कि वह रफ़अ यदैन नहीं करते थे। इमाम बुख़ारी लिखते। **”قدروى عمر عن النبى**” अर्थात् हज़रत उमर रज़ि० से कई सनदों से यह बात साबित है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्ल० रफ़अ यदैन करते थे। (جزء رفع الیدین للبخاری ص ۳۵) इमाम हाकिम ने भी फ़रमाया है कि रफ़अ यदैन न करने की रिवायत कम है। इस से हुज्जत काइम न होगी। सही यह है कि हज़रत उमर रज़ि० रफ़अ यदैन करते थे। हज़रत उमर रज़ि० के रफ़अ यदैन न करने की रिवायत को सूरी ने भी रिवायत किया है लेकिन उस में **ثم** नहीं है। **ثم لا يعود** को केवल हसन बिन अयाश ने रिवायत किया है। और वह मुतकल्लम फ़ीया हैं। सूरी उन से औसिक हैं। फिर इस में इंकिताअ का संदेह भी है। हज़रत उमर रज़ि० के तो बेटे पोते सब रफ़अ यदैन करते थे। बल्कि बेटे तो रफ़अ यदैन न करने वालों को कंकरियां मारा करते थे (मुसनद इमाम अहमद) हज़रत उमर रज़ि० ने एक बार लोगों को नमाज़ सिखाई तो रफ़अ यदैन किया। नमाज़ के बाद फ़रमाया इसी तरह रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज़ पढ़ते थे और इसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फिर सहाबा रज़ि० ने हज़रत उमर रज़ि० की तसदीक की। (बैहेकी ख़िलाफ़ियात) यह रिवायत मुत्तसिल और सही है। (तसहीलुल कारी) इमाम तकीयुद्दीन कहते हैं, इस के रिजाल मारुफ़ हैं।

चौथी दलील हज़रत अली रज़ि० का रफ़अ यदैन न करना है।

इमाम शफ़ा़ी ने लिखा है कि यह साबित नहीं इमाम उसमान

दारमी फ़रमाते हैं *فهذا قد روى من هذا الطريق الواهي*. यह वाहियात सनद से है। (बैहेकी) इमाम बुख़ारी रह० ने इस पर जिरह की है, वह लिखते हैं हज़रत सुफ़ियान सूरी (जो रफ़अ यदैन के काइल माने जाते हैं) ने इस हदीस का इन्कार किया है। (جزء رفع اليدين ص ٨) हज़रत अली रज़ि० तो स्वयं रफ़अ यदैन के रावी हैं। उन की सहीह रिवायत अबु दाऊद व तिर्मिज़ी में है। आप के दामाद ने यही चार दलीलें नक़ल की हैं। अब अलल उमूम उन के बारे में इमाम बुख़ारी रह० और तमाम मुहदिसीन का फ़ैसला सुनिए: *ولم يثبت عند اهل* अर्थात *العلم عن احد من اصحابه صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع يديه*. विद्वानों के नज़दीक किसी सहाबी रज़ि० के रफ़अ यदैन छोड़ने की रिवायत साबित नहीं। (جزء رفع اليدين ص ٢) आगे चल कर लिखते हैं: *ولم يثبت عند اهل النظر ممن ادركنا من اهل الحجاز واهل العراق فلم يثبت عند احدهم علم في ترك رفع الايدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا عن احد من اصحاب النبي* अर्थात हिजाज़ और इराक़ के जिन अहले नज़र से हमारी मुलाक़ात हुई, उन में से किसी के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्ल० के रफ़अ यदैन न करने के बारे में कोई हदीस साबित नहीं और न किसी सहाबी रज़ि० के रफ़अ यदैन न करने के बारे में कोई रिवायत साबित हुई। लीजिए स्वयं इराकी उलमा ने उन अहादीस को ग़ैर साबित माना है। *فله الحمد*.

रफ़अ यदैन न करने की यही कुछ अहादीस थीं जो उन्होंने नक़ल कीं। बाकी अहादीस सब मौजूआत हैं या बे मौक़ा हैं। बाकी जवाब इंशाअल्लाह दूसरे पत्र में दूंगा।

फ़क़त

मसऊद

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला, ता० अक्टुबर 62

बखिदमत मख़दूमी व मुकर्रमी जनाब नवाब साहब सल्लमहु

अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

अम्मा बाद! इससे पहले एक लिफ़ाफ़ा भेजा था। नज़र से गुज़रा होगा। अब आप के बाकी सवालों के जवाब लिखता हूँ।

सवाल 1 - क्या शाफ़ी आदि भी हंफ़ियों को हक़ पर समझते हैं?

जवाब - ये चारों एक दूसरे को हक़ पर समझते हैं, यद्यपि एक ज़माना तक बड़े वाद विवाद और आपस में खून रेज़ियां होती रहीं।

सवाल 2 - किताब "अलइल्मुल हदीद" आप ने देखी है?

जवाब 2 - यह किताब मैंने नहीं देखी, नताइजुत्तकलीद पढ़ी है और उस में जो सख़्त कलिमात आए हैं उन का जवाब स्वयं लेखक ने प्रस्तावना में दे दिया है। उन के उलमा ने आयतें गढ़ीं। हदीसों गढ़ीं और उन को अपनी किताबों में लिखा। अब इस का जवाब सिवाए इस के वे क्या दे सकते हैं कि ये आयतें और हदीसों गढ़ी नहीं गई बल्कि मौजूद हैं या यह कि उन उलमा से भूल हो गयी। पहला जवाब तो बिल्कुल सही नहीं। दूसरे जवाब की गुन्जाइश है। मतलब यह कि उन उलमा का कुरआन व हदीस से अनभिज्ञ होना ज़ाहिर है। अब अगर इस किताब में कुछ होगा भी तो वह बस इसी क़दर कि जाहिलों को धोखा दिया गया होगा। बहर

हाल जवाब तो हर चीज का होता है ग़लत हो या सही ।

सवाल 3 - क्या "हकीकतुल फ़िक़ह" के हवाले ग़लत हैं?

जवाब - ग़लत नहीं हैं । हां यह हो सकता है कि कुछ हवाले अरबी कुतुब में न मिलते हों इसलिए कि हंफ़ी अनुवाद से नक़ल किए हैं । हो सकता है कि कुछ वाक्य अनुवाद के हों । और नाम अरबी किताब का दे दिया गया हो और यह उन्होंने मुक़द्दमा में लिख दिया है क्योंकि अनुवाद के नाम से अधिकांश लोग नावाकिफ़ हैं इसलिए मैं असल किताब का नाम लिखूंगा जो मशहूर हैं और मसअला उन अनुवादों से उर्दू में नक़ल करूंगा । इन हवालों के मुकाबला मैं अनुवाद से नहीं कर सका क्योंकि अनुवाद मिले नहीं । अरबी में देखा तो पन्ने न मिल सके । बहर हाल क्योंकि मैं फ़िक़ह के मसाइल से परिचित हूँ इसलिए यह कह सकता हूँ कि अक्सर हवाला सही हैं और इसी आधार पर बाकी हवाले भी जिन से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ ज़रूर सही होंगे ।

सवाल 4 - यह जो कहा जाता है कि उलमा वारिसे अंबिया हैं तो इस से क्या मुराद है?

जवाब - यह एक हदीस का अनुवाद है । हदीस ही में इसके आगे इस की व्याख्या है । *وانما ورثوا العلم فمناخذه اخذ بحظ وافر* । अर्थात् अंबिया के वारिसों में इल्म छोड़ जाते हैं अतः जिस ने यह इल्म हासिल किया उस ने भर पूर हिस्सा पा लिया ।

(अबु दाऊद, अहमद, दारमी)

सवाल 5 - तहावी, दारे कुतनी क्या ये किताबें प्रमाणिक हैं?

जवाब - हदीस की किताबों के पांच वर्ग हैं । पहला वर्ग बुख़ारी, मुस्लिम और मोत्ता मालिक पर आधारित है । उन में जितनी

मुसनद हदीसों हैं सब बिल्कुल सही हैं। दूसरे वर्ग में अबु दाऊद, नसाई और तिर्मिजी शामिल हैं। इस वर्ग में सही अहादीस की कसरत है और कुछ हदीसों ज़ईफ़ भी हैं। तीसरे वर्ग में मुसनद अहमद, दारे कुतनी, बैहेकी, तहावी आदि शामिल हैं। उन में बहुत सी अहादीस सही हैं। अधिकांश ज़ईफ़ हैं और कुछ मौजू भी हैं चौथा वर्ग दैलमी इब्ने अदी, शाबीन आदि पर आधारित है। इस वर्ग में शायद ही कोई हदीस सही हो। कुछ ज़ईफ़ और अधिकांश मौजू होती हैं। पांचवां वर्ग खुराफ़ात का पुलिन्दा है। जिन में एक भी हदीस सही नहीं। उन में शाइराना लन तरानियां। सूफ़ियों के बयानात, मीलाद ख़्वानों की गप्पें होती हैं। "नैलुल अवतार" बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है यह मुन्तकियुल अख़बार की व्याख्या है। व्याख्याकार हर हदीस पर स्पष्टता से बहस करते हैं। सही है या ज़ईफ़, मतलब क्या है? आदि आदि "तरगीब व तरहीब" इसी प्रकार की किताब है, जिस तरह की "मिशकात शरीफ़" है तरगीब में हर किस्म की हदीसों हैं। लेकिन इमाम मुन्ज़री ने मुक़द्दमा में हर हदीस की सेहत व जोअफ़ की निशानी स्वयं बता दी है। अतः धोखा नहीं हो सकता। यह किताब भी बहुत उम्दा है। और इमाम मुन्ज़री की सम्पादित है।

सवाल 6 - "दलाइलुल ख़ैरात" का पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब- इस का पढ़ना बिदअत है।

सवाल 7 - कुरआन की टीका से क्या तात्पर्य है। अनुवाद पर भरोसा किया जाए या टीका पर? टीका में जो कुछ लिखा होता है क्या उसे सही मान लिया जाए?

जवाब - असल चीज़ तो अनुवाद ही है। इसी पर भरोसा करना चाहिए टीका उस अनुवाद की स्पष्टीकरण होती है। उसकी मदद से

आयात के मायना अच्छी तरह जेहन नशीन हो जाते हैं। कुछ लफ्जी अनुवाद समझ में नहीं आते तो उन के स्पष्टीकरण के लिए दूसरी आयात, अहादीस, उतरने की पृष्ठ भूमि आदि लिखे जाते हैं और इस तरह उस आयत का सही मतलब सामने आ जाता है और यही असल टीका है। बाकी लन तरानियां, फिकही मोश गाफियां बेकार की चीजें और गुमराह करने वाली होती हैं, टीका की किताबों की हर बात सही नहीं होती, बल्कि टीकाओं में कुछ अहादीस मौजूद भी हैं। इस समय सब से अच्छी टीका अल्लामा नवाब सय्यद सिद्दीक हसन बुखारी मुहद्दिस भोपाली की टीका है या फिर टीका "अहसनुत्तफ़सीर" है।

सवाल 8 - हदीस की व्याख्या से क्या तात्पर्य है। हदीस के अनुवाद पर अमल करें या व्याख्या देखनी जरूरी है?

जवाब 8 - व्याख्या से मुराद यह है कि इस के मतलब व मआनी पर बहस की जाए। इस सिलसिले की विभिन्न अहादीस को जमा किया जाए। अगर उन में टकराव हो तो उस टकराव को दूर किया जाए और हर एक का मौका महल बताया जाए। सेहत व जोअफ़ पर बहस की जाए। व्याख्या देख लेना अच्छा होता है वरना सही बुखारी व सहीह मुस्लिम जैसी किताबों का तो केवल अनुवाद भी काफी है न उन में सेहत व जोअफ़ का झगड़ा है, न नासिख व मंसूख का, हर चीज़ साफ़ है और जो चीज़ उन के खिलाफ़ है वह या तो जर्इफ़ होती है या उस का मौका दूसरा होता है। मुस्तनद व्याख्याएं यह हैं फ़तहुल बारी, नैलुल अवतार, औनुल माबूद आदि।

सवाल 9 - अल्लामा वहीदुज्जमां दकनी ने लिखा है कि रफ़अ यदैन मुस्तहब है, फ़र्ज व वाजिब नहीं।

जवाब - यह उन की इज्तिहादी ग़लती है जब उसका छोड़ना न रसूलुल्लाह सल्ल० से साबित न किसी सहाबी रजि० से तो फिर

छोड़ना कैसे जाइज़ हुआ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० तो इस के छोड़ने वाले को कंकरियां मारा करते थे। (किताब रफ़उल यदैन इमाम बुख़ारी रह०) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ख़लीफ़ा राशिद फ़रमाते हैं कि हमें बचपन में इस के छोड़ने पर (मदीना मुनव्वरा में) चेतावनी दी जाती थी। (उन का बचपन सहाबा रज़ि० के दौर में गुज़रा था) (हवाला—ए—मज़कूर)

सवाल 10 - सुनन अबु दाऊद में नोट लिख कर अल्लामा वहीदुज्ज़मां दकनी की व्याख्या को रद्द करने की कोशिश की गई है क्या हमारे उलमा—ए—अहले हदीस ने भी इस का कोई जवाब दिया है?

जवाब - रोज़ नई नई किताबें छपती रहती हैं, किस किस का जवाब लिखा जाए? इस तरह की बे शुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं लेकिन वह फिर भी अपने मसलक से बाज़ नहीं आते। इन्हीं बेकार के दलाइल को दोहराते चले जाते हैं। यह सिलसिला बिना ताक़त के बन्द होता नज़र नहीं आता, और ताक़त हमारे पास नहीं है। इल्म है, उसे ये लोग पढ़ते नहीं। अपनी किताबें पढ़ते हैं बल्कि उन के उलमा उन को हमारी किताबों से पहले ही बरग़शता कर देते हैं। अतः पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

सवाल 11 - सूरज के उदय से पहले फ़ज़र की एक रकअत मिलने से नमाज़ हो जाती है हंफ़ी उसे नहीं मानते। वे कौन सी दलील पेश करते हैं?

जवाब - वे कोई दलील पेश नहीं करते बल्कि मात्र क़यास से उस को रद्द कर देते हैं।

सवाल 12 - जब बिदअती अपने बुजुर्गों की करामतें आदि बयान करें तो क्या हम उनकी बात रद्द कर दिया करें?

जवाब - अगर उन की करामत में शरअी कबाहत न हो तो रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं। हां अगर उस से शिक आदि का समर्थन होता हो तो फिर बेशक उस का खंडन कर देना चाहिए। हां अगर आप उस बुर्जुग की करामत का एतेराफ़ करें तो उस की दो सूरतें ज़ेहन में रखिए। (1) अगर वह बिदअती था तो उस की करामत ऐसी होगी जैसे हिन्दू साधुओं की करामत। अतः उस की करामत से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। (2) अगर बिदअती नहीं था तो फिर उस को मुसलमान मानिए और इस के अलावा उस को किसी और सम्प्रदाय से मंसूब करने का खंडन कीजिए।

फकत

मसरूद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 13 नवम्बर 1962 ई०

बखिदमत जनाब नवाब साहब

अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

अम्मा बाद! आप का पत्र ता० 27 अक्टुबर 62 ई० को मिला। खैरियत मालूम हो कर इत्मीनान हुआ, आप की तबलीग से जमाअत हक्का में रोज़ रोज़ तरक्की मालूम हो कर बहुत खुशी हुई। اللهم زده। अब आप इत्मीनान से अपना काम जारी रखिए, इंशा अल्लाह आप को दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी आप के दामाद का पत्र पढ़ा जवाब यह हैं।

तक्लीद

1- तक्लीद शख्सी बिदअत है और हर बिदअत दीन में वद्धि होती है अतः हर बिदअत शिर्क है।

2- तक्लीद की वजह से ग़लत फ़तवों पर अमल होता है और आयत व हदीस को रद्द कर दिया जाता है। चाहे तावील से या किसी और बहाने से आयत व हदीस की मौजूदगी में उस के मुख़ालिफ़ फ़तवा पर अमल खुली गुमराही और खुला शिर्क है।

3- तक्लीद की वजह से सम्प्रदायवाद पैदा होता है और जो कुछ गुथ्थम गुथ्था उन तक्लीदी विचारों में होती रही है इतिहास के

पन्ने इसके गवाह हैं। यहां तक कि उन के झगड़ों की वजह से काबा में चार मुसल्ले काइम करने पड़े। क्योंकि कुरआन मजीद की रू से सम्प्रदायवाद अल्लाह तआला को सख्त ना पसन्द है। बल्कि सम्प्रदायवाद को अल्लाह तआला ने एक अज़ाब की तरह माना है, और यह साम्प्रदाय को रहमत समझते हैं और यह खुला कुफ़र है और कुरआन मजीद का विरोध। आयत यह है: **قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ط** (सुरة انعام १५) कह दीजिए, अल्लाह इस बात पर समर्थ है कि तुम पर ऊपर से अज़ाब भेज दे या तुम्हारे पैरों के नीचे से या तुम्हें गिरोहे गिरोह बनाकर उलझा दे और एक दूसरे की लड़ाई का मज़ा तुम को चखाए देखिए हम किस तरह आयात को बदलते हैं ताकि वह समझ जाएं।

नबी सल्ल० की ज़ियारत

अगर किसी हंफ़ी को नबी सल्ल० की ज़ियारत करना होना हो तो हम उस की सेहत तस्लीम नहीं करते हो सकता है कि जिस तरह करामात व खूराफ़ात कुछ असली या नक्ली औलिया अल्लाह की तरफ़ मंसूब हैं और पूरी तरह ग़लत बल्कि कुछ तो हकीकत में कुफ़र हैं, इसी तरह यह किस्से भी गढ़ लिए गए हों और पीरां नमी परिन्द, मुरीदां परानन्द वाला किस्सा हो।

दो- हमारा ईमान कुरआन व हदीस पर है। अतः किसी गुमराह सम्प्रदायों के बारे में ऐसे किस्से सुनने में आना तो अलग अगर हमारे देखने में भी आ जाएं तो उस को अपनी आंख की ख़ता कहेंगे और हमारा ईमान कुरआन व हदीस पर रहेगा न कि आंखों

देखे मुशाहेदा पर। कुछ आंखों देखे मुशाहेदे खुले रूप से गलत होते हैं। जैसे रेगिस्तान में सराब (मरिचिका) का दिखाई देना, रेल गाड़ी में जब वह चल रही हो दूर की चीजों का रेल गाड़ी की दिशा में दौड़ती हुई मालूम होना, चांद का हमारे साथ चलना और इस तरह की कई और मिसालें हैं। आंख खता कर सकती है लेकिन कुरआन व हदीस का खता करना ना मुमकिन है और ऐसे मौकों पर आंख को खता कार ठहराना बे ईमानी की दलील है।

तीन- जो लोग बयान करते हैं कि हम ने रसूलुल्लाह सल्ल० को सपने में देखा वह कैसे कह सकते हैं कि वह आंहज़रत सल्ल० की ही शकल थी। हां अगर उन्होंने जागते में रसूलुल्लाह सल्ल० को जीवित हालत में देखा होता, जैसा कि सहाबा किराम रज़ि० ने देखा था और फिर इसी शकल में वह सपने में देखते तो यकीन हो सकता था कि आप सल्ल० ही हैं इसलिए कि इस सूरत में आना शैतान के लिए असंभव है। लेकिन दूसरी सूरत में आकर धोखा दे जाना आसान है और यही होता है। मैंने तो हमेशा फ़ासिकों व फ़ाजिरों और बिदअतियों वगे ही देखा कि वह ज़ियारत करने की ख़बर देते हैं। वह कुछ भी कहा करें, हम पूरी तरह इस का इंकार करते हैं बल्कि अगर वह फ़र्ज़ी दास्तान भी न हो तो शैतान का करिशमा ज़रूर है। बजुर्गों की घटनाओं में ऐसा मिलता है कि उस ने उन बजुर्गों के सामने अपने आप को अल्लाह जाहिर किया और जो उस के बहकाए में आ गए वे यही समझते रहे कि हम अल्लाह के दरबार में हाज़िर हैं और हकीकत बाद में मालूम हुई।

बस इन तीन स्तरो पर मुहम्मद हाशिम साहब और मौलवी मुहम्मद कासिम नानौतवी साहब के की घटनाओं को रखा जा सकता है। इस किस्म की बातें ग़ैर मुस्लिमों में भी पाई जाती हैं। यह

कोई अजूबा चीजें नहीं कि उन की वजह से ईमान को ख़राब किया जाए। मौलवी कासिम साहब ने हयात नबी सल्ल० और ख़त्म नुबुवत के सिलसिले में जो कुछ कहा वह अब किसी से पोशीदा नहीं रहा। यहां तक कि हयातुनबी सल्ल० के मसअला पर उलमा—ए—देवबन्द में सख्त मतभेद पैदा हो गया जिस को ख़त्म करने के उद्देश्य से मौलवी तय्यब साहब तशरीफ़ लाए और सुलह कराके गए, यद्यपि मतभेद की नौइयत बाकी है लेकिन मतभेद का ऐलान व तबलीग़ रोक दी गई। ख़त्म नुबुवत के सिलसिला में उन की इबारतें कादियानियों के लिए बड़ी मुफ़ीद साबित हुईं। हम यह तो कर सकते हैं कि कि ख़ामोश रहें लेकिन यह नहीं कर सकते कि उन को बुजुर्ग मान कर सत्य मार्ग को छोड़ बैठें। अगर वह स्वयं सत्य मार्ग पर होते फिर भी उन की ग़लती को सराहना क्या मायना! उन का कुसूर यही क्या कम है कि देहली में किताब व सुन्नत के मदरसा के मुकाबले में हंफ़ी मज़हब की हिफ़ाज़त के लिए उन्होंने देवबन्द में मदरसा काइम किया। अब इस को किताब व सुन्नत का बैर कहिए या हंफ़ी मज़हब का पक्षपात व ग़ैरत।

रफ़अ यदैन

करना और न करना दोनों जाइज़ हैं? यह किस तरह सही हो सकता है, जबकि रफ़अ न करने की कोई रिवायत सही नहीं और अगर सही भी मान ली जाए तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की भूल माननी होगी। इस लिए कि उन से इस तरह की कई और भूलें भी मंसूब हैं जिन भूलों पर किसी का अमल नहीं बल्कि वह मंसूख़ और ग़ैर सही समझी जाती हैं। अगर दोनों तरह जाइज़ भी हो तो दोनों तरह सुन्नत नहीं हो सकता। इसलिए कि अमल छोड़ना कोई

अमल ही नहीं जिस को सुन्नत कहा जाए। सुन्नत तो अमल होता है। अमल छोड़ने को केवल जाइज़ कह सकते हैं, लेकिन सुन्नत नहीं कह सकते। इस तरह से भी रफ़अ यदैन का दर्जा रफ़अ यदैन न करने से बढ़ जाता है। अगर केवल ईश्वरत्व का अन्तर होता तो फिर हंफ़ी उस से इतना क्यों चिढ़ते?

फ़ातिहा ख़लफ़ुल इमाम

फ़ातिहा ख़लफ़ुल इमाम के बारे भी मतभेद बहुत सख़्त है, एक के हां फ़र्ज़ ऐन दूसरे के यहां पढ़े तो कुरआन मजीद का विरोध मुंह में अंगारे भरे जाएं, यूं कहिए कि ये लोग अब ढीले पड़ते जा रहे हैं इस लिए इस किस्म की नर्म बातें करने लगे हैं।

अब आप के पत्र में लिखे सवालों के जवाब सुनिए।

1- बोहरा सम्प्रदाय के अक़ाइद का कोई ख़ास पता तो नहीं। बहर हाल यह भी शीओं का एक सम्प्रदाय है कुछ बोहरे सुन्नी भी होते हैं। ताहिर सैफ़ुद्दीन साहब बोहरों के इमाम हैं। बोहरों में एक और सम्प्रदाय भी है जिस के इमाम आगा ख़ां हैं। उन के अक़ाइद बहुत ख़राब हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। सैफ़ुद्दीन साहब को "सय्यदना" उन के फ़िक़ह वाले कहते हैं न कि हम।

2- शीआ सम्प्रदाय ने कहां ग़लती की है? यह सम्प्रदाय अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी की ईजाद है जिस ने अहले बैत की मुहब्बत के बहाने बहुत सी ग़लत बातें दीन में दाख़िल कर दीं। हज़रत अबु बकर रज़ि० और हज़रत उमर रज़ि० आदि को अतिक्रमणकारी कहा, कपटी कहा, अहले बैत के फ़ज़ाइल में अहादीस गढ़ी, मौजूदा कुरआन मजीद को जाली कहते हैं, असली कुरआन मजीद का एक फ़र्ज़ी हिस्सा भी तरस्लीम किया जो इमाम

मेहदी गाइब ले कर आएंगे। शुरू शुरू में ये लोग सियासी मतभेद के साथ पकट हुए लेकिन धीरे धीरे उन का एक मज़हब बन गया।

3- फ़िदक एक बाग़ था जो बिना लड़े फ़तह हुआ था। यह बाग़ फ़ै के तौर पर रसूलुल्लाह सल्ल० के कब्ज़ा में रहा, अर्थात् बहैसियत शासक के आप सल्ल० का इस पर अधिकार था। हज़रत फ़ातिमा रज़ि० यह समझीं कि यह आप सल्ल० का माल है अतः हमें तर्का मिलना चाहिए। हज़रत अबु बकर रज़ि० ने हदीस सुना दी कि “अंबिया का कोई वारिस नहीं, जो कुछ वे छोड़ जाएं सदका होता है।” हज़रत फ़ातिमा रज़ि० उस पर ख़ामोश हो गईं और फिर बात न की। हज़रत आइशा रज़ि० का ख़्याल है कि नाराज़गी की वजह से बात नहीं की। यद्यपि उस में हज़रत अबु बकर रज़ि० से नाराज़ होने की तो कोई वजह नहीं है। हां यह कह सकते हैं कि वह नबी सल्ल० के फ़ैसले से ख़फ़ा हो गईं तो यह कैसे मुमकिन है। बहर हाल हज़रत आइशा रज़ि० का यही ख़्याल था और इसी आधार पर वह समझीं कि जनाज़ा में भी शरीक नहीं किया। सहीह बुख़ारी में यह सब बातें हैं। सहीह बुख़ारी में इस तरह है कि हज़रत अबु बकर रज़ि० को आप सल्ल० के इन्तक़ाल की ख़बर न की। यह नहीं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ि० ने वसियत की थी कि वे न आने पाएँ, यह ग़लत है। रात का समय था (बुख़ारी) इसी वजह से शायद हज़रत अबु बकर रज़ि० को ख़बर न की गई। मतलब यह कि हज़रत आइशा रज़ि० ने अपना गुमान ज़ाहिर किया है। दूसरी किताबों में यह बात मिलती है कि वह हज़रत अबु बकर रज़ि० से नाराज़ नहीं थीं बल्कि खुश थीं, और अगर मान लें और हम फ़र्ज़ भी कर लें कि वह हज़रत अबु बकर रज़ि० से नाराज़ थीं तो किस बात पर? नबी सल्ल० का फ़ैसला सुनाने पर? अगर नबी सल्ल० का फ़ैसला सुन

कर वे दिल में शंका और रंजिश महसूस करें, तो फिर ईमान की खैर नहीं। कुरआन की आयत साफ़ है: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا.....الخ. (سورة نساء ٦٥)

उन शीआ साहिबान से कहिए कि उन्होंने नबी सल्ल० के फैसले को तस्लीम नहीं किया अतः अब आप उन का ईमान साबित कीजिए? सर सय्यद अहमद खां अकीदतन व अमलन अहले हदीस थे लेकिन टीका के सिलसिले में उन से कुछ खतरनाक गलतियां हुई हैं जिन की वजह से उन के ईमान तक में शक पैदा हो जाता है जैसे फ़रिश्तों की तावील आदि। मौदूदी साहब अकीदतन हक़ के करीब मालूम होते हैं, लेकिन अमलन वह हंफ़ी ही हैं और कुछ इसी अंदाज़ से सोचते हैं। हदीस के मामले में उन की राय बहुत खतरनाक है।

फ़क़त

मसऊद

उलमा-ए-किराम को शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी

रह0 की नसीहत

“मैं उन ज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों से कहता हूं जो अपने आप को उलमा कहते हैं कि:

नादानो! तुम यूनानियों के उलूम और व्याकरण संबंधी मायना व मामलों में फंस गए और समझे कि ज्ञान इस का नाम है, यद्यपि ज्ञान तो किताबुल्लाह की आयते मोहकमा है या फिर वह सुन्नत है जो रसूलुल्लाह सल्ल0 से साबित हो तुम पिछले फुकहा के नुक्तों और उलझावों में डूब गए, क्या तुम्हें खबर नहीं कि ज्ञान केवल वह है जो अल्लाह और उस के रसूल सल्ल0 ने फरमाया हो, तुम में से अधिकांश का हाल यह है कि जब उसे नबी करीम सल्ल0 की कोई हदीस पहुंचती है तो वह उस पर अमल नहीं करता और कहता है कि मेरा अमल तो फलां इमाम के मजहब पर है न कि हदीस पर, फिर वह बहाना यह पेश करता है कि साहब, हदीस की समझ और उस के अनुसार अमल करना तो कामिलीन और माहिरीन का काम है, और यह हदीस आइम्मा सलफ़ से छुपी तो न रही होगी, फिर कोई वजह तो होगी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया याद रखो! यह कदापि दीन का तरीका नहीं है, अगर तुम अपने नबी सल्ल0 पर ईमान लाए हो तो उन का अनुसरण करो चाहे किसी मजहब के अनुकूल हो या प्रतिकूल।”

(“तफहीमात अल इलाहिया।” शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रह0)

मसलक अहले हदीस की प्रमुख विशेषताएं

- इस मसलक में सन्तुलन का एक हुस्न है।
- यहां बे दाग़ और बे लचक तौहीद है।
- यहां जीवन व्यवस्था रसूल सल्ल० है।
- यहां आइम्मा-ए-किराम रह० और औलिया-ए-उज्जाम रह० की ऊंचे दर्जा का सम्मान और अहले बैत रजि० से हार्दिक अकीदत भी।
- यहां हदीस सहीह को आइम्मा के कथनों पर वरीयता देने का चाव भी है और फुक़हा-ए-किराम की मसाई-ए-जमीला का हुस्ने एतेराफ़ भी।
- यहां अहकामे शरीअत का आयोजन भी है और नफ़स की सफ़ाई का शौक़ भी।

مااهل حدیثیم ذغار انشناسیم
صد شکر که در مذهب ما حلیه و فن نیست

मसलक अहले हदीस

अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रह०

“हमारे लिए यह बहुत बड़ा गौरव है कि हमारी हर बात अपनी नहीं होती, बल्कि हमारे अकायद और नज़रयात का मर्कज़ किताब व सुन्नत हैं अहले हदीस के अलावा दुनिया में जितने मसलक हैं, एक एक से पूछिए कि वह जो कुछ कहते हैं क्या वह सब कुछ वही है जो नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया है। उन में से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उन की हर बात किताब व सुन्नत की बात है। अल्लाह के और मुहम्मद के फ़रमान पर कोई मतभेद नहीं। झगड़ा उस समय पैदा होता है जब उन आदेशों के अलावा तीसरी बात सामने आ जाती है। हम यह बरमला कहते हैं कि किताब व सुन्नत के सामने किसी और की बात की कोई हैसियत नहीं है। हम अगर इमाम बुख़ारी रह०, इमाम मुस्लिम रह० और दूसरे मुहदिसीन का ज़िक्र करते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात कही है बल्कि उन्होंने तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० के आदेश हम तक पहुंचाए हैं -- हम ने बहुत से अरब देशों में यह मुशाहेदा किया है कि किताब व सुन्नत की रोशनी जहां तक पहुंची है वहां अहले हदीस मौजूद हैं, इस लिए मसलक अहले हदीस से ज़्यादा साफ़, स्वच्छ, और रौशन मसलक कोई नहीं है।”

होते हुए मुस्तुफ़ा की गुरफ़तार
मत देख किसी का कौल व किरदार

शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रह0 ने फरमाया

तो यदि हम को रसूले मासूम सल्ल0 की हदीस सही सनद से पहुंच जाए जिन का आज्ञा पालन अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है, और वह हदीस हमारे मज़हब के खिलाफ हो तो उस समय अगर हम उस हदीस को छोड़ कर इस तख़मीने (कथन) पर जमे रहें तो हम से बड़ा ज़ालिम कोई न होगा, और हशर के दिन जब सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे, हमारा कोई बहाना नहीं चल सकेगा।”

(उक्दतुल जय्यद” पृ0 49 प्रिंटर्स फारूकी, देहली)

अहले हदीस

उम्मत के बुजुर्गों की नज़र में

- "मैं दुनिया में पहला अहले हदीस हूँ।"

(हज़रत अबु हुरैरह रज़ि० ("तज़किरतुल हुफ़ज़" भाग 1 पृ० 34)

- "हमेशा हक़ पर रहने वाली जमाअत अगर अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि वह कौन है?"

(इमाम अहमद बिन हंबल। "शर्फ़ असहाबुल हदीस")

- जिस जमाअत के बारे में हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया है कि वह हमेशा हक़ पर रहेगी उस से मुराद अहले हदीस जमाअत है।"

(अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम बुख़ारी रह०)

- "फ़रिश्ते आसमान के पहरेदार हैं और अहले हदीस ज़मीन के।"

(इमाम सुफ़ियान सूरी रह० "शर्फ़ असहाबुल हदीस")

- अहले हदीस मुसलमानों में ऐसे हैं जैसे अहले इस्लाम तमाम मज़ाहिब में।"

(शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रह० "नक़ज़ुल मंतिक पृ० 33)

Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph.: 26986973 M. 9312508762

Al-Kitab International
الكتاب الدولي



Talash - E - Haq